

मुकम्मल व मुकल्लल

मसाइबे इमामत

कुरआन व सुन्नत की रैशनी में

हज़रत मुफ़्तिदयाने क़ियाम दाख़लउलूम देववंद की तस्दीक़ व ताईद के साथ

मौलाना का़री मुहम्मद रफ़अत का़समी
(मुदररिस दाख़लउलूम देववंद)



मुकम्मल व मुदल्लल

मरशाइले इमामत

कुरआन व सुन्नत की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तयाने किराम दारुलउलूम देवबंद की तस्दीक व ताईद
के साथ

मुश्फ़िह

मौलाना कारी मुहम्मद रफ़अत कासमी
(मुदररिस दारुलउलूम देवबंद)

लिप्यान्तः

मो० मोकर्रम ज़हीर

नाशिर

अन्जुम बुक डिपो

मटिया महल, जामा मस्जिद (दिल्ली)

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

किताब का नाम:.. मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले इमामत
मुअल्लिफ:..... मौलाना कारी मुहम्मद रफ़अत कासमी
लिप्यान्तर:..... मो० मोकर्रम ज़हीर
जेरे निगरानी:..... शकील अन्जुम देहलवी
तादाद:..... 1100

Masaile Imamat

By: Maulana Qari Md. Rafat Qasami

Published by

Anjum Book Depot

Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 6

फेहरिस्ते मजामीन मसाइले इमामत

उन्वानात	सफ़हात
इतिसाब.....	17
दुआए मुस्तजाब हज़रत मुफ़्तये आज़म दारुलउलूम देवबंद.....	18
राए गिरामी हज़रत मौलाना मुफ़्ती निज़ामुद्दीन साहब	
आज़मी मुफ़्तये दारुलउलूम देवबंद	19
तकरीज़ हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फीरुद्दीन साहब	
मुफ़्तये दारुलउलूम देवबंद	20
अर्जे मुअल्लिफ.....	22
इमामत की तरतीब	23
अपने में से बेहतर को इमाम बनाया जाए	27
इमाम की जिम्मादारी और मसऊलियत.....	28
मुक्तदियों की रिआयत	29
मुक्तदियों को हिदायत.....	30
इमाम के औसाफ.....	31
इमाम को हिदायत	34
इमाम के लिए मज़ीद शर्तें.....	35
इमामत के लिए झगड़ा करना मना है.....	37
इमामत की उजरत.....	38
हाकिमे वक़्त की इजाज़त ज़रूरी है	40
इमामत और मेहराय	41
किराअत के औब्वल व बाद सुकूत	42
तस्बीह में जल्दी न करे.....	42

इमाम नमाज़ से कबल मुक्तदियों को तंबीह करे.....	43
इमाम का दिल और ज़बान से नीयत करना	44
आँहज़रत (स.अ.व.) का तरीका	45
सहाबए किराम का मामूल	46
इमाम की तफ़रूरी का हुक्म	47
क्या इमामत में बरासत है?	48
इमाम की तफ़रूरी में अगर इख़्तिलाफ़ हो जाए.....	49
क्या अदालत इमाम मुकर्रर कर सकती है?	50
इमामत का दावा और मुक्तदियों का इन्कार.....	50
अगर इमाम मुकर्रर करने की गुंजाईश न हो तो क्या हुक्म है? ...	51
इमाम के फ़राइज़े मन्सबी	51
पेश इमाम का रुतबा	52
क्या इमाम अपना नाइब मुकर्रर कर सकता है?	52
इमाम के अज़्ल व नस्ब का हक्.....	53
अइम्माए मसाजिद की तन्ख़्वाह और शरई जिम्मादारियाँ	53
इमाम की उजरत	55
क्या इमाम को छुट्टी का हक् हासिल है?	56
क्या इमाम ग़ैर हाज़री के ज़माने में तन्ख़्वाह ले सकता है?	57
इमाम की ग़ैर हाज़री का हुक्म	57
इमाम के एहातए मस्जिद में रहने का हुक्म	58
क्या इमाम एहातए मस्जिद में अपना काम कर सकता है?	58
क्या इमाम चौबीस घन्टे का पाबन्द है.....	59
एक वक़्त में दो जगह इमामत.....	59
एक इमाम का दो जगह इमामत करना	60
एक मस्जिद में दो इमामों की इमामत.....	60
क्या एक शख़्स इमामत व अज़ान अंजाम दे सकता है?	61
इमाम मुतवफ़्फ़ा के बच्चों की इमदाद	61
क्या इमामत में ज़ात का लिहाज़ है?.....	62
जिसका बाजू कटा हुआ हो उसकी इमामत.....	63

छोटे हाथ वाले की इमामत	64
हाथ कटे हुए शख्स की इमामत	65
जिसकी टाँगें कटी हुई हों उसकी इमामत.....	65
जो सज्दा पर कुदरत न रखता हो उसकी इमामत	66
काने, लूले, चुगल खोर और कोढ़ी की इमामत	66
बरस वाले की इमामत	67
बैठ कर पढ़ाने वाले की इमामत	68
गंजे की इमामत	68
नाबीना की इमामत का हुक्म	69
दाढ़ी कटाने वाले की इमामत.....	70
दाढ़ी कटवाने से ताइब की इमामत	72
गैर माजूर की इम्तिदा	73
मसह करने वाले की इमामत	73
बवासीर में मुब्तला की इमामत	73
सलसलुल बौल के शक में मुब्तला की इमामत.....	74
रअशा वाले की इमामत	75
कमजोर निगाह वाले की इमामत.....	75
हज्जाम की इमामत	75
हकले की इमामत	76
झुकी कमर वाले की इमामत	78
तोतले की इमामत	78
लंगड़े की इमामत	79
बहरे की इमामत.....	80
नमाज़ में सोने वाले की इमामत	80
तावीज़ गंडा करने वाले की इमामत	80
गैर मख़तून की इमामत	81
माजूर की इमामत	81
नामर्द की इमामत.....	82
तवाइफ़ जादे की इमामत	82

हमल साकित कराने वाले की इमामत	83
गंडे द्वार नमाज़ पढ़ने वाले की इमामत.....	83
नौ मुस्लिमा के लडके की इमामत.....	84
लुंजे की इमामत	85
खुन्सा की इमामत	85
ज़ेरे नाफ बाल न बनाने वाले की इमामत	86
पोपले की इमामत.....	86
मसनूर्ई दाँत वाले की इमामत.....	87
क़त्लिल की इमामत	87
औरतों का इमाम बनना.....	88
इमाम के आक़िल होने की शर्त	88
ख़्वाँदा शख़्स का अनपढ़ की इक़तदा करना.....	89
दौराने इह़त निकाह पढ़ाने वाले की इमामत	89
इमामत के लिए सेहत मंद होने की शर्त	90
रेहन से फ़ायदा उठाने वाले की इमामत.....	90
आक की इमामत	91
कम तौलने वाले की इमामत.....	91
सफ़ेद बाल उखड़वाने वाले की इमामत.....	92
मुरतकिबे कबाइर की इमामत.....	92
बिला टोपी व अ़मामा वाले की इमामत	93
जुनबी की इमामत	94
जाहिल चोर की इमामत.....	94
फ़ैशन परस्त की इमामत	95
फ़ासिक की इमामत	96
बच्चे की इमामत	96
इमामत का मुस्तहिक़.....	97
इमामत में शैख़ व सैयद की तख़्सीस नहीं	98
जिस इमाम से बाज़ मुक्तदी नाराज़ हों उसकी इमामत.....	99
ग़ैर सालेह औलाद वाले की इमामत	99

जिस इमाम की बीवी साड़ी बाँधती हो उसकी इमामत.....	100
लड़की की शादी पर रुपये लेने वाले की इमामत	100
मस्जिद का माल अपनी जात पर खर्च करने वाले की इमामत	100
शीआ की इमामत	101
मोर्ची, गुस्साल और नौ मुस्लिम की इमामत	101
गैर मुकल्लिद की इमामत	102
मुन्किरीने हदीस की इमामत	102
गाने बजाने वाली के शौहर की इमामत	103
ना-महरमों से परदा न करने वाली के शौहर की इमामत	103
जिसकी औरत बे-परदा हो उसकी इमामत	105
जिस इमाम की लड़कियाँ बेपर्दा हों उसकी इमामत.....	105
ज़िद में तलाक़ देने वाले की इमामत	106
रुकूअ व सुजूद जल्दी करने वाले की इमामत	107
बिदअती की इमामत	108
मौदूदी अकाइद रखने वाले की इमामत.....	108
ख़िज़ाब लगाने वाले की इमामत	109
सीनमा देखने वाले की इमामत	109
टेलीवीज़न देखने वाले की इमामत	110
ज़िसके यहाँ शरई परदा न हो उसकी इमामत	110
ख़स्सी की इमामत	111
हिजड़े की इमामत	111
नस्बंदी कराने वाले की इमामत	111
दीवाने की इमामत	113
जिमाअ पर गैर कादिर की इमामत	113
वहम की वजह से इमामत छोड़े या नहीं?.....	114
सूज़ाक वाले शख़्स की इमामत	114
मुसाफ़िर की इमामत	115
इनआमी बौंड रखने वाले की इमामत	115
ना-महरम औरतों से हाथ मिलाने वाले की इमामत.....	116

बैंक मुलाजिम की इमामत	116
अबरस और जुजामी की इमामत	116
सूद खोर की इमामत	117
मुरत्तकिबे मकरह की इमामत.....	117
कौवाली सुनने वाले की इमामत.....	118
अगली पुश्त में खराब नसब वाले की इमामत.....	118
मुत्तहम बिज़्जिना की इमामत.....	118
वलदुज़्जिना की इमामत	119
तवाइफ के घर परवरिश याफ़ता बच्चे की इमामत.....	119
ज़ानी ताइब की इमामत	119
ग़ैर शादी शुदा की इमामत	120
जो शादी शुदा इमाम एक साल तक घर न जाए उसका हुक्म.....	121
टख़नों से नीचे पाएजामा पहनने वाले की इमामत	121
पैंट पहनने वाले की इमामत.....	122
चौड़ा पाएजामा पहनने वाले की इमामत.....	123
धोती पहन कर इमामत करना.....	123
शलवार व कमीज़ पहन कर इमामत	123
सेहत के साथ न पढ़ने वाले की इमामत	124
रिशवत खोर की इमामत	124
तारिके जमाअत की इमामत	125
अस्ले हदीस की इमामत	125
रज़ा ख़ानी की इमामत.....	126
कम्यूनिष्ट पार्टी को वोट देने वाले की इमामत	126
ग़ैर मुअज़्ज़ज़ की इमामत	128
सहीह मख़ारिज पर ग़ैर कादिर की इमामत	130
फ़र्ज़ पढ़ चुकने के बाद फिर फ़र्ज़ की इमामत.....	131
ऐसे शख़्स की इमामत जिसके ज़िम्मा कज़ा नमाज़ है	131
जिस इमाम के ज़िम्मा वित्र की कज़ा हो	133
सुन्नते मुअक्कदा न पढ़ने वाले की इमामत	133

मुस्तकिल इमाम का हक	134
मौजूदा इमाम की इजाज़त ज़रूरी है	135
नाइब इमाम की मौजूदगी में किसी और की इमामत	135
ज़रूरत के वक़्त बिला इजाज़त इमाम बनाना	136
इमाम की इजाज़त मुक़्तदी के लिए शर्त नहीं	136
क़अदए अख़ीरा में इमाम फ़ौत हो गया तो क्या हुक़म है?	137
शाफ़ई इमाम की इत्तबाअ इख़िताफ़ी मसाइल में	137
शाफ़ई और अहले हदीस की इमामत	138
शाफ़ई इमाम की इन्तिदा में रफ़ए यदैन	139
हनफ़ी इमाम शाफ़ई मुक़्तदियों की किस तरह इमामत करे	140
नापाक हालत में नमाज़ पढ़ा दी तो क्या हुक़म है	141
अरसए दराज़ तक इमामत के बाद इकरारे कुफ़्र	142
अरसा के बाद इमाम के क़ाफ़िर होने का इल्म	142
क्या तरावीह पढ़ाना इमाम की जिम्मादारी है?	143
तरावीह में इमामत का हक	144
तरावीह में मुआवज़ा की शरई हैसियत	144
इमामते तरावीह के लिए बुलूग़ शर्त है	145
माज़ूर हाफ़िज़ की इमामत	146
जिसने इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी उसकी इमामत	146
वित्र की इमामत	147
इमाम सिर्फ़ फ़र्ज पढ़ाए और हाफ़िज़ वित्र	148
टेलीवीज़न से इमामत	148
टेप रिकार्ड से इमामत	150
इमामत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक	151
इमामत के मकरूहात का ब्यान	152
लाउडस्पीकर पर इमामत	156
इमाम जुमा के लिए बाहर जाए या जुहर की इमामत करे	157
इमाम जुमा में किराअत तवील करे या ख़ुत्बा	158
इमाम का ख़ुत्ब की हालत में किसी की ताज़ीम करना	158

इमाम व खतीब की अदमे मौजूदगी का हुक्म	159
मिम्बर के दरजात की तादाद	159
क्या इमाम का मिम्बर पर खड़ा होना ज़रूरी है?	160
मिम्बर के किस जीने से खुत्बा दे	160
खुत्बा में अफराद की शर्त	160
इमाम का असा लेकर खुत्बा देना	161
अजाने खुत्बा का हुक्म	162
क्या इमाम इमामत से पहले मस्अला बता सकता है?	162
खुत्बा और जुमा में फ़स्त होना	163
ग़ैर खतीब की इमामते जुमा	163
क्या इमामे जुमा सुन्नत पढ़ने वाले का इतिज़ार करे	163
खुत्बा पढ़ने का तरीका	164
क्या खुत्बा में जेहर शर्त है?	165
ग़लती पर खतीब को लुक्मा देना कैसा है	165
क्या मुकब्बिर के लिए इमाम की इजाज़त ज़रूरी है	166
ईद का खुत्बा किसी ने दिया और नमाज़ किसी और ने पढ़ाई	166
क्या इमाम दो जगह ईद की इमामत कर सकता है?	166
उजरत पर जुमा व ईदैन पढ़ाना	167
मुराहिक़ खुत्बा पढ़े और बालिग़ नमाज़ पढ़ाए	167
इमाम का खुत्बा में ज़िक़रे मुआविया करना	167
बाद नमाज़े जुमा दुआ़ा मुख़्तसर करे या तवील	169
इमाम का जुमा की सानी दुआ़ा कराना	170
इमामत में अपने मस्लक की रिआयत	170
अगर इमाम तकबीराते ईदैन भूल जाए	171
जुमा व ईदैन में सज्दए सख़्व का हुक्म	172
ईदैन में दुआ़ा किस वक़्त की जाए	172
नक़श व निगार वाले मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ाना	173
इमाम चौकी पर और मुक़दती फ़र्श पर	174
इमाम फ़र्श पर और मुक़त्तदी मुसल्ले पर	175

इमाम का बीच की मंज़िल में खड़ा होना.....	175
मस्जिद की बालाई मंज़िल में जमाअत	176
अगर मस्जिद में इमाम के नीचे की मंज़िल खाली हो	177
इमाम का दरमियाने मेहराब से हट कर खड़ा होना.....	178
इमाम का मेहराब के अन्दर खड़ा होना	179
नमाज़ियों की कसरत की वजह से इमाम का दर में खड़ा होना ...	179
जगह की तंगी की वजह से इमाम का दरमियान में खड़ा होना....	180
जिस मस्जिद में मेहराब न हो इमाम कैसे खड़ा हो	181
इमाम के दाएँ या बाएँ खड़ा होना	182
मुक्तदी के कहने पर इमाम का नमाज़ में आगे बढ़ना	182
अगर इमाम के साथ एक शख्स हो.....	183
सिर्फ औरत या बच्चा मुक्तदी हो तो कहाँ खड़ा हो	184
मुक्तदी एक मर्द एक बच्चा हो तो कैसे खड़े हों.....	185
इक़्तिदा के शरई हुदूद	185
मुक्तदी के इमाम से आगे बढ़ जाने का हुक्म.....	186
नमाज़ के औकात कौन मुकर्रर करे.....	187
मुकर्ररा वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ाना.....	187
क्या इमाम पर मुतअय्यन वक़्त का एहतिमाम ज़रूरी है?	188
नमाज़ शुरू करने में इमाम मुतवल्ली का पाबंद नहीं	190
इमाम का किसी फ़र्द के लिए जमाअत में ताख़ीर करना	191
क्या इमाम के लिए अ़मामा ज़रूरी है?	192
रूमाल लपेट कर नमाज़ पढ़ाना	193
अ़मामा व शिमला की लम्बाई की हद.....	194
इमाम पर मुक्तदी की रिआयत	195
इमाम के लिए तसबीहात की तादाद	196
इमाम सुन्नत पढ़ने वाले का इतिज़ार करे या नहीं?.....	196
मुक्तदी न आए तो इमाम तन्हा नमाज़ पढ़ सकता है.....	197
इमाम के लिए मुअय्यन आदमी का इतिज़ार.....	197
आने वाले के लिए क़िराअत या रुकूअ लम्बा करना.....	198

इमाम के सलाम के वक्त इक्तिदा करना	198
जाती रंजिश की बिना पर जमाअत से गुरेज़	199
बगैर वजहे शरई इमाम के पीछे नमाज़ का तर्क	199
इमाम व मुक्तदियों को कब खड़ा होना चाहिए	200
इमाम के पीछे कैसे लोग खड़े हों	201
इमाम के पीछे मुअज़्ज़िन की जगह मुतअय्यन करना	202
इमाम का तकबीर के वक्त मुसल्ले पर होना	202
तकबीर के बाद इमाम का देर तक रुक कर नीयत बाँधना	202
इमाम ने बगैर तकबीर के जमाअत शुरू कर दी तो क्या हुक्म है .	203
इमाम के अमामा बाँधते वक्त इक़मत ख़त्म हो गई तो क्या हुक्म है .	204
इमाम के क़द कामतिस्सलात पर हाथ बाँधने का हुक्म	204
इमाम किस तरह नीयत करे	205
नमाज़ की नीयत किस ज़बान में ज़रूरी है	205
इमाम को मुक्तदी औरत की नीयत करना	206
ज़बान से कल्बी नीयत के खिलाफ़ का हुक्म	206
तकबीरे तहरीमा के बाद नीयत करने से नमाज़ न होगी	207
तहरीमा में उंगलियों की कैफ़ियत	208
इमाम तकबीरे तहरीमा में उजलत न करे	208
तकबीरे तहरीमा का तरीका	209
इमाम को तकबीरात किस तरह कहनी चाहिए	212
तहरीमा में आम ग़लती	214
तकबीर में जेहर की मिक्दार	215
किराअत में जेहर की मिक्दार	216
इमाम कौमा और जलसा इत्मीनान से करे	218
इमाम का सिर्फ़ हुस्ने आवाज़ के खाँसना	222
बगैर सना के किराअत करने का हुक्म	223
क्या इमाम मुक्तदियों की सना का इत्तिज़ार करे?	223
नमाज़ में बिस्मिल्लाह का हुक्म	224
किराअत में तरतीब का लिहाज़	224

निस्फ आयत से किराअत की इब्तिदा करना कैसा है	225
इमाम ने जेहरी नमाज़ में सिरन पढ़ा	225
इमाम को लुक़्मा देने की तफ़सील	226
इमाम का सूरतों को ख़िलाफ़े तरतीब पढ़ना	226
मुक्त्तदी के लुक़्मा देने से इमाम का आयते सज्दा पढ़ना	227
वाजिब किराअत की मिक्दार	227
नमाज़ में मुख़ालिफ़ सूरतों के रुकूअ पढ़ना	228
नमाज़ की किराअत में आप (स.अ.व.) का मामूल	229
इमाम का ख़िलाफ़े सुन्नत किराअत करना	230
किराअत के आखिरी लफ़्ज़ का रुकूअ की तकबीर के साथ मिलाना	230
समिअल्लाहु लिमन हमिदह की सहीह अदाएगी	231
इमाम को मुतनब्बेह करने का तरीका	231
इमाम का दूसरी रकअत में किराअत लम्बी करना	232
दूसरी रकअत को तूल देने में किस चीज़ का एतेबार है	232
हर रकअत में एक ही सूरत पढ़ना	233
किराअते मसनूना	234
हर रकअत में पूरी सूरत पढ़ना	234
इमाम के लिए तहमीद अफज़ल है	235
इमाम के लिए आमीन कहना कैसा है?	235
रुमूज़े औकाफ़ पर ठहरने और न ठहरने की बहस	235
इमाम अगर तजवीद की रिआयत न करे	237
इमाम का बाज़ लफ़्ज़ों को दो मरतबा किराअत करना	237
तंगिये वक़्त के बाइस फ़र्ज़ में छोटी सूरत पढ़ना	238
पहली रकअत में मुज्ज़म्बिल और दूसरी में अलिफ़, लाम, मीम का रुकूअ पढ़ना	238
छोटी सूरत का फ़ासला करना	239
छोटी सूरत की मिक्दार	239
एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना	240
एक सूरत को दो रकअत में पढ़ना	240

आयत का शुरू छोड़ कर पढ़ना	241
ज़ाल्लीन को दाल्लीन पढ़ना	241
लफ़्ज़ जाद के बारे में मौलाना मुफ़्ती शफीअ साहब का फ़तवा ...	242
मुफ़्तिदे नमाज़ ग़लती	243
आयत का कोई हिस्सा छूट जाए और मज़ना न बदले हों तो नमाज़ जाइज़ है	244
तीन आयत के बाद मुफ़्तिदे नमाज़ ग़लती	245
नमाज़ में किसी लिखी हुई चीज़ पर निगाह पड़ना	245
हनफी इमाम का कुनूत के लिए रिआयत करना	246
इमाम का कुनूते नाज़िला पढ़ना	247
दुआए कुनूते नाज़िला	248
इमाम का सुतरा मुक्तदियों के लिए काफी है	249
एक तरफ़ सलाम फेरने पर सामने से गुज़र जाना	250
कितने फ़ासिले से गुज़रना चाहिए	250
सुतरा की मुख़ालिफ़ सूरतें	252
सोते शख़्स की तरफ़ रुख़ कर के नमाज़ पढ़ना	253
बारिश की वजह से नमाज़ तोड़ना	253
इमाम साहब का अंधेरे में नमाज़ पढ़ाना	254
नमाज़ में किसी को ख़लीफ़ा बनाना	254
ख़लीफ़ा बनाने के असबाब	256
नमाज़ में ख़लीफ़ा बनाने के मसाइल	257
इमाम का वुजू टूट जाए तो क्या हुक्म है	258
ख़लीफ़ा बनाने के शराइत और उसका तरीक़ा	260
शराइत सेहते बिना	262
इमाम का अगर ख़लीफ़ा बनाना दुश्वार हो तो क्या हुक्म है	265
इमाम का बहालते सच्चा वुजू टूट जाना	266
सूरत पढ़ते हुए वुजू टूट जाने का हुक्म	266
मसबूक ख़लीफ़ नमाज़ कैसे पूरी करे	267
मसबूक की इमामत का हुक्म	268

अमले कसीर व कलील की तारीफ	268
सज्दे में दोनों पाँव उठ जाने का हुक्म	270
नमाज़ में सत्र खुल जाने का हुक्म.....	271
नमाज़ में टखने ढाँकना कैसा है	272
इमाम का सज्दे में जाते हुए घुटनों पर हाथ रखना	272
इमाम का सज्दे से उठ कर कुरता दुरुस्त करना	273
नमाज़ में चादर कंधे से गिर जाने का हुक्म.....	274
नमाज़ में तहबंद दुरुस्त करना	274
सज्दा में जाते वक़्त कपड़ा समेटना	275
क़याम में दोनों क़दम के दरमियान फ़ासिले की मिक्दार	275
रुकूअ से उठ कर सीधा खड़ा होना चाहिए	275
सज्दे से चार अंगुल उठ कर दूसरा सज्दा करना	276
सज्दा में रान और पिंडली का फ़ासिला	276
सज्दे से उठते हुए बिला उज़र ज़मीन का सहारा लेना	277
तशह्हुद में अंगुशत से इशारा करना सुन्नत है	277
दाएँ हाथ की उंगली न उठा सकता हो तो क्या करे	278
इशारा के वक़्त उंगलियों के लहका का हुक्म	278
तशह्हुद में उंगली उठा कर किस लफ़्ज़ पर गिराए	278
उंगलियों का हलका तशह्हुद में कब तक बाकी रखे	279
नमाज़ में रसूलुल्लाह की किराअत	279
किराअते फ़ज्र की मिक्दार	281
जुमा के दिन फ़ज्र में सूरह सज्दा पढ़ना.....	282
सूरतों की तअयीन करना	283
हज़रत शाह वली उल्लाह की राए	284
नमाज़ में सलामुन अलैकुम कहने का हुक्म.....	285
सलाम में सिर्फ़ मुंह फेरने का हुक्म.....	285
सलाम में चेहरा कितना घुमाया जाए	286
इमाम से पहले सलाम फेरना	286
सलाम में इमाम से पहले साँस टूट जाने का हुक्म	287

सलाम में लफ़्ज़ अल्लाह को खींचने का हुक्म	287
नमाज़े फ़ज़्र व अन्न के बाद इमाम का रुख़ बदलना	288
नमाज़ के बाद इमाम किस तरफ़ मुंह कर के बैठे	289
दूसरी नमाज़ों में मुक्तदियों की तरफ़ रुख़ करना	290
फ़र्ज़ के बाद आयतुलकुर्सी पढ़ने का हुक्म	290
बाद नमाज़े पंजगाना दुआ	291
नमाज़े फ़ज़्र व अन्न में तवील दुआ	292
नमाज़ के बाद दुआ आहिस्ता मॉगे या ज़ोर से	293
अलफ़ाजे दुआ की अदमे तख़सीस	293
इमाम की दुआ पर आमीन कहना	294
दुआ में मुक्तदी की शिकरत	294
दुआ के वक़्त निगाह कहाँ रखी जाए	295
दुआ में जल्द बाज़ी से एहतेराज़	295
दुआ के ख़त्म पर कलिमए तैय्यबा पढ़ना	296
नमाज़ के बाद इमाम से मुसाफ़हा करना कैसा है	298
दुआए मुअल्लिफ़	299
मआख़िज़ व मराजेअ	300



Maktab_e_Ashraf

इंतिसाब

बंदा अपनी इस बेमाया ख़िदमत को

इमामे रब्बानी हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुहम्मद कासिम नानीतवी (रह.)

ब्यानी दारुलउलूम देवबंद

के नाम मन्सूब करता है

जिनके फ़ैज़ाने उलूमे दीनिया से एक आलम फ़ैज़याब हो रहा है

और इंशा अल्लाह ता कयामत होता रहेगा।



Maktab_e_Ashraf

दुआए मुस्तजाब

हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब दामत बरकातुहुम

मुफ्तीए आजम दारुलउलूम देवबंद

باسمه سبحانه و تعالی
حامدا و مصليا

बन्दए नाकारा भी दुआ करता है कि हक तआला
मुअल्लिफ सल्लमहू की खिदमत व मेहनत को कबूल फरमाए और
कारिईन को नफा बखशे। आमीन

अहक़र महमूद गुफ़िरलहू

17 शौवालुल मुकर्रम 1408 हिजरी यौमे जुमा

□□□

राए गिरामी

हज़रत मौलाना मुफ़्ती निज़ामुद्दीन साहब आज़मी मद्दाज़िल्लहू
मुफ़्तीए दारुलउलूम देवबंद

باسمه سبحانه

الحمد لوليه والصلوة على اهله وعلى آله واصحابه اجمعين و بعد
रिसालए पेशे नज़र

मुअल्लिफ़ा मौलाना कारी रफ़अत साहब सल्लमहू

मौसूफ़ के दीगर रसाइल की तरह ये भी निहायत मुस्तनद हवालों के साथ तैयार हुआ है और इमामत के अक्सर ज़रूरी मसाइल पर मुश्तमल है।

रिसाला की खुसूसियत ये है कि कोई मस्अला बग़ैर मुस्तनद हवाला के नहीं दिया गया है। हवाला लेने में बहुत एहतियात की गई है मोतमद किताबों से बिअैनिही एबारतें ली गई हैं, बस इससे इस रिसाला की नाफ़ईयत बढ़ गई है और अ़वाम व ख़ास हर तबक़ा के अइम्मए मसाजिद के लिए बेहद मुफ़ीद मजमूआ तैयार हो गया है।

दुआ है कि अल्लाह तआला कबूल फ़रमाए और मौसूफ़ को नाफ़ेअ रसाइल लिखने और शाए करने की तौफ़ीक़ हो। आमीन!

फ़क़त

अलअब्द निज़ामुद्दीन आज़मी

मुफ़्ती दारुलउलूम देवबंद

24-8-88 हिजरी

Maktab_e_Ashraf

तक़रीज़

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब मदाज़िल्लहू
मुफ़्ती दारुलउलूम देवबंद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

नमाज़ एक ऐसी इबादत है जो हर आकिल बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है और दिन रात के पाँच वक़्तों में मस्जिद के अन्दर जमाअत के साथ जिसके अदा करने का हुक्म दिया गया है। अलहमदुलिल्लाह! मुसलमान इसको एहतिमाम से बजा लाते हैं। चुनांचे हमारी तमाम मस्जिदें आबाद नज़र आती हैं।

इमामे मस्जिद या नमाज़ का इमाम अपनी जगह एक अहम जिम्मादारी का मालिक होता है। अहदे नबवी में ये मनसब खुद सरवरे काएनात सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम के सिपुर्द था। आप नमाज़ों की इमामत खुद ही फ़रमाते रहे, जब आप बीमार हुए तो इस मनसबे आज़म पर आपने अपने यारेगार हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, को फ़ाइज़ किया। इसी तरह इस मनसब पर यके बाद दीगरे खुलफ़ाए राशिदीन फ़ाइज़ होते रहे।

यही वजह है कि इस्लाम ने इमामत के मनसब पर जलीलुलक़द्र शख़सियत को फ़ाइज़ करने की ताकीद की है मगर अफ़सोस है कि

आज सबसे ज्यादा यही मनसब पस्त हो कर रह गया है, घटिया से घटिया शख्स का इस मनसब के लिए इंतिख़ाब होता है और खास व आ़ाम इसी को पसंद करते हैं।

अल्लाह तआ़ला जज़ाए ख़ैर अता करे क़ारी मुहम्मद रफ़अत उस्ताद दारुलउलूम देवबंद को उन्होंने इस मनसब की अहमियत को पेशे नज़र रख कर इमामत से मुतअल्लिक उन तमाम मसाइल को यकजा कर दिया है जो फ़तावा की किताबों में बिखरे हुए थे। क़ाबिले जिफ़्र कोई मस्अला ऐसा नहीं है जो इस किताब में न आ गया हो।

ज़ेरे नज़र “मसाइले इमामत” नामी किताब हम मुसलमानों के लिए एक अज़ीम तोहफ़ा है, जिससे हर नमाज़ी मुसलमान बआसानी इस्तिफ़ादा कर सकता है। क़ारी साहब की दो तीन किताबें इससे पहले भी छप कर अहले इल्म के सामने आ चुकी हैं और आ़ाम मुसलमान उनसे मुस्तफ़ीद भी हो चुके हैं। अल्लाह तआ़ला उनकी ये ख़िदमत भी क़बूल फ़रमाए और उनके लिए ज़ादे आख़िरत बनाए।

तालिबे दुआ

मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन गुफ़िरा लहू

मुफ़्तीए दारुलउलूम देवबंद

25 रमज़ानुलमुबारक 1408 हिजरी



अर्जे मुअल्लिफ़

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

अम्मा बाद!

शरीअत में नमाज़ की इमामत का मस्अला बड़ी अहमियत और अज़मत रखता है, इमाम चूंकि तमाम मुक्तदियों का जिम्मादार होता है। इसलिए इमाम मुकर्रर करने के सिलसिले में शरीअत ने कुछ शराइत व ज़वाबित ब्यान किए हैं और ये बताया है कि इस जलीलुलक़द्र मनसब का हामिल कौन शख्स हो सकता है और उसको मुकर्रर करते वक़्त किन बातों का लिहाज़ रखना ज़रूरी है, नीज़ ये कि इमामत का हक़ किन लोगों को हासिल है और इस बुलंद व बाला मनसब के फ़राइज़ और उससे मुतअल्लिक़ मसाइल क्या हैं।

अहक़र ने ज़ेरे नज़र रिसाला “मसाइले इमामत” में मुस्तनद व मुफ़ता बिही अक़वाल को अपनी बिसात के मुताबिक़ मुदल्लल और आ़ाम फ़हम अंदाज़ में जमा कर दिया है। ये सब अल्लाह रबुलइज़्ज़त का फ़ज़ल व करम और अपने मुशफ़िक़ असातिज़ा व मुफ़ितयाने किराम की तवज्जोह का समरा है। अल्लाह तआ़ला कबूल फ़रमाए और मेरे लिए ज़ादे आख़िरत बनाए।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

मुहताजे दुआ

मुहम्मद रफ़अत कासमी (मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

इमागत

दीन के तमाम आमाले खैर में सबसे अहम और मुकद्दम चीज नमाज़ है, निज़ामे दीनी में इसका दरजा और मक़ाम गोया वही है जो जिस्मे इंसानी में क़ल्ब का है। नमाज़ में इमागत बिला शुब्हा एक अज़ीमुश्शान दीनी मनसब और जिम्मेदारी है, बल्कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की एक तरह की नियाबत है, इस वास्ते ज़रूरी है कि इमागत ऐसे अज़ीम मनसब के लिए ज़्यादा अहल और मौजूँ हो, और वह वही हो सकता है जिसको रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से निसबतन ज़्यादा कुर्ब और मुनासबत हासिल हो और आपकी दीनी वरासत से जिसने ज़्यादा हिस्सा लिया हो, और चूँकि आपकी वरासत में औव्वल और आला दरज़ा कुरआन मजीद का है, इसलिए जिस शख्स ने ईमान नसीब होने के बाद कुरआन मजीद से ख़ास तअल्लुक पैदा किया, उसको याद किया और अपने दिल में उतारा नीज़ उसकी दावत व तज़कीर और उसके अहकाम को समझा, उसको अपने अन्दर जज़्ब और अपने ऊपर तारी किया, वह रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की वरासत के ख़ास हिस्सा दारों में होगा (और उन लोगों के मुक़ाबला में जो इस सआदत में उससे पीछे

हों आपकी इस नियाबत यानी इनामत के लिए ज़्यादा अहल और ज़्यादा मौजू होगा) और अगर बिलफ़र्ज़ सारे नमाज़ी इस लिहाज़ से तो बराबर हों चूंकि कुरआन मजीद के बाद सुन्नत का दरजा है इसलिए इस सूरत में तरजीह उसको दी जाएगी जो सुन्नत व शरीअत के इल्म में दूसरों के मुकाबले में इम्तियाज़ रखता हो और अगर बिलफ़र्ज़ इस लिहाज़ से भी सबसे बराबर सराबर हों तो फिर उनमें जो तक़वा और परहेज़गारी और महासिने अख़लाक में मुमताज़ होगा, वह इनामत के लिए लाएके तरजीह होगा, और अगर बिलफ़र्ज़ इस तरह की सिफ़ात में भी यक़्सानी हो तो फिर उम्र की बड़ाई के लिहाज़ से तरजीह दी जाएगी, क्योंकि उम्र की बड़ाई और बुजुर्गी भी एक मुसल्लम फ़ज़ीलत है। बहरहाल इनामत के लिए ये उसूली तरतीब अक़ले सलीम के बिल्कुल मुताबिक और मुक़तज़ाए हिकमत है और यही रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की तालीम व हिदायत है।

इनामत की तरतीब:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ (رواه مسلم)

हज़रत अबूमसऊद अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया जमाअत की इनामत वह शख्स करे जो उनमें सब से ज़्यादा किताबुल्लाह पढ़ने

वाला हो और अगर उसमें सब एकसाँ हों तो फिर वह आदमी इमामत करे जो सुन्नत व शरीअत का ज़्यादा इल्म रखता हो और अगर इसमें भी सब बराबर हों तो वह जिसने पहले हिजरत की हो और अगर हिजरत में भी सब बराबर हों (यानी सब का ज़माना हिजरत एक ही हो) तो फिर वह शख्स इमामत करे जो सिन (उम्र) के लिहाज़ से मुक़द्दम हो और कोई आदमी दूसरे आदमी के हलक़ए सियादत और हुकूमत में उसका इमाम न बने और उस घर में उसके बैठने की ख़ास जगह पर उसकी इजाज़त के बग़ैर न बैठे। (सहीह मुस्लिम)

तशरीह: हदीस के “أَفْرَأُمُ كِتَابَ اللَّهِ” लफ़्ज़ का लफ़्ज़ी तरजुमा वही है जो यहाँ किया गया है। यानी किताबुल्लाह का ज़्यादा पढ़ने वाला, लेकिन इसका मतलब न तो सिर्फ़ हिफ़्ज़े कुरआन है और न मुजर्रद कसरते तिलावत, बल्कि इससे मुराद है हिफ़्ज़े कुरआन के साथ उसका ख़ास इल्म और उसके साथ ख़ास शग़फ़। अहदे नबवी (स.अ.व.) में जो लोग “कुर्रा” कहलाते थे उनका यही इम्तियाज़ था, इस बिना पर हदीस का मतलब ये होगा कि नमाज़ की इमामत के लिए ज़्यादा अहल और मौजूं वह शख्स है जिसका किताबुल्लाह के बारे में इल्म और उसके साथ शग़फ़ व तअल्लुक दूसरों पर फ़ाइक़ हो, और जाहिर है कि अहदे नबवी (स.अ.व.) में यही सब से बड़ा दीनी इम्तियाज़ और फ़ज़ीलत का मेयार था और जिसका इस सआदत में जिसक़दर ज़्यादा हिस्सा था वह उसी क़दर रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की ख़ास वरासत व अमानत का हामिल और अमीन था, उसके बाद सुन्नत व शरीअत

का इल्म फ़ज़ीलत का दूसरा मेयार था और ये दोनों इल्म यानी इल्मे कुरआन और इल्मे सुन्नत जिसके पास भी थे, अमल के साथ थे, इल्म बिला अमल का वहाँ वजूद नहीं था।

फ़ज़ीलत का तीसरा मेयार अहदे नुबूवत के उस ख़ास माहौल में हिजरत में साबिकीयत थी, इसलिए हदीस में तसरे नम्बर पर इसका ज़िक्र फ़रमाया गया है, लेकिन बाद में ये चीज़ बाकी नहीं रही, इसलिए फ़ोक़हाए किराम ने उसकी जगह सलाह व तक़वा में फ़ज़ीलत व फ़ौक़ियत को तरजीह का तीसरा मेयार करार दिया है जो बिल्कुल बजा है।

तरजीह का चौथा मेयार इस हदीस में उम्र में बुजुर्गी को करार दिया गया है कि अगर मज़कूरा बाला तीन मेयारों के लिहाज़ से कोई फ़ाइक़ और काबिले तरजीह न हो तो फिर जो कोई उम्र में बड़ा और बुजुर्ग हो वह इमामत करे।

हदीस के आख़िर में दो हिदायतें और भी दी गई हैं। एक ये कि जब कोई आदमी किसी दूसरे शख्स के इमामत व सियादत के हलक़े में जाए तो वहाँ इमामत न करे बल्कि उसके पीछे मुक़तदी बन कर नमाज़ पढ़े (हाँ अगर वह शख्स खुद ही इसरार करे तो दूसरी बात है।)

दूसरी ये कि जब कोई आदमी किसी दूसरे के घर जाए तो उसकी ख़ास जगह पर न बैठे, हाँ अगर वह खुद बिठाए तो कोई मुज़ाएका नहीं है, इन दोनों हिदायतें की हिकमत व मसलेहत बिल्कुल ज़ाहिर है।

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द-3, सफ़हा-215)

अपने में से बेहतर को इमाम बनाया जाए

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اجْعَلُوا أَيْمَتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفَدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ-

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायात है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया: तुम में जो अच्छे और बेहतर हों उनको अपना इमाम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे रब और मालिक के हुजूर में वह तुम्हारे नुमाइन्दे होते हैं। (दारे कुतनी, बैहकी)

तशरीह: ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि इमाम अल्लाह तआला के हुजूर में पूरी जमाअत की नुमाइंदगी करता है इसलिए खुद जमाअत का फ़र्ज है कि वह इस अहम और मुकद्दस मक़सद के लिए अपने में से बेहतरीन आदमी को मुनतख़ब करे।

रसूलुल्लाह (स.अ.व.) जब तक इस दुनिया में रौनक अफ़रोज़ रहे खुद इमामत फ़रमाते रहे और मरज़े वफ़ात में जब माज़ूर हो गए तो इल्म व अमल के लिहाज़ से उम्मत के अफ़ज़ल तरीन फ़र्द हजरत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) को इमामत के लिए नामज़द और मामूर फ़रमाया।

हजरत अबूमसऊद अन्तारी (रज़ि.) की मुन्दरजा बाला हदीस में हक्के इमामत की जो तफ़सीली तरतीब फ़रमाई गई है उसका मनशा भी दरअसल यही है कि जमाअत में जो शख्स सबसे बेहतर और अफ़ज़ल हो उसको इमाम बनाया जाए। "أَفْرَأُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ" ये सब इसी बेहतरी और अफ़ज़लीयत फ़िद्दीन की तफ़सील है।

अफ़सोस है कि बाद के दौर में इस अहम हिदायत से बहुत तगाफ़ुल बरता गया और इसकी वजह से उम्मत का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो गया।

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द-3, सफ़हा-217)

इमाम के लिए सहीह मेयार और रहनुमा उसूल यही है कि उसकी नमाज़ हल्की और सुबुक भी हो, और साथ ही मुकम्मल और ताम भी। यानी हर रुकन और हर चीज़ ठीक ठीक औ सुन्नत के मुताबिक़ अदा हो।

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द-3, सफ़हा-222)

इमाम की जिम्मादारी और मसऊलियत

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُولٌ لِمَا ضَمِنَ وَإِنْ أَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ (رواه الطبرانی فی الاوسط، وكنز العمال)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि: जो शख्स जमाअत की इमामत करे उसको चाहिए कि खुदा से डरे और यकीन रखे कि वह (मुक्तदियों की नमाज़ का भी) ज़ामिन यानी जिम्मादार है और उससे इस जिम्मेदारी के बारे में भी सवाल होगा, अगर उसने अच्छी तरह नमाज़ पढ़ाई तो पीछे नमाज़ पढ़ने वाले सब मुक्तदियों के मजमूई सवाब के बराबर उसको मिलेगा। बग़ैर इसके कि मुक्तदियों के सवाब में कोई कमी आ जाए और नमाज़ में जो नक़स

और कुसूर रहेगा उसका बोझ तन्हा इमाम पर होगा।

(मुअजमुल औसत लिस्तिबरानी)

मुक्तदियों की रिआयत

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. (رواه البخاري ومسلم)

हजरत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई लोगों का इमाम बन कर नमाज़ पढ़ाए तो चाहिए कि हिल्की नमाज़ पढ़ाए (यानी ज़्यादा तूल न दे) क्योंकि मुक्तदियों में बीमार भी होते हैं और कमज़ोर बूढ़े भी (जिनके लिए तवील नमाज़ बाइसे ज़हमत हो सकती है) और जब तुम में से किसी को बस अपनी नमाज़ अकेले पढ़नी हो तो जितनी चाहे लम्बी पढ़ ले। (सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम)

तशरीह: बाज़ सहाबए किराम (रज़ि.) अपने कबीले या हलके की मसिज्दों में नमाज़ पढ़ाते थे, अपने इबादती ज़ौक व शौक में बहुत लम्बी नमाज़ पढ़ाते थे, जिसकी वजह से बाज़ बीमार या कमज़ोर बूढ़े या थके हारे मुक्तदियों को कभी कभी बड़ी तकलीफ़ पहुंच जाती थी, इस ग़लती की इसलाह के लिए रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने मुख़्तलिफ़ मौक़ों पर इस तरह की हिदायत फ़रमाई, आप (स.अ.व.) का मन्शा इससे ये था कि इमाम को चाहिए कि वह इस हिदायत का लिहाज़ रखे कि मुक्तदियों में कभी कोई बीमार या कमज़ोर बूढ़ा भी होता है इसलिए नमाज़

ज्यादा तवील न पड़े। ये मतलब नहीं कि हमेशा और हर वक़्त की नमाज़ में बस छोटी से छोटी सूरतें ही पढ़ी जाएँ और रुकूअ, सज्दा में तीन दफ़ा से ज्यादा तसबीह भी न पढ़ी जाए, खुद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) जैसी मोतदिल नमाज़ पढ़ाते थे वही उम्मत के लिए इस बारे में अस्ल मेयार और नमूना है और उसी की रौशनी में इन हिदायात का मतलब समझना चाहिए।

मुक्तदियों को हिदायत

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ
فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (رواه البخارى)

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया: लोगो! इमाम पर सबक़त न करो (बल्कि इसकी इत्तिबा और पैरवी करो) जब वह अल्लाहुअकबर कहे तो तुम अल्लाहुअकबर कहो, और जब वह वलज़्जालीन कहे तो तुम आमीन कहो, और जब वह रुकूअ करे तो तुम रुकूअ करो, और जब वह समिअल्लाहुलिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु कहो।

(सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम)

तशरीह: मतलब ये है कि तमाम अरकान और अजज़ा में मुक्तदियों को इमाम के पीछे रहना चाहिए, किसी चीज़ में भी उस पर सबक़त नहीं करनी चाहिए, मुस्नदे बज़्जार में हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) ही की रिवायत से एक हदीस

मरवी है, जिसमें फ़रमाया गया है कि जो शख्स इमाम से पहले रुकूअ या सज्दे से सर उठाता है उसकी पेशानी शैतान के हाथ में है और वह उससे ऐसा कराता है और हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) ही की रिवायत से सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में रसूलुल्लाह (स.अ.व.) का ये इरशाद भी मरवी है कि आप ने फ़रमाया कि जो शख्स इमाम से पहले रुकूअ या सज्दे से सर उठाता है उसको डरना चाहिए कि मबादा उसका सर गधे का सा न कर दिया जाए। (मआरिफ़ुलहदीस जिल्द-3, सफ़हा-323)

इमाम के औसाफ़

इमाम में मुन्दरजा ज़ैल औसाफ़ का पाया जाना ज़रूरी है:

(1) उस शख्स में खुद इमामत की ख़्वाहिश ने हो, लेकिन ये उस सूरत में है कि दूसरा आदमी इस मन्सब को अन्जाम देने वाला मौजूद हो (अगर दूसरा कोई शख्स ये अहलीयत न रखता हो तो फिर ख़्वाहिश करना दुरुस्त है।)

(2) जब उससे अफ़ज़ल शख्स इमामत के लिए मौजूद न हो तो भी खुद आगे न बढ़े।

(3) हुज़ूर (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया: लोगों की इमामत कोई शख्स करे और उससे अफ़ज़ल शख्स उसके पीछे मौजूद हो तो ऐसे लोग हमेशा परस्ती में रहेंगे। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि अगर मेरी गर्दन मार दी जाए तो मेरी नज़र में इस बात से बेहतर है कि मैं ऐसी जमाअत की इमामत करूँ जिसमें अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) मौजूद हों।

(4) इमाम कारी हो, दीन की बातें समझता हो, सुन्नत से खूब आगाह हो, हदीस शरीफ़ में है कि अपना दीनी मआमला तुम अपने फ़कीहों के सिपुर्द कर दो और कारियों को अपना इमाम बनाओ। एक दूसरी हदीस इस सिलसिले में है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया: तुम्हारी इमामत वह लोग करें जो तुम में बेहतर हों वह अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे नुमाइंदे हैं।

हुजूर (स.अ.व.) ने ये तख़्सीस इसलिए फ़रमाई है कि दीनदार इमाम और इल्म व फ़ज़्ल रखने वाले लोग, अल्लाह को जानने और उससे डरने वाले होते हैं। वह अपनी नमाज़ और मुक़तदियों की नमाज़ को समझते हैं और नमाज़ को ख़राब करने वाली बातों से गुरेज़ करते हैं।

“कारिए कुरआन” से हुजूर (स.अ.व.) की मुराद बेअमल कारी नहीं बल्कि बाअमल हाफ़िज़ है, हदीस शरीफ़ में है कि इस किराअत का ज़्यादा हक़दार वह है जो इस पर अमल करता है, अगर वह इसको पढ़ता न हो यानी सिरे से हाफ़िज़ व कारी न हो या वह कारी तो हो लेकिन कुरआन पर अमल करने वाला और हुदूदे इलाही की परवाह करने वाला न हो, और न वह अल्लाह तआला के फ़राइज़ पर अमल करता हो और न उसकी ममनूआत से एहतेराज़ व इज्तिनाब तो करता हो अल्लाह भी ऐसे शख्स की परवाह नहीं करता और न ऐसा शख्स किसी इज्ज़त व तकरीम का मुस्तहिक़ है।

नबी करीम (स.अ.व.) का इरशाद गिरामी है कि जिसने कुरआन की हराम करदा चीज़ों को हलाल जाना वह कुरआन पर ईमान नहीं रखता, लोगों को जाइज़ नहीं कि

ऐसे शख्स को इमाम बनाएँ।

इमामत का लाइक वही है जो सबसे ज्यादा आलिम होने के साथ उस पर अमल भी करे और उसको खुदा का खौफ भी हो।

(5) इमाम लोगों की अैबजोई और गीबत से अपनी ज़बान को रोके और दूसरों को नेकी का हुक्म दे और खुद भी उस पर अमल करे। दूसरों को बुराई से मना करे और खुद भी बाज़ रहे। नेकी और नेक लोगों से मुहब्बत रखे। बदी और बदों से नफ़रत करे। औकाते नमाज़ से वाकिफ़ हो, हराम बातों से इज्तिनाब करता हो, फ़ेल हराम से अपने हाथों को रोकने वाला और अल्लाह तआला की खुशनूदी तलब करने वाला हो, दुनिया की हिर्स व तमअ उसमें न हो। नीज़ हलीम व साबिर और शर व फ़साद से कोसों दूर रहने वाला हो, लोग अगर उस पर नुकता चीनी करें तो सब्र करे और खुदा का शुक्र अदा करे, बुरे कामों से आँखों को बंद रखे, हर काम हिल्म और बुर्दबारी से अन्जाम दे, शर्मगाह देखने से अपनी आँखें बंद रखे, अगर कोई जाहिल उसके साथ बुराई से पेश आए तो बरदाश्त करे और कह दे कि "اللَّهُمَّ سَلَامًا" लोग उसकी तरफ़ से अम्न व सलामती पाएँ। (लोगों को उससे तकलीफ़ न पहुंचती हो) लेकिन खुद अपने नफ़स की तरफ़ से बैचैन हो, नफ़्सानी ख़्वाहिशात से अपनी आज़ादी का ख़्वाहँ हो, और उनसे अपने नफ़स को रिहा करने की कोशिश करता हो, वह हमेशा इस बात को महसूस करता हो कि इमामत जैसे अज़ीमुलमरतबत काम को उसके सिपुर्द कर के उसकी अज़माईश की गई है, इमामत का

दर्जा बहुत बुलंद व बाला है इमाम के पेशे नज़र हमेशा इमामत की अज़मत और मरतबत रहनी चाहिए।

इमाम को हिदायत

इमाम को लाज़िम है कि बेकार गुफ्तगू न करे, इमाम की हालत दूसरे लोगों की हालत से बिल्कुल जुदागाना है, जब वह मेहराब में खड़ा हो तो उस वक़्त उसको समझना चाहिए कि मैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के खलीफ़ा के मक़ाम पर खड़ा हूँ और रब्बुलआलमीन से कलाम कर रहा हूँ।

नमाज़ के अरकान पूरे पूरे अदा करने की दिल से कोशिश करे और जिन लोगों ने इमामत की ये रस्सी उसके गले में डाली है यानी उसको इमाम बनाया है उनकी नमाज़ की तकमील की भी कोशिश करे, नमाज़ मुख़्तसर पढ़ाए। इस तरह कि तमाम अरकान पूरे अदा हों। जो लोग उसके पीछे खड़े हैं उनका ख्याल करे कि उनमें कमज़ोर और जईफ़ लोग भी शामिल हैं। इसलिए अपने को कमज़ोर व नातवाँ लोगों में शुमार करे।

अल्लाह तआला इमाम से खुद उसके बारे में और मुक्तदियों के मुतअल्लिक बाज़ पुर्स फ़रमाएगा। अपनी इमामत की जिम्मादारी पर अफ़सोस करे, साबिका ख़ताओं, गुनाहों और जाए करदा औकात पर नदामत का इज़हार करे, अपने आपको मुक्तदियों से बरतर न समझे। कोई शख्स उसकी बुराई करे तो उसे बुरा न समझे, अगर उसकी ग़नती जाहिर करे तो नफ़सानी ख़्वाहिश के पेशेनज़र हट

धर्मी और जिद न करे। इस बात को पसंद न करे कि लोग उसकी तारीफ़ करें, तारीफ़ और मज्मूत दोनों को बराबर समझे। इमाम का लिबास साफ़ सुथरा और खुराक पाक हो उसके लिबास से इतराहट और बड़ाई जाहिर न होती हो और उसकी नशिस्त में गुरुर की झलक न हो, किसी जुर्म की सज़ा में उस पर इस्लामी हद जारी न की गई हो, यानी सज़ा याफ़ता न हो, लोगों की नज़र में मुत्तहम न हो, हुक्काम से किसी की लगाई बुझाई न करता हो, लोगों के राज़ों की हिफ़ाज़त करे (परदा दरी न करे) किसी से कीना न रखे। अमानत, तिजारत और मुस्तआर चीज़ों में ख़यानत का इरतिकाब न करता हो।

ख़बीस कमाई वाला इमामत का अहल नहीं है। जिसके दिल में हसद, कीना और बुग़ज़ हो उसको भी इमाम न बनाया जाए, दूसरों के ऐब की तलाश करने वाले लोगों को फेरब देने वाले, मग़लूबुलग़ज़ब, नफ़्स परस्त और फितना व फ़साद पैदा करने वाले शख्स को भी इमाम नहीं बनाना चाहिए।

(गुनिया सफ़हा-858)

इमाम के लिए मज़ीद शर्तें

इमाम के लिए ज़रूरी है कि फितना पैदा करने की कोशिश न करे, और न फितना को तक़वियत पहुंचाए, बल्कि बातिल परस्तों के खिलाफ़ अहले हक़ की मदद करे, हाथ से मुमकिन न हो तो ज़बान से, अगर ज़बान से मुमकिन न हो तो दिल से उनकी मदद का ख़ाहाँ हो,

अल्लाह के मआमले में किसी बुरा कहने वाले के बुरा कहने का ख्याल न करे, अपनी तारीफ़ को पसंद न करे, न अपनी मजम्मत का बुरा माने, दुआ में अपने लिए तख़सीस न करे, बल्कि जब दुआ करे तो अपने लिए और तमाम लोगों के लिए आम तौर पर दुआ करे, अगर तन्हा अपने लिए दुआ करेगा तो दूसरों के साथ ख़्यानत होगी।

अहले इल्म के सिवा किसी को किसी पर तरजीह न दे, रसूलुल्लाह (स.अ.व.) का इरशाद है कि: नमाज़ में मुझ से करीब अहले इल्म और जीफ़हम लोग खड़े हों। इस तरह इमाम से पीछे यानी अगली सफ़ में ऐसे ही लोगों को होना चाहिए। दौलत मंद को, अपने करीब और ग़रीब को हकीर जान कर दूर खड़ा न करे। ऐसे लोगों की इमामत न करे जो उसकी इमामत को पसंद नहीं करते। अगर मुक्तदियों में कुछ लोग उसकी इमामत को पसंद और कुछ ना-पसंद करते हों तो ना-पसंद करने वालों की तादाद अगर ज़्यादा है तो इमाम को मेहराब छोड़ देनी चाहिए। (यानी नमाज़ न पढ़ाए) लेकिन शर्त ये है कि मुक्तदियों की नागवारी और ना-पसंदीदगी की वजह हक्कानियत और इल्म व आगही पर हो, अगर नागवारी का बाइस जिहालत और बातिल परस्ती हो या वह फिरकावाराना तअस्सुब और नफ़सानी ख़्वाहिश पर मबनी हो तो फिर मुक्तदियों की नागवारी की परवा न करे और न उनकी वजह से नमाज़ पढ़ाना तर्क करे, अगर कौम में इस बिना पर फ़ितना व फ़साद बरपा होने का अंदेशा हो तो अलबत्ता किनारा कश हो जाए और मेहराब को छोड़ दे और उस वक्त तक मेहराब के पास न जाए जब तक

लोग आपस में सुलह न कर लें और उसकी इमामत पर राजी न हो जाएँ।

इमाम झगड़ने वाला, ज़्यादा क़समें खाने वाला और लानत करने वाला न हो। इमाम को बुराई की जगह और तोहमत के मक़ाम पर जाना मुनासिब नहीं, उसको चाहिए कि नेक लोगों के अलावा किसी से मेल मिलाप न रखे।

इमाम को लाज़िम है कि फ़ितना व फ़साद उठाने वालों, गुनाह और गुनाहगारों, नीज़ सरदारी और सरदारों से मुहब्बत न करे, अगर लोग उसे ईज़ा पहुंचाएँ तो सब्र करे और उसके एवज़ उनसे मुहब्बत करे और उनकी भलाई का तालिब हो और ख़ैर ख़्वाही की कोशिश करता रहे।

इमामत के लिए झगड़ा करना मना है

इमामत के किए झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर कोई दूसरा शख्स इस बार को उसकी जगह उठाना चाहता है तो उससे उस मआमले में न झगड़े, अकाबिरे मिल्लत और सलफ़े सालेहीन के बारे में मनकूल है कि उन्होंने इमाम बनने से गुरेज़ किया और अपने बजाए ऐसे लोगों को इमामत के लिए बढ़ा दिया जो बुजुर्गी और तक़वा में उनके बराबर नहीं थे।

इस तर्ज़अमल से उनका मुद्आ ये था कि खुद उनका बोझ हलका हो जाए, वह इस बात से डरते थे कि कहीं इमामत में उनसे कोई कुसूर और कोताही न हो जाए।

इमामत की उजरत

इमामत की उजरत के बारे में शुरू ही से इख़िलाफी मस्अला चला आ रहा है। इमाम शाफ़ई (रह.) व इमाम अहमद इब्न हम्बल (रह.) और एक जमाअत का मज़हब ये है कि ऐसी ताअत पर जो अजीर के जिम्मा मुतअय्यन न हो, अक्दे इजारा मुनअकिद करना और उजरत लेना देना जाइज़ है जैसे तालीमे कुरआन, अज़ान व इमामत वगैरा।

इमामे आजम अबुहनीफ़ा, ज़ोहरी और काजी शुरैह (रह.) और एक जमाअत इसकी काएल है कि ताअत पर इजारा नाजाइज़ है।

मुतक़द्दिमीन हनफ़ीया का यही मसलक था कि ताअत पर उजरत लेना देना नाजाइज़ है और कुदमाए हनफ़ीया इसी के मुवाफ़िक़ फतवा देते और अमल करते रहे।

इल्म दीन पढ़ाने वालों, अज़ान कहने वालों और इमामत करने वालों के वज़ाइफ़ बैतुलमाल से मुकरर होते थे और ये लोग निहायत इत्मीनान और फ़ारिगुलबाली से अपना काम अन्जाम देते रहते थे, कुछ अरसा बाद इस्लामी सलतनत न रहने या बैतुलमाल के मसारिफ़ में बाज़ मुसलमान बादशाहों के शरई हुदूद से तजावुज़ कर जाने की वजह से उन उलमा और मुअज़्ज़िनीन व अइम्मा के वज़ाइफ़ बंद हो गए और तालीमे उलूमे दीनिया या अज़ान व इमामत की अंजाम दिही में जो फ़रागते कल्बी उन्हें हासिल थी वह जाती रही, चूँकि ये लोग भी आख़िर इंसान थे और इंसानी ज़रूरियाते मआश उनकी जिन्दगी

के लवाज़िमात में भी दाखिल थीं। इसलिए उनको मजबूरन माल हासिल करने के ज़राए की तरफ मतवज्जेह होना पड़ा जिसके ज़रीए अपनी और अपनी औलाद व मुतअल्लिकीन की गुज़र बसर हो सके।

ज़राए मआश चूँकि मुख्तलिफ़ अक़साम के हैं। किसी ने कोई तरीका इख्तियार किया, किसी ने कोई, किसी ने तिजारत, किसी ने ज़िराअत, किसी ने मुलाज़मत और किसी ने सनअत व दस्तकारी इख्तियार की। इसी तरह ज़रूरतें भी कम व बेश मुख्तलिफ़ थीं। इसलिए रात दिन के चौबीस घन्टों में एक बड़ा हिस्सा कस्बे मआश में खर्च कर देने के बावजूद भी बाज़ अफ़राद की ज़रूरतें पूरी न हुईं। इन हालात की वजह से मजबूरन बहुत से उलमा, मुअज़्ज़िन और इमाम तालीमे उलूमे दीनिया या अज़ान व इमामत की ख़िदमत को बिलइल्तिज़ाम पूरा न कर सके और बिलआख़िर इन ख़िदमात को छोड़ना पड़ा।

लेकिन तालीम छोड़ने से ये नुक़सान था कि इल्मे दीन का सिलसिला मुनक़तअ हो जाएगा, क्योंकि जब पढ़ाने वालों को अपनी ज़रूरीयाते मआश में मशगूल होने की वजह से इतनी फ़ुरसत न मिलती कि तलबा को पढ़ा सकें। तो उलूमे दीन की ज़िन्दगी और बका की क्या सूरत थी?

अज़ान छोड़ देने से ये नुक़सान था कि नमाज़ के औकात का इज़िबात जो मुअैयन मुअज़्ज़िन होने की सूरत में हो सकता है दरहम बरहम हो जाता, चूँकि इस ज़माने में बड़े बड़े शहरों में बल्कि बाज़ क़स्बों में भी अक्सर ग़रीब मुसलमान कारख़ानों और कम्पनियों और मिलों में

मजदूरी पर काम करते हैं और अपने अफसरों की खुशामद कर के नमाज़ और जमाअत की इजाज़त हासिल करते हैं ऐसे लोगों को इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि अज़ान और नमाज़ का वक़्त मुअैयन हो कि उसके मुवाफ़िक वह कार खानों से ठीक वक़्त पर आ जाया करें और जमाअत से नमाज़ पढ़ कर अपने काम पर चले जाएँ। अगर अज़ान व जमाअत के औकात मुअैयन न हों तो उन लोगों को या तो जमाअत छोड़नी पड़ेगी या अपने काम में ज़्यादा देर तक ग़ैर हाज़िर रहने की वजह से अफसरों की नाराज़गी पेश आएगी और अपने ज़राए मआश को खोना पड़ेगा।

इमाम मुअैयन न होने की सूरत में जमाअत का इतिज़ार दुरुस्त नहीं रह सकता और पूरे इज़िबात से नमाज़ नहीं हो सकती।

पस मुतअख़िखरीन फुकहाए हनफ़ीया ने इस ज़रूरते शरईया की वजह से हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) के कौल के मुवाफ़िक ये फ़तवा दे दिया कि मवाकेअ ज़रूरत में ताअत पर उजरत लेना जाइज़ है और कुरआन शरीफ़ व हदीस, व फ़िक्ह की तालीम और अज़ान व इमामत पर उजरत लेने के जवाज़ की तसरीह कर दी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि उनके बाकी न रहने से इस्लामी हकीकत का बाकी रहना भी मुशकल है।

(दीनी ख़िदमात और मुआवज़ा सफ़हा-176)

हाकिमे वक़्त की इजाज़त ज़रूरी है

अगर हाजिरीन में हाकिमे वक़्त मौजूद हो तो उसकी

इजाजत के बगैर इमामत के लिए आगे न बढ़े इसी तरह जब किसी गाँव या कबीला में पहुंचे तो वहाँ के लोगों की इजाजत के बगैर इमामत न करे, इसी तरह किसी काफिले या सफ़र में बहुत से लोगों का साथ हो जाए तो साथियों की इजाजत के बगैर उनकी इमामत न करे।

नमाज़ लम्बी नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि मुख़्तसर पढ़नी चाहिए, मगर अरकान पूरे अदा करे, हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) की रिवायात से हुज़ूर (स.अ.व.) का ये इरशादे गिरामी पहले गुज़र चुका है: "जब तुम में से कोई इमाम हो तो नमाज़ को मुख़्तसर करे, क्योंकि उसके पीछे बच्चे बूढ़े और काम करने वाले लोग भी खड़े होते हैं।"

हाँ अगर तन्हा नमाज़ पढ़े तो फिर जितनी चाहे लम्बी पढ़े, हज़रत अबूवाकिद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) जब लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे तो बहुत ही मुख़्तसर नमाज़ होती और जब बन्फ़से नफ़ीस अदा फ़रमाते तो सबसे ज़्यादा लम्बी नमाज़ होती।

(गुनयतुत्तालिबीन सफ़हा-869)

इमाम और मेहराब

इमाम को जाइज़ नहीं है कि मेहराब के बिल्कुल अन्दर घुस कर खड़ा हो और पीछे वाले लोगों की नज़रों से छिप जाए, बल्कि उसको मेहराब से कद्रे बाहर खड़ा होना चाहिए। (यानी इमाम की ऐड़ियाँ बाहर हों जिसकी तफ़सील आइंदा आ रही है) इमाम के लिए मुनासिब है कि नमाज़ का सलाम फेरने के बाद ज़्यादा देर तक

मेहराब में न ठहरे, बल्कि बाहर निकल कर सुन्नतों के लिए खड़ा हो जाए, या मेहराब के बाईं जानिब खड़े हो कर सुन्नतें अदा करे। हरजरत मुगीरा इब्न शोअबा (रजि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फरमाया कि इमाम ने जिस जगह खड़े होकर फर्ज पढ़ाए हैं। उस जगह सुन्नतें और नफ़ल न पढ़े। अलबत्ता मुक्त्तदी के लिए जाइज़ है कि वह अपनी जगह खड़े होकर सुन्नतें और नफ़ल पढ़ ले चाहे तो इधर उधर हट कर भी पढ़ सकता है।

किराअत के औवल व बाद सूकूत

इमाम को दोबारा वक्फ़ा करना चाहिए। एक बार तो नमाज़ के शुरू में और दूसरी बार किराअत के बाद रुकूअ से पहले कि इस वक्फ़ा में उसको दम लेने का मौका मिल जाएगा और किराअत से जो जोश पैदा हुआ था वह सुकून से बदल जाएगा।

किराअत का इत्तिसाल रुकूअ की तकबीर से भी नहीं होगा। हजरत समरा जुन्दुब से रिवायत कर्दा हदीस में रसूलुल्लाह (स.अ.व.) का यही मामूल मन्कूल है।

तसबीह में जल्दी न करे

रुकूअ में जाए तो तीन बार तसबीह पढ़े। तसबीह पढ़ने में उजलत न करे, बल्कि बहुत आहिस्तगी और जम कर अलफ़ाज़ अदा करे, क्योंकि अगर इमाम तसबीह को

उजलत से पढ़ लेगा तो मुक्तदी उसको नहीं कह पाएँगे। इसी तरह रुकूअ से सर उठा कर "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" कह कर ठीक ठीक खड़ा हो जाए और बगैर उजलत के "رَبَّنَا" "لَكَ الْحَمْدُ" कहे ताकि मुक्तदी भी इतनी देर में कह सकें। हजरत अनस इब्न मालिक (रजि.) ने फ़रमाया कि ररूल (स.अ.व.) रुकूअ से सर मुबारक उठा कर इतनी देर तक (सज्दा करने से) तवक्कुफ़ फ़राते थे कि ख्याल होता था कि आप भूल गए हैं। इसी तरह सज्दा में और दोनों सज्दों के दरमियान तवक्कुफ़ करे, और उस शख्स के कहने का कुछ ख्याल न करे जो ये कहता है कि इस सूरत में मुक्तदी इमाम से पहले बाज़ अरकान अदा कर ले गा और कोई रुक्न मुकद्दम किया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

जब लोग इमाम के वक्फ़ा को देखेंगे तो समझ लेंगे कि इमाम हमेशा ये वक्फ़ा करता है और दोनों सज्दों के दरमियान वक्फ़ा इमाम की आदत है, इसलिए फिर वह भी ठहरा करेंगे और इमाम से पहले सज्दा नहीं करेंगे।

(गुनया सफ़हा-869)

इमाम नमाज़ से कब्ल मुक्तदियों को तंबीह करे

इमाम को चाहिए कि नमाज़ शुरू करने से कब्ल मुक्तदियों को समझा दिया करे कि तुम किसी रुक्न में मुझ से पहल न करना, बल्कि मुझे रुक्न अदा करने देना फिर तुम मेरी इक्तिदा करना, अगर तुम मुझ से पहले अरकान अदा करोगे तो अल्लाह तआला को नाराज़

करोगे और अपनी नमाज़ें भी खराब करोगे।

इमाम को चाहिए कि अपने मुक्तदियों को नसीहत करता और समझाता रहे, ताकि वह रुकूअ और सुजूद और दूसरे अरकाने नमाज़ में जल्दबाजी से काम न लें और नमाज़ अच्छी तरह अदा करें, क्योंकि इमाम उनका निगहबान है। क़यामत के दिन इमाम से लोगों के बारे में पूछा जाएगा। इमाम को चाहिए कि अपनी नमाज़ भी अच्छी तरह अदा करे, अगर उनमें कोताही करेगा तो जिस तरह उसके मुक्तदियों को गुनाह की सज़ा मिलेगी उसी तरह इमाम को भी उसकी कोताही व ग़फलत की वजह से उन लोगों की नमाज़ें खराब करने की सज़ा दी जाएगी। (गुनयतुत्तालिबीन सफ़हा-871)

इमाम का दिल और ज़बान से नीयत करना

इमाम को चाहिए कि दिल से नीयत किए बग़ैर न नमाज़ शुरू करे और न तकबीरे तहरीमा कहे, अगर ज़बान से भी नीयत के अलफ़ाज़ कह ले तो ज़्यादा अच्छा है। इमाम को चाहिए कि पहले दाएँ बाएँ देख कर सफ़े दुरुस्त कराए और मुक्तदियों से कहे कि सीधे खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम पर रहम नाज़िल फ़रमाए, ठीक खड़े हो जाइए अल्लाह तुम से राज़ी हो, दरमियान के ख़ला को पुर करने के लिए हुक्म दे, कि शाना से शाना मिला कर खड़े हो जाँ, सफ़ों की कज़ी से नमाज़ में नक्स पैदा होता है। शैतान लोगों के साथ सफ़ों में घुस कर खड़े हो जाते हैं। हदीस शरीफ़ में रसूलुल्लाह (स.अ.व.)

का इरशाद है कि: "सफ़ेँ जोड़ लिया करो, शाने से शाना मिला लिया करो और दरमियानी ख़ला को पुर कर लिया करो. बकरी के बच्चों जैसे शैतान तुम्हारे दरमियान घुस कर न खड़े हो जाएँ।"

अहज़रत का तरीका

रसूलुल्लाह (स.अ.व.) जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो आप (स.अ.व.) तकबीर कहने से पहले दाएँ बाएँ के लोगों को शाने बराबर रखने का हुक्म देते थे और फ़रमाते थे कि कोई शख्स आगे पीछे न हो वरना उनमें फूट पड़ जाएगी। हुज़ूर (स.अ.व.) ने एक रोज़ नमाज़ के वक़्त देखा कि एक शख्स का सीना सफ़ से बाहर निकला हुआ है आप (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया कि तुम को अपने मोंठे बराबर कर लेना चाहिए वरना अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों में फूट डाल देगा।

बुख़ारी (रह.) और मुस्लिम (रह.) की मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है कि सालिम इब्न जौर (रज़ि.) ने हज़रत नोअमान इब्न बशीर (रज़ि.) से सुना कि उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) फ़रमाया करते थे कि अपनी सफ़ेँ सीधी रखो वरना अल्लाह तआला तुम्हारे चेहरों में फ़र्क़ पैदा कर देगा। एक और हदीस में हज़रत क़तादा (रज़ि.) ने हज़रत अनस इब्न मालिक (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया: "सफ़ों को सीधा रखना, तकमीले नमाज़ में से है। (यानी नमाज़ की तकमील का एक हिस्सा है)"

सहाबए किराम का मामूल

अमीरुलमुमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ि. तआला अन्हो ने एक शख्स को महज़ सफ़े सीधी करने पर मुकर्रर कर रखा था, जब तक वह शख्स सफ़ों के हमवार होने की इत्तिला आपको नहीं दे देता था आप तकबीरे तहरीमा नहीं कहते थे। हज़रत उमर इब्न अब्दुलअज़ीज़ का भी यही मामूल था, एक रिवायत है कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) "मुअज़्ज़िने रसूल" (स.अ.व.) सफ़े हमवार कराते थे और ऐडियों पर कोड़े मारते थे, ताकि लोग हमवार खड़े हो जाँ, बाज़ उलमा ने फ़रमाया है कि इस रिवायत से ये ज़ाहिर होता है कि हज़रत बिलाल रज़ि. ये ख़िदमत रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के अहदे मुबारक में इक़ामत के वक़्त नमाज़ शुरू होने से पहले अन्जाम दिया करते थे, इसलिए कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने हुज़ूर (स.अ.व.) के बाद किसी इमाम के लिए अज़ान नहीं दी, सिर्फ़ एक दिन हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) के ज़माने में जब कि आप (रज़ि.) मुल्क शाम से वापस आए थे तो हज़रत सिद्दीक अकबर और दूसरे सहाबा (रज़ि.) ने अहदे नबवी की याद और इश्तियाक में हज़रत बिलाल (रज़ि.) से दरख्वास्त की थी तो आप ने अज़ान दी थी, अज़ान में जब आप (रज़ि.) "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" पर पहुंचे तो रुक गए और आगे कुछ न कह सके, हुज़ूर (स.अ.व.)की मुहब्बत और आप (स.अ.व.) के इश्क में बेहोश हो कर गिर पड़े। मदीना के अन्सार व मुहाजिरीन में एक कोहराम

पड़ गया, यहाँ तक कि मुहब्बते रसूल में औरतें भी पर्दे से बाहर निकल आईं।

गरज इस रिवायत से साबित है कि हज़रत बिलाल (रजि.) का ऐडियों पर दुर्रें मारना रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के मुबारक ज़माना में था।

इमाम की तकरूरी का हक

सवाल: अगर किसी मस्जिद के अक्सर मुक्तदी और अहले मुहल्ला व मिम्बर कमेटी एक पेश इमाम साहब को उनकी खिदमात से सुबुकदोश कर के दूसरे इमाम को उनकी जगह तकरूर करें, तो ऐसी सूरत में अक्सरीयत की राए का एहतेराम ज़रूरी है या अकल्लीयत की हटधर्मी को तस्लीम किया जाए?

जवाब: अगर दोनों इल्म व फज़ल और तक्वा में बराबर हैं तो कौम में से अहले सलाह की अक्सरीयत का एतेबार किया जाएगा। (अहसनुलफ़तावा जिल्द-3, सफ़हा-294, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1, सफ़हा-522)

फ़तावा महमूदिया जिल्द-2, सफ़हा-85, बहवाला इतिबाह सफ़हा-141 में है कि: "इमाम मुकरूर करने का हक बानिए मस्जिद को है फिर उसके ख़ानदान वालों को (औलाद वगैरा को) फिर अहले मुहल्ला को, लेकिन इमाम में अहलियत होना शर्त है।"

अगर बानी यां मुतवल्ली किसी ग़ैर मुस्तहिक को इमाम बनाना चाहें, और अहले मस्जिद किसी लाइक को तो अहले मस्जिद का हक राजेह होगा।

(फ़तावा काजी ख़ाँ हिन्दीया जिल्द-3, सफ़हा-338)

क्या इमामत में वरासत है?

सवाल: खतीब साहब ने अपनी जिन्दगी में भाई के होते हुए अपने भतीजे को अपना नाइब मुकर्रर किया। पाँच साल बड़ी दियानत दारी के साथ खिदमत अन्जाम दी अब खतीब साहब का इंतिकाल हो गया। क्या उनकी औलाद अपना नाइब मुकर्रर कर सकती है?

(2) इमाम साहब ने भाई के होते हुए भतीजा को मुकर्रर किया और जमाअत ने मन्जूर किया अब भाई दावेदार है, क्या उसका दावा सहीह है या नहीं?

जवाब: जिसको खतीबे साबिक ने अपनी जिन्दगी में इमाम मुकर्रर किया और कौम और जमाअत ने उसको मंजूर किया वही इमाम मुकर्रर हो गया, क्योंकि दरहकीकत इमाम के तकर्रर करने का हक मस्जिद के बानी और उसकी औलाद के बाद कौम और जमाअत को है, लिहाज़ा जिसको कौम ने इमाम तस्लीम कर लिया वह इमाम हो गया।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-95, बहावाला रहुलमुहतार जिल्द-1 बाबुलअज़ान सफ़हा-372)

इमामत में वरासत नहीं है बल्कि इमाम मुकर्रर करने का हक, अव्वल बानिए मस्जिद को है और फिर उसकी औलाद व अकारिब को, उसके बाद नमाज़ियों और अहले मुहल्ला को है कि इमाम को मुकर्रर करें, बल्कि अगर बानिए मस्जिद ने किसी को इमाम बनाया और वह इमामत

की सलाहियत नहीं रखता और नमाज़ियों ने उसके लाइक तर को इमाम मुकर्रर कर दिया तो वही इमाम मुकर्रर होगा जिसको नमाज़ियों ने मुकर्रर किया है।

रदुलमुहतार जिल्द-3 सफ़हा-573 में है कि इमामे साबिक बिदअती हो गया और मस्जिद के नमाज़ी उससे खुश नहीं हैं उसकी ख़राबी के सबब तो उसको माजूल करना और दूसरे लाइक तर और मसाइले नमाज़ से वाकिफ़ शख्स को इमाम मुकर्रर करना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-85)

इमाम की तक़्दरी में अगर इस्बतिलाफ़ हो जाए

सवाल: मुहल्ले की मस्जिद में दो शख्स कहते हैं कि हमारा मुकर्रर कर्दा इमाम रहेगा और जमाअत के ज़्यादा अफ़राद कहते हैं कि हम जो इमाम मुकर्रर करेंगे वह रहेगा। शरअन क्या हुक्म है?

जवाब: जिसको जमाअत के ज़्यादा अफ़राद इमाम मुकर्रर करें वही इमाम रहेगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-79, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-522 बाबुलइमामत)

अगर अहले मस्जिद किसी को इमाम मुकर्रर करने में दो फ़रीक़ हो जाएँ तो जिस फ़रीक़ का तजवीज़ करदा इमाम ज़्यादा लाइक़ हो वह राजेह होगा, और अगर दोनों फ़रीक़ के इमाम लाइक़ हों तो बड़े फ़रीक़ का इमाम राजेह होगा।

(फ़तावा आलमगीर जिल्द-1 सफ़हा-88)

क्या अदालत इमाम मुकर्रर कर सकती है

सवाल: क्या अदालत को कोई हक़ शरई हासिल है कि क़ौम का ऐसा इमाम ज़बरदस्ती मुकर्रर करे कि क़ौम उसको इमाम बनाने पर रज़ामंद नहीं?

जवाब: अदालत को ये हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि उसका नफ़ा व नुक़सान क़ौम को है, लिहाज़ा बिला रज़ामंदिये क़ौम के उनके लिए अदालत कोई इमाम मुकर्रर न करे। और अदालत को इसमें कुछ हक़ नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-95, बहवाला रहुलमुहतार सफ़हा-522 बाबुलइमामत)

इमामत का दावा और मुक्तदियों का इनकार

सवाल: एक ख़ानकाह का सज्जादा बहैसियत सज्जादगी अगर इमामत का दावा करे और बाकी वरसा जो कि उसके अहले बिरादरी और मुक्तदी हैं उसकी इमामत मंज़ूर न करें तो दावाए इमामत दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: कुतुबे फ़िक्ह में है कि बानिए मस्जिद और वाकिफ़ को ज़्यादा हक़ है इमाम के तकर्रर वगैरा करने में और अगर वह न हो तो उसकी औलाद व अकारिब हक़दार हैं।

इसके बाद अहले मुहल्ला व अहले मस्जिद जिसको इमाम मुकर्रर करें वह इमाम होता है, पस ख़ानकाह का सज्जादा नशीन अगर वाकिफ़े औलाद में से है तो बेशक

उसको हक है इमाम वगैरा मुक़र्रर करने का लेकिन दीगर अहले कराबते वाकिफ़ को भी ये हक़ है। सज्जादा नशीन को कुछ तरजीह और खुसूसियत इस बारे में नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-79, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलअज़ान जिल्द-1 सफ़हा-372)

अगर इमाम मुक़र्रर करने की गुंजाइश न हो तो क्या हुक्म है

सवाल: किसी शहर में मसाजिद ज़्यादा हों और नमाज़ी कम और हर एक मस्जिद में इमाम मुक़र्रर करने की ताकत न रखते हों, अगर करीब मुहल्ले वाले मिल कर एक मस्जिद में इमाम मुक़र्रर कर लें और दीगर मसाजिद छोड़ कर एक मस्जिद में बाजमाअत इमामे मजकूर के पीछे नमाज़ अदा करें तो क्या हुक्म है?

जवाब: बेहतर ये है कि हत्तलवुस्तअ जहाँ तक हो सके सब मसिज्दों को आबाद करें और थोड़े थोड़े नमाज़ी सब मसिज्दों में नमाज़ पढ़ें, बहालते मजबूरी जैसा मौका हो करें। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-67, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब अहकामुलमस्जिद जिल्द-1 सफ़हा-617)

इमाम के फ़राइजे मनसबी

इमाम अपने मनसब के लिहाज़ से सिर्फ़ नमाज़ पढ़ाने का जिम्मादार है, अलबत्ता अगर इससे वअज़ या तलबा को तालीम वगैरा देने की शराइत कर ली जाएँ और वह

मंजूर कर ले तो फिर उसकी जिम्मादारी भी उस पर आएद होगी। ये जरूरी है कि इमाम से ऐसे कामों के लिए शराइत न की जाएँ जो उसकी हैसियते इमामत और मन्सब के खिलाफ हों।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द-3 सफ़हा-46)

अगर इमामत और पानी गर्म करने पर वह मुलाज़िम है और उसकी उजरत में मुहल्ले से रोटियाँ लाना भी है तो उससे उसकी इमामत में कोई नुक़सान लाज़िम नहीं आता अगर मुहल्ले से रोटियाँ लाना उजरत में नहीं बल्कि वैसे ही अज़ खुद माँग कर लाता है और बावजूद किसी मशरूअ तरीक़ पर कमाने की कुदरत के इस माँगने को पेश बना रखा है तो ये पेशा नाजाइज़ है, ऐसे शख़्स को इमाम बनाना मकरूहे तहरीमी है, जब कि कोई दूसरा आमदी इमामत का अहल मौजूद हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-41)

पेश इमाम का रुतबा

पेश इमाम की इज़्ज़त व तौकीर करनी चाहिए। उसकी बेइज़्ज़ती और तौहीन और हतक करनी गुनाह है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द-3 सफ़हा-92)

क्या इमाम अपना नाइब मुकर्रर कर सकता है?

(1) अगर मरिजद की कोई कमेटी है तो वह इमाम या नाइबे इमाम मुकर्रर करने की मुस्तहिक़ है, लेकिन

अगर कमेटी नहीं है तो मस्जिद के नमाज़ियों की जमाअत का हक है।

(2) नाइबे इमाम वही होगा जिसको मस्जिद की कमेटी या नमाज़ियों की कसरते राए से मुकर्रर किया गया हो, तन्हा इमाम को इसका इख्तियार नहीं। खुसूसन जबकि इमाम खुद भी इमामत का तनख्वाहदार मुलाज़िम हो। (किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-83)

इमाम के अज़्ल व नख़ का हक

फ़ुकहां ने लिखा है कि इमाम को रखने या माजूल करने का हक बानिये मस्जिद या उसकी औलाद को है।

अगर मुतवल्ली, वाकिफ़ की जानिब से शराइत के साथ है तो वह भी काइम मक़ाम है और अगर नमाज़ियों की अक्सरीयत किसी नेक सालेह शख्स को इमाम मुकर्रर करे तो इमाम मुकर्रर हो जाएगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-78, बहवाला रदुलमुहतार किताबुलवाकिफ़ जिल्द-1 सफ़हा-573)

अइम्मए मसाजिद की तनख्वाह और शरई जिम्मादारियाँ

सवाल: इमामे मस्जिद से इमामत के अलावा झाडू दिलाना, नालियाँ साफ़ कराना, अज़ान देना और इसके अलावा और छोटे मोटे काम लिए जाते हैं और तनख्वाह सिर्फ़ इमामत की दी जाती है। क्या इतनी क़लील तनख्वाह के ऐवज़ इतने सारे काम लेना जाइज़ हैं? शरअन इमाम

की जिम्मादारियाँ क्या क्या हैं? अइम्मए मसाजिद की तनख्वाह क्या होनी चाहिए? तनख्वाह का मेयार से कम देने पर मुतवल्ली और अहले मुहल्ला गुनहगार होंगे ये नहीं? मुफ़स्सल जवाब इनायत फ़रमाएँ।

जवाब: हदीस शरीफ़ में है: "मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो।"

(मिशकात शरीफ़ सफ़हा-258)

ऑहज़रत (स.अ.व.) ने फ़रमाया: कयामत के रोज़ जिन तीन आदमियों के ख़िलाफ़ दावा होगा। उनमें से एक वह शख्स है जो किसी को मज़दूर रखे और उससे पूरा काम ले, मगर मज़दूरी पूरी न दे।

(बुख़ारी बहवाला मिशकात शरीफ़ सफ़हा-258)

मज़दूरी पूरी न देने का मतलब सिर्फ़ इतना ही नहीं कि उसकी मज़दूरी मार ले और पूरी न दे, बल्कि उसमें ये भी शामिल है कि जितनी उज़रत उस काम की मिलनी चाहिए उतनी न दे और उसकी मज़दूरी से फ़ाएदा उठाए कि कम से कम उज़रत पर काम ले ले। फुक़हाए किराम (रह.) ने इस बात की तसरीह की है कि मस्जिद के मुतवल्ली और मदरसा के मोहतमिम को लाज़िम है कि ख़ादिमाने मसाजिद और मदारिस को उनकी हाज़त के मुताबिक़ और उनकी इल्मी क़ाबिलीयत और तक्वा व सलाह को मलहूज़ रखते हुए वज़ीफ़ा व मुशाहरा (तनख्वाह) देते रहें, बावजूद गुंजाईश के कम देना बुरी बात है, और मुतवल्ली खुदा के यहाँ जवाब देह होंगे। (दररेमुख्तार व शामी जिल्द-3 सफ़हा-389, जिल्द-2 सफ़हा-78)

सिर्फ़ इमामत की तनख्वाह देकर इमाम पर अज़ान की

जिम्मादारी डालना और उनसे झाड़ू देने और नालियाँ साफ करने वगैरह उमूर की खिदमत लेना जुल्मे शदीद और तौहीन है, नबीए करीम अलैहिस्सलातो वत्तसलीम का फरमान है: हामिलीन कुरआन (हुफ्फाज व कुरा व उलमाए किराम) की ताजीम करो, बेशक जिसने उनकी तकरीम की उसने मेरी तकरीम की।

(अलजामेउरसगीर लिलइमामिलहाफिज़ अस्सुयूती (रह.) जिल्द-1 सफ़हा-145)

एक और हदीस में है कि: "हामिलीने कुरआन इस्लाम के अलमबरदार हैं और इस्लाम का झंडा उटाने वाले हैं। जिसने उनकी ताजीम की उसने अल्लाह की ताजीम की और जिसने उनकी तज़लील की उस पर अल्लाह की लानत है।" (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-355)

तनख्वाह माकूल न होने की वजह से कि इमाम और मुअज़्ज़िन के लिए (मस्जिद में चंदा) किया जाए और मुसल्ली हज़रात बख़ुशी चंदा दें और तनख्वाह की कमी को पूरा किया जाए, लेकिन चंदा जबरन न वसूल किया जाए, अगर इस तरह इमाम व मुअज़्ज़िन की इमदाद न की गई तो उनका गुज़ारा कैसे होगा? और वह किस तरह रह सकेंगे? बेहतर तो यही है कि तनख्वाह माकूल दी जाए और चंदा की रस्म को ख़त्म किया जाए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-427)

इमामत की उजरत

सवाल: ज़ैद कहते हैं कि इमामे मस्जिद न अजीर है

और न नौकर, क्योंकि उसको माले वक्फ़ से तनख्वाह मिलती है और उमर कहता है कि इमाम अजीर और नौकर है, किसका कौल सहीह है?

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-87)

जवाब: जो इमाम की तनख्वाह लेता है उसके अजीर होने में क्या तअम्मुल है, इमामत पर उजरत लेना फ़ुक़हा ने जाइज़ लिखा है और वक्फ़ माल से तनख्वाह मिलना इसकी दलील नहीं कि वह उजरत न हो और तनख्वाह दार अजीर न हो। क्या अगर वक्फ़ की तामीर के लिए माले वक्फ़ से आमिलीने तामीर मुकर्रर किए जाएँ तो वह अजीर न होंगे, कौले उमर इसमें सहीह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-320)

इमामत पर तनख्वाह लेना दुरुस्त है, जैसा कि रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-374 किताब शुरुतुस्सलात में है, तनख्वाह दार इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने में कुछ कराहत नहीं है, और कुछ तरद्दुद न करना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-320)

क्या इमाम को छुट्टी का हक़ हासिल है

सवाल: अगर कोई इमाम इमामत की तनख्वाह पाने के बावजूद कभी कभी ग़ैर हाज़िर हुए तो क्या हुक्म है?

जवाब: शामी जिल्द-3 किताबुलवक्फ़ में है कि इमाम को अपनी ज़रूरियात या राहत के लिए एक हफ़ता या उसके करीब यानी पन्दरह दिन से कम तक आदतन ग़ैर हाज़िरी उरफ़न शरअन जाइज़ है, फिर आगे तसरीह की

है कि साल भर में हफ़ता दो हफ़ता ग़ैर हाज़िर हो तो मआफ़ है, पस सूरते मसऊला का हुक्म भी इससे समझ लेना चाहिए कि कभी कभी ग़ैर हाज़िरी इमाम की मआफ़ होगी। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-84, बहवाला रद्दुलमुहतार किताबुलवक्फ़ जिल्द-3 सफ़हा-564)

क्या इमाम ग़ैर हाज़िरी के ज़माने की तनख़्वाह ले सकता है

सवाल: किसी उज़्र या बिला उज़्र निस्फ़ माह से कम अगर इमाम साहब इमामत का काम अंजाम न दें तो वह तनख़्वाह पूरे माह की पाने के मुस्तहिक़ शरअन हैं या नहीं?

जवाब: हासिले जवाब ये है कि “**الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ**” पस जिस क़दर ग़ैर हाज़िरी मारुफ़ हो उसकी तनख़्वाह लेना दुरुस्त है और इमामत भी दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-89, बहवाला रद्दुलमुहतार किताबुलवक्फ़ जिल्द-3 सफ़हा-447)

ऐसा करना (यानी तनख़्वाह काटना) जाइज़ नहीं है और ये अम्र ख़िलाफ़े उर्फ़ व शरअ है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-374, बहवाला रद्दुलमुहतार किताबुलवक्फ़ जिल्द-3 सफ़हा-525)

इमाम की ग़ैर हाज़िरी का हुक्म

सवाल: किसी शख्स के काम की वजह से इमाम पाँच सात मरतबा हफ़ता में ग़ैर हाज़िर रहा उसकी निस्बत

क्या हुक्म है?

जवाब: बेहतर ये है कि मुक्तदियों की रजामंदी से ऐसा करे। मुक्तदियों की रजामंदी के बगैर ऐसा करना अच्छा नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-133)

इमाम के एहातए मस्जिद में रहने का हुक्म

एहातए मस्जिद में इमाम व मुअज़्ज़िन के लिए कमरा बना हो तो उसमें इमाम और मुअज़्ज़िन का रहना दुरुस्त है, लेकिन बाल बच्चों के साथ रहने में उमूमन बेपर्दगी होती है, इस्तिन्जे की जगह अलग नहीं होती और बच्चों के शोर व शग़ब की वजह से नमाज़ियों को तकलीफ़ और हरज भी होगा। इसलिए ममनूअ़ होगा। अगर ये ख़राबियाँ न हों तो जाइज़ है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-6 सफ़हा-95)

क्या इमाम एहातए मस्जिद में अपना काम कर सकता है

अगर कमरा का दरवाज़ा मस्जिद के उस हिस्से में न खुलता हो जो नमाज़ के लिए मख़सूस होता है, यानी ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों को मस्जिद में से न गुज़रना पड़े तो इमाम का ऐसा काम करना मुबाह है?

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-143)

मस्जिद यानी उस हिस्से में जो नमाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है ख़रीद व फ़रोख़्त करना या कोई

ऐसा काम करना जिससे नमाजियों को तकलीफ हो या एहतेरामे मस्जिद के मुनाफ़ी हो, जाइज़ नहीं है। बाकी मस्जिद के एहाते में दूसरे हिस्से जो नमाज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते उनमें ख़रीद व फ़रोख़्त जाइज़ है मगर मुतवल्ली की इजाज़त से होना चाहिए।

(कफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-167)

क्या इमाम चौबीस घन्टे का पाबंद है

सवाल: इमाम व मुअज़्ज़िन को मुक़ैयद कर देना कि चौबीस घन्टे आपको मस्जिद में हाज़िरी देना होगी। ये हुक्मरानी किस हद तक जाइज़ है?

जवाब: इमाम या मुअज़्ज़िन का मुतवल्ली से मुआहदा हो तो उसके मुताबिक़ अमल करना होगा, अगर मुआहदा नहीं है तो ऐसी पाबंदी जुल्म व ज़्यादती है और नाजाइज़ है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-362)

एक वक़्त में दो जगह इमामत

जब एक शख्स को मुआवज़ा मुकर्रर कर के एक मस्जिद की इमामत के लिए रखा हो तो उस मस्जिद की इमामत उसके जिम्मा ज़रूरी है। उस मस्जिद को छोड़ कर किसी दूसरी मस्जिद में इमामत के लिए जाना नाजाइज़ है, अगर उस मस्जिद को छोड़ कर किसी दूसरी मस्जिद में इमामत करेगा तो वह उस मुआवज़ा का

मुस्तहिक न होगा। अगर इमाम मजकूर एक ही नमाज़, दो मरतबा दो मस्जिदों में पढ़ाता है तो दूसरी नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी। दूसरी मस्जिद के मुक्तदियों की फ़र्ज नमाज़ इस तरह साक़ित नहीं होगी, बल्कि उनके जिम्मे बदस्तूर उसकी अदाएगी बाकी रहेगी।

चूँकि इमाम की अब्बल मरतबा फ़र्ज नमाज़ अदा होगी दूसरी मरतबा इमाम की नफ़ल नमाज़ होगी और मुक्तदियों की फ़र्ज और ये जाइज़ नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-79)

एक इमाम का दो जगह इमामत करना

सवाल: जो इमाम तीन वक़्त की नमाज़ एक मस्जिद में पढ़ाए और दो वक़्त की दूसरी मस्जिद में तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब: कोई वजह मुमानअत की इसमें नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-169)

एक मस्जिद में दो इमामों की इमामत

अगर दो इमाम इस लिए हों कि एक इमाम चंद लोगों को नमाज़ पढ़ाए और दूसरा इमाम वही नमाज़ दूसरे लोगों को पढ़ाए तो ये मकरूह है और अगर मनशा ये है कि दो इमाम रख लिए जाएँ, कभी एक पढ़ाए और कभी बज़रूरत दूसरा तो गुंजाईश है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-369, बहवाला

आलमगीरी बाब फिलअज़ान जिल्द-1 सफ़हा-51)

क्या एक शख्स इमामत व अज़ान अंज़ाम दे सकता है

सवाल: अज़ान व इमामत अगर एक ही शख्स करे तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब: एक ही शख्स अज़ान कहे और इमामत करे, ये शरीअत में दुरुस्त है इसमें सवाब ज़्यादा है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-95, बहवाला रहुलमुहतार बाबुलअज़ान जिल्ज-1 सफ़हा-372)

इमाम मुतवफ़ा के यतीम बच्चों की इमदाद

सवाल: इमाम साहब का इंतिकाल हो गया, चंद बच्चे छोड़े, अब जो वज़ीफ़ा उनके बाप को बैतुलमाल से या अहले मुहल्ला की जानिब से मिलता था उस वज़ीफ़े के शरअन हक़दार उसके यतीम बच्चे हैं या नहीं?

जवाब: बैतुलमाल का यही हुक्म है जो मज़कूर हुआ है, उन बच्चों की उनके बाप के वज़ीफ़ा से इमदाद की जाए और अहले मुहल्ला अपने चंदा से जो कुछ इमाम मरहूम को देते थे उन यतीम बच्चों को भी दें और बक़दरे ज़रूरत उनकी मदद करें और हर तरह देख भाल रखें। अगरचे उनको जदीद इमाम की भी ज़रूरत होगी और उसकी तनख़्वाह का ग़ालिबन इंतिज़ाम करना होगा और अगर कोई इमाम बिला तनख़्वाह न मिले तब भी यतीम बच्चों की इमदाद को वह अपने ऊपर लाज़िम और

ज़रूरी समझें और सवाबे उख़रवी हासिल करें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-372, बहवाला
मिशकात बाबुलशफकति सफ़हा-423)

क्या इमामत में जात का लिहाज़ है

इमामत के लिए जात पात का कोई लिहाज़ नहीं, अफ़ज़लीयत का लिहाज़ है, और ये कि जमाअत में कमी न आए और नमाज़ी मुनतशिर न हों।

पस नमाज़ियों में जो अफ़ज़ल हो वह इमामत का हक़दार है, ताकि नमाज़ सहीह और कामिल अदा हो जाए और मुक्तदी ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ में शरीक हों, पस किसी ऐसी कौम का आदमी जिसको लोग ज़लील और रज़ील समझते हैं अगर इल्म व तक्वा में सब से बढ़ा हुआ है और उस बिना पर लोग उसका अदब करते हैं तो बिला शुब्हा उसके पीछे नमाज़ दुरुस्त है किसी किस्म की कोई कराहत नहीं, अलबत्ता अगर उसके अफ़़ाल ऐसे हैं जिनकी बिना पर वह लोगों की निगाह में ज़लील और बे-वक़अत है तो उस बिना पर उसको इमाम बनाना मकरूह है कि लोग जब उसकी इज़्ज़त और वक़अत नहीं करते तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना भी पसंद न करेंगे और जमाअत में कमी हो जाएगी।

फ़तावा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-83 में है: “अफ़ज़ल को इमाम बनाने में ये भी मसलिहत है कि लोग उसको पसंद कर के शिरकत करेंगे और जमाअत बढ़ेगी।”

इमाम अफ़ज़ल वह है जो शरई अहकाम से सब से

ज्यादा वाकिफ़ हो, कुरआन मजीद तजवीद और सेहत के साथ पढ़ता हो, परहेज़गार हो, सहीह उलअकीदा और आला हसब वाला हो, हसीन व जमील और मुअम्मर हो, नसबी शराफ़त, खुश अख़लाक़ और पाकीज़ा लिबास वाला इमामत का ज़्यादा हक़दार है कि लोग रग़बत से उसकी इक़तिदाए करें और जमाअत बड़ी हो, हदीस शरीफ़ में है कि अगर तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारी नमाज़ें इनदल्लाह मक़बूल हों तो चाहिए कि उलमा को इमाम बनाएँ और एक रिवायत में ये है कि जो तुम में सब से ज़्यादा नेक हो, वह तुम्हारी इमामत करे, क्योंकि वह तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कासिद हैं।

(शरह नकाया जिल्द-1 सफ़हा-86)

लिहाज़ा अफ़ज़ल को इमाम बनाया जाए और उससे ऐसा कोई काम न लिया जाए जिससे लोग उसे हकीर समझें, हाँ अगर किसी जगह अफ़ज़ल इमाम न हो बल्कि फ़ासिक़ हो तो जमाअत न छोड़े, जमाअत की फ़ज़ीलत और अहम्मीयत के पेशे नज़र तन्हा नमाज़ पढ़ने से ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना बेहतर है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-28)

जिसका एक बाजू कटा हुआ हो उसकी इमामत

सवाल: जिस शख्स के एक बाजू न हो और वह नाबीना भी हो, उसकी इमामत जाइज़ है या नहीं?

जवाब: नमाज़ उसके पीछे हो जाती है, लेकिन दूसरा इमाम जो बीन हो और उसके दोनों हाथ पैर सहीह व

सालिम हों और मसाइले नमाज़ से वाकिफ़ हो और नेक शख्स हो बेहतर है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-165, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-523 बाबुलइमामत)

छोटे हाथ वाले की इमामत

सवाल: मेरा दाहिना हाथ कान की लौ तक नहीं जाता ऐसी हालत में मेरी इमामत (नमाज़े पंजगाना व जुमा वगैरा में) जाइज़ है या नहीं?

जवाब: इस सूरत में साइल की इमामत नमाज़े पंजगाना व जुमा वगैरह में बिला कराहत जाइज़ है कोई वजहे कराहत, इमामत की नहीं है, क्योंकि फुक़हा (रह.) ने जो लिखा है कि अंगूठों को तहरीमा के वक़्त कानों की लौ से लगा दे तो वह अस्ल में मुहाज़ात हासिल करने के लिए है जैसा कि तहकीक़े फुक़हा और रिवायात से ज़ाहिर होता है।

पस अगर उज़्र की वजह से कान की लौ का छूना न हो सके और अंगूठों की कानों से मुहाज़ात हासिल हो जाए तो ये सुन्नत अदा हो जाएगी, अहनाफ़ (रह.) के नज़दीक अंगूठों को कानों के मुहाज़ी (मुकाबिल) कर दे, पस अगर किसी उज़्र की वजह से, हाथ कानों की लौ तक न पहुंचे और मुहाज़ात हासिल हो जाए तो ये सुन्नत अदा हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-202, बहावला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-94)

हाथ कटे हुए शख्स की इमामत

सवाल: (1) मकतूउलयद (हाथ कटे हुए शख्स) की इमामत का क्या हुक्म है?

(2) अरसए दराज तक उसके पीछे नमाज पढ़ते रहे हैं बाद में कुछ खुदग़रज़ लोग किसी वजह से मकतूउलयद होने का इलजाम देकर खुद भी नमाज नहीं पढ़ते और दूसरों को भी उसके पीछे नमाज पढ़ने को मना करते हैं ये कहाँ तक दुरुस्त है?

जवाब: (1) अगर वह शख्स तहारत और पाकी ठीक तौर पर कर लेता है और उसका एहतिमाम रखता है तो उसकी इमामत शरअन दुरुस्त है, वरना मकरूह है, सहीह और सालिम की इमामत बहरहाल ऊला है।

(2) इख़्तिलाफ़ से बचना चाहिए, अगर उसके पीछे नमाज पढ़ने से कोई शरई उज़्र मानेअ हो तो इत्तिफ़ाक़ के साथ किसी दूसरे शख्स को इमाम मुकरर कर लिया जाए, महज़ खुदग़र्ज़ी की बिना पर इख़्तिलाफ़ पैदा करना गुनाह है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-102, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-587)

जिसकी टाँगें कटी हुई हों उसकी इमामत

सवाल: एक शख्स की दोनों टाँगें घुटनों तक कटी हुई हैं, जिसकी वजह से रुकूअ व जलसा कमाहक़क़हू, अदा नहीं होता अलबत्ता कुरआन शरीफ़ सहीह पढ़ता है,

नमाज़ रोज़ा का पाबंद है उसकी इमामत सहीह है या नहीं है?

जवाब: नमाज़ उसके पीछे सहीह है, लेकिन बेहतर ये है कि दूसरा इमाम मुकर्रर क्या जाए, जिसके हाथ पैर सहीह व सालिम हों और वह आलिम व सालेह मुत्तसिफ़ बसिफ़ाते इमामत हो। (रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-525) में है मकतूउर्रिजलैन (पैर कटे हुए) की इमामत बदरजए औला मकरूह है, अगरचे उसके पीछे नमाज़ हो जाती है मगर बेहतर ये है कि दूसरा इमाम मुकर्रर करें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-208)

जो सज्दा पर क़दरत न रखता हो उसकी इमामत

सवाल: जो शख्स सज्दा से आजिज़ हो और बाकी तमाम अरकान, रुकूअ और कौमा वगैरा बखूबी अदा करता हो और खड़े होकर नमाज़ पढ़ता हो उसकी इमामत दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: उसके पीछे नमाज़ उन लोगों की जो सज्दा करते हैं सहीह नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-157)

काने, लूले, चुगलखोर और कोढ़ी की इमामत

यक चश्म (काने) के पीछे नमाज़ मकरूह नहीं है और अंधा अगर नजास्त से न बचता हो और गैर मोहतात हो और सब से बाड़ा आलिम न हो तो उसके पीछे नमाज़

मकरूह है और अगर वह लोगों में सब से ज्यादा आलिम हो तो मकरूह नहीं है।

जुजामी, कोढ़ी, लूले और चुगलखोर के पीछे नमाज़ मकरूह है और जिसकी मस्तूरात परदा न करती हों और वह उनको मना न करे और उनकी बेपरदगी से राजी हो तो उसके पीछे भी नमाज़ मकरूह है, और अगर वह अपने घर वालों को बेपरदा फिरने से मना करे और उसको बुरा समझे तो फिर उसके पीछे नमाज़, बिला कराहत सहीह है और झूट बोलने वाले के पीछे भी नमाज़ मकरूह है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-195, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-523)

बरस वाले की इमामत

सवाल: एक इमाम साहब दीनियात पढ़े हुए हैं। बाज़ हज़रात ने उनके पीछे नमाज़ पढ़नी इसलिए छोड़ दी है कि उनके बदन पर चंद दाने बरस के हैं, जिनका वह एलाज करते रहते हैं। उनके पीछे नमाज़ जाइज़ है या मकरूह?

जवाब: उन इमाम साहब के पीछे नमाज़ बिला कराहत दुरुस्त है, क्योंकि फ़ुक़हा ने इस हालत में मबरूस के पीछे नमाज़ पढ़ने को मकरूह बकराहत तंज़ीही लिखा है। जबकि बरस उसका ज़ाहिर व बाहर हो, यानी ज़्यादा-निशानात बरस के हों जिसकी वजह से मुक्तदियों को तनपफ़ुर हो, और अगर बरस ज़ाहिर न हो और न मुक्तदियों को तनपफ़ुर हो तो फिर उसकी इमामत में कोई कराहत

नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-256, बहवाला बाबुलइमामत, रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-525)

मबरूस (बरस वाले) के पीछे नमाज़ हो जाती है। अलबत्ता बरस इस हद तक ज़ाहिर हो जाए कि मुक्तदियों को नफ़रत और कराहत पैदा हो तो उसकी इमामत मकरूह है। हौज़ में वुजू कर सकता है, क्योंकि बरस में ज़ाहिरी तौर पर कोई नजासत नहीं होती, सिर्फ़ जिल्द पर धब्बे होते हैं और मस्जिद के बरतन भी वुजू के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-86)

बैठ कर पढ़ाने वाले की इमामत

खड़े होने वाले की नमाज़ बैठने वाले के पीछे दुरुस्त है जैसा कि आँहज़रत (स.अ.व.) ने (मरजुलवफ़ात में) बैठ कर इमामत फ़रमाई।

पस अगर इमाम इस क़दर माज़ूर हो कि खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको बैठ कर नमाज़ पढ़ाना दुरुस्त है और उसके पीछे खड़े होने वालों की नमाज़ दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-216, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-551)

गंजे की इमामत

सवाल: गंजे के पीछे नमाज़ दुरुस्त है या नहीं और

गंजे के पीछे नमाज़ मकरूह होने की कोई हदीस है या नहीं?

जवाब: गंजे के पीछे नमाज़ जाइज़ है, जबकि वह अच्छा हो गया हो, और जख़्म उसके सर पर नहीं रहा तो नमाज़ उसके पीछे बिला कराहत दुरुस्त है।

गंजे के पीछे नमाज़ मकरूह होने की कोई हदीस नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-301)

नाबीना की इमामत का हुक्म

फुक्हाए किराम ने ऐसे नाबीना की इमामत जो ग़ैर मोहतात हो और नजासत से न बचता हो मकरूहे तंज़ीही करार दी है, लेकिन ये हुक्म आम नहीं है, बल्कि ग़ैर मोहतात के साथ ख़ास है, लिहाज़ा जो नाबीना मोहतात हो और नजासत से बचने का पूरा एहतिमाम करता हो और पाक व साफ़ रहता हो उसकी इमामत को बिला कराहत जाइज़ लिखा है।

हज़रत आएशा सिद्दीका (रज़ि.) का ब्यान है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने ग़ज़वए तबूक में तशरीफ़ ले जाने के मौक़ा पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मकतुम (रज़ि.) को जो नाबीना थे मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ाने के लिए अपना काइम मक़ाम बनाया था। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमैर (रज़ि.) बावजूद नाबीना होने के बनी हतमा के इमाम थे, वह फ़रमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के मुबारक ज़माने में बनी हतमा का इमाम था। हालाँकि मैं नाबीना था।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-363)

नाबीना की इक़तिदा मकरूहे तंजीही है, अलबत्ता अगर ये इमाम नाबीना सब से अफ़ज़ल हो और मसाइल से ज्यादा चाकिफ़ हो तो कोई कराहत नहीं, बल्कि उसको इमाम बनाना अफ़ज़ल है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-260)

साहिबे हिदाया ने नाबीना की इमामत मकरूह होने की दो वजह लिखी हैं: एक ये कि वह नजासत से न बचता हो, दूसरे ये कि लोगों को उसकी इमामत से तनफ़्फ़ुर हो, पस अगर ये दोनों वजहें न हों तो इमामत नाबीना की बिला कराहत दुरुस्त है, अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मकतूम और अतबान (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इमाम मुकर्रर फ़रमाया था।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-137)

दाढ़ी कटाने वाले की इमामत

सवाल: दाढ़ी कटाने या मुँडवाने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है?

जवाब: दाढ़ी एक मुश्त से कम करना हराम है, बल्कि ये दूसरे गुनाहों से भी बदतर है, इसलिए कि इसके एलानिया होने की वजह से इसमें दीने इस्लाम की खुली तौहीन है और अल्लाह और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से बगावत का इज़हार व ऐलान है। इसलिए फ़ुकहा (रह.) ने फ़ैसला तहरीर फ़रमाया है कि जो शरूस् रमज़ान में एलानिया खाए पीये वह वाजिबुलक़त्ल है, क्योंकि वह खुले

तौर पर शरीअत की मुखालफत कर रहा है आप का इरशाद है: "मेरी उम्मत लाइके अफ़व है मगर एलानिया गुनाह करने वाले मआफी के लाइक नहीं।"

दूसरा फ़र्क़ ये है कि दूसरे गुनाह किसी खास वक़्त में होते हैं, मगर दाढ़ी कटाने का गुनाह हर वक़्त साथ लगा रहता है। सो रहा हो तो भी गुनाह साथ है। हत्ता कि नमाज़ वगैरा इबादत में मशगूल होने की हालत में भी इस गुनाह में मुब्तला है, कौमे लूत को अज़ाब देने की एक वजह दाढ़ी कटाना भी था। (दुर्रमनसूर) गरज़ दाढ़ी कटाने या मुंडवाने वाला फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ की इमामत मकरूह तहरीमी है। इसलिए ऐसे शख्स को इमाम बनाना जाइज़ नहीं। अगर कोई ऐसा शख्स जबरन इमाम बन गया, या मस्जिद की मुनतज़िमा कमेटी ने बना दिया और हटाने पर कुदरत न हो तो किसी दूसरी मस्जिद में सालेह इमाम तलाश करे, अगर न मिले तो जमाअत न छोड़े, बल्कि फ़ासिक़ के पीछे ही नमाज़ पढ़ ले कि उसका वबाल व अज़ाब मस्जिद के मुनतज़िमीन पर होगा।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-260)

अगर दूसरा इमाम इससे बेहतर मिल सकता है तो उसको इमाम न बनाया जाए। एक मुश्त दाढ़ी रखने के लिए उससे कहा जाए और वह दाढ़ी बढ़ा ले तो ठीक है। (किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द--3 सफ़हा-87)

इमदादुलमुफ़तीय्हीन में दाढ़ी मुंडवाने या कटवाने वाले के मुतअल्लिक़ लिखा है कि वह शख्स फ़ासिक़ और सख़्त गुनहगार है, उसको इमाम बनाना जाइज़ नहीं

क्योंकि उसके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी है और वह वाजिबुलएहानत है, उसको इमाम बनाने में उसकी ताज़ीम है इसलिए उसको इमाम बनाना जाइज़ नहीं है।

(इमदादुलमुफ़तीय्यीन जिल्द-1 सफ़हा-261, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-276 बाबुलइमामत)

दाढ़ी मुंडवाने वाले की इमामत मकरूह है हाँ सब मुक्तदी दाढ़ी मुंडे हों तो दाढ़ी मुंडवाने वाला इमाम बन जाए। (किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-57)

दाढ़ी कटवाने से ताइब की इमामत

सवाल: एक शख्स दाढ़ी मुंडवाता है, उसने सच्चे दिल से तौबा करली है और उसने दाढ़ी रखने का अज़्म कर लिया है, क्या इस हालत में जबकि वह तौबा कर चुका है मगर दाढ़ी नहीं है और न जल्दी दाढ़ी उगाना उसके बस की बात है, आया उसके इमाम बनने में कराहत होगी?

जवाब: तौबा के बावजूद ऐसे शख्स की इमामत दो वजह से मकरूह है, एक ये उस पर अभी तक असरे सलाह नुमायाँ नहीं हुआ। ये फैसला नहीं किया जा सकता कि आइंदा उस कबीरा से एहतिराज़ का एहतिमाम करेगा या नहीं?

दूसरी वजह ये कि जिन लोगों को तौबा का इल्म नहीं उनका मुग़ालता होगा और वह यही समझेंगे कि फ़ासिक नमाज़ पढ़ा रहा है। (अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़ही-262)

उसको इमाम बनाना मकरूह है, अलबत्ता अगर वह खुद इमाम बन कर नमाज़ पढ़ा दे तो नमाज़ हो जाएगी गो वह सवाब न मिले जो मुत्तकी इमाम के पीछे पढ़ने से मिलता है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-43)

गैर माजूर की इक़तिदा

सवाल: गैर माजूर की नमाज़, माजूर के पीछे दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: दुरुस्त नहीं, (अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-264, बहवाला रद्दुलमुहतार सफ़हा-542)

मसह करने वाले की इमामत

सवाल: उज्र की वजह से किसी अज़्व पर मसह करने वाले के पीछे आज़ा को धोने वाला नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं?

जवाब: पढ़ सकता है।⁽¹⁾

(असनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-264)

बवासीर में मुजला की इमामत

सवाल: एक शख्स को ख़ूनी बवासीर का मरज़ है

(1) क्योंकि ये माजूरे शरई के हुक्म में नहीं।

وصح القضاء متوضىء بمتميم و غاسل بماسح ولو على جبهة الخ
(दुर्रमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-396 बाबुलइमामत)

और हर वक़्त उसके जारी रहने का ख़ौफ़ रहता है। ऐसे शख्स की इमामत बावजूद तनदुरुस्त इमाम के दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: खून जारी होने के ख़ौफ़ से वह शख्स माजूर शरअन नहीं हो सकता। शरअन माजूर उस वक़्त होता है कि उसको तमाम वक़्त नमाज़ में इतना मौका न मिले कि वुजू कर के बग़ैर इस मरज़ के नमाज़ पढ़ सके। जबकि वह अभी माजूर नहीं हुआ, इमामत उसकी दुरुस्त है, कुछ कराहत उसकी इस वजह से इमामत में नहीं है।

जिस वक़्त वह माजूर होगा उस वक़्त वह इमाम तनदुरुस्त नहीं हो सकता, उस वक़्त उसकी इमामत उज़्र की वजह से बिल्कुल नाजाइज़ होगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-103, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-203 व जिल्द-1 सफ़हा-389)

सलसलुलबौल के शक में मुत्तला की इमामत

सवाल: मरज़ सलसलुलबौल तो नहीं है मगर अज़्व दबाने से पेशाब का कतरा निकल आता है, और बाज़ वक़्त ऐसा ख़याल होता है कि पेशाब के कतरे ने अपनी जगह से खुरुज किया मगर देखने से ज़ाहिर नहीं होता, ऐसा शख्स इमामत कर सकता है या नहीं?

जवाब: जिस हालत में खुरुजे कतरा न हो इमाम हो सकता है, वहम और शक का एतेबार नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-105, बहवाला अल अशबाह वन्नज़ाइर सफ़हा-75)

रअशा वाले की इमामत

जिसके हाथ और पाँव में रअशा हो उसके पीछे नमाज़ बिला कराहत दुरुस्त है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-104)

कमजोर निगाह वाले की इमामत

सवाल: एक साहब चालीस साल से इमामत करते हैं लेकिन अब तीन चार साल से उनकी नज़र में फ़र्क आ गया है, लेकिन पाकी व नापाकी को खुद देख सकते हैं। लोग एतेराज़ करते हैं कि नमाज़ मकरूह होती है सहीह किया है?

जवाब: सूरते मज़कूरा में इमामे मज़कूर के पीछे नमाज़, बिला कराहत सहीह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-194)

हज्जाम की इमामत

हज्जाम (बाल काटने वाला) अगर नमाज़ के मसाइल से वाकिफ़ और दीनदार हो तो इमाम बन सकता है लेकिन अगर वह लोगों की दाढ़ी मूँडता हो तो फ़ासिक होगा। उसके पीछे नमाज़ मकरूह होगी और अगर वह जाहिल हो और दीनदार भी न हो और हजामत का पेशा करता हो तो उसको नमाज़ नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन

अगर इमाम की गैर मौजूदगी में कोई शख्स उससे अफज़ल न हो तो मजबूरन उस वक़्त उसके पीछे नमाज़ पढ़ना, तन्हा नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, इसलिए कि जमाअत की अहमियत और ताकीद बहुत ज़्यादा है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-357)

हकले की इमामत

सवाल: अहकर इमामे मस्जिद है, कुछ मुद्दत से मेरी ज़बान में लुकनत आ गई है और वह भी सिर्फ़ अलहम्दुलिल्लाह के अलिफ़ लाम पर, जब सूरे फ़ातिहा शुरू करता हूँ तो आ आ आ हो कर हमज़ा की तकरार हो जाती है और कुछ देर बाद अलहम्दुलिल्लाह का तलफ़फ़ुज़ होता है उसके बाद बाकी तिलावत साफ़ होती है शरई हुक्म क्या है?

जवाब: इस बारे में ज़्यादा बेहतर बात यही है कि आप की इमामत में नमाज़ सहीह न होगी और काबिले इआदा होगी और अलफ़ाज़ आ, आ, आ ज़्यादा कबीह और लहने जली है।

आप नमाज़ पढ़ाने की ज़ुरअत न फ़रमाँ। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-352, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-544)

इस मस्अला की तफ़सील किताबुलफिक्ह अललमज़ाहिबुलअरबआ में इस तरह है—

सेहते इमामत की शराइत में ये भी है कि इमाम की ज़बान (तलफ़फ़ुज़) ठीक हो एक हर्फ़ के बजाए कोई और

हर्फ न अदा हो जाता हो। मसलन "र" के बजाए "ग" "स" के "त" "जाल" के बजाए "जे" या "श" की जगह "स" वगैरा हुरूफे हिजा की आवाज़ निकले। इसी वजह से ऐसे शख्स को (अस्सग) कहते हैं, क्योंकि (अस्सग) के लुगवी मआना ज़बान का एक हर्फ से दूसरे हर्फ की जानिब मुड़ जाना या ऐसी ही कैफ़ियत का लाहिक होना है।

ऐसे शख्स पर वाजिब है कि अपने अलफ़ाज़ को दुरुस्त करे और जहाँ तक हो सके हर्फ के तलफ़ुज़ को सहीह तौर पर अदा करने की कोशिश करे, अगर फिर भी कासिर रहे तो उसके लिए अपने ही जैसों के अलावा दूसरों का इमाम बनना दुरुस्त नहीं है। अगर किसी में ये ख़ामी है और उसने अपनी ज़बान की इसलाह की कोशिश न की तो उसकी नमाज़ भी सिरे से बातिल होगी। इमाम बनने का तो ज़िक्र ही क्या?

इस मसअले में "हकले" के मुतअल्लिक जो कुछ ब्यान किया गया है वही हुक्म उस शख्स का है जो ग़लत तरीके से एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मुदगम कर देता हो मसलन "स" को "त" से बदल कर "स" के बाद जो हर्फ "त" है उसमें मिला दे, जैसे लफ़ज़ "मुस्तकीम" को सहीह तौर पर अदा करने के बजाए "मुत्तकीम" कहे। ऐसे नमाज़ी के लिए वाजिब है कि वह अपनी ज़बान की इस्लाह में कोशिश हो। अगर (इसलाह में) नाकामी हो तो उसके लिए अपने जैसों का इमाम बनना सहीह होगा, अगर (इसलाह की कोशिश में) कोताही की तो उसकी नमाज़ भी बातिल और इमाम बनना भी बातिल।

एक और ख़ामी है जिसे (फ़ा फ़ा) कहते हैं, यानी

बोलने में बार बार हर्फ़ "फ़" की आवाज़ निकले या "तमताम" हो यानी बार बार "त" का तलफ़फ़ुज़ करना, तो ऐसे शख्स की इमामत का वही हुक्म है जो हकले का है, यानी उस जैसे शख्स का मज़कूरा बाला शराइत न होने पर इमाम बनना मकरूह है। (किताबुल फ़िक्ह अललमजाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-657)

झुकी कमर वाले की इमामत

सेहते इमामत के लिए शर्त है कि इमाम की कमर इतनी न झुकी हुई हो जितनी रुकूअ की हालत में होती है अगर इमाम की कमर इतनी झुकी हुई हो कि वह रुकूअ में मालूम हो तो फिर तंदुरुस्त आदमी का उसके पीछे नमाज़ पढ़ना सहीह नहीं है।

हाँ इमाम और मुक्तदी दोनों ऐसे ही हों तो फिर उसकी इमामत दुरुस्त है। (किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-673)

तोतले की इमामत

सवाल: एक तोतला आदमी बे पढ़े लिखे मुक्तदियों को नमाज़ पढ़ा रहा था। एक रकअत के बाद एक आलिम साहब नमाज़ के लिए आए वह जमाअत में शरीक हों या न हों?

जवाब: वह आलिम जो बाद में आया, अगर अपनी नमाज़ अलाहिदा पढ़े तो उसकी नमाज़ भी सहीह होगी और जो उम्मी पहले से नमाज़ पढ़ रहे थे उनकी भी

नमाज़ सहीह होगी, अगर वह आलिम उस तोतले के पीछे इक्तिदा करेगा तो फिर किसी की भी नमाज़ सहीह न होगी, न उस आलिम की और न उन उम्मियों की जो पहले से पढ़ रहे थे।

(फतावा दारुलउलूम ज़िल्द-3 सफ़हा-112, बहवाला रदुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-525)

तोतला बाज़ हरफ़ों के अदा करने पर कादिर नहीं इसलिए उसकी इमामत जाइज़ नहीं, मगर अपनी तरह के तोतलों का उस वक़्त इमाम बन सकता है जबकि क़ौम में कोई ऐसा शख़्स हाज़िर न हो जो उन हरफ़ों को अदा कर सके और अगर क़ौम में कोई शख़्स ऐसा मौजूद हो तो तोतले इमाम और सारी क़ौम की नमाज़ फ़ासिद होगी।

(फतावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-134)

लंगड़े की इमामत

लंगड़े की इमामत जाइज़ है मगर ऐसे शख़्स से उमूमन तबई इन्किबाज़ होता है। इसलिए मकरूहे तंज़ीही है, हाँ अगर वह साहबे इल्म व तक्वा हो और उससे लोगों को इन्किबाज़ न हो तो कराहते तंज़ीही भी नहीं।

(अहसनुलफतावा जिल्द-3 सफ़हा-318, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-525)

फतावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-177 में लिखा है कि ऐसा लंगड़ा जो पूरे तौर पर खड़ा न हो सकता हो। उसकी इमामत मकरूहे तंज़ीही है, अगर सहीह व सालिम शख़्स मसाइले नमाज़ से वाकिफ़ वहाँ मौजूद हो तो फिर

वही औला है, अगर दूसरा कोई शख्स ऐसा मौजूद न हो जो नमाज़ के मसाइल से वाकिफ़ हो और ये लंगड़ा उनसे वाकिफ़ हो तो फिर इमामत के लिए वही अफ़ज़ल है।

बहरे की इमामत

सवाल: जो शख्स बहरा हो और बिल्कुल न सुनता हो उसकी इमामत कैसी है?

जवाब: बहरा की इमामत दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जल्द-3 सफ़हा-182)

नमाज़ में सोने वाले की इमामत

नमाज़ में सोने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती और नमाज़ में कुछ खलल नहीं आता। अलबत्ता अगर कोई ग़लती किराअत में ऐसी करे जिससे मअना बदल जाएँ और वह ग़लती मुफ़सिदे नमाज़ हो तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। मगर इसमें सोने वाला और ग़ैर सोने वाला बराबर है।

तावीज़ गंडा करने वाले की इमामत

चूंकि आयाते कुरआनिया और अदईया मासूरा से तावीज़ गंडा करना दुरुस्त है। इसलिए ऐसा करने वाले की इमामत में कुछ कराहत नहीं, अलबत्ता इसमें झूट और इफ़ितरा परदाजी की ख़सलत मूजिबे फ़िस्क़ और मासियत है और ऐसे शख्स के पीछे नमाज़ मकरूह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-187, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-523)

गैर मख़तून की इमामत

सवाल: बगैर ख़तना हुए शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ना शरअन कैसा है?

जवाब: ख़तना सुन्नत है, जो शख्स बिला उज़्र उसको छोड़ दे वह तारिके सुन्नत है, अगर बावजूद कुदरत व वुसअत के बदन को गुस्ल व इस्तिन्जा कर के पाक नहीं रखता तब उसको इमाम हरगिज़ न बनाया जाए और अगर पाक रखता है तो फिर उसकी इमामत दुरुस्त है, नमाज़ उसके पीछे हो जाएगी। अगरचे इस तारिके सुन्नत के मुक़ाबिले में आलिमे सुन्नत की इमामत मुक़द्दम है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-98)

बशर्तेकि वह इत्तिफ़ाकी तौर पर गैर मख़तून रह गया हो, और ख़तना के सुन्नत होने का काइल हो।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-44)

माज़ूर की इमामत

ताहिर (पाक शख्स) को माज़ूर की इक्त्तदा किसी तरह जाइज़ नहीं, हाँ माज़ूर को ताहिर की इक्त्तदा जाइज़ है और एक माज़ूर की इक्त्तदा दूसरे माज़ूर को जाइज़ है बशर्तेकि दोनों एक ही उज़्र में मुब्तला हों, अगर दोनों का उज़्र अलाहिदा अलाहिदा है तो जाइज़ नहीं।

अगर इमाम शरई तौर पर माजूर नहीं है बल्कि इत्तिफाकिया तौर पर वह उज़्र कभी हो जाया करता है तो फिर उसकी इमामत दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-100)

नामर्द की इमामत

सवाल: (1) अगर कोई शख्स किसी वजह से नामर्द हो जाए तो उसकी इक्तिदा जाइज़ है या नहीं?

(2) शुरू पैदाईश ही से कोई शख्स अगर नामर्द हो तो उसकी इक्तिदा जाइज़ है या नहीं?

जवाब: (1) अगर कोई मानेअ न हो तो जाइज़ है।

(2) जाइज़ है बशर्तेकि ख़ुनसा न हो और ख़ुनसा की इमामत औरत के लिए जाइज़ है। मर्द के लिए नाजाइज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-101)

तवाइफ़ जादा की इमामत

सवाल: एक हाफ़िज़ साहब हैं। खुश इल्हान, नमाज़ रोज़ा के पाबंद और ख़लीक भी हैं। कुरआन शरीफ़ याद है लेकिन वलदुज़्ज़िना यानी एक तवाइफ़ के लड़के हैं क्या उनको इमाम बनाया जा सकता है। उनके पीछे फ़र्ज़ नमाज़ और तरावीह पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: अगर ये हाफ़िज़ साहब सालेह और नेक और मुआशरत के लिहाज़ से महफूज़ हैं तो उनके पीछे नमाज़ जाइज़ है, वलदुज़्ज़िना होना ऐसी सूरत में मूजिबे कराहत

नहीं। (किफ़ायतुलमुफती जिल्द-3 सफ़हा-64)

हमल साकित कराने वाले की इमामत

सवाल: एक शख्स ने कुंवारी लड़की से निकाह किया, दो माह बाद तशखीस कराई तो मालूम हुआ कि मनकूहा को पाँच छः माह का हमल हराम से है, तब उस हमल को बाईसे रुसवाई समझ कर क़स्दन साकित करा कर फिर दोबारा निकाह किया अब उसके पीछे नमाज़ जाइज़ है या नहीं?

जवाब: सूरते मसरूला में निकाह सहीह हो चुका था, हमल साकित करा कर दोबारा निकाह की ज़रूरत न थी अलबत्ता वज़्र हमल से पहले सोहबत करना दुरुस्त न था। लेकिन अगर ये हमल निकाह करने वाले ही का हो तो उसके लिए वज़्र हमल से पहले भी हमबिस्तरी दुरुस्त है, क़स्दन हमल को साकित करना, ऐसी सूरत में सख्त गुनाह है, अगर बावजूद इल्म के ऐसा किया है तो तौबा करना लाज़िम है, अगर तौबा न करे तो उसको इमाम न बनाया जाए, बशर्तकि दूसरा शख्स इमामत का अहल हो, और जब ये सिद्के दिल से तौबा कर ले तो इमाम बनाने में भी कोई मुज़ाएफ़ा नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-92)

गंडे दार नमाज़ पढ़ने वाले की इमामत

सवाल: ज़ैद को नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं, मगर

वह इमामत करने की लियाकत रखता है, तो अगर अहले मुहल्ला उसकी तनख्वाह मुकर्रर कर के उसको इमाम बना लें और वह इस लालच की वजह से इमाम बन जाए और नमाज़ का आदी हो जाए तो उसके पीछे नमाज़ पढ़नी जाइज़ है या नहीं?

अगर वह खुद बगैर तनख्वाह के इस नीयत से इमाम बन जाए कि लोग मेरी इज्जत करेंगे और नमाज़ का आदी हो जाए तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: जब तक नमाज़ का आदी नहीं था फ़ासिक था तो उसकी नमाज़ मकरूहे तहरीमी थी, जब तौबा कर के नमाज़ का आदी हो गया तो उसकी इमामत जाइज़ होगी, कुछ तनख्वाह मुकर्रर कर के इमामत करे या बिना तनख्वाह के दोनों हालतों में उसकी इमामत सहीह है।

रोहबानियत का सवाल तो वह अल्लाह तआला को मालूम है महज़ क़यास से उसकी नीयत को फ़ासिद कह कर उसकी इमामत को नाजाइज़ नहीं किया जा सकता।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-93)

नौमुस्लिमा के लड़के की इमामत

सवाल: नौमुस्लिमा का लड़का शरई अहकाम से बखूबी वाकिफ़ हो तो नमाज़ पढ़ा सकता है या नहीं?

जवाब: उसकी इमामत बिना कराहत सहीह है और जो शख्स ये कहता है कि उसके पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं, वह ग़लती पर है उसको मरअला मालूम नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-203, बहवाला
रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-520)

लुन्जे की इमामत

सवाल: जैद का बायाँ हाथ, बाजू से कटा हुआ है, कुरआन मजीद के कारी हैं, सुन्नत के मुताबिक़ उनकी दाढ़ी है और इल्मे फ़िक्ह में उनको वाकिफ़ीयत है, क्या उनके पीछे नमाज़ हो सकती है या नहीं? अगर हो सकती है तो नमाज़ में कराहत है या नहीं?

जवाब: चूँकि इस किसम के माजूर से तबअन नफ़रत होती है। नीज़ उसके लिए तहारते कामिला मुम्किन नहीं, इसलिए दूसरे सहीह इमाम की मौजूदगी में उसकी इमामत मकरूहे तंजीही है, अगर उससे ज़्यादा मुस्तहिक्के इमामत कोई शख्स मौजूद न हो तो कोई कराहत नहीं।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-269, बहवाला
रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-525)

खुन्सा की इमामत

सवाल: हिजड़े की इमामत दुरुस्त है या नहीं, और नमाज़ मुक्तादियों की होगी या नहीं?

जब कि ये हिजड़ा मुत्तबेअ सुन्नत व शरीअत हो और नमाज़ी व दीनदार हो और दाढ़ी भी शरीअत के मुवाफ़िक़ हो।

जवाब: अगर उस खुन्सा में मर्द की अलामतें ज़्यादा

हैं तो उसकी इमामत सहीह है और अगर ज़नाना अलामतें ज़्यादा या दोनों अलामतें बराबर हों तो उसका इमाम बनना सहीह नहीं, बल्कि हमजिन्स का भी इमाम नहीं बन सकता, अलबत्ता उसके पीछे औरतों की इक़िदा दुरुस्त है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-276, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-540)

ज़ेरे नाफ़ के बाल न बनाने वाले की इमामत

सवाल: अगर कोई शख्स मूए ज़ेरे नाफ़ बवज्हे कमज़ोरी के न बनाए उसके पीछे नमाज़ हो जाती है या नहीं?

जवाब: नमाज़ उसकी सहीह है और उसके पीछे नमाज़ हो जाती है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-177)

अगर मअकूल उज़्र न हो तो हर जुमा को साफ़ करना चाहिए और चालीस दिन से ज़्यादा छोड़े रखना मकरूहे तहरीमी है।

(रदुलमुहतार किताबुलहज़र जिल्द-5 सफ़हा-358)

पोपले की इमामत

सवाल: जिसके मुंह में एक भी दाँत न हो, जिसकी वजह से हुरूफ़ की अदाएंगी बराबर न हो, या जिसके पाँव की उंगलियाँ इधर उधर रहती हैं और अच्छा शख्स मिल सकता है तो इमामत कैसी है?

जवाब: सब सूरतों में नमाज़ हो जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि इमाम ऐसे शख्स को बनाएँ जिससे मुक्तदियों को नफ़रत न हो और वह इमामे सालेह नामज़ के मसाइल से वाकिफ़ हो और कुरआन शरीफ़ अच्छा पढ़ता हो। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-1 सफ़हा-122, रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-520 बाबुलइमामत)

मसनूई दाँत वाले की इमामत

मसनूई दाँत वाले की इमामत दुरुस्त है, इसलिए दाँत लगवाना, फ़ुक़हा ने दुरुस्त लिखा है, ख़्वाह चाँदी का ही क्यों न हो, बल्कि इमाम मुहम्मद (रह.) सोने का दाँत लगवाना भी दुरुस्त कहते हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-206, बहवाला रद्दुलमुहतार किताबुलहज़र जिल्द-5 सफ़हा-318)

कातिल की इमामत

सवाल: कातिल से किसास नहीं लिया गया, और न मक्तूल के वारसा से ख़ून मआफ़ कराया गया, कातिल ने फ़क़त तौबा कर ली, और हक्कुल एबादा अदा करने की जिम्मादारी उसके सर बाकी रही, जिसकी वजह से उसे फ़ासिक करार दिया जाएगा, या नहीं और उसके पीछे नमाज़ मकरूह होगी या नहीं?

जवाब: दुर्रेमुख्तार में है कि कातिल की सिर्फ़ तौबा व इस्तिग़फ़ार काफ़ी नहीं है, जब तक मक्तूल के वारिस

मआफ़ न कर दें। तफ़सील रहुलमुहतार बाबुलजिनायात जिल्द-1 सफ़हा-484 में मुलाहज़ा हो।

इससे इतनी बात मालूम हुई कि महज़ तौबा से क़त्ल का गुनाह मआफ़ न होगा और फ़ासिक़ रहेगा और नमाज़ उसके पीछे मकरूह होगी।

(फ़तावा दारुलउलूम ज़िल्द-3 सफ़हा-112)

औरतों का इमाम बनाना

सेहते इमाम के लिए एक शर्त (इमाम का) हकीकी मअनों में मर्द होना है, लिहाज़ा औरत और खुन्सा मुशिकल (यानी ऐसा मुखन्नस जिसकी जिन्स मुतअयन न की जा सके) का इमाम बनना जबकि उसके पीछे मर्द मुक्तदी हों, दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर औरतें मुक्तदी हों तो उनकी इमामत के लिए मर्द होना शर्त नहीं है बल्कि अगर कोई औरत अपनी जैसी औरतों या मुखन्नस की इमाम बने तो दुरुस्त है। (किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-653)

इमाम के आकिल होने की शर्त

सेहते इमाम की शराइत में से एक शर्त अक्ल है लिहाज़ा फ़ातिरुलअक्ल की इमामत, अगर उसको जुनून से इफ़ाका नहीं होता तो दुरुस्त न होगी, अलबत्ता अगर उसकी हालत ऐसी है कि कभी इफ़ाका हो जाता है और कभी जुनून लाहिक़ हो जाता है तो इफ़ाका की हालत में उसकी इमामत सहीह हागी, और जुनून की हालत में

बिलइत्तिफाक बातिल होगी।

(किताबुलफिक्ह जिल्द-1 सफहा-654)

ख्वाँदा शरख्स का अनपढ़ की इक़्तिदा करना

इमामत के सहीह होने की एक शर्त यह है कि अगर मुक्तदी ख्वाँदा है तो इमाम भी ख्वाँदा हो। नाख्वाँदा शरख्स का ख्वाँदा की इमामत करना सहीह नहीं है और (ख्वाँदा होने की) शर्त ये है कि इमाम इतनी किराअत से वाकिफ़ हो कि जिसके बग़ैर नमाज़ दुरुस्त नहीं हो सकती। पस अगर किसी गाँव का इमाम इतनी किराअत जानता है जिसके बग़ैर नमाज़ नहीं हो सकती तो तालीम याफ़ता के लिए जाइज़ है कि उसके पीछे नमाज़ पढ़ ले, लेकिन अगर वह उम्मी (क़तअन नाख्वाँदा) है तो उसके लिए अपने जैसे नाख्वाँदा का इमाम बनने के अलावा किसी और का इमाम बनना दुरुस्त नहीं है। क़तअ नज़र इसके कि कोई ख्वाँदा शरख्स उनके साथ शरीके जमाअत हो या न हो। (किताबुलफिक्ह जिल्द-1 सफहा-654)

इमामत के लिए सेहतमंद होने की शर्त

सेहते इमामत के लिए एक शर्त ये है कि इमाम किसी माजूरी में मुब्तला न हो (यानी कोई ऐसा मरज़ लाहिक़ न हो जिससे उसका शुमार शरई माजूरी में हो) मसलन सलसले बौल, यानी पेशाब का न रुकना। दाइमी पेचिश में मुब्तला होना। रियाह का मुसलसल ख़ारिज होते रहना

और नक्सरीर का जारी रहना वगैरा। पस अगर इमाम उनमें से किसी मरज़ में मुब्तला हो तो उसके लिए ऐसे अशखास की इमामत सहीह नहीं है जिनको ये मरज़ लाहिक न हो, लेकिन अपने जैसे माजूरो की इमामत जाइज़ है बशर्तेकि वह भी इमाम वाले मरज़ में मुब्तला हों।

अगर अमराज़ मुख्तलिफ़ हैं, मसलन एक पेशाब का मरीज़ है और दूसरे की नक्सरीर जारी है तो उनमें से एक के लिए दूसरे का इमाम बनना दुरुस्त नहीं।

(किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-655)

दौराने इहत निकाह पढ़ाने वाले की इमामत

सवाल: एक शख्स ने इहत के दिनों में निकाह पढ़ाया है उसकी इमामत कैसी है?

जवाब: अगर बावजूद इल्म के ऐसा निकाह पढ़ाया तो निकाह पढ़ाने वाला और उस निकाह में शरीक होने वाले और बावजूद कुदरत के उस निकाह को न रोकने वाले सब गुनहगार हुए, सब के जिम्मा तौबा अललएलान लाज़िम है, अगर उस शख्स से बेहतर इमामत के लाइक दूसरा आदमी मौजूद हो तो उस शख्स की इमामत कमरूह है, दूसरे को इमाम बनाना चाहिए ता वक़्ते कि यह शख्स तौबा न कर ले। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-114)

रिहन से फ़ायदा उठाने वाले की इमामत

शामी की तहकीक़ ये है कि नफ़ा उठाना मरहूना ज़मीन

से, सूद में दाखिल है और “كُلُّ قَرْضٍ جَرَنَقًا فَهُوَ رِبَاٌ” में दाखिल है, पस जो शख्स इस फेले हराम का मुरतकिब होगा वह आसी व फ़ासिक होगा और फ़ासिक के पीछे नमाज़ मकरूह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-111, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-533 बाबुलइमामत)

जमीन मरहूना का नफ़ा, मुरतहिन को लेना सहीह नहीं है कि सूद में दाखिल है और ऐसे शख्स को इमाम बनाना ममनूअ है, नमाज़ उसके पीछे अगरचे बकराहत अदा हो जाती है लेकिन मुस्तकिल दाइमी इमाम न बनाना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-122, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-523)

आक़ की इमामत

हदीस शरीफ़ में है “صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَ مَاجِرٍ” पस आक़ भी मुसलमान है काफ़िर नहीं, इसलिए नमाज़ उसके पीछे सहीह है, मगर मकरूह है, क्योंकि आके वालिदैन और आके उस्ताद फ़ासिक है और इमामत फ़ासिक की मकरूह है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-122, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-523)

कम तौलने वाले की इमामत

एसा शख्स इमाम बनाने के लाइक नहीं है, इस हालत

में उसके पीछे नमाज़ मकरूह है, मुहल्ला वालों को चाहिए कि उसको माजूल कर के किसी लाइक तर इमाम को इमाम बनाएँ।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-171, बहवाला रहुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-525)

सफ़ेद बाल उखड़वाने वाले की इमामत

सवाल: इमाम साहब अपनी दाढ़ी के सफ़ेद बाल उखड़वा देते हैं, उनके पीछे नमाज़ सहीह है या नहीं?

जवाब: ये फ़ेल अच्छा नहीं है, मकरूह है और नमाज़ उसके पीछे सहीह है, मगर ऐसा न करना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-201, बहवाला अबूदाऊद किताबुत्तरगीब सफ़हा-196)

मुरतकिबे कवाइर की इमामत

सवाल: एक इमाम साहब अक्सर मुहल्ले के लोगों के साथ ग़ीबत किया करते हैं, नीज़ बहुत बातों में झूट बोलना भी साबित हुआ, पाक औरत पर जिना की तोहमत लगाई, और भी बाज़ बातें नाकाबिले ज़िक्र हैं, क्या ऐसे आदमी को फ़ासिक कहा जाएगा या नहीं? इसके लिए शरई हुक्म क्या है?

जवाब: ग़ीबत करना, किसी पाक दामन पर तोहमत लगाना वग़ैरा गुनाहे कबीरा है, ऐसे उमूर का इरतिकाब करने वाला फ़ासिक है, और फ़ासिक की इमामत मकरूहे

तहरीमी है, अगर कोई बेहतर इमामत का अहल आदमी मौजूद हो तो उमूरे मजकूरा के मुरतकिब को इमाम न बनाना चाहिए। बल्कि दूसरे शख्स को इमाम बनाना चाहिए, अगर ये शख्स सिद्के दिल से तौबा कर ले और अपनी ऐसी हरकतों, से बाज़ आ जाए तो फिर उसकी इमामत भी मकरूह न होगी। बेहतर ये है कि शख्ससे मजूकूरा को मस्अला समझा कर और फ़ितना का अंदेशा जाहिर कर के तौबा करा दी जाए, अगर वह न माने और फ़ितना का अंदेशा हो तो उसको इमामत से अलाहिदा कर के किसी दूसरे बेहतर शख्स को इमाम मुकरर कर दिया जाए।

और अगर उसकी अलाहिदगी में फ़ितना और दुश्वारी हो तो किसी दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-3 सफ़हा-106, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-884)

बिला टोपी व अमामा वाले की इमामत

सवाल: एक इमाम साहब के सर पर न टोपी थी और न पगड़ी, सिर्फ़ एक चादर थी जो तमाम बदन पर ओढ़ रखी थी, एक मुक्तदी ने इमाम साहब से कहा कि इस तरह से नमाज़ मकरूह है।

इमाम साहब ने कहा मैं इसी तरह पढ़ाऊँगा। जिसकी मर्जी हो पढ़े और जिसकी मर्जी न हो न पढ़े इसके बारे में शरई हुक्म क्या है?

जवाब: नंगे सर नमाज़ पढ़ना और पढ़ाना जब कि

अमामा और टोपी मौजूद हो मकरूह है, मुअज्जज लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ताहम फ़रीज़ा सूरते मज़कूरा से अदा हो जाता है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-114)

जुन्बी की इमामत

सवाल: अगर कोई शख्स नापाकी की हालत में इमामत करे तो उसके लिए क्या हुक्म है?

जवाब: वह शख्स गुनाहे कबीरा का मुरतकिब है और सब नमाज़ियों की नमाज़ को भी ग़ारत करता है। अगर इस तरह नमाज़ पढ़ने से नमाज़ का इस्तिख़फ़ाफ़ मकसूद है तो ये कुफ़्र है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-76, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-55)

जाहिल चोर की इमामत

सवाल: ज़ैद इमाम है, सिर्फ़ हाफ़िज़ है, वह भी ग़लत पढ़ता है, और अगर मौका मिले तो चोरी भी कर लेता है। ग़स्साली उसका पेशा है, निकाहे साबिका पर दीगर निकाह करा देता है, मस्जिद में रहता है तो नमाज़ पढ़ लेता है, वरना कज़ा कर देता है, कौम को उससे नफ़रत है, उसके बारे में शरई हुक्म क्या है?

जवाब: अगर वाकई ये उमूर उसमें मौजूद हैं और उससे बेहतर इमामत का अहल आदमी मौजूद है तो

उसका इमाम बनाना मकरूहे तहरीमी है। बेहतर शख्स को इमाम बनाना चाहिए, अगर ये शख्स इन उमूर से तौबा कर ले और आइंदा ऐसी ममनूआत न करे नीज़ कुरआन शरीफ़ सहीह पढ़े तो उसकी इमामत मना नहीं है।
(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-105)

फ़ेशन परस्त की इमामत

सवाल: एक शख्स जिसके सर पर अंग्रेज़ी बाल, दाढ़ी ख़शख़शी हो, लिबास भी सालिहीन का न हो तो ऐसे शख्स का अज़ खुद इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़ा होना कैसा है?

जवाब: जिस शख्स के सर के बाल, दाढ़ी, लिबास, ख़िलाफ़े शर्अ हों उसको न दूसरे लोग इमाम बनाएँ न वह खुद इमामत के लिए मुसल्ले पर जाए। चूँकि ऐसा शख्स फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ को मुस्तक़िल इमाम बनाना मकरूहे तहरीमी है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-77, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-377)

अगर हाफ़िज़ (इमाम) अपनी कबीह आदतों के छोड़ देने का अहद करे तो इमामे तरावीह बना सकते हैं और अगर इनकार करे तो फिर ऐसा शख्स इमामत के मनसब के लाइक नहीं और इस वजह से अगर नमाज़ी उससे नराज़ हों तो उनकी नाराज़गी हक़ होगी। हदीस में है: "शरई सबब से अगर नमाज़ी इमाम से नाराज़ हों तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ मक़बूल नहीं होती।" अगर हाफ़िज़

अपने तर्ज जिन्दगी को बदलने के लिए तैयार हो तो उसको इमाम बनाया जा सकता है, वरना इमामत का मुकद्दस मनसब उसके सिपुर्द न किया जाए।

(फ़तावा रहीमिया सफ़हा-417, बहवाला दुर्रमुख्तार मअ शामी जिल्द-1 सफ़हा-522)

फ़ासिक की इमामत

सवाल: जैद एक जगह इमामत करता है, वह अफ़आले कबीहा में शिरकत करता है, मसलन नाच देखना, सीनेमा देखना, गंदे और फ़हश मज़ाक़ करना, दीन का मज़ाक़ उड़ाना वगैरा बगैरा, क्या ऐसे शख्स को इमाम बनाना और उसकी इक्त्तदा करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: ऐसे शख्स को इमाम बनाना जाइज़ नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-77, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-376)

बच्चे की इमामत

सहीह कौल ये है कि नाबलिग़ के पीछे बालिग़ को नफ़ल नमाज़ में भी इक्त्तदा करना सहीह नहीं अगर ऐसा कर लिया गया है तो नफ़ल का एआदा एहतियातन कर लिया जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-77)

फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-115 पर ये मसअला इस तरह है अहनाफ़ का सहीह मज़हब ये है कि नाबालिग़

की इक़्तिदा बालिग़ीन को फ़र्ज व नफ़ल किसी में दुरुस्त नहीं है। पस तरावीह भी नाबालिग़ के पीछे नहीं होगी, यही मज़हबे सहीह अहनाफ़ का है और बालिग़ पन्द्रह साल की उम्र में शुमार होगा, बशर्तकि इससे पहले कोई अलामतें बुलूग़ जाहिर न हुई, हो लिहाज़ा जब तक लड़का बालिग़ न हो जाए उसको इमाम न बनाया जाए।

वैसे बच्चा का नफ़लों में कुरआन शरीफ़ सुनते रहें, यानी वह लड़का नफ़ल की नीयत बाँध कर खड़ा हो जाए और सुनने वाले वैसे ही बैठ कर, उसका कुरआन शरीफ़ सुनते रहें और जब पन्द्रह साल का हो जाए तो इमामे तरावीह बना दें।

(बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-5 सफ़हा-539)

बच्चे की तरावीह सिर्फ़ नफ़ल है और बालिग़ की सुन्नते मुअक्कदा, दुसरे बच्चे की नफ़ल शुरू करने से भी वाजिब नहीं होती और बालिग़ पर वाजिब हो जाती है। पस बच्चे की नमाज़ ज़ईफ़ होगी, इस पर बालिग़ की क़वी नमाज़ की बिना करना ख़िलाफ़े उसूल होने के सबब जाइज़ नहीं रहेगी। (इमदादुलुफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-361)

फ़तावा महमूदिया में है कि नाबालिग़ को तरावीह के लिए इमाम बनाना दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता अगर वह नाबालिग़ों की इमामत करे तो जाइज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-350)

इमामत का मुस्तहिक

सवाल: ईद की नमाज़ के मुतअल्लिक़ मुसलमानों में

इख्तिलाफ़ हुआ, बाज़ कहते हैं के ईद की नमाज़ इमाम साहब जो हमेशा पढ़ाते हैं वह पढ़ाएँ, और बाज़ का इसरार हाफ़िज़ के लिए है और कहते हैं कि हाफ़िज़ के होते हुए इमाम साहब के पीछे नमाज़ नहीं होती, आख़िर कार नमाज़ इमाम साहब ने पढ़ाई और हाफ़िज़ साहब नीयत तोड़ कर चले गए। इस सूरत में क्या करना चाहिए?

जवाब: तफ़रिका मुसलमानों में बुरा है। नमाज़ हाफ़िज़ के पीछे भी हो जाती है और इमाम साहब के पीछे भी, नफ़सानियत बुरी है जो कोई नफ़सानियत से जमाअत से अलाहिदा हुआ, और नीयत तोड़ कर नमाज़ से चला गया, उसने बुरा किया और गुनाहगार हुआ, तौबा करे, और सब को बाहम इत्तिफ़ाक़ से रहना चाहिए, और इत्तिफ़ाक़ के साथ इमाम मुकर्रर करना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-92)

(काएदा ये है कि आलिम इमामत का ज़्यादा हक़दार है। बेहतर तो यही है कि मुत्तफ़िका तौर पर इमाम का इत्तिखाब हो ताकि कोई इख्तिलाफ़ राह न पा सके, लेकिन अगर इख्तिलाफ़ पैदा ही हो जाए तो कसरते राए पर फ़ैसला करना चाहिए, और फिर सब ही को अक्सरीयत का फ़ैसला तसलीम कर लेना चाहिए।)

इमामत में शैख़ व सैयद की तख़सीस नहीं

नमाज़ सब के पीछे हो जाती है, शैख़ व सैयद की तख़सीस नहीं है, शैख़ व सैयद की नमाज़ ग़ैर शैख़ व सैयद के पीछे हो जाती है, इमाम को इमामत का लाइक़

होना चाहिए, नसब की इसमें कुछ कैंद नहीं है, जो शरख्स नमाज़ के मसाइल से वाकिफ़ हो और मुत्तकी हो वह ही ज़्यादा हकदार इमामत का है, ख़्वाह सैयद हो, या दुकानदार हो, या बूढ़ा हो या जवान हो, ग़र्ज़ेकि कोई भी पेशा वाला हो। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-219, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-523)

जिस इमाम से बाज़ मुक्तदी नाराज़ हों उसकी इमामत

कुतुबे फ़िक्ह में है कि अगर इमाम में कोई नक्स ने हो तो मुक्तदियों की नराज़ी का असर नमाज़ में कुछ नहीं। इमाम की नमाज़ बिला कराहत दुरुस्त है और गुनाह मुक्तदियों पर है। और अगर इमाम में कुछ शरई नक्स हो और मुक्तदी इस वजह से नाखुश हों तो इमाम के ऊपर मुवाख़ज़ा है और इसका इमाम बनना मकरूह है।

अगर इमाम में कोई ख़लल या नक्स न हो और मुक्तदी बिला वजह उससे नाराज़ हों तो उसका गुनाह उन मुक्तदियों पर ही होगा। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-104, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-522)

ग़ैर सालेह औलाद वाले की इमामत

अगर कोई शरख्स खुद सालेह और लाइके इमामत हो तो उसकी इमामत में कुछ कराहत नहीं है, बल्कि अहक़क़ बिलइमामत है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-102)

जिस इमाम की बीवी साड़ी बँधती हो उसकी इमामत

पेश इमाम की इमामत में उससे कुछ कराहत नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-303)

लड़की की शादी पर रुपये लेने वाले की इमामत

लड़की के वालिदैन को शौहर से या शौहर के वालिदैन से कुछ रुपये लेने को फुक़हा ने रिशवत और हराम लिखा है, पस इस रुपये को वापस करना ज़रूरी है और तौबा उसकी यही है कि रुपये वापस कर दे, अगर रुपये वापस न किया तो फ़ासिक रहा और फ़ासिक की इमामत मकरूह है और फ़ासिक इमाम बनाने के लाइक नहीं है, उसके और उसके मुआविनीन के पीछे नमाज़ अगरचे हो जाती है लेकिन मकरूह होती है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-260, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-523 बाबुलइमामत)

मरिजद का माल अपनी ज़ात पर खर्च करने

वाले की इमामत

(मरिजद का माल अपनी ज़ात पर खर्च करना) ये सरीह ख़्यानत है, और ज़मान उसके जिम्मा लाज़िम है, और अगर वह इमाम तौबा न करे और ज़मान अदा न करे तो इमाम रखने के लाइक नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-178, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-523)

शीआ की इमामत

शीआ के पीछे सुन्नी की नमाज़ नहीं होती, चूंकि उनके बाज़ अक़ाएद ऐसे हैं जो मूजिबे कुफ़्र हैं, लिहाज़ा इस सूरत में नमाज़ का सहीह न होना अग्रे यकीनी है, और अगर शीआ ग़ाली न हो तब भी एहतियात लाज़िम है कि अक़ीदा अम्र मख़्फ़ी है और सब्बे शैख़ैन से जो इन्दलबअज़ कुफ़्र है और कज़फ़े आइशा (रज़ि.) से जो बिल इत्तिफ़ाक़ कुफ़्र है, कोई शीआ ख़ाली नहीं होता।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-302)

मोची, गुस्साल और नौमुस्लि की इमामत

मोची, गुस्साल और नौमुस्लिम के पीछे नमाज़ दुरुस्त है और महज़ इस वजह से उनकी इमामत में कुछ कराहत नहीं है, अलबत्ता अगर कोई दूसरी वजह कराहत की हो तो नमाज़ उनके पीछे मकरूह होगी, और बेहतर इमामत के लिए वह शख्स है जो मसाइले नमाज़ से वाकिफ़ हो और कुरआन शरीफ़ सहीह पढ़ता हो और सालेह हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-148, जिल्द-3 सफ़हा-160, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-541)

मुर्दा को गुस्ल देने और तजहीज़ व तकफ़ीन करने से इमामत में ख़राबी नहीं आती, लेकिन अहले मुहल्ला के

लिए निहायत बुरी और शर्म की बात है कि वह अपने इमाम से ऐसे काम लेते हैं जिनको खुद करना पसंद नहीं करते, बल्कि जिल्लत का काम समझते हैं, उनको चाहिए कि गुस्ले मैयत वगैरा में खुद भी हिस्सा लें, अगर न जानते हों तो इमाम से सीख लें, उसको जिल्लत का काम न समझें, क्योंकि मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफ़ायत है और सवाब का काम है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-42)

गैर मुकल्लिद की इमामत

सवाल: गैर मुकल्लिद के पीछे, मुकल्लिद मुक़तदी की नमाज़ हो जाती है या नहीं?

जवाब: गैर मुकल्लिद इमाम अगर रिआयत इस अम्र की करता है कि वह अम्र नमाज़ में न करे जिससे हनफी की नमाज़ फ़ासिद या मकरूह हो और मुतअस्सिब न हो तो इक्तिदा उसकी दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-308, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-526)

मुन्किरीन हदीस की इमामत

कादयानी फिरका जो कि हदीस का मुन्किर है वह काफ़िर है, उनके पीछे नमाज़ दुरुस्त नहीं है। और गैर मुकल्लिदों का फिरका जो कि अपने आपको अहले हदीस कहता है, वह भी दरहकीकत अहले हदीस नहीं हैं उनके

पीछे भी नमाज़ मकरूह है। इमाम आलिम हनफ़ी को मुकर्रर करना चाहिये। फिरका मुन्किरीने हदीस की इमामत भी दुरुस्त नहीं है, उलमा ने उनके काफ़िर होने का फ़तवा दे दिया है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-174 बहवाला आलमगीरी कशोरी बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-83)

गाना बजाने वाली के शौहर की इमामत

अगर इमाम अपनी औरतों के रोकने पर कादिर हों और फिर नहीं रोकते तो वह लोग गुनाहगार हैं। उनके ज़िम्मा वाजिब है कि औरतों को नाशाइस्ता और नाजाइज़ अफ़आल से मना करें। अगर वह रोकने पर कादिर नहीं या रोकते हैं लेकिन औरतें नहीं मानती तो फिर उन पर औरतों के उन अफ़आल का गुनाह नहीं और इस सूरत में उनकी इमामत में भी उससे कराहत नहीं आती, अलबत्ता अगर बावजूद कुदरत के नहीं रोकते, बल्कि औरतों के अफ़आले मज़कूरा (नाच, गाना वगैरा) को अच्छा समझते हैं तो उनकी इमामत मना है, बशर्तेकि दूसरा शख्स इमामत के लाइक उनसे बेहतर मौजूद हो, अगर मुक़ातआ करने से उनकी इसलाह की तवक्को हो तो मुक़ातआ करना मुनासिब है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-59)

नामहरमों से परदा न करने वाली के शौहर की इमामत

सवाल: (1) ज़ैद की बीवी अपने मामूँ और चचा के लड़के से परदा नहीं करती है बल्कि सामने आती है और

जैद उसको मना भी करता है, मगर सिर्फ़ ज़बान से मना करता है, कोई तशद्दुद नहीं करता तो जैद पर बीवी के परदा न करने का गुनाह होता है या नहीं और जैद के पीछे नमाज़ पढ़नी दुरुस्त है या मकरूह, और जैद को किस क़दर तशद्दुद करना चाहिए, अगर तशद्दुद करने से फ़साद का अंदेशा हो तो फिर भी तशद्दुद करे या नहीं?

(2) अगर जैद की बीवी और जैद का भाई उमर एक मकान में रहते हों, दूसरे घर में रहने की गुंजाइश न हो तो ऐसी सूरत में परदा की क्या सूरत होगी। अगर जैद की बीवी उमर से परदा न करे तो उसका गुनाह उमर को भी होगा या नहीं?

जवाब: चचा और मामूँ के लड़के से शरअन परदा ज़रूरी है, अगर जैद की बीवी उनसे परदा नहीं करती तो वह गुनहगार है और जैद को मना करना ज़रूरी है, अगर मना न करेगा तो गुनहगार होगा, जैद को तशद्दुद करना और अपनी बीवी को पदरा न करने पर शरअन मारना भी दुरुस्त है, अगर नाकाबिले बरदाश्त फ़साद का ख़्याल हो और इस वजह से जैद अपनी बीवी पर तशद्दुद न करे, और बिला तशद्दुद के वह न माने तो शरअन जैद पर गुनाह नहीं अब्वल सूरत में जैद की इमामत मकरूह है जबकि इससे बेहतर इमामत का अहल मौजूद हो, सानी सूरत में जैद की इमामत मकरूह नहीं।

(2) परदा हर हाल में ज़रूरी है, ख़्वाह अंदेशाए फ़साद हो या न हो, मगर शरीअत ने जिन मवाक़ेअ को मुस्तसना कर दिया है वह मुस्तसना हैं।

अगर वुसअत है तो जैद के जिम्मा अपनी बीवी के

लिए मुस्तकिल मकान का इंतजाम करना जरूरी है जिसमें उसका भाई वगैरा कोई न रहता हो, अगर वह परदा करने को कहता है और जैद की बीवी बावजूद कोशिश व फहमाईश के परदा नहीं करती तो उसका गुनाह जैद के जिम्मा नहीं होगा।

(फतावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-99, बहवाला खैरीया सफ़हा-118)

जिसकी औरत बेपरदा हो उसकी इमामत

अगर इमाम अपनी औरत को बेपरदगी से मना करता हो और उसके इस फ़ेल (बेपरदगी) से राजी न हो मगर औरत खाविन्द की बात न माने तो इमाम पर उसका मुवाख़ज़ा नहीं है और उसकी इमामत जाइज़ है।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-80)

अगर उस इमाम की बीवी शरई तौर पर परदा नहीं करती और वह बेपरदगी से नहीं रोकता, बल्कि उसके उस फ़ेल से खुश है और उससे बेहतर इमामत का अहल दूसरा शख्स मौजूद है तो ऐसी हालत में उसको इमाम बनाना मकरूह है। क्योंकि ऐसा शख्स शरअन फ़ासिक होता है, अगर वह (इमाम) बेपरदगी से रोकता है और बीवी नहीं मानती तो इमामत मकरूह नहीं।

(फतावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-45)

जिस इमाम की लड़कियाँ बेपरदा हों उसकी इमामत

सवाल: जिसने अपनी जवान लड़कियों को नामहरम

अशखास के यहाँ रख रखा हो और अगर उसको समझाया जाता है तो गुमराही के चंद अलफ़ाज़ ज़बान से अदा करता है। ऐसी शख्स की इमामत का क्या हुक्म है?

जवाब: नामहरम अशखास से परदा फ़र्ज है और नामहरम के साथ खलवत हराम है, पस अगर शख्स मज़कूर अपनी जवान लड़कियों को नामहरम से परदा कराने पर कादिर है लेकिन फिर भी नहीं कराता तो गुनहगार है, उसको अपने इस फ़ेल से बचना ज़रूरी है और अगर वह बाज़ न आए और उससे बेहतर इमामत का अहल मौजूद हो तो शख्स मज़कूर को इमाम न बनाया जाए, ऐसी हालत में उसकी इमामत मकरूह है और दूसरे अहल शख्स को इमाम बनाना चाहिए, और खास कर जब कि समझाने पर गुमराही के अलफ़ाज़ भी ज़बान से निकालता हो। ऐसी हालत में उसकी इमामत से ज़्यादा एहतेराज़ करना चाहिए। गो इन अलफ़ाज़ पर जब तक उनकी तअयीन न हो कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-101)

ज़िद में तलाक़ देने वाले की इमामत

सवाल: एक शख्स ने मौलवी आलिम हो कर अपनी औरत को महज़ इस वजह से तलाक़ दी कि मेरे बहनोई ने मेरी बहन को तलाक़ दी है, यानी एक की बहन दूसरे को ब्याही थी, जब पहले उसने मौलवी साहब की बहन को तलाक़ दे दी तो मौलवी साहब ने भी ज़िद में उसकी

बहन को तलाक़ दे दी है फिर अलावा अर्जीं महर खर्च नहीं देता तो ऐसे ज़ालिम के पीछे नमाज़ पढ़ना और सलाम व तआम का मआमला रखना कैसा है?

जवाब: जो लोग इस जुल्म या इससे बड़े जुल्म (हक्कुल्लाह या हक्कुलइबाद के तलफ़ करने में) मुलौवस न हों उनको चाहिए कि ऐसे शख्स को अपनी नमाज़ के लिए इमाम न तजवीज़ करें। सलाम तआम वगैरा तर्क करने से बेहतर यही है कि उनको इसलाह पर आमादा करें, वरना आज कल सलाम व तआम तर्क करने से इसलाह नहीं होती, बल्कि बसाओकात तबीअत में जिद पैदा हो जाती है। ख़ास कर अहले इल्म हज़रात जिनका किसी साहबे निस्बत बुजुर्ग से इसलाही तअल्लुक न हो और वह खुद फ़िक़रे इसलाह से ख़ारिज हों।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-78)

रुकूअ व सुजूद जल्द करने वाले की इमामत

सवाल: जो नमाज़ में इस क़दर जल्दी करे कि मुक्त्तदी तीन तस्बीह भी पूरी न कर सकें तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ का क्या हुक्म है?

जवाब: इतनी जल्दी करना मकरूह है इमाम को मुक्त्तदियों की रिआयत इस क़दर करनी चाहिए जिससे वह लोग भी कम अज़ कम तीन तीन मरतबा रुकूअ सज्दा में तस्बीहात कह लें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-108)

बिदाती की इमामत

सवाल: क्या बिदाती के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है? और क्या ऐसा शख्स इमामत के काबिल है?

जवाब: आज कल के फिरकए मुब्तादिआ के अकाइद हद्दे शिर्क तक पहुंचे हुए हैं, इसलिए उनके पीछे नमाज़ नहीं होती, अलबत्ता अगर कोई बिदाती, शिरकिया अकाइद न रखता हो बल्कि मुवहिहद हो, सिर्फ़ तीजा चालीसवाँ वगैरा जैसी बिदात में मुब्तला हो उसकी इमामत मकरूहे तहरीमी है।

कोई सहीहुलअकाइद इमाम मिल जाए तो बिदाती की इक्तिदा में नमाज़ न पढ़े वरना उसके पीछे पढ़ ले, जमाअत न छोड़े, बिदाती की इक्तिदा में पढ़ी हुई नमाज़ अगरचे मकरूहे तहरीमी है मगर वाजिबुलइअदा नहीं। ये ऐसे बिदाती का हुकम है जो मुशरिक न हो, शिरकिया अकाइद रखने वाले का हुकम लिखा है कि उसके पीछे नमाज़ कतअन नहीं होती।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-290)

मौददी अकाइद रखने वाले की इमामत

सवाल: जमाअते इस्लामी से तअल्लुक रखने वाले हाफ़िज़ साहब के पीछे कुरआन सुनना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: ऐसे शख्स की इमामत मकरूहे तहरीमी है, अगर फ़राइज़ में सहीहुलअकीदा इमाम मुयस्सर न हो तो

उसके पीछे पढ़ लें।

मगर तरावीह बहरकैफ उसकी इक्तिदा में न पढ़ें सहीह इमाम न मिले तो तन्हा पढ़ लें।

(अहसनुलफतावा जिल्द— 3 सफ़हा—291)

खिजाब लगाने वाले की इमामत

सवाल: जो हाफिज़ साहब दाढ़ी को खिजाब लागते हैं क्या वह तरावीह की नमाज़ पढ़ा सकते हैं?

जवाब: सियाह खिजाब लगाने वाला फ़ासिक़ है, लिहाज़ा ऐसे इमाम की इक्तिदा में तरावीह पढ़ना कमरुहे तहरीमी⁽¹⁾ है, सालेह इमाम न मिले तो तरावीह तन्हा पढ़ लें।

(अहसनुलफतावा जिल्द—3 सफ़हा—294)

सीनेमा देखने वाले की इमामत

सवाल: एक हाफिज़ साहब सीनेमा और नाटक देखने और नाच गाने के भी बहुत शौकीन हैं तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है?

जवाब: जो शख्स सीनेमा देखता हो, नाच गाने की महफ़िलों में शिरकत करता हो ऐसा शख्स मनसबे इमामत के काबिल नहीं है। उसके पीछे नमाज़ मकरुह है।

अगर तौबा न करे और इमामत भी न छोड़े तो दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़नी चाहिए, अगर दूसरी मस्जिद न

(1) सहीह कौल के मुताबिक़ मकरुहे तंजीही है।

हो तो तन्हा पढ़ने के बजाए उसी इमाम के पीछे पढ़ ले इसलिए कि जमाअत की अहमियत और ताकीद ज्यादा है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-348, बहवाला शामी बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-525)

टेलीवीज़न देखने वाले की इमामत

सवाल: क्या ऐसे इमाम की इक्तदा करना जो कि टेलीवीज़न देखता हो जाइज़ है?

जवाब: टेलीवीज़न देखना नाजाइज़ है और ऐसे इमाम की इक्तदा मकरूह तहरीमी है, मगर नमाज़ हो जाएगी, लौटाना ज़रूरी नहीं।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-288)

जिसके यहाँ शरई परदा न हो उसकी इमामत

सवाल: अगर इमाम साहब की बीवी परदा न करे तो उसकी इमामत जाइज़ है या नहीं?

जवाब: जिस शख्स के यहाँ शरई परदा का एहतेमाम न हो वह फ़ासिक है, उसको इमाम बनाना जाइज़ नहीं उसकी इमामत मकरूहे तहरीमी है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-289)

अगर इमाम अपनी औरत को बेपरदगी से मना करता हो और इस फ़ेल से राज़ी न हो, मगर औरत ख़ाविंद की बात न माने तो इमाम पर उसका मुवाख़ज़ा नहीं और उसकी इमामत जाइज़ है।

(किफायतुलमुफती जिल्द-3 सफ़हा-80)

ख़स्सी की इमामत

सवाल: जिस शख्स को जबरन ख़स्सी किया गया हो उसकी इमामत जाइज़ है या नहीं?

जवाब: ख़स्सी से तबअन कदरे इंक़िबाज़ होता है, इसलिए उसकी इमामत मकरूहे तंज़ीही है, अलबत्ता इससे ज़्यादा मुस्तहिक्के इमामत मौजूद हो तो कोई कराहत नहीं।
(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-286)

हिजड़े की इमामत

हिजड़ा जब आलिम बाअमल हो और बाकी सब जाहिल हों तो उसकी इमामत जाइज़ है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-173, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-523)

नस्बंदी कराने वाले की इमामत

मुकर्रम व मोहतरम जनाब मुफ़तियाने किराम दारुलउलूम, बाद सलामे मसनून!

मुन्दर्जा जैल सवालात के जवाबात मुदल्लल इनायत फरामाएँ:

(1) नस्बंदी कराने वाले इमाम के पीछे नमाज़ मकरूहे तनज़ीही है या तहरीमी?

(2) अगर इमाम की नस्बंदी ज़बरदस्ती कर दी गई, तो क्या हुक्म है?

(3) इमाम ने नस्बंदी खुद तो नहीं कराई, लेकिन अपनी बीवी की कराई तो उस इमाम के पीछे नमाज़ दुरुस्त है कि नहीं?

अलजवाब

(1) तौबा से पहले मकरूहे तहरीमी है और तौबा के बाद बिला कराहत दुरुस्त है।

(2) व (3) दोनों सूरतों में बाद तौबा व इस्तिगफ़ार उसकी इमामत बिल कराहत दुरुस्त है।

अलजवाब सहीहुन	वल्लाह तआला अलम
मुहम्मद ज़फीरुद्दीन गुफिरलहू	कफीलुरुहमान निशात उस्मानी
मुफ़्तिए दारुलउलूम देवबंद	नाइब मुफ़्तिए दारुलउलूम देवबंद

9-1-1408 हिजरी

नस्बंदी के बावजूद आदमी मर्द ही बाकी रहता है औरत या मुखन्नस के हुक्म में नहीं हो जाता। इसलिए इमामत के मसअले में भी उसके अहकाम आम मर्दों के हैं।

उसकी इमामत दुरुस्त और जाइज़ है, अगर उसकी नस्बंदी जबरन की गई है तो अब उसका कुसूर भी नहीं और अगर उसने अज़ खुद रज़ा और रग़बत से कराई हो तो मूजिबे फिस्क है।

तौबा और नदामत के बाद कराहत ख़त्म हो जाएगी, जब तक ताइब न हो, चूंकि नस्बंदी नाजाइज़ है और ख़लकिल्लाह में तबदीली है, उसके फ़ासिक होने के बाइस

उसकी इमामत मकरूह होगी।

(जदीद फिक्ही मसाइल सफ़हा-59)

दीवाने की इमामत

जुनून और दीवानगी ऐसी हो कि किसी वक़्त उसको होश न आए और ऐसी हालत में नमाज़ पढ़ाए तो उसके पीछे नमाज़ दुरुस्त नहीं, और अगर नमाज़ पढ़ाने के वक़्त होश में हो तो उसके पीछे नमाज़ सहीह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-301, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-604)

जिमाअ पर गैर क़ादिर की इमामत

सवाल: मुखन्नस इमाम नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई शख्स अमराज़ की वजह से नाकाबिले जिमाअ हो जाए तो ये शख्स इमाम हो सकता है या नहीं, जबकि जमाअत में यही शख्स साहबे फ़ज़्ल व कमाल है।

जवाब: इन्नीन यानी नामर्द की इमामत सहीह है, नामर्द का हुक्म खुन्सा का सा नहीं है, लिहाज़ा माज़ूर मज़कूर की इमामत सहीह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-200)

इसी मौका पर हाशिए में ये इबारत भी मौजूद है कि खन्सा की इमामत तो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उसके औरत होने का एहतेमाल होता है और इन्नीन (नामर्द) में इस तरह का कोई एहतेमाल नहीं होता।

वहम की वजह से इमामत छोड़े या नहीं?

सवाल: मैं अरसा से इमामत करता हूँ, अब मुझ को वहम सा होने लगा है कि वुजू टूट गया होगा, इस वजह से क़ल्ब के अन्दर ये तकाज़ा है कि इमामत से अलाहिदा हो जाऊँ, शरअन क्या हुक्म है?

जवाब: वहम पर कुछ कारबंद नहीं होना चाहिए और ऐसे वसवसे को दफ़ा करना चाहिए और "लाहौला वला कूव्वता इल्लाबिल्लाहि" अक्सर पढ़ते रहें और जब तक यकीन वुजू टूटने का न हो उस वक़्त तक कुछ इल्तिफ़ात इस तरफ़ न करना चाहिए और इमामत करना चाहिए।

हदीस शरीफ़ में ये आया है कि "जब तक हदस (रीह ख़ारिज होने) की आवाज़ या बदबू मालूम न हो उस वक़्त तक वुजू नहीं टूटता" (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-128, बहावाल मिशकात बाब मायूजिबुलवुजू)

जो नमाज़ें उसने पढ़ाई हैं अगर उनमें रियाह ख़ारिज होने का यकीन नहीं तो नमाज़ें सब की हो गईं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-334)

सूज़ाक वाले शरब की इमामत

सवाल: एक इमाम को मर्जे सूज़ाक है, धब्बा बराबर आता रहता है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ हो जाती है या नहीं?

जवाब: अगर वह शरब उज़ की हद को पहुंच गया

है और माजूर हो गया है कि हर वक्त धब्बा आता है कोई वक्त नमाज़ का खाली नहीं रहता है तो उसके पीछे नमाज़ ग़ैर माजूरीन की सहीह नहीं होगी, उसको इमाम न बनाया जाए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-309, बहवाला रदुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-541)

मुसाफिर की इमामत

सवाल: इमाम मुसाफिर अगर चार रकअत पूरी पढ़ ले तो मुक्तदी जो मुसाफिर नहीं, उनकी नमाज़ उसके पीछे सहीह होगी या नहीं?

जवाब: इमाम की आखिरी दो रकअत नफ़ल हैं, और मुक्तदी की फ़र्ज़, और फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक्तिदा नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे सहीह न होगी इसलिए मुक्तदियों की नमाज़ सहीह न होगी।

अलबत्ता अगर मुक्तदी आखिरी दो रकअतें अपने तौर पर पढ़ें, इमाम की इक्तिदा मलहूज़ न रखें तो उनकी नमाज़ सहीह हो जाएगी। (अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-364)

इनआमी बौंड रखने वाले की इमामत

सवाल: क्या ऐसा शख्स इमामत के लाइक है जो प्राइज़ बौंड रखे और उस पर इनआम की रकम वसूल करे, और इनआम सूदी रकम से तक्सीम होते हैं।

जवाब: इनआमी बौंड, सूद और कुमार का मजमूआ होने की वजह से हराम है, इसलिए इनआमी बौंड रखने

वाला फ़ासिक है और उसकी इमामत मकरूहे तहरीमी है।
(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-297)

नामहरम औरतों से हाथ मिलाने वाले की इमामत

सवाल: जो शरूख़ नामहरम औरतों से हाथ मिलाता है उसके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है?

जवाब: नामहरम औरतों से हाथ मिलाने वाला फ़ासिक है, इसलिए उसकी इमामत मकरूहे तहरीमी है।
(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-299)

बैंक मुलाज़िम की इमामत

सवाल: औकाफ़ के मुलाज़िम अइम्मा जिनकी दाढ़ी एक मुशत से कम है, नीज़ बैंक मुलाज़िम हुपफ़ाज़ व कुरा दाढ़ी ख़ोर की इमामत में नमाज़ हो जाएगी या नहीं?

जवाब: ये दाढ़ी ख़ोर बैंक में मुलाज़मत की वजह से सूद ख़ोर भी है, इन दो गुनाहों में से हर एक मूजिबे फ़िरक़ है, इसलिए उसकी इमामत मकरूहे तहरीमी है।
(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-303)

अबरस और जुज़ामी की इमामत

जिसको बरस हो और बरस भी मामूली न हो बल्कि बदन में फ़ैला हुआ हो और लोग उससे नफ़रत करते हों तो उसको इमाम बनाना मकरूह है।

जुज़ामी का दरजा तो इस मआमले में अबरस से बढ़ा हुआ है कि जुज़ाम अगर फैला हुआ हो और हर वक़्त टपकता हो तो ऐसे शख़्स को मस्जिद में आना मना है। इससे जमाअत भी साक़ित है और वह इमाम भी नहीं बनाया जा सकता। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-82, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-378 व बहवाला फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-441)

सूद ख़ोर की इमामत

सवाल: सूद ख़ोर और दाढ़ी मुंडवाने वाले के पीछे नमाज़ होगी या नहीं और उनको इमाम बनाना दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: ऐसे शख़्स को इमाम बनाना मकरूहे तहरीमी है उसके पीछे नमाज़ मकरूह होगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-82, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-376)

मुरतकिबे मकरूह की इमामत

सवाल: मकरूहात के मुरतकिब और सुन्नत व मुस्तहब्बात की पाबंदी न रखने वाले के पीछे नमाज़ कैसी होगी?

जवाब: मकरूह होगी। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-84, बहवाला तहतावी अला मराकियुलफ़लाह (मिस्री) सफ़हा-245)

कौवाली सुनने वाले की इमामत

अगर कोई इमामत का अहल दूसरा शख्स मौजूद हो तो कौवाली सुनने वाले और उर्स में शरीक होने वाले को इमाम नहीं बनाना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-84, बहवाला तहतावी (मिस्री) सफ़हा-245)

अगली पुरत में ख़राब नसब वाले की इमामत

अगर औलाद सालेह हो और क़ाबिले इमामत हो, मसलन ये कि आलिम हो, मसाइले शरीअत से वाकिफ़ हो तो उसके पीछे नमाज़ बिला कराहत सहीह है, बल्कि अफ़ज़ल है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-130, बहवाला गुनया सफ़हां-351)

मुत्तहम बिज़्जिना की इमामत

सवाल: एक औरत अपनी ज़बान से कहती है कि फ़लौं इमाम ने मेरे साथ जिना किया है और वह शख्स इनकार करता है, इसमें शरअन क्या हुक्म है?

जवाब: औरत के कहने से मर्द पर जिना का सुबूत नहीं हो सकता और उसकी इमामत में कुछ कराहत नहीं आती। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-118)

वलदुज्जिना की इमामत

वलदुज्जिना, वालिद के न होने की वजह से सहीह तरबियत याफ़ता नहीं होता है, नीज़ उससे तबअन इंकिबाज़ होता है, इसलिए उसकी इमामत मकरूहे तंज़ीही है। और अगर उसमें ये इल्लते कराहत न पाई जाए बल्कि वह आलिम, मुत्तकी हो तो कराहत बाकी न रहेगी, बल्कि दूसरों की निस्बत उसकी इमामत अफ़ज़ल है, और यही हुक्म दूसरे दीनी मनासिब का है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-295, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-523)

तवाईफ़ के घर परवरिशयाफ़ता बच्चा की इमामत

सवाल: एक बच्चा के वालिदैन बचपन में मर गए, उसने तवाईफ़ के घर परवरिश पाई। कुरआन शरीफ़ भी पढ़ लिया, वह इमामत कर सकता है या नहीं?

जवाब: वह लड़का जिसने तवाईफ़ के घर परवरिश पाई है अगर उसने कुरआन शरीफ़ पढ़ लिया है और मसाइले नमाज़ से वाकिफ़ है तो उसकी इमामत बिला कराहत दुरुस्त है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-191)

जानी ताइब की इमामत

जानी अगर ताइब हो जाए और पिछले अफ़आले शनीआ

से तौबा कर ले और अक्सर नमाजी उसकी इमामत से राजी हों तो उसको इमाम बनाना दुरुस्त है और उसकी इमामत में कुछ कराहत नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-193, बहवाला मिशकात शरीफ़ बाबुत्तौबा सफ़हा-206)

गैर शादी शुदा की इमामत

सवाल: बाज़ लोग कहते हैं कि जिसका निकाह न हो उसकी इमामत जाइज़ नहीं, जबकि इमाम साहब यूँ कहते हैं कि मैं इल्मे दीन हासिल कर रहा हूँ, फ़ारिग़ होने के बाद निकाह करूँगा। किसकी बात सहीह है? गैर शादी शुदा इमामत कर सकता है या नहीं?

जवाब: इमामत सहीह होने के लिए इमाम का शादी शुदा होना शर्त नहीं है अगर वह पाकबाज़ी की जिन्दगी गुज़ार रहा हो और इल्मे दीन हासिल करने में मशगूल हो और तालीम पूरी करके शादी के लिए कहता हो तो क्या बुरा है।

जो लोग ख़्वाहमख़ाह पीछे पड़े हैं और इमामत को नजाइज़ करार देते हैं वह ज़्यादती कर रहे हैं, अगर अभी शादी हो गई और तालीम रुक गई तो उसके हक़ में कितना बड़ा नुक़सान होगा, अलबत्ता तालीम पूरी होने की मुद्दत में गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो मुक्त्तदियों को चाहिए कि शादी का इतिज़ाम कर दें।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-6 सफ़हा-351)

अगर उस पर शहवत का ग़लबा नहीं तो उसके जिम्मे

शादी ज़रूरी नहीं और उससे उसकी इमामत में खलल नहीं आता, अलबत्ता अगर उस पर शहवत का ग़लबा है और ख़्यालात परागंदा रहते हैं तो बनिस्बत उसके ऐसे शख्स को इमाम बनाना अफ़ज़ल है जिसकी बीवी मौजूद है और ख़्यालात परागंदा नहीं रहते, बल्कि उसको हत्मीनान हासिल है और इमामत की अहलियत भी रखता है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-40)

जो शादी शुदा इमाम एक साल तक घर न जाए उसका हक़म

सवाल: हमारे इमाम साहब ढाई साल से इमामत कर रहे हैं और उनकी शादी को तीन साल हुए हैं एक साल से वह घर नहीं गए हैं, कुछ अन पढ़ लोग कहते हैं कि जो शादी शुदा इमाम एक साल तक अपने घर न जाए उसकी इमामत जाइज़ नहीं होती। यहाँ पर उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, सहीह क्या है?

जवाब: शादी शुदा मर्द अपनी औरत की इजाज़त और रज़ामंदी के बग़ैर चार माह से ज़्यादा मुदत दूर न रहे। (शामी जिल्द-2 सफ़हा-547)

उस इमाम की बीवी ने इजाज़त दी होगी, और मुलाज़मत की वजह से दूर रहने पर रज़ामंद होगी, लिहाज़ा उसके पीछे नमाज़ सहीह होने में शुब्हा न करना चाहिए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-357)

टख़नों से नीचा पाएजामा पहनने वाले की इमामत

सवाल: इमाम का पाएजामा टख़नों से नीचा है, सज्दा

में जाते वक्त दोनों हाथों से पाएजामा को ऊपर चढ़ा लेते हैं और फिर सज्दे में जाते हैं, ये फ़ेल नमाज़ में हर रकअत में बराबर जारी रहता है हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ें या नहीं?

जवाब: इमाम मज़कूर को ऐसा ना करना चाहिए क्योंकि अक्वल तो टख़नों से नीचा पाजामा नमाज़ से बाहर भी पहनना हराम और ममनूअ है। ये अम्र मूजिबे फ़िस्के इमाम है, और फ़ासिक के पीछे नमाज़ मकरूह है, और इमाम बनना फ़ासिक को तौबा के बग़ैर मकरूह है।

दूसरे नमाज़ में बार बार ऐसी हरकत करना भी नहीं चाहिए कि उसमें भी कराहत है और बाज़ सूरतों में नमाज़ के फ़ासिद होने का ख़ौफ़ है, बहरहाल इमाम मज़कूर को फ़ेले मज़कूर से रोकना चाहिए और अगर वह बाज़ न आए तो उसको माज़ूल कर देना चाहिए, और अगर उस पर कुदरत न हो तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है और जमाअत का सवाब हासिल हो जाता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-117, बहवाला रहुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-523)

पैट पहनने वाले की इमामत

सवाल: एक शख्स पैट पहन कर नमाज़ पढ़ाता है उसके लिए हुक्म क्या है। नमाज़ होती है या नहीं?

जवाब: नमाज़ हो जाएगी मगर ऐसे शख्स को अपने इख़्तियार से इमाम बनाना जाइज़ नहीं है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-318)

चौड़ा पाजामा पहनने वाले की इमामत

“उसके पीछे नमाज़ सहीह है” इसलिए कि चौड़े पाएँचे का पाजाम पहनना दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-130)

धोती पहन कर इमामत करना

सवाल: धोती और दो पल्ली टोपी और ऊँचा कुरता पहन कर इमामत करना दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: अगर सत्रे औरत (परदा पोशी) पूरा है तो नमाज़ हो जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि अमामा और लिबासे शरई के साथ नमाज़ पढ़ाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-166, बहवाला रदुलमुहतार बाब शुरुतुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-174)

शलवार व कमीज़ पहन कर इमामत

नमाज़ में अक्सर औकात टखने या पैर ढक जाते हैं मर्द को इतनी लम्बी शलवार पहनना कि जिससे टखने या पैर ढक जाएँ नाजाइज़ है और नमाज़ उससे मकरूह हो जाती है। नमाज़ में पैर या टखने न ढकें। कमीज़ पहनना जाइज़ है, लेकिन कुरता अफ़ज़ल है, हर जगह जो सुलहा का लिबास है वह इख़्तियार करना चाहिए। खुसूसन नमाज़ और इमामत के वक़्त।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-72)

सेहत के साथ न पढ़ने वाले की इमामत

सवाल: जो शख्स किराअत साफ़ सेहत के साथ न कर सके यानी अलिफ़ और अैन, ते और तो, से और सीन, जीम और हे और ज़ाद, ज़ाल, ज़े, ज़ो में फ़र्क न करे तो ऐसे इमाम की इक्तदार करनी दुरुस्त है या नहीं और अगर बाज़ लोग बस्ती वाले ऐसे इमाम को रखें तो उसका गुनाह इमाम पर या बस्ती वालों पर होगा?

जवाब: अगर उससे बेहतर मसाइल से वाकिफ़, कुरआन सहीह पढ़ने वाला, मुत्तबेअ सुन्नत हो तो उसको इमाम न बनाना चाहिए और इमाम मज़कूर को इमामत से अलाहिदा कर दिया जाए। बशर्तेकि उसमें फ़ितना न हो, अगर उससे बेहतर दूसरा शख्स इमामत के लाइक मौजूद न हो बल्कि सब उसी तरह पढ़ने वाले हों तो फिर उसकी इमामत में भी मुज़ाएका नहीं, लेकिन तसहीहे हुरूफ़ की कोशिश बहरहाल लाज़िम है जिसका तारिक गुनाह गार है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-74, बहवाला दुर्रेमुख्तार मअ रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-377)

रिशवत ख़ोर की इमामत

अगर उससे बेहतर इमाम मौजूद हो तो रिशवत ख़ोर को इमाम बनाना मकरूह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-74, बहवाला
रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-376)

तारिके जमाअत की इमामत

सवाल: तारिके जमाअत की इमामत जुमा व ईदैन में शरअन दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: जो शरअ बिला उज़्र तर्क जमाअत का आदी हो, उसको इमाम बनाना मकरूह तहरीमी है बहालते मजबूरी उसके पीछे जो नमाज़ अदा की जाएगी उसका इआदा लाज़िम नहीं होगा।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-70, बहवाला
रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-371 व बहवाला शामी
जिल्द-1 सफ़हा-376)

अहले हदीस की इमामत

सवाल: अहले हदीस के पीछे नमाज़ होगी या नहीं और ये अहले सुन्नत वलजमाअत में शामिल हैं या नहीं?

जवाब: अहले हदीस अगर अइम्मए मुजतहिदीन पर सब्ब व शत्म न करें और फ़राइज़ व वाजिबात में हनफी मसलक की रिआयत कर के नमाज़ पढ़ाएँ तो उनके पीछे नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। ऐसे अहले हदीस भी अहले सुन्नत वलजमाअत से अगल नहीं जोकि दियानतदारी से हदीस पर अमल करते हैं और फुकहा से बुग़ज़ नहीं रखते।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-71)

इज्जतानी की इमामत

सवाल: एक शख्स बरैलवी ख्याल का है, उसका अकीदा है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) आलिमुलगैब हैं और आप (स.अ.व.) मुख्तारे कुल हैं, नीज आप (स.अ.व.) हर जगह हाज़िर व नाज़िर हैं और ये शख्स एक मस्जिद में इमामत भी करता है, क्या उस शख्स के पीछे नमाज़ दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: ये सिफ़त अल्लाह तआला के लिए ख़ास है। हुजूर (स.अ.व.) के लिए इस सिफ़त को मानना बेदलील है, बल्कि ख़िलाफ़े नस्स है, इसलिए ऐसे शख्स को इमाम बनाना दुरुस्त नहीं। तमाम नमाज़ियों को चाहिए कि ऐसे शख्स को इमामत से हटा कर दूसरे सहीहुलअकीदा, मसाइले तहारत और नमाज़ से वाकिफ़, मुत्तबेअ सुन्नत आदमी को इमाम तजवीज़ करें वरना सब गुनहगार होंगे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-79, बहवाला दुर्रेमुख्तार मअ रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-376)

कम्यूनिष्ट पार्टी को वोट देने वाले की इमामत

सवाल: (1) कम्यूनिष्ट पार्टी का मिम्बर बनना और उसको कामियाब बनाने के लिए वोट देना जाइज़ है कि नहीं और वोट देने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है?

(2) ज़ैद कम्यूनिष्ट टिकट से टाउन ऐरिया का मिम्बर है और उसका हिमायती भी है उसके पीछे नमाज़ पढ़ना

कैसा है?

(3) बकर हाफिज़े कुरआन है, उसने कम्यूनिष्ट उम्मीदवार को कामियाब बनाने के लिए वोट भी दिया है उसके पीछे नमाज़े तरावीह पढ़ना कैसा है?

जवाब: कम्यूनिष्ट अपनी अस्ल के एतेबार से मज़हबे इस्लाम के मुखालिफ़ हैं और उनके उस बुनयादी नज़रिए की पाबंदी करते हुए उनकी पार्टी का मिम्बर बनना मज़हबे इस्लाम की मुखालफ़त करना है। उनको वोट देना, मज़हबे इस्लाम के मुखालिफ़ को वोट देना है, इस बात को समझते और एतिकाद करते हुए मिम्बर बनने वाले और उसको वोट देने वाले को इमाम बनाना दुरुस्त नहीं, बाज़ आदमी मज़हबे इस्लाम के मोअतकिद और पाबंद होकर भी बाज़ सियासी और वक्ती मसालेह की बिना पर कम्यूनिष्ट या किसी और मुखलिफ़े इस्लाम पार्टी के टिकट पर मिम्बर बनते हैं और उनकी इस मसलिहत के पेशे नज़र, सच्चे पक्के मुसलमान उनको वोट देते हैं, उनका यह हुक्म नहीं है, लेकिन इस रविश से एक मुखलिफ़े इस्लाम पार्टी को फ़रोग होकर इक्तदार हासिल होता है जिससे बहुत से लोगों को ग़लत फ़हमी पैदा होगी और कम्यूनिष्ट पार्टी को इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मुवाफ़िक़ समझेंगे, और जब ऐसे लोग मिम्बर बन जाएँगे तो वह कम्यूनिष्ट जिन्होंने उनको वाकिअतन कम्यूनिष्ट समझ कर वोट दिया है उनसे अपने वह मुतालबात पूरे कराएँगे जो इस्लाम मुखालिफ़ होंगे। और अगर ये उसमें कोशिश नहीं करेंगे तो वोट देने वाले उनको ग़द्दार और मक्कार करार देंगे और ये ग़द्दारी व

मक्कारी सब इस्लाम के सर रखी जाएगी और आइंदा न ऐसे मिम्बर पर कभी एतेमाद होगा और न ऐसे वोट देने वालों पर जो कम्यूनियष्ट पार्टी का सहारा लेकर एक मुसलमान को मिम्बर बनाएँ।

नीज ये अमल एक शरीफ़ आदमी कभी इख़्तियार नहीं कर सकता कि खुद मुसलमान हो और दुनिया को धोका देकर अपने आपको कम्यूनियष्ट जाहिर करे और वोट हासिल करे, ऐसे शख्स पर उसका ज़मीर इतिहाई मलामत करेगा, इस्लाम में ऐसे अमल की हरगिज़ इजाज़त नहीं।

नबी करीम (स.अ.व.) की ख़िदमत में हाज़िर होने वाले जो लोग ज़मीर के ख़िलाफ़ कहते और अमल करते थे उनकी सख्त मज़म्मत कुरआन पाक व हदीस शरीफ़ में आई है, ऐसे लोगों पर नबी करीम (स.अ.व.) को एतेमाद न था और न खुद उनकी पार्टी को। उन लोगों का हाल ये था। “مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هُوَ لَا وَلَا إِلَىٰ هُوَ لَا”

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-80)

गैर मुअज़्ज़ज की इमामत

सवाल: क्या इमामत का हक़ सिवाए मुअज़्ज़ज कौम के दूसरी कौम को हो सकता है, या नहीं? बाज़ ये कहते हैं कि सिर्फ़ मुन्दर्जा ज़ैल कौमों के आदमी नमाज़ पढ़ा सकते हैं। यानी सैयद, शौख, मुग़ल, पठान। और दूसरी कौम को इमामत का हक़ हासिल नहीं है। शरअन क्या हुक्म है।

जवाब: इमामत का इस्तेहकाक हर एक उस मुसलमान

को है जो अहलियत इमाम होने की रखता है फिर जिस कदर लवाजमाते इमामत मसलन मसाइले इल्मे तजवीद व किराअत और सलाह व तक्वा जिसमें ज्यादा होगा उसी कदर वह औला व अलयक बिलइमामत मुतसव्वर होगा। (यानी सब में ज्यादा मुस्तहिकं होगा) दर्रेमुख्तार वगैरा में है कि जिसमें अहलियत इमामत की हो वह इमाम हो सकता है।

इस हुकम में जुमला अक़वाम और अहले हिरफ़े बराबर हैं। (तमाम पेशा करने वाले और हर बिरादरी के लोग मुराद हैं) अलबत्ता अगर शराफ़ते इल्मी वगैरा के साथ शराफ़ते निस्बती (ख़ानदानी) भी हो मसलन वह कुरैशी हो, सैयद हो, या शैख़ हो, या अन्सारी हो, तो वह अफ़ज़ल होगा। बमुक़ाबला दूसरे हज़रात के “**نم الأشراف نسا**” का हामिल है।

उन लोगों का कौल जो ये कहते हैं कि सिवाए शैख़ व सैयद वगैरा के किसी के पीछे नमाज़ नहीं होती, ग़लत है। कोई कौम हो ख़्वाह सैयद या शैख़ या पठान वगैरा या नौर बाफ़ (जुलाहे) या नद्दाफ़ (रूई धुनने वाले) और हज्जाम (नाई) वगैरा जो लाइक इमामत के हैं। उनके पीछे नमाज़ सहीह है और उनमें ज्यादा इल्म व तक्वा व किराअत वालों को तरजीह दी जाएगी और अगर सब इल्म व तक्वा में और किराअत में बराबर हैं तो जो अशरफ़ है नसब के एतेबार से वह ज्यादा मुस्तहिक़क इमामत होगा।

अल्ला तआला के नज़दीक बुजुर्ग़ तर वह है जो मुत्तकी ज्यादा है जैसा कि कुरआन मजीद में है।

“**إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ**”

लेकिन बावजूद सआदत तव्वा के अगर शराफते निस्बती भी हो तो नूरुन अला नूर है लेकिन हकीर समझना किसी मुसलमान को और किसी पेशा वर को दुरुस्त नहीं है। "أما المؤمنون اخوة" (आम मुसलमान भाई हैं) को इस मौका पर ज़रूर याद रखना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-81, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-521)

सहीह मख़ारिज पर ग़ैर कादिर की इमामत

सवाल: एक इमाम साहब अच्छा पढ़ने वाले नहीं हैं, और कई हुरुफ़ समझ में नहीं आते, कुछ लोगों का ख़्याल है कि उनको इमामत से माजूल कर दिया जाए, वह ये कहते हैं कि मैंने चूँकि नये दाँत लगवाए हैं इसलिए तारों की वजह से आवाज़ भारी हो जाती है।

बाकी रहा इशकाल हुरुफ़ समझ में न आने का तो इमाम साहब का कहना है कि तमाम हुरुफ़ समझता हूँ, क्या उनकी इमामत दुरुस्त है?

जवाब: अगर ये इमाम हुरुफ़ को उनके मख़ारिज से सहीह तरह से अदा करता हो और करीब से सुनने वाले तमाम हुरुफ़ को बख़ूबी समझ भी सकें तो ये इमाम ज़्यादा हक़दार है इमामत का, उसको बरकरार रखना चाहिए, और अगर हुरुफ़ को सहीह तरीके से मख़ारिज से अदा करने की कदुरत न रखता हो, ख़्वाह ये अदमे कदुरत नये दाँतों की वजह से हो या और कोई सबब हो, और करीब से सुनने वाले तमाम हुरुफ़ को बख़ूबी साफ़

और वाज़ेह तौर पर न समझ सकें तो उसकी इमामत दुरुस्त नहीं।

(असंनुलफतावा जिल्द-3 सफ़हा-302)

अगर कुरआन. शरीफ़ ऐसा ग़लत पढ़ता है कि जिससे मअना बिगड़ जाते हैं तो उसके पीछे बिल्कुल अनपढ़ लोगों की जिनको तीन आयतें भी सहीह याद नहीं नमाज़ दुरुस्त है, और जिसको तीन आयतें सहीह याद हैं उनकी नमाज़ दुरुस्त नहीं, किसी सहीह पढ़ने वाले को इमाम बनाना चाहिए जिससे सब की नमाज़ दुरुस्त हो जाए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-39)

फ़र्ज पढ़ चुकने के बाद फिर फ़र्ज की इमामत

मस्अला ये है कि जिसने फ़र्ज पढ़ लिए हों वह फिर इमाम, फ़र्ज पढ़ने वालों का नहीं हो सकता, जिसने अपनी नमाज़े फ़र्ज तन्हा पढ़ ली तो फ़र्ज उसके अदा हो गए, अब उनको नफ़ल नहीं कर सकता, बल्कि अगर दोबारा उसी नमाज़ को पढ़ेगा तो वह नफ़ल होगी, और नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज पढ़ने वालों की नमाज़ नहीं होती।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-108, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-542)

ऐसे शरख की इमामत जिसके जिम्मा क़ज़ा नमाज़ हो

सवाल: ज़ैद साहबे तरतीब है, और एक मस्जिद में

इमाम है, इत्तिफाक से उसकी एक नमाज़ कज़ा हो गई दूसरी नमाज़ की जमाअत का वक़्त हो गया, मगर वह इससे पहले कज़ा नमाज़ नहीं पढ़ सका इसलिए ज़ैद ने उस वक़्त वक़्ती नमाज़ पढ़ा दी, और मज़ीद चार नमाज़ें गुज़रने के बाद कज़ा नमाज़ पढ़ ली, इस सूरत में मुक्त्तदियों की नमाज़ में तो कोई फ़साद नहीं आया?

जवाब: इस सूरत में मुक्त्तदियों को चाहिए कि वह इमाम को पहले कज़ा नमाज़ पढ़ने का मौक़ा दें इमाम को लाज़िम है कि इमामत न करे, बल्कि कोई दूसरा शख्स नमाज़ पढ़ाए, और ये कज़ा नमाज़ पढ़ने के बाद जमाअत में शरीक हो, इसी तरह ज़ैद ने नमाज़ पढ़ा दी तो उसकी नमाज़ की तरह मुक्त्तदियों की नमाज़ भी मौकूफ़ हो गई अगर फौत शुदा नमाज़ की कज़ा से पहले ऐसी पाँच नमाज़ों का वक़्त गुज़र गया कि उनकी अदाएगी के वक़्त कज़ा नमाज़ भी याद थी तो सब की नमाज़ें दुरुस्त हो गई। (रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-569) की इबारत से मालूम होता है कि इमाम के याद होने की सूरत में मुक्त्तदियों की नमाज़ का कोई अलग हुक्म नहीं ब्यान किया गया, इससे साबित हुआ कि इमाम की तरह मुक्त्तदियों की नमाज़ भी बिलआख़िर सहीह हो जाएगी क़ानूने तर्ब्दयत का मुक्त्तज़ा भी यही है।

मगर इमाम को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर उस दौरान में इमाम या मुक्त्तदियों में से किसी का इंतिकाल हो गया तो कज़ा रह जाने वाली नमाज़ों का अज़ाब इमाम पर होगा।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-304)

जिस इमाम के जिम्मा वित्र की कज़ा हो

सवाल: ज़ैद एक मस्जिद में इमाम है, आखिरे शब में आँख न खुलने की वजह से ज़ैद की वित्र कज़ा हो गई। ऐसे वक़्त बेदार हुआ कि फ़ज़्र की जमाअत का वक़्त करीब था। इसलिए वित्र की कज़ा पढ़े बग़ैर, फ़ज़्र की जमाअत पढ़ा दी, दूसरे दिन इशराक़ के वक़्त वित्र की कज़ा पढ़ी, तो मुक़्तदियों की नमाज़ें सहीह होंगी या नहीं? अगर दूसरे दिन फ़ज़्र से क़ब्ल वित्र की कज़ा पढ़ ले तो उसका क्या हुक़म है।

जवाब: इमाम की तरह मुक़्तदियों की नमाज़ें भी मौकूफ़ थीं। कज़ाए वित्र से क़ब्ल छः नमाज़ों का वक़्त गुजर जाने से सब की नमाज़ सहीह हो गई, बशर्तेकि उन नमाज़ों की अदाएगी के वक़्त कज़ा नमाज़ याद हो, अगर दूसरे रोज़ तुलूए आफ़ताब से क़ब्ल वित्र की कज़ा पढ़ लेता तो इमाम और मुक़्तदी सब की दरमियानी तमाम नमाज़ें बातिल हो जातीं।

तंबीह: इमाम को ऐसा करना जाइज़ नहीं, अगर इस दौरान में इमाम या किसी मुक़्तदी का इंतिक़ाल हो गया तो कज़ा रह जाने वाली नमाज़ों का अज़ाब इमाम पर होगा। (अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-305)

सुन्नते मुअक्कदा न पढ़ने वाले की इमामत

सवाल: अगर जमाअत से पहले सुन्नते मुअक्कदा

नहीं पढ़ सका तो इमाम हो सकता है या नहीं, और मुक्तदियों की नमाज़ में कुछ फर्क आएगा या नहीं?

जवाब: वह शख्स इमाम हो सकता है और मुक्तदियों की नमाज़ में कुछ कराहत और खलल न होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-96)

असनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-286 पर ये मसाला इस तरह है— “इमाम को वक़्ते मुतअयन की रिआयत रखना लाज़िम है इसलिए जमाअत के वक़्त से पहले सुन्नतों से फ़रागत का एहतेमाम करे, अगर कभी किसी उज़्र की वजह से ताख़ीर हो गई तो मुक्तदियों को चाहिए कि इमाम को सुन्नतें अदा करने का मौक़ा दें।

और अगर ऐसा नहीं किया गया और बग़ैर सुन्नतें अदा किये नमाज़ पढ़ा दी तो भी दुरुस्त है।

मुस्तकिल इमाम का हक़

सवाल: एक इमाम एक जगह इमामत पर मुतअयन है क्या उस जगह दूसरा शख्स जो उससे इल्म में ज़ाइद हो बिला इजाज़त इमामत कर सकता है या नहीं? अगर नहीं कर सकता तो बिला इजाज़त निकाह ख़्वानी किस तरह कर सकता है?

जवाब: अहादीस और रिवायाते फ़िक्हीया से ये साबित हो गया है कि जो शख्स इमाम किसी मुहल्ले का हो उसकी मौजूदगी में उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दूसरा इमाम न हो और निकाह ख़्वानी के लिए शारेअ अलैहिस्सलाम ने काज़ी निकाह ख़्वाँ को मुअयन और मुकर्रर नहीं किया

बल्कि ये काम औलिया के सिपुर्द किया है जिसकी तफसील फिक्रहा की किताबों में मौजूद है, पस निकाह ख्यानी को इमामत पर कयास करना सहीह नहीं है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-81, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-522)

मौजूदा इमाम की इजाजत जरूरी है

सवाल: एक मस्जिद में इमाम मुकर्रर है, उसकी मौजूदगी में उससे ज़्यादा अफ़ज़ल शख्स अगर आ जाता है तो मुक्तदी इमाम साहब की इजाजत के बग़ैर उसको इमाम बना लेते हैं ये फ़ेल जाइज़ है या नहीं?

जवाब: मस्जिद का जो इमाम मुकर्रर हो और उसमें इमामत की अहिलयत हो तो वह इमाम मुकर्रर रहे। दूसरे शख्स की निस्बत इमामत का ज़्यादा मुस्तहिक है, अगरचे दूसरा शख्स अफ़ज़ल व अज़लम व अकरा हो, लेकिन अगर चंद मुक्तदियों ने उस दूसरे शख्स को इमाम बना दिया तो उसमें भी कुछ हरज नहीं है। रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-522 में है कि अगर ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले को किसी मुक्तदी ने इमाम बना दिया है तो कोई मुज़ाइका नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि बग़ैर इजाजते इमाम मुअयन इमामत न की जाए।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-86)

नाइब इमाम की मौजूदगी में किसी और की इमामत

सवाल: मुहल्ला के इमाम साहब मौजूद नहीं, लेकिन

वह अपना नाइब किसी मुक्तदी को बना गए हैं, उस नाइब के होते हुए किसी दूसरे का इमामत करना कैसा है?

जवाब: नाइब इमाम के होते हुए दूसरे शख्स को खुद इमामत के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-77)

जरूरत के वक़्त बिला इजाज़त इमाम बनाना

सवाल: सुबह या अन्न की नमाज़ का वक़्त करीबुलख़त्म है और पेश इमाम साहब मौजूद नहीं, (नामूल जरूरत या सुस्ती की बिना पर वह मस्जिद में मौजूद नहीं) तो अब अगर मुक्तदियों ने किसी पढ़े लिखे को आगे बढ़ा दिया तो उसका बिला इजाज़ते इमाम, इमामत करना कैसा है?

जवाब: दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-82)

इमाम की इजाज़त मुक्तदी के लिए शर्त नहीं

सवाल: ज़ैद इमामे मस्जिद है। बकर से कहता है कि तुम हमारे पीछे नमाज़ न पढ़ना, तो क्या बकर ज़ैद के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं?

जवाब: ज़ैद के पीछे बकर नमाज़ पढ़ सकता है और नमाज़ सहीह है। ज़ैद की इजाज़त और हुक़्म की जरूरत नहीं है। बकर हर हाल में उसके पीछे नमाज़ पढ़ सकता है और ज़ैद का ये कहना बेजा और ख़िलाफ़े शरीअत था।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-148, बहवाला रदुलमुहतार बाब शुरुतुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-394)

क़उदए अरवीरह में इमाम फ़ौत हो गया तो क्या हक़्म है

“इस सूरत में नमाज़ बातिल हो जाएगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी।” (फ़तावा रहीमीया जिल्द-3 सफ़हा-38, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-588)

शाफ़ई इमाम की इतिबा इस्वतिलाफी मसाइल में

सवाल: (1) इमाम शाफ़ई-युल-मज़हब के पीछे हनफी मुक़्तदी को सूरए हज के सज्दए सानिया के वक़्त सज्दए तिलावत करना चाहिए या नहीं, नीज़ सूरए हज में शाफ़ई इमाम तो सज्दा न करेगा, मुक़्तदी उस वक़्त करे या बाद में या साकित हो गया?

(2) नीज़ हनफी इमाम के साथ फ़ज़्र में कुनूत पढ़े या नहीं अगर पढ़ लिया तो नमाज़ फ़ासिद तो न होगी?

(3) ईद में तकबीराते ज़ाएदा शाफ़ई इमाम के पीछे छः कहें या बवज़हे मुताबअते इमाम नौ, अगर नौ पढ़ें तो नमाज़ हुई या नहीं?

(4) अगर अस्र का वक़्त हनफीया के नज़दीक न हुआ हो और शाफ़ई इमाम इब्तिदाए वक़्त में अस्र पढ़े तो क्या हनफी इब्तिदा कर सकता है, अगर कर ली तो इआदा वाजिब होगा या नहीं?

जवाब: (1) इमाम की मुताबअत में सूरए हज का

सज्दा सानिया मुक्तदी को कर लेना चाहिए, (शामी जिल्द-1 सफ़हा-801) और सूरए साद का सज्दा इमाम न करे तो मुक्तदी को भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि सज्दाए सूरए (साद) मुख़तफ़ फ़ीह है और वजूबे इतिबाए इमाम मुत्तफ़क़ अलैहि (शामी जिल्द-1 सफ़हा-490) जब नमाज़ में सज्दा न किया तो बाद में भी न करेगा।

(2) मुक्तदी को ऐसी हालत में ख़ामोश खड़ा रहना चाहिए, अगर कुनूत पढ़ेगा तो मकरूह का मुत्तकिब होगा।

(दुर्रमुख़्तार जिल्द-1 सफ़हा-700)

(3) नौ तकबीरें इमाम की मुताबअत में कहने से नमाज़ में कोई ख़राबी न आएगी। (शामी जिल्द-1 सफ़हा-492)

(4) बेहतर ये है कि अस्त्र की नमाज़ मिसलैन से कब्ल न पढ़ी जाए, ताहम अगर किसी ने पढ़ी तो सहीह हो जाएगी। (कबीरी सफ़हा-225)

इमाम शाफ़युल मज़हब के मुत्तअल्लिक़ अगर वसूक़ हो कि वह हनफ़ीया के मज़हब की रिआयत करता है तो हनफ़ी को उसकी इक्त्तदा जाइज़ है।

अगर वसूक़ से मालूम है कि वह हनफ़ीया के मज़हब की रिआयत नहीं करता तो उसकी इक्त्तदा दुरुस्त नहीं, और अगर रिआयत और अदमे रिआयत कुछ मालूम नहीं तो इक्त्तदा मरूह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-95)

शाफ़ई और अहलेहदीस की इमामत

सवाल: हनफ़ी मसलक वाले की नमाज़ अहले हदीस

या शाफई इमाम के पीछे हो सकती है या नहीं?

जवाब: अगर ये यकीन हो कि इमाम नमाज़ के अरकान व शराइत में दूसरे मज़ाहिब की रिआयत करता है तो उसकी इक्तिदा में बिला कराहत जाइज़ है और अगर रिआयत न करने का यकीन हो तो उसके पीछे पढ़ी हुई नमाज़ सहीह न होगी, और जिस का हाल मालूम न हो उसकी इक्तिदा मकरूह है, आज कल के ग़ैर मुकल्लिदीन की अक्सरीयत यही नहीं कि रिआयते मज़ाहिब का ख्याल रखती है, बल्कि उसको ग़लत समझती है और अमदन उसके ख़िलाफ़ एहतेमाम करती है और उसको सवाब समझती है, इसलिए उनकी इक्तिदा से जहाँ तक मुम्किन हो एहतेराज़ लाज़िम है, मगर ज़रूरत के वक़्त उनके पीछे नमाज़ पढ़ ले जमाअत न छोड़े।

ये तफ़सील उस वक़्त है जबकि ये इमाम सहीहुलअकीदा हो, अगर उसका अकीदा फ़ासिद है, मुकल्लिदीन को मुशरिक जानता है और सब्बे सलफ़ करता है तो उसकी इमामत बहरहाल मकरूहे तहरीमी है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-282, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-526)

शाफई इमाम की इक्तिदा में रफ़एयदैन

सवाल: ज़ैद मज़हबन हनफी है। वह बाजमाअत नमाज़ एक ऐसे इमाम के पीछे पढ़ता है जो शाफई या हंबली है, लिहाज़ा ज़ैद न तो आमीन जोर से कहता है और न रफ़एयदैन करता है, चूंकि ये इमाम की इत्तिबा या तकलीद

न हुई तो ऐसी सूरात में ज़ैद की नमाज़ सहीह हुई या नहीं?

इसी तरह शाफ़ई हनफी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े और वह इमाम की इत्तिबा के खिलाफ़ रफ़एयदैन करे और आमीन जोर से कहे, इसकी क्या सूरात है?

जवाब: इन उमूर में इमाम की इत्तिबा लाज़िम नहीं। लिहाज़ा हनफी की नमाज़ शाफ़ई के पीछे और शाफ़ई की हनफी के पीछे दुरुस्त है, अहनाफ़ रफ़एयदैन न करें।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-316, बहवाला रद्दुलमुहत्तार जिल्द-1 सफ़हा-780)

हनफी मुक्त्तदी अगर शाफ़ई इमाम के पीछे ईद की नमाज़ पढ़े तो तकबीराते ईद में इत्तिबा शाफ़ई इमाम की करनी चाहिए, लेकिन शाफ़ई वग़ैरा इमाम की मुस्तक़िल तौर पर फ़ज्र में पढ़ी जाने वाली कुनूत रफ़एयदैन और नमाज़े जनाज़ा की चार से ज़ाइद तकबीर में इत्तिबा न की जाए कि वह मनसूख़ हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-273)

हनफी इमाम शाफ़ई मुक्त्तदियों की किस तरह इमामत करे

सवाल: मैं हनफीयुल मज़हब हूँ, शाफ़ई मज़हब के मक़तब में पढ़ाता हूँ, कभी कभी जेहरी नमाज़ पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं शाफ़ईयुल मज़हब के मुक्त्तदियों का लिहाज़ कर के सूरा फ़ातिहा के बाद इतनी देर ख़ामोश रहूँ जितनी देर में वह लोग जल्दी से सूरा फ़ातिहा पढ़ लें, फिर दूसरी सूरात शुरू कर दूँ तो इसमें कोई हरज है?

जवाब: हनफी इमाम के लिए इस तरह (सूरा फ़ातिहा

के बाद सूरत मिलाने में) ताखीर जाइज नहीं है, ममनूअ है, नमाज़ नाकिस और वाजिबुलआदा होगी, यानी दोबारा वह नमाज़ पढ़नी पड़ेगी।

सज्दए सहव भी काफ़ी न होगा। क्योंकि सूरते मसऊला में कसदन ताखीर की गई है ये सहव नहीं है क्योंकि जान बूझ कर किया है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-166)

हनफ़ी इमाम शवाफ़ेअ को ईद की नमाज़ पढ़ा सकता है मगर अपने तरीका पर पढ़ाए, मुक्तदियों को उसकी इत्तिबा करना होगी, और अगर मुक्तदी रज़ा मंद न हों तो उनमें से कोई इमाम बन जाए और हनफ़ी उसकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ लें और उनको इमाम की इत्तिबा में तकधीरें ज़्यादा कहनी होंगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-6 सफ़हा-359, बहवाला दुर्रेमुख्तार मअ शामी जिल्द-1 सफ़हा-780)

नापाक हालत में नमाज़ पढ़ा दी तो क्या हुक्म है

सवाल: अगर किसी इमाम ने हालते हदस या हालते जनाबत में नमाज़ पढ़ा दी तो उन नमाज़ों का क्या हुक्म होगा। जबकि ये याद न हो कि इस वक़्त कौन कौन नमाज़ी थे और किस को किस तरह इत्तिला दे?

जवाब: दुर्रेमुख्तार में है कि अगर इमाम ने हालते जनाबत में, हालते हदस में, नमाज़ पढ़ा दी तो उसको लाज़िम है कि मुक्तदियों को इत्तिला कर दे।

पस इमाम मज़कूर को चाहिए कि जहाँ तक हो सके,

जो जो मुक्तदियों में याद आ जाएँ उनको इत्िला कर दे कि फ़लाँ वक़्त की नमाज़ का एआदा कर लें, क्योंकि वह नमाज़ नहीं हुई थी और जो याद न आए उसकी नमाज़ हो गई। उसको इत्िला न होने में कुछ हरज नहीं है, अगर फिर कभी याद आ जाए तो उसको भी इत्िला कर दी जाए और खुद इमामे मज़कूर भी उस नमाज़ का एआदा करे और उस गुनाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे।

(फ़तावाँ दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-77, बहवाला दुर्रेमुख्तार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-553)

अरसए दराज़ तक इमामत के बाद इकरारे कुफ़्र

सवाल: एक शख्स मुद्त तक नमाज़ पढ़ाता रहा अब वह खुद अपने कुफ़्र का इकरार करता है और कहता है कि वह कुफ़्र की हालत में इमामत करता रहा है, क्या मुक्तदियों पर उस मुद्ते मदीदा की नमाज़ों का एआदा वाजिब है?

जवाब: अगर उसके कुफ़्र पर सिवाए इकरार के और कोई दलील नहीं तो उसको इकरार के वक़्त से मुरतद करार दिया जाएगा। गुज़शता ज़माने में उसकी इक्तिदा में पढ़ी गई नमाज़ें दुरुस्त हैं। (अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-279, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-554)

अरसा के बाद इमाम के काफ़िर होने का इल्म

सवाल: एक शख्स अरसए दराज़ तक इमामत करता

रहा अब करार्इन से पता चला कि वह काफ़िर है मगर खुद वह शख़्स काफ़िर होने का इकरार नहीं करता बल्कि अपने आपको मुसलमान कहता है। मगर लोगों को उसके क़ौल पर एतेमाद नहीं, बल्कि लोगों का ख़्याल ये है कि अपने को मुसलमान ज़ाहिर करता है। निफ़ाक़ की वजह से, तो क्या जितनी नमाज़ें उसकी इक्त्तदा में पढ़ी गईं उनका एआ़दा वाजिब है?

जवाब: अगर शवाहिद व करार्इन से उसके कुफ़्र का ज़न्ने ग़ालिब हो जाए तो उसके पीछे पढ़ी गईं नमाज़ों का एआ़दा फ़र्ज है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-279, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-553)

क्या तरावीह पढ़ाना इमाम की जिम्मादारी है?

सवाल: इमाम साहब पाँचों वक़्त नमाज़ पाबंदी से पढ़ाते हैं मगर तरावीह में सुनाने की आदत नहीं रही है। बाज़ कहते हैं तरावीह पढ़ाना इमाम की जिम्मादारी है। शरीअत का क्या हुक्म है?

जवाब: तरावीह में जब कि इमाम साहब कुरआन शरीफ़ सुनाने से आजिज़ और कासिर हैं तो “**أَلَمْ تَرَ كَيْفَ**” से पढ़ाने के जिम्मादार हैं।

अगर मुक्त्तदी हज़रात तरावीह में कुरआन शरीफ़ सुनने की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो उसका इतिज़ाम मुक्त्तदी हज़रात खुद करें इमाम साहब को मजबूर न करें।

लिवज़िहल्लाह तरावीह पढ़ाने वाला न मिल सके तो

किसी हाफिज़ को रमज़ान के लिए नाइब इमाम मुकर्रर कर लें। इशा वगैरा एक दो नमाज़ें उसके जिम्मे लाज़िम कर देनी चाहिए और वह तरावीह भी पढ़ाए तो उजरत देने की गुंजाईश निकल सकती है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-349)

तरावीह में इमामत का हक़

सवाल: बकर एक मस्जिद में इमाम मुकर्रर हुआ है और हाफिज़े कुरआन है, ज़ैद भी हाफिज़े कुरआन है और वह ज़मानए बर्इद से उस मस्जिद में तरावीह पढ़ाता था अब बकर कहता है कि मैं इमाम मुकर्रर हुआ हूँ। तरावीह पढ़ाने का हक़ मुझको है, ज़ैद कहता है कि मेरा कदीमी हक़ है तो किस को हक़ है?

जवाब: सूरते मस्क़ला में जबकि बकर इमाम मुकर्रर हो गया है तो तरावीह की भी इमामत का हक़ उसी को हासिल है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-282, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-22 बाबुलइमामत)

तरावीह में मुआवज़ा की शर्इ हैसियत

सवाल: रमज़ान शरीफ़ में ख़त्मे कुरआन शरीफ़ की गरज़ से हाफिज़ साहब का लेने देने की नीयत से सुनना सुनाना और बाद में लेना देना कैसा है? नीयत दोनों की लेने देने की होती है। बगैर इसके सुनता सुनाता नहीं है।

अगर किसी मस्जिद में कुरआन शरीफ न सुनाया जाए महज तरावीह पढ़ने पर इक्तिफा किया जाए तो वह लोग फज़ीलते कयामे रमज़ान से महरूम होंगे या नहीं?

जवाब: उजरत पर कुरआन शरीफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इसमें सवाब भी नहीं है और बहुक्म "अलमारुफ़ कलमशरूत" जिसकी नीयत लेने देने की है वह भी उजरत के हुक्म में है और नाजाइज़ है।

इस हालत में सिर्फ़ "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ" से तरावीह पढ़ना और उजरत का कुरआन शरीफ़ न सुनना बेहतर है और सिर्फ़ तरावीह अदा करने से कयामे रमज़ान की फज़ीलत हासिल हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-246, बहवाला रहुलमुहतार मब्हसे तरावीह जिल्द-1 सफ़हा-690)

इमामते तरावीह के लिए बुलूग शर्त है

मस्अला ये है कि अगर लड़के में और कोई अलामते बुलूग मसलन एहतिलाम व इंज़ाल न पाई जाए तो पूरे पन्द्रह साल होने पर शरअन बालिग़ समझा जाता है। पस जिस की उम्र यकुम रमज़ान शरीफ़ को चौदह साल ग्यारह माह की हुई। उसकी इमामत तरावीह और वित्र में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सहीह मज़हब इमाम अबूहनीफ़ा का यही है कि नाबालिग़ की इमामत फ़राइज़ व नवाफ़िल और वाजिब में दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता अगर कोई अलामत बुलूग की पाई जाए तो दुरुस्त है।

नीज़ चौदह साल की उम्र के लड़के के पीछे फ़राइज़

व तरावीह कुछ दुरुस्त नहीं, जबकि पूरे पन्द्रह बरस का न हो जाए, अलबत्ता चौदह साल की उम्र में बालिग होने के आसार पैदा हो चुके हों और वह भी कहे कि मैं बालिग हो चुका हूँ तो उसके पीछे दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-226, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-539)

माजूर हाफिज़ की इमामत

हाफिज़ साहब अगर उज़्र की वजह से बैठ कर तरावीह पढ़ाएँ और मुक्तदी हज़रात खड़े हों तो बाज़ फुक़हा ने कहा है कि सब की नमाज़ सहीह हो जाएगी, और बाज़ फुक़हा ने कहा है कि मुक्तदिया का बैठना मुस्तहब है ताकि इमाम की मुताबअत बाकी रहे, मुख़ालफ़त की सूरत न रहे (दोनों सूरतें जाइज़ हैं)

तरजुमा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-189)

जिसने इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी उसकी इमामत

सवाल: इशा की जमाअत हो गई। उसके बाद तरावीह की जमाअत होने लगी तो हाफिज़ साहब जिन्होंने अभी इशा के फ़र्ज़ अदा नहीं किए थे नमाज़े तरावीह पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और दो रकअत तरावीह पढ़ा दी मुक्तदियों में से बाज़ ने एतेराज़ किया तो हाफिज़ को हटा दिया गया, उसके बाद इमाम साहब की इक्तदा में बकिया तरावीह अदा की गई।

दरयाफ्त तलब अम्र ये है कि मुक्तदियों की पहली दो रकअतें सहीह हुई या नहीं अगर नहीं हुई तो क्या उनका एआदा जरूरी है?

जवाब: सूरते मस्कूला में तरावीह की दो रकअतें काबिले एआदा थीं, क्योंकि तरावीह इशा के बाद है पहले नहीं।

उसी वक्त एआदा कर लेना था और अगर एआदा नहीं किया गया तो बाद में सुबह सादिक से पहले तन्हा तन्हा पढ़ी जा सकती थी।

अब वक्त निकल गया उसकी कज़ा नहीं है, इस्तिगफार करें और उन दो रकअतों में जितना कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया था उसको लौटाया न गया हो तो दूसरे दिन लौटा लिया जाए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-385, बहवाला कबीरी सफ़हा-385)

वित्र की इमामत

वित्र की जमाअत का इमाम फ़र्ज नमाज़ के इमाम के अलावा हो सकता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-158)

ये जो मशहूर है कि जो शख्स फ़र्ज नमाज़ पढ़ाए वही वित्र पढ़ाए, अगर दूसरा शख्स वित्र पढ़ाए तो जाइज़ नहीं, ये ग़लत है। दूसरा शख्स वित्र पढ़ा सकता है दुरुस्त है। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-328)

ये सूरत जाइज़ है, तरावीह पढ़ाने वाला वित्र पढ़ा सकता है, जबकि वह बालिग़ हो, क्योंकि नाबालिग़ के

पीछे न तरावीह दुरुस्त है और न वित्र।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-192)

इमाम सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ाए और हाफ़िज़ वित्र

सवाल: इमाम साहब अगर इशा के फ़र्ज़ और वित्र पढ़ाएँ या सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ाएँ और हाफ़िज़ साहब तरावीह पढ़ाएँ तो क्या हुक्म है?

जवाब: इसमें मुज़ाएका नहीं, हज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्ज़ नमाज़ और वित्र पढ़ाते थे और हज़रत उबैय इब्न कअब (रज़ि.) तरावीह पढ़ाते थे। इसी तरह से इमाम सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ाए और हाफ़िज़ साहब तरावीह और वित्र पढ़ाएँ तो उसमें भी कोई हरज नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-394, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-74)

टेलीवीज़न से इमामत

नमाज़ कोई मशीनी अमल नहीं है बल्कि एक इबादत है जिसमें इंसान अपने पूरे वजूद, ज़ाहिरी और बतिनी कैफ़ियत, क़ल्ब व रूह व दिल व दिमाग़, ज़बान, आज़ा व जवारेह और हरकात व सकनात के साथ खुदा के हुज़ूर हाज़िर होता है, ये खुदा से हम कलामी और क़ल्ब के ख़ौफ़ व आजिज़ी से लबरेज़ होने का इज़हार और निशान होता है, इमाम जो कुछ बोलता है वह गोया ग़ायत दरजा एहतिराम व अदब और खुशूअ व खुजूअ के साथ अपने

मुक्तदियों की बात खुदा तक पहुचाने का काम करता है।

टेलीवीजन की इमामत में जो नमाज़ होगी वह महज़ एक मशीनी हरकत होगी। इसमें वह ख़ौफ़ व ख़शीयत, तवाजोअ व इनकिसारी, अदब व शाइस्तगी और ख़ौफ़ व रजा कहाँ हो सकता है, इसलिए फ़िक्ही नुक़तए नज़र से हट कर इबादत व बंदगी की रूह और उसकी शान व कैफ़ियत भी उसके मुगाएर है कि इंसान उन मसनूई कल पुरज़ों की इक्त्तदा में नमाज़ अदा करने लगे। फ़िक्ही एतेबार से "इक्त्तदा" सहीह होने के लिए ज़रूरी है कि इमाम व मुक्तदी के दरमियान शारेअ आम, बड़ी नहर, या किसी पुल वगैरा का फ़ासिला न हो, इतने फ़ासिले की मौजूदगी में इक्त्तदा दुरुस्त न होगी।

(फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-45)

यही हुक्म टेलीवीजन में भी है कि अगर अस्ल इमाम और मुक्तदियों के दरमियान सफ़ों के तसलसुल के बगैर इस क़दर फ़स्ल हो तो इक्त्तदा दुरुस्त न होगी और अगर बड़ा मजमा हो तो सफ़ों का तसलसुल भी काइम हो अलबत्ता नमाज़ गाह में आसानी और नक़ल व हरकत के अंदाज़ा के लिए मुख़्तलिफ़ जगह टेलीवीजन लगा दिए जाएँ तो नमाज़ हो जाएगी, लेकिन अमले कराहत से ख़ाली न होगा इसलिए कि टी० वी० की फ़िक्ही हैसियत से क़तअ नज़र नमाज़ के सामने इस तरह तसवीरों का आना बजाए खुद भी मकरूह है और इसलिए भी कि इससे खुशूअ मुतअस्सिर होगा। जहाँ तक नक़ल व हरकत की इत्तिला का मरअला है तो वह लाउड स्पीकर से भी मुम्किन है। (जदीद फ़िक्ही मसाइल सफ़हा-58)

टेप रिकार्ड से इमामत

टेप रिकार्ड से न इमामत दुरुस्त है और न अज़ान, इसलिए कि इमाम और मुअज़्ज़िन वही हो सकता है जो "नातिक" और "गोया" हो और टेप रिकार्ड में खुद गोयाई नहीं है, बल्कि एक बेइरादा गैर मुख्तार नक़ल करने का आला है जो किसी आवाज़ की नक़ल करता है। अज़ान व इमामत इबादत है जो क़ल्ब की कौफ़ियत के साथ अंजाम दी जाती है और टेप रिकार्ड एक जामिद और गैर हस्सास शय है जिसकी आवाज़ को इबादत नहीं कहा जा सकता। उसकी आवाज़ की हैसियत मुस्तक़िल "बोल" की नहीं होती है, बल्कि वह ताबेअ महज़ है।

यही वज़ह है कि अगर कोई शख्स टेप रिकार्ड पर तलाक़ देते हुए कहे कि मैंने तलाक़ दी है और उसको तीसरे दफ़ा बजाया जाए तो तलाक़ एक ही वाक़ेअ होगी उसकी तकरार की वज़ह से अस्ल तलाक़ में तकरार न होगा। कोई उसी तरह टेप पर हज़ार का इकरार करे और उसे बार बार बजाया जाए तो इकरार एक ही हज़ार का होगा, इसलिए कि उस आवाज़ की हैसियत ताबेअ की है।

लिहाज़्ज़ा इस तरह दी गई अज़ान और इमामत, अज़ान व इमामत न होगी, बल्कि महज़ उसका सौती और लफ़्ज़ी तकरार होगा, उसकी नज़ीर ये है कि फ़ुक़हा ने सिखाए हुए परिन्दों की आवाज़ और तिलावत को अस्ल तिलावत का दर्जा नहीं दिया है और इसी लिए उसकी वज़ह से सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होता।

(जदीद फ़िक्ही मसाइल सफ़हा-58, बहवाला फ़तावा हिन्दीया सफ़हा-68)

इमामत का सब से ज्यादा मुस्तहिक

हनफीया (रह.) के नजदीक इमामत का ज्यादा मुस्तहिक वह है जो नमाज़ के दुरुस्त या ना दुरुस्त होने के मसाइल को ज्यादा जानता हो, और खुले गुनाहों से बचता हो।

उसके बाद वह शख्स है जो कुरआन की तिलावत और तजवीद में बढ़ कर हो, उसके बाद वह जो इस्लाम लाने वालों में दूसरों पर मुक़द्दम हो ओर फिर वह जिसकी जिसमानी साख़्त बेहतर हो, फिर वह जिसकी सूरत सब से अच्छी हो, फिर वह जो ख़ानदान में सब से आला हो, फिर वह जिसका लिबास ज्यादा सुथरा हो। अगर इन तमाम उमूर में सब बराबर हों और इमामत के बारे में बाहमी निज़ाअ व झगड़ा हो तो कुरआ अंदाज़ी से काम लिया जाए वरना जिसे भी जी चाहे इमामत के लिए आगे कर दें। अगर लोग कुरआ अंदाज़ी पर राज़ी न हों तो जिसके हक़ में अक्सरीयत की राये हो उसे इमाम बना लिया जाए, अगर कभी अक्सरीयत ने ग़ैर मुस्तहिक को इमाम चुन लिया तो बुरा किया लेकिन गुनाह नहीं है। ये तमाम मसाइल उस सूरत में हैं जबकि कौम का कोई बादशाह या उस जगह का जहाँ लोग जमा हुए हैं मालिक या वज़ीफ़ा पाने वाला न हो वरना इमामत के लिए सब से मुक़द्दम सुलतान (बादशाह) है, फिर साहबे ख़ाना, इसी तरह किसी मस्जिद का मुक़र्रर शुदा इमाम।

अगर घर में मालिक और किराये दार दोनों हों तो ज्यादा हक किराये दार का है। अगर वह घर किसी औरत का हो तो हक्के इमामत उसी औरत का है लेकिन उस औरत पर वाजिब है कि वह इमामत के लिए किसी को अपना नाइब बना दे, क्योंकि औरत का इमाम बनना दुरुस्त नहीं है। (किताबुलफिक्ह जिल्द-1 सफ़हा-684)

इमामत का मसअला बड़ा अहम और अजीमुश्शान है इसलिए इमाम आला दरजा का मुत्तकी व परहेज़गार आलिम, आमिल, आकिल, अखलाके हमीदा से मुत्तसिफ़, हुस्ने किराअत से अच्छी तरह वाकिफ़, सहीहुलअकीदा तंदुरुस्त व वजीहुस्सूरत नमाज़ के मसाइल का जानने वाला, और ज़ाहिरी उयूब से पाक होना चाहिए। (मुसलमानों के इमाम की हैसियत फौज के कमान्डर से ज्यादा ही है और फौजी अफसर ज़ाहिरी औब वाला यानी अंधा, लूला, हाथ कटा, लंगड़ा, एक चश्म, बीमार अपाहिज वगैरा नहीं होता है।) नीज़ ये भी ज़रूरी है कि नमाज़ पढ़ने वालों ने इमाम को अपनी मर्जी और खुशी से इमामत के लिए मुकर्रर किया हो और उसकी इमामत को दिल व जान से कबूल करते हों।

इमामत के मकरूहात का ब्यान

(1) फ़ासिक का इमाम बनना मकरूह है, हाँ वह अपने जैसे का इमाम हो तो मकरूह नहीं है।

(2) बिदअती की इमामत मकरूह है, लेकिन बिदअत कुफ़ तक न पहुंची हो।

(3) इमाम का नमाज़ का तूल देना मकरूहे तहरीमी है। बजुज़ उस सूरत के जबकि कोई शख्स महदूद अशखास का इमाम हो और वह लोग तूल देने पर राजी हों, क्योंकि आँहजरत (स.अ.व.) का इरशाद है कि “مَنْ أَمَّ فَلْيُخَفِّفْ” (यानी जो इमाम हो वह नमाज़ मुख़त्सर करे)।

(4) नाबीना शख्स का इमाम बनना मकरूहे तंजीही है हाँ अगर वह सब में अफ़ज़ल हुआ तो मकरूह नहीं है। यही हुक्म वलदुज़िना (नाजाइज़ औलाद) का है।

(5) आलिम की मौजूदगी में बे इल्म का इमाम बनना, ख़्वाह देहात का हो या शहर का बाशिंदा।

(6) गोरी चिटी सूरत वाले बेरीश लड़के का इमाम बनना, अगरचे वह ज़्यादा इल्म रखता हो, मकरूहे तंजीही है, ये कराहत उस सूरत में है जबकि इमामत से कोई ख़राबी पैदा होने का अंदेशा हो, अगर ऐसा अंदेशा न हो तो कमरूह नहीं है।

(7) ऐसे शख्स का इमाम बनना जो बेवकूफ़ हो और भोंडा हो या फ़ालिज ज़दा या कोढ़ का मरीज़ हो जिसके बरस के दाग़ फैले हों, और जुज़ामी और अपाहिज को जो पूरे क़दमों पर खड़ा न हो सकता हो। नीज़ जिसका हाथ कटा हुआ हो इमाम बनना मकरूह है।

(8) उसकी इमामत भी मकरूह है जो उजरत ले कर लोगों की इमामत करे⁽¹⁾, अलबत्ता वक़फ़ करने वाले ने उसकी उजरत के लिए शर्त लगा दी हो तो उसकी इमामत

(1) मतअख़्ख़रीन फ़ुक़हाए ने इमामत की उजरत जाइज़ करार दी है, पस दौरे हाज़िर में ऐसे शख्स की इमामत बिला कराहत दुरुस्त है।

मकरूह नहीं है, क्योंकि इस सूरात में वह उजरत यक गोना सदका व इमदाद है।

(9) उस शख्स की इमामत मकरूह है जो फुरुई मसाइल में मुक्तदी के मसलक से इखतिलाफ रखता हो। बशर्तेकि इस अम्र का अंदेशा हो कि वह ऐसे इखतिलाफ की परवाह न करेगा जिससे नमाज़ या वुजू जाता रहता है। लेकिन इस अम्र में शक न हो बई तौर कि वह जानता हो कि उसे इखतिलाफ की परवाह है या ये कि उसे इस इखतिलाफ का इल्म ही नहीं तो इमामत मकरूह न होगी।

(10) इमाम का दूसरे तमाम मुक्तदियों से एक हाथ ज्यादा ऊँची जगह पर खड़ा होना मकरूह है। इससे कम ऊँची जगह हो तो मकरूह नहीं है, इसी तरह मुक्तदियों का भी इमाम से इतनी ऊँची जगह पर होना मकरूह है।

इन दोनों सूरातों में कराहत उसी हालत में होगी जब कि इमाम के साथ उसके खड़े होने की जगह पर कोई फर्द वाहिद भी शरीके जमाअत न हो, अगर एक शख्स या ज्यादा अशखास उसके साथ (उस जगह पर) खड़े हो जाएँ तो कराहत न रहेगी।

(11) उस शख्स का इमाम बनना मकरूह है जिसे लोग नापसंद करते हों और उसकी किसी दीनी खराबी के बाइस उसके पीछे नमाज़ पढ़ने से कतराते हों।

(12) नमाज़े जनाज़ा के सिवा औरतों की जमाअत मकरूहे तहरीमी है। अगर जनाज़ा की नमाज़ औरतें पढ़ाएँ तो इमाम औरत उनके दरमियान (सफ़ के अन्दर) खड़ी हो जैसे उन आदमियों की जमाअत जिनका सत्र

ढँका हुआ न हो। औरतों का जमाअत में हाज़िर होना मकरूह है ख़्वाह जुमा या ईद का दिन हो या रात को वअज़ हो, हाँ दिन में ज़रूरतन कहीं परदा के साथ आना जाना जाइज़ है जबकि किसी ख़राबी के पैदा होने का अंदेश न हो।

(13) इसी तरह मर्द के लिए औरतों का इमाम बनना मकरूह है, जबकि जमाअत वाले ऐसे घर में हों जहाँ उनके साथ मर्द मुक्त्तदी न हों या औरतें, इमाम की महरम जैसे माँ या बहन न हों।

(किताबुलफ़िक्ह अलल मज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-688)

(14) किसी ख़स्सी, ज़नख़े या नामर्द का इमामत के उहदा पर तकरूर किया जाना मकरूह है इसी तरह उसकी भी इमामत मकरूह है जिसकी बातों में औरतों का सा अंदाज़ हो, या जो नाजाइज़ औलाद हो, लेकिन ऐसे अशख़ास अगर मुकर्रर शुदा इमाम न हों तो उनकी इमामत मकरूह नहीं है।

(15) किसी गुलाम का इमाम मुकर्रर किया जाना मकरूह है।

(16) ग़ैर मख़्तून की इमामत मकरूहे तंजीही है इसी तरह उस शख़्स की इमामत जिसका हाल मालूम न हो कि नेकू कार है या बदकार है, या वह शख़्स जिसका नसब मालूम न हो।

(17) इमाम का मस्जिद की मेहराब में नफ़ल पढ़ना या मेहराब के अन्दर हैअते नमाज़ में महज़ बैठना मकरूह है।

(18) नाबीना शख़्स का इमाम बनना जाइज़ है ताहम

बीना अफज़ल है। (किताबुलफ़िक्ह सफ़हा-690)

लाउडस्पीकर (माइक) पर इमामत

लाउडस्पीकर के ज़रीए नमाज़ दुरुस्त है या नहीं? इब्तिदा में हिन्द और बैरुने हिन्द के उलमा के दरमियान इस मस्अला में इख़तिलाफ़ था। बाज़ हज़रात की राये थी कि लाउडस्पीकर की आवाज़ बिअैनिही इमाम की आवाज़ नहीं, बल्कि उस आवाज़ की बाज़ग़शत है, इस तरह उस आवाज़ पर मुक्त्तदियों की नक्ल व हरकत गोया इमाम के बजाए एक दूसरी आवाज़ की बिना पर होगी और ये बात जाइज़ नहीं है कि मुक्त्तदी इमाम के बजाए किसी और की आवाज़ पर नक्ल व हरकत शुरू कर दें।

इसके मुक़ाबिले में कुछ लोगों का ख़्याल था कि उसके बावजूद नमाज़ के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सहीह है और शरीअत में उसकी नज़ीर मौजूद है, कि नमाज़ के बाहर के एक शख्स की तलकीन पर नमाज़ियों ने नक्ल व हरकत की। चुनांचे जब बैतुलमुक़द्दस के बजाए ख़ानए कअबा को किबला बनाया गया और मदीना के मुजाफ़ात की बाज़ मसाजिद में जहाँ बैतुलमुक़द्दस ही की तरफ़ रुख़ कर के लोग नमाज़ अदा कर रहे थे। किबला की तबदीली की इत्तिला एक शख्स ने दी और सभों ने अपना रुख़ बदल लिया। ज़ाहिर है ये नक्ल व हरकत एक ऐसे शख्स की आवाज़ पर अमल में आई जो नमाज़ से बाहर था।

अब ये बात पायए तहकीक़ को पहुंच चुकी है कि लाउडस्पीकर की आवाज़ इमाम की आवाज़ की नक्ल

और उसका चरबा नहीं है, बल्कि बिअैनिही इमाम की वही आवाज़ है जो उसकी ज़बान से निकलती है इस तरह अब लाउडस्पीकर से नमाज़ व इमामत के जवाज़ पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ हो चुका है। बाज़ उलमा इसके इस्तेमाल में एक गूना कराहत समझते हैं और नागुज़ीर ज़रूरत ही पर उससे काम लेने को दुरुस्त समझते हैं। उनकी दलील ये है कि फ़ुक़हा ने बिला ज़रूरत इमाम की आवाज़ को तक़वियत देने वाले "मुकब्बिरीन" के तक़रूर को मकरूह और बिदअत करार दिया है लिहाज़ा यही हुक्म लाउडस्पीकर का भी होगा। मगर ये इस्तिदलाल काबिले ग़ौर है कि मुकब्बिरीन की आवाज़ बिअैनिही इमाम की आवाज़ नहीं होती, जबकि लाउडस्पीकर (माइक) की आवाज़ का बिअैनिही इमाम की आवाज़ होना साबित हो चुका है। फिर उन दोनों को एक दर्जा क्योंकर दिया जा सकता है। हाँ ये ज़रूर है कि लाउडस्पीकर को हसबे ज़रूरत और इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि उसकी आवाज़ मुनासिब हुदूद और मस्जिद में रहे। जैसा कि आज कल ये बात मुम्किन हो गई है।

(जदीद फ़िक्ही मसाइल सफ़हा-57)

इमाम जुमा के लिए बाहर जाए या जुहर की इमामत करे?

सवाल: गाँव के इमाम साहब जुमा के दिन दूसरे क़स्बा या शहर वगैरा में जुमा पढ़ने के लिए चले जाते हैं इमाम को अपने गाँव में जमाअते जुहर करनी बेहतर है या दूसरी जगह जुमा पढ़ना? इस हदीस का मतलब क्या

है? कि "जिसने तीन या चार जुमा तर्क किए गोया उसने इस्लाम को पीठ दिखलाई।"

जवाब: इस हदीस शरीफ में वर्ईद तर्क जुमा पर आती है, उसका मतलब तो ये है कि जिस जगह जुमा फर्ज हुआ और फिर कोई शख्स जान बूझ कर बिला उज्र तर्क करे तो उसके लिए ये वर्ईद है और छोटे गाँव में जुमा फर्ज नहीं है और जुमा वहाँ अदा नहीं होता, वहाँ ये वर्ईद और ये हुक्म नहीं है, बल्कि उनके लिए ये हुक्म है कि उनको गाँव में जुहर बा जमाअत अदा करनी चाहिए।

लेकिन अगर कोई शख्स कस्बा या शहर में जाकर जुमा पढ़े तो सवाब की बात है और जो शख्स कस्बा या शहर में न जाए वह गाँव में जुहर की नमाज पढ़े उसको उस कस्बा या शहर में जाकर जुमा न पढ़ने से कुछ गुनाह न होगा। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-93, बहवाला आलमगीरी मिस्री बाब फिलजुमुआ जिल्द-1 सफ़हा-136)

इमाम, जुमा में किराअत तबील करे या खुत्बा

खुत्बा मुख्तसर होना चाहिए और किराअत, सुन्नत के मुवाफ़िक़ होनी चाहिए। जैसे सूरए "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" वगैरा (फतावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-92, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलजुमुआ जिल्द-1 सफ़हा-758)

इमाम का खुत्बा की हालत में किसी की ताजीम करना

सवाल: इमाम ने खुत्बा की हालत में खुत्बा बंद कर

के किसी की ताजीम की और उसको मिम्बर पर चिढ़ा दिया फिर बाकी खुत्बा अदा नहीं किया तो नमाज़ हुई या नहीं?

जवाब: नमाज़ हो गई मगर आइंदा ऐसा न करना चाहिए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-94, बहवाला रहुलमुहतार बाबुलजुमुआ जिल्द-1 सफ़हा-758)

इमाम व खतीब की अदमे मौजूदगी का हुकम

सवाल: (1) नमाज़ और खुत्बा में मुकर्ररा वक़्त पर इमाम साहब और नाईब साहब हाज़िर न हों तो क्या आधा घन्टा इतिज़ार के बाद मुतवल्ली साहब किसी दूसरे को इमाम बना सकते हैं?

(2) दूसरा शख्स नमाज़ पढ़ा सकता है या नहीं वह नमाज़ सहीह होगी या नहीं?

(3) खतीब साहब अक्सर पंजवक़ता नमाज़ में ग़ैर हाज़िर रहते हैं और तिजारत करते हैं। उनके पीछे नमाज़ दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: (1) (2) बन सकते हैं और दूसरा शख्स नमाज़ पढ़ा सकता है और वह नमाज़ सहीह है।

(3) नमाज़ दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-131)

मिम्बर के दरजात की तादाद

हुज़ूर अकरम (स.अ.व.) के मिम्बर के तीन दरजे थे,

उसकी मुवाफ़क़त औला है और कमी व ज़्यादाती भी जाइज़ है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-120)

क्या इमाम का मिम्बर पर खड़ा होना जरूरी है

मिम्बर पर खड़े हो कर खुत्बा पढ़ना सुन्नत है, हुजूर अकरम (स.अ.व.) और हज़राते खुलफ़ाए राशिदीन (रजि.) का यही मअमूल था।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-125, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-770)

मिम्बर के किस जीना पर ख़ुत्बा दे?

इसमें शरअन कुछ तहदीद नहीं है, जौन से दर्जे (सीढ़ी) पर खड़ा हो जाए जाइज़ है और सुन्नत मिम्बर चढ़ने की अदा हो जाएगी।

पस इससे ज़्यादा की कुछ कैद शरअन नहीं है, दूसरे या तीसरे जिस दरजा पर खड़ा हो जाए दुरुस्त है इसमें कुछ सूए अदबी किसी की नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-116, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलजुमा जिल्द-1 सफ़हा-770)

ख़ुत्बा में अफ़राद की शर्त

सवाल: (1) अगर इमाम ने तन्हा ख़ुत्बा पढ़ा या सिर्फ़

औरतों और बच्चों के सामने खुत्बा पढ़ा तो ये जाइज़ है या नहीं?

(2) अगर एक या दो अफ़राद के सामने खुत्बा पढ़े और तीन या ज़्यादा आदमियों के साथ नमाज़ पढ़े तो दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: जाइज़ नहीं, क्योंकि जुमा के खुत्बा के लिए इमाम के अलावा कम अज़ कम तीन मर्दों का होना ज़रूरी है जिनसे जमाअत काइम हो सके।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-223)

इमाम का असा लेकर खुत्बा देना

इससे मुतअल्लिक इबाराते फ़िक्हीया मुख़ालिफ़ हैं। सूरते तत्बीक़ ये है कि फ़ी नफ़िसही सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा है मगर उसका इल्तिज़ाम व इस्तिमरार मकरूह व बिदअत है।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-142)

तत्बीक़ की ये सूरत हो सकती है कि ज़रूरत हो तो छड़ी हाथ में रख ले, कुछ हरज नहीं है और अगर ज़रूरत न हो तो न ले।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-66, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलजुमुआ जिल्द-1 सफ़हा-773)

असा हाथ में लेकर खुत्बा पढ़ना साबित तो है लेकिन बग़ैर असा के खुत्बा पढ़ना इससे ज़्यादा साबित है पस हुक्म ये है कि असा हाथ में लेना भी जाइज़ है और न लेना बेहतर है, और हनफ़ीया ने इसी को इख़तियार किया

है पस इसको ज़रूरी समझना और न लेने वाले को तअन व तशनीअ करना दुरुस्त नहीं, इसी तरह लेने वाले को भी मलामत करना दुरुस्त नहीं है।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-214)

अजाने ख़ुत्बा का हुक्म

पहली सफ़ की क़ैद तो कहीं नहीं मिलती, अलबत्ता कुतुबे फ़िक्ह के अलफ़ाज़ "أَمَامَ الْمُنْبَرِ، عِنْدَ الْمُنْبَرِ اور بَيْنَ يَدَيِ الْمُنْبَرِ" से साबित होता है कि ये अज़ान मिम्बर के सामने और करीब होनी चाहिए। मिम्बर से करीब होने का मतलब ये नहीं कि सफ़े अव्वल ही में हो।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-126, बहवाला जामेउलरुमूज़ जिल्द-1 सफ़हा-18)

क्या इमाम इक़ामत से पहले मसअला बता सकता है

सवाल: इक़ामत से पहले इमाम के लिए कोई मसअला ब्यान करना या वअज़ व नसीहत करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: मुख़्तसर तौर पर कोई मसअला बताना और अग्रे बिलमारूफ़ व नहय अनिलमुनकर (बुराई से रोकना और भलाई का हुक्म देना) जाइज़ है, तवील वअज़ जाइज़ नहीं।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-212, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-770)

खुत्बा और जुमा में फ़स्ल होना

सवाल: जुमा और खुत्बा में ज़्यादा फ़स्ल हो जाए तो क्या खुत्बा का इआदा ज़रूरी है?

जवाब: खुत्बा और जुमा में मोअतदबेह फ़स्ल हो जाने से एआदए खुत्बा ज़रूरी है।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-112, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-771)

ग़ैर ख़तीब की इमामते जुमा

खुत्बा जुमा देने वाले के अलावा दूसरे शख्स की इमामत जाइज़ है बशर्तेकि नमाज़ पढ़ाने वाला शख्स खुत्बा में हाज़िर हुआ हो, ख़्वाह कुल खुत्बा में ये बाज़ में।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-111)

क्या इमामे जुमा सुन्नत पढ़ने वालों का इतिज़ार करे

ख़तीब को इतिज़ार करना सुन्नत पढ़ने वालों की फ़राग़त का लाज़िम नहीं है, जब मुकर्ररा वक़्त हो जाए, ख़तीब खुत्बा के लिए खड़ा हो सकता है, उस पर कुछ मुवाख़ज़ा और गुनाह नहीं है, क्योंकि इमाम मतबूअ है, ताबेअ नहीं है, मुक़्तदियों को तो ये हुक्म है कि जिस वक़्त ख़तीब जुमा के लिए मिम्बर पर आ जाए तो नवाफ़िल व सुन्नत न पढ़ें, लेकिन ख़तीब को ये हुक्म नहीं है कि

वह फरागत का इतिजार करे, अगर दो चार मिनट का इमाम साहब इतिजार कर लें तो इसमें कुछ हरज नहीं है, लेकिन इतिजार न करने से इमाम गुनहगार न होगा।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-76, बहवाला मिशकात शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-101 बाबुलजुमुआ रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-767)

खुत्बा पढ़ने का तरीका

हदीस शरीफ़ में है कि आँहज़रत (स.अ.व.) जब खुत्बा देते तो चश्म मुबारक सुर्ख़ हो जाती, आवाज़ बुलंद और तर्ज़े कलाम में शिद्दत आ जाती और ऐसा मालूम होता कि कोई लश्कर हमला करने वाला है और आप मुख़ातबीन को उस ख़तरए अज़ीमा से आगाह फ़रमा रहे हैं।

(मुस्लिम शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-284)

पुरजोश मुकर्रिों की तरह आप (स.अ.व.) हाथ तो नहीं फैलाते थे, अलबत्ता समझाने या आगाह करने के मवाक़ेअ पर अंगुशते शहादत से इशारा फ़रमाया करते थे लिहाज़ा अगर आलिम ख़तीब हसबे मवाक़ेअ हाज़िरीन को ख़िताब करे और खुत्बा को तरगीब व तरहीब के अंदाज़ में पढ़े तो जाइज़ और मसनून है, लेकिन दाएँ बाएँ रुख़ फेरना आँहज़रत (स.अ.व.) से साबित नहीं "बदाए" में है कि आँहज़रत (स.अ.व.) खुत्बा के वक़्त किब्ला पुशत हो कर और लोगों की तरफ़ रुख़ कर के खड़े रहते थे। (जिल्द-1 सफ़हा-264) इसलिए अल्लामा इब्न हजर (रह.) वग़ैरा मुहक्किकीन दाएँ बाएँ रुख़ करने को बिदअत कहते

हैं। (शामी जिल्द-1 सफ़हा-759) हाँ रुख सामने रख कर दाएँ बाएँ नज़र करने में हरज नहीं है। (रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-759) नीज़ ये भी ज़ाहिर है कि तरगीब व तरहीब के मज़ामीन वही शख्स सहीह अंदाज़ में अदा कर सकता है जो मअना और मज़मून से वाकिफ़ हो। ना वाकिफ़ शख्स ऐसी ग़लती कर सकता है जो वाकिफ़ की नज़र में मज़हका अंगेज़ हो। लिहाज़ा खुत्बा में जो भी अंदाज़ इख़्तियार किया जाए वह समझ कर इख़्तियार किया जाए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-264)

क्या खुत्बा में जेहर शर्त है?

खुत्बा में इस कदर जेहर (ज़ोर से पढ़ना) शर्त है कि पास बैठने वाला सुन सके।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-134)

ग़लती पर ख़तीब को लुक़मा देना

चूँकि खुत्बा में कोई मुतअयन मज़मून पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर एक मज़मून में ख़तीब रुक गया (और आगे चल न सका) तो और कुछ पढ़ सकता है।

लिहाज़ा लुक़मा देने की ज़रूरत नहीं, और हालते खुत्बा में हर किस्म का तकल्लुम (बात चीत करना) नाजाइज़ है; इसलिए लुक़मा देना भी नाज़ाइज़ है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-141)

क्या मुकब्बिर के लिए इमाम की इजाजत जरूरी है

सवाल: जुमा व ईदैन में बिला इजाजते इमाम, तकबीर पुकार कर रूकूअ व सज्दा में कहना ताकि नमाज़ियों को सहूलत हो जाइज है या नहीं? एक आलिम इमाम फरमाते हैं कि बिला इजाजते इमाम तकबीर पुकारने से मुकब्बिर की नमाज़ नहीं होती, सहीह क्या है?

जवाब: नमाज़ियों की सहूलत और इत्तिला के लिए तकबीर पुकार कर कहना दुरुस्त है। इसमें इमाम की इजाजत जरूरी नहीं है, उस आलिम इमाम का मज़कूर कौल ग़लत है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-150)

ईद का खुत्बा किसी ने दिया और नमाज़ किसी और ने पढ़ाई

इस तरह नमाज़ हो जाती है, मगर बेहतर व मुनासिब ये है कि खुत्बा और नमाज़ एक ही शख्स पढ़ाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-184, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलजुमा जिल्द-1 सफ़हा-771)

क्या इमाम दो जगह ईद की इमामत कर सकता है

दो जगह ईदैन या जुमा की नमाज़ दो मरतबा नहीं पढ़ा सकता, अगर ऐसा किया तो दूसरी मरतबा वाले

मुक्तदियों की नमाज़ नहीं हुई, क्योंकि इमाम की दूसरी नमाज़ नफ़ल हुई और नफ़ल पढ़ाने वाले के पीछे फ़र्ज़ और बाजिब पढ़ने वाले की नमाज़ नहीं हुई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-224)

उजरत पर जुमा व ईदैन पढ़ाना

इमामत पर उजरत लेना फ़ुक़हा ने ज़ाइज़ लिखा है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-224)

मुराहिक खुत्बा पढ़े और बालिग़ नमाज़ पढ़ाए

अफ़ज़ल ये है कि इमाम व ख़तीब एक ही होना चाहिए ताहम अगर मुराहिके ज़ी शुऊर, खुत्बा पढ़े और बालिग़ आदमी नमाज़ पढ़ाए तब भी दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-342)

इमाम का खुत्बा में जिक़रे मुआविया करना

सवाल: हज़रत मौलाना दोस्त मुहम्मद (रह.) और हज़रत मौलाना अब्दुस्सत्तार साहब मदज़िल्लहू ने जो खुत्बात शाये किए हैं जिनमें सैयदा फ़ातिमा (रज़ि.) के अलावा हुजूरे अकरम (स.अ.व.) की बकिया तीन साहब ज़ादियों के नाम भी दर्ज हैं और सहाबा (रज़ि.) में से बाकी सहाबा (रज़ि.) के साथ हज़रत सैयदना म.स.दिया (रज़ि.) का नाम दर्ज है।

ये खुत्बात जुमा में पढ़ना जाइज है या नहीं? अगर जाइज है तो सिर्फ़ मुबाह की हद तक या मौजूदा हालात के पेशे नज़र अफ़जल व मुअक़द है? अगर ये जाइज व अफ़जल है तो हमारे अमाएदीने मुतक़दिमीन व मुतअख़िबरीन के ज़माने में जो खुत्बात मुरौवज थे उनमें मुन्दर्जा बाला नाम क्यों दर्ज नहीं थे? नीज़ ये कि उन खुत्बात से अकाबिरे सलफ़े सालिहीन मसलन हज़रत थानवी (रह.) के मसलक से इनहिराफ़ तो लाज़िम नहीं आएगा?

जवाब: हर ज़माने के खुत्बा के मज़मून की तरतीब में इस्लाम में पैदा होने वाले फ़ितनों से मसलके अहले सुन्नत की हिफ़ाज़त का एहतिमाम किया गया है चुनांचे हज़रत सहाबए किराम रज़िअल्लाहु तआला अन्हुम के असमाए मुबारका और उनके लिए दुआ और उनके मनाकिब, खुत्बा में लाने से रवाफ़िज़ व ख़वारिज की तरदीद और मसलके अहले सुन्नत का ऐलान मक़सूद है, साबिक़ ज़माना में जो फ़ितने थे उनकी तरदीद के लिए उन्ही सहाबा रज़िअल्लाहु तआला अन्हुम का ज़िक्र काफ़ी था जो मतबूआ खुतबों में मज़कूर हैं।

मौजूदा दौर का एक नया फ़ितना एक ऐसी जमाअत का जुहूर है जो अपने आपको अहले सुन्नत होने का दावा करती है और हज़रते सहाबा रज़िअल्लाहु तआला अन्हुम से अक़ीदत का दावा करती है, मगर कुलूब, बुग्जे सहाबा रज़िअल्लाहु तआला अन्हुम से मस्मूम हैं, बिलखुसूस हज़रत उसमान और हज़रत मुआविया (रज़ि.) से मुतअल्लिक उनके कुलूब की नजासत उनकी ज़बान व कलम से मुसलसल उबल रही है।

मस्लके अहले सुन्नत में किसी सहाबी (रज़ि.) से अदना से अदना बदगुमानी की गुंजाईश नहीं, किसी सहाबी के बारे में ज़रा सी बदगुमानी भी अल्लाह तआला के ग़ज़ब और जहन्नम की मूजिब है इसलिए ये लोग अहले सन्नत से खारिज हैं और इलहाद में रवाफिज़ की राह पर चल रहे हैं, नीज़ रवाफिज़ को हज़रत फ़ातिमा रज़िअल्लाहु तआला अन्हा के सिवा दूसरी साहब ज़ादियों से भी बुग़ज़ है, इसलिए उन फ़ितनों की तरदीद के पेशे नज़र खुत्बा में हज़रत मुआविया रज़िअल्लाहु तआला अन्हो और बनाते मुकर्रमात रज़िअल्लाहु तआला अन्हा के मनाकिब और फ़जाइल का ज़िक्र और उन के लिए रज़िअल्लाह अन्हुन्ना कहने का मअमूल बनाना चाहिए, इससे हज़रत थानवी (रहि.) के मस्लक से इन्हिराफ़ लाज़िम नहीं आता, बल्कि उनके मस्लक की ताईद होती है, इसलिए कि उनके खुत्बात जिस नज़रिए पर मबनी हैं उनमें ये इज़ाफ़ा भी उसी नज़रिए के तहत किया गया है। जिसकी तफ़सील ऊपर बताई जा चुकी।

(अहसुनल फ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-146)

बाद नमाजे जुमा दुआ मरज़ासर या तबील?

दुआ में ज़्यादा तूल न देना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-109, बहवाला रदुलमुहतार सिफ़तुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-494)

और ये मस्अला किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-2896 में इस तरह है कि:

“इतनी मांगी जाए कि मुक्तदियों पर शाक न हो और उनको तत्वील नागवार न हो।”

इमाम का जुमा की सानी दुआ कराना

जुमा के बाद सुन्नतें पढ़ कर हर शख्स अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो कर दुआ कर लिया करे, ये बेहतर और मुस्तहब है, लेकिन सुन्नतों से फ़ारिग़ हो कर सब का मुन्तज़िर रहना और इमाम साहब और मुक्तदियों का फिर मिल कर दुआ करना जैसा कि बाज़ एलाकों में इसका रिवाज़ हो चुका है और इस पर इतना इसरार होता है कि सब्बो व शत्म और लअन व तअन की नौबत आती है ये साबित नहीं बल्कि ग़लत तरीका है उसको छोड़ना चाहिए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-303)

इमाम जिस वक़्त नमाज़ से फ़ारिग़ हो, मअ मुक्तदियों के सब इकट्ठे दुआ मांगें फिर सुन्नतें और नफ़लें पढ़ कर अपने कारोबार में जाएँ, दोबारा सेह बारा दुआ मांगना साबित नहीं है और नमाज़ियों को मुक़ैयद रखना दूसरी तीसरी दुआ तक जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-130)

इमामत में अपने मसलक की रिआयत

सवाल: ईदैन में इमाम हनफी है और निस्फ़ मुक्तदी से जाइद शाफ़ई हैं और निस्फ़ से कम हनफी हैं तो इमाम को किसके मज़हब के मुवाफ़िक़ नमाज़ पढ़ानी

चाहिए?

जवाब: ईदैन की नमाज़ में इमामे हनफी अपने मज़हब के मुवाफ़िक तकबीराते ज़वाइद कहे यानी तीन तकबीरात हर रकअत में अलावा तकबीरे इफ़तिताह और रुकूअ के।

मुक्तदी जो शाफ़ई मज़हब हैं वह अपने मज़हब के मुवाफ़िक तकबीरात पूरी कर लें, अगर उनके नज़दीक ये जाइज़ हो कि हनफी इमाम के पीछे तकबीरात पूरी कर ली जाएँ। अलगरज़ इमामे हनफी को उनके मज़हब का इत्तिबा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इमाम अगर उनकी रिआयत से उनके मज़हब के मुवाफ़िक तकबीरात कहेगा तो इसमें भी कुछ हरज नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-229, बहवाला रदुलमुहतार बाबुलईदैन जिल्द-1 सफ़हा-114)

अगर इमाम तकबीराते ईदैन भूल जाए?

सवाल: अगर इमाम, नमाज़े ईद की तकबीरात ज़वाइद कहना भूल जाए और रुकूअ में पहुंच कर याद आएँ तो क्या रुकूअ में ये ज़वाइद तकबीरात कहे, और रुकूअ की तस्बीहात को छोड़ दे, या रुकूअ से उठ कर खड़ा होकर और तकबीरात कह कर फिर रुकूअ का एआदा करे?

जवाब: ऐसी सूरत में न तकबीरात ज़वाइद रुकूअ में कहे न रुकूअ से लौट कर खड़ा होकर कहे, न सज्दए सहव करे, कि हर सूरत में नमाज़ियों को परेशानी होगी और उनकी नमाज़ ख़राब होने का क़वी इमकान रहेगा। ऐसी हालत में सज्दए सहव साक़ित हो जाता है और

नमाज़ का एआदा भी वाजिब नहीं होता। इस मस्अला में फुकहा के दूसरे अकवाल भी हैं, जोकि बहर, बदाए, फतहुलकदीर वगैरा में मज़कूर हैं। लेकिन रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा- 561 में अल्लामा शामी (रह.) ने उसी को इख़तियार किया है जो यहाँ दर्ज किया गया है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-307)

जुमा व ईदैन में सज्दए सहव

सवाल: अगर जुमा या ईदैन की नमाज़ में कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो इमाम को सज्दए सहव करना चाहिए या नहीं?

जवाब: अगर मजमअ कम है कि मुक्तादी सब समझ जाएँगे कि इमाम ने सज्दए सहव किया है तब तो सज्दए सहव कर लिया जाए, अगर मजमअ ज़्यादा है कि मुक्तादियों को पता नहीं चलेगा, बल्कि वह समझेंगे कि इमाम ने नमाज़ ख़त्म करने के लिए सलाम फेर दिया है तो सज्दए सहव नहीं करना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-308, बहवाला तहतावी सफ़हा-253)

ईदैन में दुआ किस वक़्त की जाए?

सवाल: ईदैन में इमाम दुआ किस वक़्त कराए नमाज़ के बाद या खुत्बा के बाद?

जवाब: ईदैन की नमाज़ के बाद मिस्ल दीगर नमाज़ों

के दुआ माँगना मुस्तहब है, खुत्वा के बाद दुआ माँगने का इस्तिहबाब किसी रिवायित से साबित नहीं है, और ईदैन की नमाज के बाद दुआ करने का इस्तिहबाब उन्ही हदीसों और रिवायत से मालूम होता है जिनमें उमूमन नमाजों के बाद दुआ माँगना वारिद हुआ है, और नमाज के बाद दुआ मकबूल होती है, हिस्ने हसीन में वह अहादीस मजकूर हैं और हमारे अकाबिर हज़रात का यही मअमूल रहा है।

(फ़तावा दारुलमुत्लूम जिल्द-5 सफ़हा-225, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-495)

नक्शा व निगार वाले मुसल्ले पर नमाज पढ़ाना

मुसल्लों पर जो कअबा वगैरा का नक्शा होता है चूंकि वह अस्ल नहीं है बल्कि उस जैसा एक मसनूई, नक्शा है लिहाज़ा एहतेराम ज़रूरी नहीं, और मुसमलानों के दिलों में उसकी अज़मत होती है एहानत का ख़्याल भी नहीं होता, इसलिए अगर नादानिस्ता इत्तिफ़ाक़न पैर पड़ जाए तो गुनाह नहीं होगा, और बेहतर तो ये है कि ऐसे मुसल्ले पर नमाज न पढ़ी जाए कि खुशूअ व खुजूअ में ख़लल होगा और नमाज की रूहं खुशूअ व खुजूअ है और बगैर इसके नमाज बे जान है।

नमाज़ी के सामने नक्शा व निगार का होना नमाज़ी की तवज्जोह और ख़्याल को अपनी तरफ़ मुतवज्जेह करेगा।

आँहज़रत (स.अ.व.) ने हज़रत आईशा रज़िअल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर ख़ूबसूरत पर्दा देख कर फ़रमाया उसको

हटा लो उसके बेल बूटे मेरी नमाज़ में खलल अंदाज़ होते हैं। (सहीह बुखारी शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-54)

आप (स.अ.व.) ने फूलदार चादर भी अपने लिए पसंद नहीं फरमाई और फरमाया कि ये चादर मुझे नमाज़ में गाफ़िल करती है।

(सहीह मुस्लिम शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-208)

इस हदीस की शरह में इमाम नूववी (रह.) फरमाते हैं कि मेहराबे मस्जिद और क़िबला की दीवार के नक्श व निगार की कराहत इसलिए है कि ये चीज़ें नमाज़ियों के ख्यालात और तवज्जुहात को अपनी तरफ़ माएल करती हैं और आँहज़रत (स.अ.व.) ने फूलदार चादर को उतार देने पर यही इल्लत ब्यान फरमाई थी कि उसके नक्श व निगार ने मेरी तवज्जोह नमाज़ से हटा दी। (नववी शरह मुस्लिम) फ़तावा रहीमिया जिल्द-6 सफ़हा-374, बहवाला फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-172)

क़अबा की तसवीर वाले मुसल्लों पर नमाज़ पढ़ने में शरअन कोई हरज नहीं, और उस तसवीर से खानए क़अबा की ताजीम में कोई फ़र्क नहीं आता।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-1 सफ़हा-111)

इमाम चौकी पर और मुक्तदी फ़र्श पर

सवाल: गर्मी और बरसात में बिच्छू और साँप के खौफ़ से अगर इशा और सुबह की नमाज़ इमाम साहब मस्जिद के फ़र्श पर चौकी बिछा कर पढ़ाएँ और मुक्तदी फ़र्श पर पढ़ें तो क्या हुक्म है?

जवाब: अगर वह चौकी एक जिराअ (64 सेन्टी मीटर) के बकद्र ऊँची है तो मकरूह है वरना जाइज़ है, बहरहाल ऐसा न करना बेहतर है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-343, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबु मा युफ़िसदु बिहिस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-604)

इमाम फ़र्श पर और मुक्तदी मुसल्ले पर

अगर इमाम के नीचे जाए नमाज़ हो और मुक्तदियों के नीचे न हो, या बरअक्स हो तो नमाज़ दोनों सूरतों में सहीह है, फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-111 इसलिए कि उससे कोई ख़राबी पैदा नहीं हुई सिर्फ़ जगह का पाक होना ज़रूरी है ख़्वाह उस पर जाए नमाज़ बिछी हो या न हो। (हाशिया फ़तावा दारुलउलूम देवबंद जिल्द-4 सफ़हा-111)

इमाम का बीच की मंज़िल में खड़ा होना

सवाल: एक मस्जिद तीन मंज़िला है, बीच की मंज़िल में इमाम खड़ा होता है, और नीचे की मंज़िल में और ऊपर की मंज़िल में मुक्तदी खड़े होते हैं। तो नीचे के मुक्तदियों की नमाज़ सहीह हो जाएगी या नहीं? तरीकए मज़कूर पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: इक्तिदा सहीह हो जाएगी, मगर इमाम को नीचे की मंज़िल में खड़ा होना चाहिए, बालाई मंज़िल पर

बिला ज़रूरत खड़ा न हो।

मस्जिद की अस्ल वज़अ और उम्मत के मुतवारिस तआमुल के खिलाफ़ है। (अहसनुफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-86)

मस्जिद की बालाई मंजिल में जमाअत

गर्मी की वजह से मस्जिद के जमाअत ख़ाना या सेहने मस्जिद को छोड़ कर छत पर इशा और तरावीह वगैरा की जमाअत करना मकरूह है।

हाँ! जिन साहब को जमाअत ख़ाना और सेहन में जगह न मिले अगर वह छत पर जा कर नमाज़ पढ़ें तो बिला कराहत जाइज़ है, ये मजबूरी है।

कअबा शरीफ़ के ऊपर नमाज़ पढ़ना (बेअदबी और बेहुरमती की वजह से) मकरूह है। हाँ! अगर तामीर और मरम्मत की वजह से चढ़ना हो तो मकरूह नहीं है इसी तरह से कोई भी मस्जिद हो, उसकी छत पर चढ़ना मकरूह है और इसी बिना पर ये भी मकरूह है।

गर्मी की शिद्दत से छत पर जमाअत न करें, मगर ये कि मस्जिद में गुंजाईश न रहे तो इस मजबूरी की वजह से छत पर चढ़ना मकरूह न होगा।

बहरहाल गर्मी की शिद्दत ज़रूरत और मजबूरी नहीं पैदा करती, क्योंकि इससे यही होता है कि मशक्कत बढ़ जाती है और जब मशक्कत बढ़ जाती है तो अज़्र व सवाब ज़्यादा मिलता है। इसको मजबूरी नहीं कहा जा सकता। फ़तावा आलमगीरी जिल्द-5 सफ़हा-322 पर है कि तमाम मसिज्दों की छत पर चढ़ना मकरूह है इसलिए

सख्त गर्मी में छत पर चढ़ कर जमाअत करना मकरूह है, हाँ अगर मस्जिद तंग हो और नमाजियों के लिए वुसअत न हो तो जरूरतन बाकी लोगों का ऊपर चढ़ना मकरूह नहीं है।

गर्मी में मस्जिद के सेहन में बाजमाअत नमाज बगैर हरज के सहीह है, अगर किसी जगह सेहन, दाखिले मस्जिद न हो, मस्जिद से खारिज हो, तो बानिए मस्जिद और गिरोह न हो तो जमाअत के लोग मुत्तफिक हो कर दाखिले मस्जिद की नीयत कर लें (तो वह मकाम मस्जिद में दाखिल हो जाएगा) और उस पर मस्जिद के जुमला अहकाम जारी होंगे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-31, बहवाला कबीरी सफ़हा-392 व मजमूआ फ़तावा सअदिय्या सफ़हा-148)

अगर मस्जिद के ऊपर मुस्तकिल मुसक्कफ़ मंज़िल न हो तो ऐसी हालत में बिना जरूरत मस्जिद के ऊपर चढ़ना और निचली मंज़िल में हब्स (गर्मी) वगैरा की वजह से बालाई मंज़िल में जमाअत करना मकरूह है। अलबत्ता मस्जिद के अन्दर जगह न मिलने की वजह से कुछ मुक्तदियों का मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ना मकरूह नहीं है। (असनूल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-287)

अगर मस्जिद में इमाम के नीचे की मंज़िल खाली हो

सवाल: मस्जिद के नीचे दो एक मंज़िला मकान है इमाम के खड़े होने की जगह ठोस नहीं है। बल्कि खाली है, इसमें कुछ हरज तो नहीं?

जवाब: अगर इमाम के खड़े होने की जगह नीचे से खाली है तो कुछ हरज नहीं है, ठोस होना उस जगह का ज़रूरी नहीं है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-166)

इमाम का दरमियाने मेहराब से हट कर खड़ा होना

सवाल: इमाम को नमाज़ के लिए मेहराब का निस्फ़ हिस्सा छोड़ कर दाएँ या बाएँ खड़े हो कर नमाज़ पढ़ना कैसा है? अगर मेहराब के अन्दर ही मिम्बर बना हो जैसा कि अक्सर मस्जिद में होता है तो इस सूरत में इमाम को किस जगह खड़ा होना चाहिए?

जवाब: मेहराब से मकरूह ये है कि इमाम सफ़ के ठीक बीच में खड़ा हो, और ये सुन्नत है, पस अगर मेहराब सहीह तौर पर सफ़ के दरमियान में है तो मेहराब के ऐन दरमियान को छोड़ कर दाएँ या बाएँ जानिब हट कर खड़ा होना मकरूह है, ख़्वाह मिम्बर मेहराब के अन्दर हो या न हो, बहरहाल मेहराब के दरमियान खड़ा होना चाहिए।

अक्सर मसाजिद में देखा गया है कि इमाम मिम्बर को छोड़ कर बकिया मेहराब के दरमियान में खड़ा होता है। ये मकरूह है। इसकी इसलाह लाज़िम है, और इस मसअले की इशाअत ज़रूरी है बल्कि इससे भी ज़्यादा तामीरे मसाजिद में इस इसलाह की अशद ज़रूरत है कि मिम्बर की जगह दाएँ जानिब छोड़ कर मस्जिद के ठीक दरमियान में इस तरह मेहराब बनाएँ कि मेहराब का ऐन

वस्तु जहाँ इमाम खड़ा होगा। वहाँ से मस्जिद का दोनों तरफ़ फ़ासिला बराबर हो।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-293, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-531)

इमाम का मेहराब के अन्दर खड़ा होना

सवाल: इमाम के मेहराब के अन्दर खड़े होने से नमाज़ मकरूह होगी या नहीं?

जवाब: इमाम पाँव मेहराब से बाहर रखे, बिला उज़्र मेहराब में पाँव रखना मकरूहे तंजीही है, वजहे कराहत में दो कौल हैं।

(1) मेहराब में खड़े होने से दोनों तरफ़ के मुक़्तदियों पर इमाम की हालत मुशतबह रहती है। अलबत्ता इशितबाह न होने की सूरत में कोई कराहत नहीं।

(2) अहले किताब से तशबोह है इस बिन पर जानिबैन में मुक़्तदियों के लिए कोई इशितबाह न होने के बावजूद भी इमाम का मेहराब में खड़ा होना मकरूहे तंजीही है।

अगर कदम मेहराब के बाहर हों तो कराहत नहीं रहती। (अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-311, बहवाला रहुलमुहतार सफ़हा-604)

नमाज़ियों की कसरत की वजह से इमाम का दर में खड़ा होना

सवाल: रमज़ानुलमुबारक में नमाज़ियों की कसरत

और मस्जिद का फर्श छोटा होने की वजह से इमाम को मस्जिद की दर में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ाना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: इमाम के दर में खड़े होने को शामी में मकरूह लिखा है और इमाम आजम (रह.) का ये कौल नक़ल किया है, इसलिए इमाम को चाहिए कि अगर ज़रूरत दर में खड़े होने की हो, नमाज़ियों की कसरत वगैरा की वजह से, तो कदम दर से बाहर रखे और सज्दा अन्दर के हिस्से में करे, तो बेहतर है।

वरना बज़रूरत दर में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ाने से भी नमाज़ हो जाती है। लेकिन बचना इससे बेहतर है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-129, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबु मा युफ़िसदु बिहीस्सलात व मा यकरहू फ़ीहा जिल्द-1 सफ़हा-604)

जगह की तंगी की वजह से इमाम का दरमियान में खड़ा होना

सवाल: हुजूम की वजह से सफ़ों का तवाजुन न हो, इमाम व मुक्तदी बराबर खड़े हो जाएँ यानी छोटी मस्जिद की तौसीअ हुई जिसमें साबिका मस्जिद सिर्फ़ बाएँ जानिब आई और मस्जिदे मौजूदा के ऐन मेहराब के मुकाबिल सिर्फ़ इमाम अपने बाएँ दो आदमी खड़े कर के जमाअत कराए जो फ़िलवक्त ख़ारिजी जगह मस्जिद की सीढ़ियों का रास्ता है। ऐसी सूरत में जमाअत का क्या हुक्म है?

जवाब: बिला जरूरत ऐसा करना मकरुह है, मगर जगह तंग होने की वजह से बिला कराहत जाइज है।

(अहसनुल फतावा जिल्द-3 सफ़हा-514)

इमाम को दरमियान में खड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ़ बराबर मुक्तदी करने चाहिएँ। हाँ एक तरफ़ ज़्यादा मुक्तदियों का खड़ा होना खिलाफ़े सुन्नत है। तरीकए सुन्नत ये है कि जिस वक़्त जमाअत खड़ी हो दोनों तरफ़ मुक्तदी बराबर हों। फिर बाद में जो आकर शरीक हों उनको भी ये लिहाज़ रखना चाहिए कि हत्तलवुस्त्र दोनों तरफ़ बराबर शरीके जमाअत हों। और इमाम का हद से ज़्यादा जिहर या हद से ज़्यादा इखफ़ा (आहिस्ता या जोर से) दोनों खिलाफ़े सुन्नत हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-347, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-83)

जिस मस्जिद मे मेहराब न हो इमाम कैसे खड़ा हो?

सवाल: एक मस्जिद में इमाम साहब के खड़े होने की जगह ही नहीं है। इमाम साहब एक कदम के करीब मुक्तदियों से आगे खड़े होते हैं, आधी सफ़ उसके दाएँ और आधी सफ़ बाएँ, बीच में जगह खाली है तो क्या नमाज़ दुरुस्त है?

जवाब: जब मस्जिद इतनी तंग है तो इमाम का बीच में खड़ा होना दुरुस्त है। जिस तरह एक मुक्तदी हो तो दाहनी तरफ़ खड़ा होता है। उसी तरह तमाम आदमी दाहनी तरफ़ और बाई तरफ़ खड़े हो जाएँ।

(फतावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-86)

इमाम के दाएँ या बाएँ खड़ा होना

सवाल: मस्जिद की तंगी की वजह से दो सफ़े नहीं हो सकतीं इसलिए इमाम के दाएँ बाएँ पीछे को खाली छोड़ कर सफ़ कर लेते हैं। आया इस तरह नमाज़ हो सकती है या नहीं?

सफ़े अव्वल: मुक्त्तदी, इमाम, मुक्त्तदी

जवाब: सफ़ को भरने और खाली जगह को पुर करने की बहुत ताकीद आई है, इसलिए दरमियान में जगह नहीं छोड़नी चाहिए, अगर उज़्र हो और कोई सूरत नहीं हो सकती हो तो इमाम को ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए। बल्कि इस क़दर आगे हो जाए कि इमाम के पैर मुक्त्तदी के पैरों से आगे रहें यानी ऐड़ी।

(फतावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-243)

मुक्त्तदी के कहने पर इमाम का नमाज़ में आगे बढ़ना

सवाल: इमाम साहब हसबे क़वाइदे शरईया एक मुक्त्तदी के साथ नमाज़ पढ़ा रहे थे दूसरी रकअत की किराअत ख़त्म होने से पहले एक और मुक्त्तदी आकर शामिले जमाअत होना चाह रहा था क्योंकि पहले मुक्त्तदी को पीछे हटने का मौका नहीं था, इसलिए दूसरे मुक्त्तदी ने इमाम साहब से कहा आप एक क़दम आगे बढ़ जाँँ चूनांचे इमाम साहब ने एक क़दम बढ़ कर किराअत बदस्तूर

जारी रखी और नमाज़ खत्म कर दी। ज़ैद कहता है कि सब की नमाज़ फ़ासिद हो गई, क्योंकि मुक्त्तदी को बजाए कहने के हाथ से इशारा करना चाहिए था। क्या नमाज़ के इआदा की ज़रूरत है या नहीं?

जवाब: इस सूरत में बाज़ फुक़हा का कौल नमाज़ के फ़ासिद होने का है। मगर सहीह ये है कि नमाज़ हो गई।

वाकई उस मुक्त्तदी को इशारा से इमाम साहब से आगे बढ़ने को कहना चाहिए था। लेकिन बहरहाल नमाज़ हो गई उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-38, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-533)

अगर इमाम के साथ एक शरूख़ हो

सवाल: अगर इमाम के साथ सिर्फ़ एक मुक्त्तदी नमाज़ पढ़ता हो और दूसरा आ जाए या जमाअत की पूरी सफ़ भर गई हो और एक नमाज़ी बाद में आएँ तो उसको अगली सफ़ में से मुक्त्तदी को खींचना ज़रूरी है या नहीं?

जवाब: अगर इमाम के साथ एक मुक्त्तदी है फिर दूसरा आ जाए तो बेहतर ये है कि पहला मुक्त्तदी पीछे हो जाए और दोनों इमाम के पीछे हो जाएँ और उसमें ये शर्त लिखी है कि अगर मुक्त्तदी की नमाज़ के फ़साद का अंदेशा न हो तो उसको पीछे को हटा दे वरना न हटाए। इससे मालूम हुआ कि पीछे करने की ज़रूरत उस वक़्त

है जब ये मालूम हो कि वह पीछे हट जाएगा और उसको ये मसअला मालूम हो।

इसी तरह सफ़ में अकेले खड़े होने का हुक्म है, अगर सफ़ में से कोई शख्स उसके पीछे हटाने से बेतकल्लुफ़ हट जाए तो ऐसा करे वरना तन्हा खड़ा हो जाए, जैसा कि शामी में उसकी तफ़सील मौजूद है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-358, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-531)

(मतलब ये है कि अगर पीछे आने की जगह है तब तो मुक्तदी पीछे हट आएँ और अगर पीछे हटने की जगह नहीं है तो फिर इमाम को आगे बढ़ाना चाहिए और अगर उसकी भी गुंजाईश नहीं है तो दूसरा मुक्तदी इमाम के बाईं तरफ़ खड़ा हो जाए, ज़रा पीछे हट कर, जैसा कि पहला मुक्तदी खड़ा है।)

सिर्फ़ औरत या बच्चा मुक्तदी हो तो कहाँ खड़ा हो

सवाल: जैद अपने घर में जमाअत से नमाज़ पढ़ा रहा है, अगर मुक्तदी सिर्फ़ एक नाबालिग़ लड़का या सिर्फ़ एक औरत हो या बच्चा और औरत दोनों इक्तिदा करें तो ये कहाँ खड़े हों? महरम और ग़ैर महरम औरत में क्या कुछ फ़र्क़ है?

जवाब: बच्चा इमाम के दाएँ जानिब खड़ा हो और औरत इमाम के पीछे, औरत महरम हो या ग़ैर महरम दोनों का यही हुक्म है।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-399, बहवाला

रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-530)

मुक्त्तदी एक मर्द या एक बच्चा हो तो कैसे खड़े हों

सवाल: मस्जिद में जमाअत के वक़्त इमाम के अलावा एक मर्द और एक नाबालिग़ लड़का मौजूद है। उनकी सफ़ बंदी किस तरह करनी चाहिए?

जवाब: मर्द और नाबालिग़ बच्चा दोनों मिल कर खड़े हों। (अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-300, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-534)

इक्तिदा के शरई हुदूद

सवाल: इक्तिदा के लिए शरई क्या हुदूद मुकर्रर हैं। मुन्दर्जा ज़ैल सूरतों में कौन सी जाइज़ है और कौन सी नाजाइज़?

(1) इमाम बुलंद मक़ाम पर है, मुक्त्तदी नीचे, ख़्वाह दाएँ या बाएँ या पीछे, फिर उसकी दो सूरतें हैं, एक ये कि इमाम से करीब हों ख़्वाह दरमियान में दीवार वगैरा हाइल हो या न हो, दूसरी सूरत ये कि इमाम से दूर हों ख़्वाह दीवार वगैरा हाइल हो या न हो।

(2) इमाम नीचे के मक़ाम पर है और मुक्त्तदी ऊपर उसकी भी मज़कूरा बाला चार सूरतें होंगी।

(3) अफ़्रीका में अक्सर मकानात का ज़ेरी हिस्सए फ़र्श, काठ और चौबें का होता है और उसके नीचे ज़मीन तक कद्दे आदम के बराबर कम व बेश मुज़ौवफ़ होता है।

ऐसी सूरतों में जमाअत खाना के जेरीं हिस्सा में भी मुक्तदी खड़े हो सकते हैं या नहीं?

(4) मस्जिद के मुत्तसिल रहने वाला या दूर रहने वाला मगर ऐसा कि तकबीराते इंतिकाल वगैरा सुन सकता है। ऐसा शख्स अपने मकान में इक्तिदा कर सकता है या नहीं?

जवाब: (1) (2) इमाम अगर तन्हा ऊँचे मकाम पर हो तो मकरूह है और अगर इमाम के साथ कुछ मुक्तदी हों तो फिर किसी हाल में कराहत नहीं है।

दूर और नज़दीक जब कि सफूफ़ मुत्तसिल हों दोनों दुरुस्त हैं।

(3) इसमें भी वही जवाब है कि अगर इमाम के साथ बाज़ मुक्तदी हैं तो हिस्साए जेरीं (नीचे का हिस्सा) में खड़े हो कर इक्तिदा करना दुरुस्त है।

(4) मस्जिद के इमाम की, अपने मकान में रहते हुए इक्तिदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुक्तदियों की सफ़, उसके मकान तक मिल जाए तो उस वक़्त, अपने मकान में रहते हुए इमामे मस्जिद की इक्तिदा जाइज़ है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-356)

मुक्तदी के इमाम से आगे बढ़ जाने का हक़

सवाल: मस्जिद में जमाअत के दौरान दूसरी मंज़िल के नमाज़ी इमाम से कुछ आगे बढ़ गए, उनकी नमाज़ फ़ासिद हो गई या नहीं?

जवाब: अगर मुक्तदी की ऐड़ी इमाम की ऐड़ी से

आगे हो गई तो उसकी नमाज़ नहीं होगी, अगर ऐड़ी बराबर हो तो नमाज़ हो जाएगी, अगरचे मुक्तदी के पाँव की उंगलियाँ इमाम के पाँव से आगे हों।

अलबत्ता अगर मुक्तदी और इमाम के पाँव में इतना ज्यादा तफ़ावुत हो कि दोनों की ऐड़ियाँ बराबर होने के बावजूद मुक्तदी के पाँव का अक्सर हिस्सा इमाम के पाँव से आगे बढ़ गया तो नमाज़ न होगी।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-298, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-514)

नमाज़ के औकात कौन मुक़र्र करे?

बेहतर ये है कि इमाम और मुक्तदी सब की मुत्तफ़िका राए से शरीअत के मुताबिक़ वक़्त मुक़र्र किया जाए। अगर मुक्तदी ना वाकिफ़ हों और शरई वक़्त की शनाख़्त न रखते हों तो इमामे वक़्त मुक़र्र कर के एलान कर दे और उसकी सब पाबंदी करें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-68)

मुक़र्रा वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ाना

अगर नमाज़ का वक़्त ही न हुआ हो तो नमाज़ पढ़ना पढ़ाना नाजाइज़ है। अगर वक़्त तो हो गया लेकिन किसी आरिज़ की वजह से वक़्ते मुक़र्रा से दो चार मिनट पहले इमाम ने नमाज़ पढ़ा दी और पाबंदे जमाअत नमाज़ी भी आ चुके थे, तो इसमें मुज़ाइका नहीं। अगर पाबंदे जमाअत

नमाज़ी नहीं आए थे, तो वक़्त मुक़र्ररा तक उनका इंतज़ार करना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-137)

क्या इमाम पर मृतअयुन वक़्त का एहतिमाम जरूरी है

उमूमन मसाजिद में जब इमाम साहब नमाज़ के सहीह वक़्त पर नहीं पहुंचते तो नमाज़ी एतेराज़ करते हैं, उनको दो चार मिनट इंतज़ार करना दुश्वार मालूम होता है, हालांकि इंतज़ारे नमाज़ की हदीस है और अज़ान के बाद पूरे वक़्त में किसी वक़्त भी जमाअत करने की इजाज़त है और वक़्त का तअयुन महज़ सहूलत के लिए है, ताकि नमाज़ी उस वक़्त पर जमा हो जाएँ। सवाल ये है कि:

(1) इमाम का इंतज़ार किया जाना चाहिए या नहीं? और कितना इंतज़ार किया जाए?

(2) क्या इमाम पर घड़ी के वक़्त की ऐसी पाबंदी कि दो चार मिनट भी ताख़ीर न हो अज़रूए शरअ जरूरी है

(3) जो इमाम अक्सर दो चार मिनट देर से मस्जिद में पहुंच कर नमाज़ पढ़ाता हो उसकी किस बात की एहतियात जरूरी है?

(4) जो नमाज़ी ताख़ीर पर मस्जिद में शोर गुल मचाते हैं और चरचा करते हैं, उनका क्या हुक्म है?

(5) नबी करीम (स.अ.व.) के ज़माना में और कुरूने ऊला में किस तरह अमल रहा है?

(6) फुकहाए किराम इस मसअला में क्या तफ़सील

बताते हैं?

जवाब: हुजुरे अकरम (स.अ.व.) के ज़माने मुबारक और कुरुने ऊला में नीज़ हज़रात फुक़हा रहिमहुल्लाह तअ़ाला के दौर में न दुन्यवी मशाग़िल ज़्यादा थे और न ही घड़ियाँ थीं, इसलिए जमाअत का उसूल ये रहा कि वक़्त हो जाने के बाद अज़ान हुई और उसके बाद नमाज़ियों का इजतिमा हो गया, जमाअत हो गई।

इस ज़माना में एक तरफ़ दुन्यवी मशाग़िल में मसरूफ़ियत, इन्हिमाक और दूसरी जानिब दीन से ग़फ़लत और बेएतिनाई के पेशे नज़र घड़ियों की सहूलत से इस्तिफ़ादा नागुज़ीर हो गया है, लिहाज़ा आज कल के हालात के पेशे नज़र घड़ी से वक़्त की तअ़यीन और इमाम के लिए वक़्ते मुअैयन की पाबंदी ज़रूरी है।

हुजुरे अकरम (स.अ.व.) और सहाबए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़माना में लोगों के इजतिमा को मलहूज़ रखा जाता था, अब चूँकि घड़ी के मुअैयन वक़्त पर ही नमाज़ी जमा हो जाते हैं, लिहाज़ा ये अम्र भी इसको मुक़्तज़ी है कि मुअैयन वक़्त से ताख़ीर न की जाए।

अलावा अज़ीं कुरुने ऊला के अइम्मा तन्ख़ाह नहीं लेते थे, और इस ज़माना का इमाम तन्ख़ाह दार मुलाज़िम है, इसलिए भी उस पर मुतअैयन वक़्त की पाबंदी लाज़िम है, अलबत्ता नमाज़ियों को उमूरे ज़ैल का ख़्याल रखना ज़रूरी है:

(1) अगर कभी बतकाज़ए बशरीयत इमाम को चार पाँच मिनट ताख़ीर हो जाए तो बेसबरी और चीख़ व

पुकार के बजाए सब्र व तहम्मूल से काम लें।

और इस ताखीर को किसी उज्र पर महमूल कर के इमाम पर ज़बान दराज़ी और तअन से एहतेराज़ करें।

(2) अगर इमाम हमेशा ताखीर से आने का आदी हो तो उसको अच्छे और नर्म अंदाज़ में समझाने की कोशिश की जाए।

(3) अगर समझाने के बावजूद इमाम की रविश नहीं बदलती हो तो मुन्तज़िमा कमेटी इमाम को माजूल कर सकती है मगर इस सूरत में भी इमाम से मुतअल्लिक बदज़बानी और उसकी गीबत हरगिज़ जाइज़ नहीं।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-301)

अगर इमाम ठीक वक़्त पर तैयार हो कर नमाज़ के लिए मस्जिद में पहुंचे तो इसमें कोई मुज़ाएका नहीं। वक़्त से पहले मस्जिद में न आने से नमाज़ मकरूह नहीं होती, अलबत्ता अज़ान सुन कर फ़ौरी तैयारी शुरू कर देना चाहिए, ताकि ऐन वक़्त पर मुक्तादियों को इंतिज़ार न करना पड़े।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-91)

नमाज़ शुरू करने में इमाम मुतवल्ली का पाबंद नहीं

नमाज़ के औकात, शरीअत की जानिब से मुकरर हैं, मगर इसमें वुसअत है, इसलिए ऐसे वक़्त नमाज़ शुरू की जाए कि शरअ के नज़दीक वह वक़्त मुस्तहब हो और पाबंदे जमाअत नमाज़ी अक्सर उस वक़्त आ जाते हों। अगर मुतवल्ली जमाअत शुरू कराने में उसकी रिआयत

रखता है तब तो उसमें कोई मुजाएका नहीं। अगर उसकी रिआयत नहीं रखता बल्कि सिर्फ आमद पर मौकूफ रखता है ख्वाह वक्ते मुस्तहब हो या गैर मुस्तहब, ख्वाह अक्सर जमाअत के पाबंद नमाजी आ गए हों या न आए हों, बल्कि जब खुद आ गया तो नमाज फौरन शुरू करा दे, और जब तक खुद न आए तो इमाम को इतिजार का हुकम दे, अगरचे वक्ते मुस्तहब निकल कर वक्ते मकरूह में दाखिल हो गया, या अभी वक्ते मुस्तहब शुरू ही नहीं हुआ तो ऐसी हालत में उसकी रिआयत शरअन पसंदीदा नहीं और इमाम को इसमें उसकी इत्तिबा भी नहीं करनी चाहिए। नमाज शुरू करने में इमाम मुस्तकिल है मुतवल्ली या और किसी के ताबेअ नहीं, बल्कि सब लोग इमाम के ताबेअ हैं। ताहम इमाम को ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे तमाम मुक्तदियों को तकलीफ हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-126)

इमाम का किसी फ़र्द के लिए जमाअत में तारखीर करना

सवाल: अक्सर जुहला मुतवल्लियान, इमामे आलिम पर हुकूमत करते हैं। मसलन नमाज के औकाते मुकर्ररा पर जब इमाम नमाज शुरू करने का इरादा करता है तो मुतवल्ली कहता है कि इमाम साहब ज़रा ठहरिए, फ़लाँ नहीं आया है। क्या इतिजार जाइज़ है?

जवाब: नमाज़ियों के इजतिमाअ के बाद किसी फ़र्द के इतिजार में जमाअत में तारखीर करना जाइज़ नहीं, अलबत्ता कोई शख्स शरीर हो और उससे ख़तरा हो तो

उसके शर से बचने के लिए ताखीर की जा सकती है।

(अहसुनल फतावा जिल्द-3 सफ़हा-306, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-462)

जो शख्स मुतवल्ली हो कर अपने वासते ऐसी ताकीद करे और ताखीर करे वह गुनहगार है और ऐसों का इतिज़ार भी दुरुस्त नहीं है। हाँ आम मुसलमानों का इतिज़ार दुरुस्त है बशर्तकि दूसरों को जो हाज़िर हो चुके हैं, तकलीफ़ न हो, और वक़्त भी मकरूह न हो जाए। मगर रईसों और दुनियादारों का इतिज़ार न करे। वक़्त पर सब आ जाएँ या अक्सर आ जाएँ तो नमाज़ पढ़ाए।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-287)

क्या इमाम के लिए अमामा जरूरी है?

- (1) अमामा मुस्तहब है।
- (2) अमामा बाँध कर नमाज़ पढ़ाना, बतौर आदत साबित है न कि बतौर इबादत।
- (3) अमामा बाँध कर नमाज़ पढ़ाना औला और मुस्तहब है।
- (4) बिला अमामा भी नमाज़ मकरूह नहीं।
- (5) हुजूर (स.अ.व.) से बिला अमामा नमाज़ साबित है।
- (6) अग्रे वाजिब का सा मुआमला अग्रे मुस्तहब के साथ करना नाजाइज़ है।

(7) जिन शहरों में बिला अमामा के मुअज़्ज़ज़ मज़ालिस में जाना आर की बात हो, वहाँ नमाज़ भी बिला अमामा मकरूह है।

(8) कभी कभी मुस्तहब के मुक़ाबिल रुख़सत यानी महज़ मुबाह पर भी अमल करना चाहिए। ख़ास कर ऐसी जगह जहाँ मुस्तहब पर इसरार किया जाता हो कि उससे मन्दूब हद्दे कराहत तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से फ़साद पर आमादा होना तो बड़ी जिहालत और गुनाह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-56)

अमामा बाँध कर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है लेकिन बग़ैर अमामा के भी बिला कराहत दुरुस्त है, अलबत्ता जिस जगह अमामा का इतना रिवाज हो कि बग़ैर अमामा के किसी मुअज़्ज़ज़ मजलिस में जाते हों बल्कि अपने घर से भी न निकलते हों तो ऐसी जगह बग़ैर अमामा नमाज़ पढ़ाना और पढ़ना मकरूह है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-74)

अमामा बाँध कर नमाज़ पढ़ाना मुस्तहब है, लेकिन कभी कभी न बाँधा जाए ताकि अमामा उसको लाज़िम और ज़रूरी न समझ लें।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-357)

रूमाल लपेट कर नमाज़ पढ़ाना

सवाल: ऐसा रूमाल लपेट कर नमाज़ पढ़ाए कि जिसमें सर का दरमियानी हिस्सा खुला रहे तो क्या नमाज़ होगी या नहीं?

जवाब: टोपी पहननी चाहिए। नमाज़ के वक़्त इस तरह सर पर रूमाल लपेटना मकरूह और मना है। फ़तावा

काजी खाँ में है: सर पर रूमाल इस तरह लपेटना कि दरमियानी हिस्सा खुला रहे, ये मकरूह है।

(फतावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-185, बहवाला काजी खाँ जिल्द-1 सफ़हा-57)

अमामा और शमला की लम्बाई की हद

सवाल: कितना अमामा बाँधना सुन्नत है और उसका कितना शमला पीछे छोड़ना मसनून है। अगर कोई सुरीन तक छोड़े तो नमाज़ में नुक़सान आता है या नहीं? एक शख़्स कहता है अगर शमला सवा बालिशत से ज़्यादा छोड़े तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होती है। इस बारे में शरअन क्या हुक्म है?

जवाब: दुर्रमुख़्तार में है अमामा का शमला पीछे छोड़ना मुस्तहब है और वस्ते ज़हर यानी कमर के दरमियान तक शमला का होना मुस्तहब है और बाज़ ने कहा है एक बालिशत होगा और उस शख़्स का ये कहना कि अगर सवा बालिशत से ज़्यादा शमला छोड़े तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी, ग़लत है। वस्ते ज़हर तक होना शमला का या एक बालिशत होना, ये सब उमूरे मुस्तहब्बा में से हैं। इसके खिलाफ़ करना मकरूहे तहरीमी नहीं है और नमाज़ में कुछ कराहत नहीं आती। एक कौल शमला के बारे में दुर्रमुख़्तार में ये भी है कि मौज़ए जुलूस तक शमला का होना मुस्तहब है। इससे मालूम हुआ कि कमर की जड़ तक यानी सुरीन के शुरू तक भी शमला का होना मकरूह नहीं है। शमला छोटा हो या बड़ा इसी तरह अमामा के

तूल (लम्बाई) की शरअन कोई खास हद नहीं है। आँहज़रत (स.अ.व.) का अमामा कभी बारह हाथ का हुआ है और कभी सात हाथ का, और दूसरों को आप (स.अ.व.) ने किसी मुतअयन लम्बाई वाले अमामा का हुक्म नहीं फ़रमाया। फ़स जितना लम्बा अमाम हो और जितना बाँधने की आदत हो बाँध ले, कुछ वहम न करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-138, बहवाला अलबहरुरराइक़ बाबु मा युफ़िसदुस्सलात व मा यकरहु फ़ीहा जिल्द-2 सफ़हा-27)

इमाम पर मुक्तादी की रिआयत

सवाल: जो इमाम किराअत ख़त्म करने के बाद रुकूअ में जाते वक़्त लफ़ज़ अल्लाहुअकबर को इस क़दर लम्बा कर के कहता है कि अक्सर नमाज़ी उससे पहले रुकूअ में चले जाते हैं। क्या ऐसी सूरत में मुक्तादियों की रिआयत के लिए मामूली किराअत और देर न लगा कर रुकूअ में चला जाना इमाम पर वाजिब है या नहीं?

जवाब: बेशक मुक्तादियों की रिआयत, ऐसे मवाक़ेअ पर मुनासिब है और तकबीर को ज़्यादा तवील न करे, बल्कि मुख़्तसर करे, ताकि मुक्तादियों की तकबीर पहले ख़त्म न हो।

और मुक्तादियों को मुनासिब है कि देर में तकबीर शुरू करें ताकि इमाम पर सबक़त न हो जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-93, बहवाला मिशकात शरीफ़ सफ़हा-101)

इमाम के लिए तस्बीहात की तादाद

मुन्फरिद (तन्हा पढ़ने वाले) को इजाजत है, ख्वाह तीन मरतबा तस्बीहात पढ़े या पाँच या सात या और ज़्यादा, मगर ताक़ पढ़े।

अलबत्ता इमाम ज़्यादा तस्बीहात न कहे, बल्कि इसका लिहाज़ रखे कि मुक्त्तदी इत्मीनान के साथ तीन बार तस्बीह पूरी कर लें।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-296, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-462)

मुस्तहब ये है कि इमाम पाँच बार तस्बीह पढ़े। अगर तीन बार कहे तो इस तरह कहे कि मुक्त्तदियों को तीन बार तस्बीह कहने का मौका मुयस्सर आए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-371)

इमाम साहब सन्नतें पढ़ने वाले का इंतज़ार करें या नहीं?

सवाल: जुहर की नमाज़ दो बजे होती है, अभी दो बजने में तीन मिनट बाकी थे, एक शख्स ने सुन्नतों की नीयत बाँध ली, तीसरी रकअत में दो बज गए। तो क्या इमाम साहब को इतनी ताख़ीर की इजाजत है या नहीं कि वह शख्स चार रकअत पूरी कर ले?

जवाब: इस क़दर इजाजत है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-47, बहवाला फ़तावा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-53)

मुक्तदी न आएँ तो इमाम तन्हा नमाज़ पढ़ सकता है?

सवाल: एक मस्जिद फ़ासिला पर है, इसलिए उसमें जमाअत अक्सर नहीं होती है। इमाम जो वहाँ मकर्रर है इस सूरत में मुक्तदियों के न पहुंचने पर तन्हा नमाज़ पढ़ ले तो तर्क जमाअत का गुनाह तो न होगा?

जवाब: इस सूरत में तर्क जमाअत का गुनाह इमाम साहब पर नहीं है, बल्कि जब कोई न आए तो इमाम, अज़ान व इक़ामत कह कर तन्हा नमाज़ पढ़ लिया करे, इसमें जमाअत का सवाब भी उसको हासिल होगा और मस्जिद का हक़ भी अदा होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-53, बहवाला रद्दुमुहतार बाबुअहकामिलमस्जिद जिल्द-1 सफ़हा-617)

इमाम के लिए मउीयन आदमी का इंतज़ार

सवाल: क्या एक शख्स के बाइस जमाअत में तारखीर करना जाइज़ है, जब कि मुस्तकिल इमाम मौजूद हो। अगर वह शख्स नहीं आता तो बजाए एक बजे के डेढ़ और दो बजे ज़माअत होती है और उसके बुलाने के लिए पै दर पै आदमी भेजा जाता है। ये फ़ेल (फ़ेअल) शरीअत की नज़र में मज़मूम है या ममदूह?

जवाब: वक्ते मुकर्रर पर अगर और नमाज़ी आ जाएँ तो किसी ख़ास शख्स का इंतज़ार जाइज़ नहीं। मगर जब वक्ते मुस्तहब में गुंजाइश हो और कौम पर गिरानी

भी न हो, या ये शख्स शरीर और फितना परदाज हो तो किसी कदर इतिज़ार में मुज़ाएका नहीं। अगर वह दीनी उमूर में मशगूल रहता है तो उसको नमाज़ की इत्तिला करने में मुज़ाएका नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-223, बहवाला तहतावी जिल्द-1 सफ़हा-220)

इमाम अगर किसी दुनियादार रईस का इतिज़ार करता है और हाज़िरीन की रिआयत नहीं करता तो इमाम और मुकब्बिर दोनों गुनहगार हैं, मगर नमाज़ उनके पीछे हो जाती है। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-228)

आने वाले के लिए किराअत या रुकूअ लम्बा करना

सवाल: अगर इमाम नमाज़ी के आने की वजह से किराअत या रुकूअ लम्बा करे कि नमाज़ी शामिल हो जाएँ, तो क्या गुनहमार होगा?

जवाब: अगर इमाम ने किसी नमाज़ी को पहचान लिया, और उसकी खातिर किराअत या रुकूअ को लम्बा किया तो मकरूहे तहरीमी है, अलबत्ता बग़ैर पहचाने लम्बा करने में कोई कराहत नहीं।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-314)

इमाम के सलाम के वक्त इफ़ितादा करना

सवाल: इमाम साहब ने नमाज़ ख़त्म की, पहला सलाम फ़ेरते हुए अभी "अस्सलामु" का लफ़ज़ बोला "अलैकुम"

नहीं बोला, कि किसी ने इक़्तिदा की, उसकी ये इक़्तिदा सहीह होगी या नहीं?

जवाब: मज़कूरा बाला इक़्तिदा सहीह नहीं है। दोबारा तकबीरे तहरीमा कह कर नमाज़ शुरू करे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-205, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-436)

जाती रंजिश की बिन पर जमाअत से ग़रेज़

सवाल: बाज़ लोग जाती रंजिश की बिना पर अपने इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते और दूसरे नमाज़ियों को भी बहकाते हैं कि जब हमारा दिल साफ़ नहीं तो हमारी नमाज़ नहीं होती, तो क्या उनका ये कौल दुरुस्त है?

जवाब: इमाम से दिल साफ़ न रखना अगरच़े बुरा है, लेकिन नमाज़ फिर भी हो जाती है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-82)

बग़ैर बजहे शरई इमाम के पीछे नमाज़ का तर्क

कुतुबे फ़िक्ह में लिखा है कि अगर इमाम बेकुसूर हो, और लोग उसकी इक़्तिदा से कराहत करें तो गुनाह नमाज़ छोड़ने वालों पर है। और अगर इमाम में कुसूर हो तो उस इमाम को इमामत करना ऐसे लोगों की जो उसकी इमामत से नाख़ुश हों, मकरूह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-77, बहवाला रहुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-522)

इमाम व मुक्तदियों को कब खड़ा होना चाहिए?

अगर इमाम पहले से मुसल्ले से करीब है तो जब मुकब्बिर (तकबीर कहने वाला) हैया अलस्सलाह कहे, इमाम साहब और मुक्तदी सब खड़े हो जाएँ और अगर इमाम साहब सफ़ों की तरफ़ से आएँ तो जिस सफ़ पर इमाम पहुंचता जाए उस सफ़ के नमाज़ी खड़े होते जाएँ, यहाँ तक कि जब इमाम मुसल्ले पर पहुंचे तो सब खड़े हो चुके हों।

अगर इमाम साहब सामने से आएँ तो जैसे ही इमाम पर नज़र पड़े सब नमाज़ी खड़े हो जाएँ, मुसल्ले तक पहुंचने का इतिज़ार न करें।

पहली सूरत में हैयाअस्सलाह पर खड़े होने को लिखा गया है, तो उसका मतलब ये है कि उसके बाद न बैठा रहे (मसलन कोई शख्स तस्बीह पढ़ रहा है और खत्म होने से पहले तकबीर शुरू हो गई तो वह मुकब्बिर की हैयाअलस्सलाह पर पहुंचने तक अगर पूरी कर सके तो पूरी कर ले, उसके बाद न बैठा रहे) पस अगर शुरू इक़ामत ही के वक़्त खड़ा हो जाए तब भी मुज़ाइका नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-181)

अस्ल ये है कि जिस वक़्त मुकब्बिर हैयाअलफ़त्वाह कहे उस वक़्त खड़ा होना चाहिए, लेकिन अहादीस में तो सफ़ों सीधी करने की नीज़ दरमियान में जगह न छोड़ने की बहुत ताकीद आई है और आम तौर पर लोग मसाइल से नाआशाना हैं। इसलिए तकबीर शुरू होने से पहले ही

सफ़े सीधी कर ली जाएँ, ताकि तकबीर भी सब सुकून से सुन सकें, और उस वक़्त किसी किसम का शोर न हो।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-344)

इमाम के पीछे कैसे लोग खड़े हों?

इमाम के करीब अहले इल्म और अहले अक्ल का खड़ा होना बेहतर है, लेकिन अगर इमाम के करीब दूसरे नमाज़ी आ गए हों, तो उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नमाज़ हर तरह हो जाती है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-357)

फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-357 के हाशिए पर है कि "इमाम के पीछे खड़े होने का हक़ तो कानूनन" भी उन्ही को है जो पहले आएँ। इसलिए कि इमाम को वस्त में रखने का हुक़म है और फिर अगर सफ़ पूरी हो जाए तो दूसरी सफ़ भी इमाम के सामने ही से शुरू होती है।

लेकिन अगर अहले इल्म को दूसरे लोग तरजीह दें और अपनी जगह इमाम के पीछे खड़ा करें तो ये फ़ेल भी (ऐसा करना) दुरुस्त बल्कि मतलूब है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-357, बहवाला रहुलमुहतार बाबु जवाज़िल ईसार बिलकुर्ब जिल्द-1 सफ़हा-532)

जब कोई शख्स इमाम के पीछे खड़ा हो गया है तो किसी दूसरे नमाज़ी या इमाम को इसका हक़ नहीं कि उसकी जगह से उसको हटा दे, हाँ अगर वह खुद हटने पर रज़ामंद हो जाए तो मुज़ाइका नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-196, बहवाला

तहतावी सफ़हा-304)

इमाम के पीछे मुअज़्ज़िन की जगह मुतअय्यन करना

मस्जिद में किसी के लिए भी जगह मुतअय्यन करना जाइज़ नहीं, मुअज़्ज़िन अगर इमाम से करीब रहना चाहता है तो दूसरे नमाज़ियों से पहले आ जाए, वरना जहाँ भी जगह मिले वहीं इक़ामत कह दे, इक़ामत के लिए सफ़े औवल या इमाम के पीछे (कुर्ब की) कोई क़ैद नहीं। (अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-95)

इमाम का तकबीर के वक़्त मुसल्ले पर होना

ये ज़रूरी नहीं कि जब इमाम मुसल्ले पर खड़ा हो तब तकबीर शुरू की जाए, बल्कि इमाम जब कि मस्जिद में मौजूद हो, तकबीर कहना दुरुस्त है। इमाम तकबीर सुन कर खुद मुसल्ले पर आ जाएगा, जैसा कि दुर्रमुख्तार की इस इबारत से ज़ाहिर होता है:

”رَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْمُؤْتَمِّمِينَ حِينَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَقْرُبُ
الْمِحْرَابَ وَالْأَلْفِيقُومُ كُلِّ صَفٍّ يَتَّبِعُ إِلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى الْأَطْهَرِ الْخِ”

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-112 बहवाला
रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-447)

तकबीर के बाद इमाम का देर तक रुक कर नीयत बाँधना

सवाल: एक शख्स ने जुहर की सुन्नतों की नीयत

बाँधी, सिर्फ़ एक रकअत पढ़ी थी कि तकबीर हो गई, जिस वक़्त तक शरूअे मज़कूर की चार रकअत पूरी हुई, इमाम साहब मुसल्ले पर नहीं गए। जब वह चारों रकअतें अदा कर चुका तब इमाम साहब मुसल्ले पर पहुंचे और पहली तकबीर से नमाज़ अदा की गई। नमाज़ हो गई या नहीं?

जवाब: इस सूरत में नमाज़ हो गई और तकबीर के एआदा की ज़रूरत नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-317, बहवाला रदुलमुहतार बाबुलअज़ान जिल्द-1 सफ़हा-3)

इमाम ने बग़ैर तकबीर के जमाअत शरू कर दी तो

क्या हुक्म है

सवाल: इमाम साहब ने मुसल्ले पर खड़े हो कर मुक्तादियों को तकबीर के लिए कहा, तकबीर में किसी वजह से ताख़ीर हो गई, इमाम ने बकद्रे तकबीर ताख़ीर कर के बवज्हे जुअफ़े सिमाअ के न सुना और नीयत बाँध ली तो नमाज़ या सवाबे जमाअत में कुछ हरज वाक़ेअ होगा या नहीं?

जवाब: इस सूरत में नमाज़ हो गई और सवाबे जमाअत भी मिल गया, और इक़ामत जो कि सुन्नत है, मतरुक हो गई, लेकिन बवज्हे अदमे सिमाअ (न सुनने की वजह से) ऐसा हुआ इसलिए कुछ गुनाह नहीं हुआ।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-92, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-50 बाबुलअज़ान)

इमाम के अमामा बाँधते वक़्त इक़ामत ख़त्म हो गई तो क्या हुक्म है

सवाल: इमाम मुसल्ले पर अमाम या रूमाल बाँध रहा था, मुअज़्ज़िन ने तकबीर ख़त्म कर दी, इमाम ने कहा फिर तकबीर कहो, तो क्या दोबारा तकबीर की ज़रूरत थी?

जवाब: दोबारा तकबीर कहने की इस सूरत में ज़रूरत न थी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-116, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलअज़ान जिल्द-1 सफ़हा-371)

इमाम के क़दक़ामतिस्सलात पर हाथ बाँधने का हुक्म

सवाल: अगर कोई इमाम पूरी तकबीर न होने दे, हमेशा क़दक़ामतिस्सलात पर नीयत बाँध ले तो कैसा है?

जवाब: बेहतर ये है कि तकबीर ख़त्म होने पर इमाम नीयत बाँधे और अगर क़दक़ामत पर नीयत बाँधे तो ये भी जाइज़ है, मगर पहली सूरते औला है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-113)

असह और मोतदिल मज़हब ये है कि जब तक तकबीर से फ़ारिग़ न हो, उस वक़्त तक इमाम नमाज़ शुरू न करे, क्योंकि इसमें पूरी तकबीर का जवाब सब दे सकेंगे जो कि मुस्तहब व मसनून है।

हदीस में है कि जिस वक़्त मुकब्बिर क़दक़ामतिस्सलात

कहता था तो आँहजरत (स.अ.व.) अकामहल्लाह व अदामहा पढ़ते थे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-213, बहवाला हदीस अबूदाऊद व मिश्कात)

इमाम किस तरह नीयत करे

इस तरह नीयत करें। (1) मैं ख़ालिस खुदा के लिए नमाज़ पढ़ता हूँ। (2) फ़र्ज नमाज़ पढ़ता हूँ (वाजिब वगैरा हों तो उसका ख़्याल करे) (3) जिस वक़्त की नमाज़ हो। (जुहर या अस्म वगैरा) उसका तसव्वुर करे।

”وَكَفَى مُطْلَقُ نِيَّةِ الصَّلَاةِ لِنَفْلٍ وَسُنَّةٍ وَتَرَاوِيحٍ وَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ عِنْدَ النِّيَّةِ لِقَرُصٍ وَلَوْ قَضَاءً وَوَأَجِبَ دُونَ عَدَدِ رُكْعَاتِهِ وَيَتَوَى الْمُقْتَدِي الْمَتَابَعَةَ“ (تنوير الابصار)

इमाम को इमामत की नीयत करना ज़रूरी नहीं है। चुनांचे तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे कोई नीयत बाँध रहा है तो उसको इमामत की नीयत कर लेनी चाहिए ताकि उसको इमामत का सवाब मिल जाए। हाँ! मुक़्तदी के लिए इक़्तिदा की नीयत करना ज़रूरी है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-167, बहवाला दर्रेमुख़ार मअ शामी जिल्द-1 सफ़हा-394)

नमाज़ की नीयत किस ज़बान में ज़रूरी है

नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं। अगर कहे तो बेहतर है और ज़बान से

किसी ज़बान में उर्दू, फ़ारसी वगैरा में कह लेवे तो कुछ हरज नहीं। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-149, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-61)

इमाम को मूक्तदी औरत की नीयत करना

अगर औरत मर्द के मुहाज़ी न खड़ी हो तो इमाम को उसकी इमामत की नीयत करना ज़रूरी नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-149, बहवाला रदुलमुहतार बाबुन फिन्नीयति जिल्द-1 सफ़हा-394)

हनफीया (रह.) के नज़दीक सेहते नमाज़ के लिए इमाम का इमामत की नीयत करना इस हाल में शर्त है जबकि वह औरतों की इमामत कर रहा हो। पस अगर औरतों का इमाम बनने की नीयत नहीं की तो औरतों की नमाज़ फ़ासिद होगी, हाँ इमाम की नमाज़ सहीह हो जाएगी।

(किताबुलफिक्ह जिल्द-1 सफ़हा-686)

हनफीया कहते हैं कि इमामत की नीयत सिर्फ़ एक सूरत में लाज़िम आती है, जबकि कोई शख्स औरतों की इमामत कर रहा हो ताकि मुहाज़ात यानी औरत के मर्द के बराबर खड़े हो जाने के मसअला में गड़बड़ न हो।

(किताबुलफिक्ह अललमज़ाहि बिल अरबआ जिल्द-1 सफ़हा-346)

ज़बान से कल्बी नीयत के रिबलाफ़ का हुक्म

नीयत सिर्फ़ इरादा से होती है, ज़बान से अलफ़ाज़

कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़बान से कल्बी नीयत के ख़िलाफ़ भी हो जाए तो नमाज़ हो जाएगी। कल्ब की नीयत का अदना दर्जा ये है कि किसी के सवाल करने पर फ़ौरन बता सके कि क्या पढ़ना चाहता है। कल्बी नीयत में नफ़ल, सुन्नत और तरावीह वगैरा किसी किस्म के तअयुन की ज़रूरत नहीं, मुतलक़ नमाज़ की नीयत काफी है। अलबत्ता फ़र्ज और वाजिब में सिर्फ़ इतनी तअयीन ज़रूरी है कि जुहर के फ़र्ज हैं या अस्म के और वाजिब में ये कि वित्र है या नज़र, और उनमें दिन और रकआत की तादाद की नीयत की ज़रूरत नहीं बल्कि उसमें भी कल्बी नीयत की ग़लती मुज़िर नहीं।

अगर नमाज़ से कब्ल ज़बान और दिल में इख़तिलाफ़ पाया जाए तो कल्ब की नीयत का एतेबार है, ज़बान की ग़लती मोतबर नहीं और अगर नमाज़ शुरू करने के बाद दिल से नीयत बदले तो ये मोतबर नहीं।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-16,17, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-360)

तकबीरे तहरीमा के बाद नीयत करने से नमाज़ न होगी

सवाल: ज़ैद ने तकबीरे तहरीमा कह कर हाथ नाफ़ पर बाँध कर फिर ज़बान से पूरी नीयत कर के तअौवुज़, तस्मिया, फ़ातिहा और किराअत कर के नमाज़ पूरी की तो नमाज़ हुई या नहीं?

जवाब: तकबीरे तहरीमा ख़त्म होने से पहले नीयत ज़रूरी है। इसलिए ज़ैद की नमाज़ नहीं हुई और अगर

तकबीरे तहरीमा खत्म होने से कबूल दिल में नमाज़ की नीयत कर ली थी तो अगरचे कल्बी नीयत की वजह से नमाज़ की इब्तिदा सहीह हो गई मगर बाद में नीयत के अलफ़ाज़ कहने से नमाज़ फ़ासिद हो गई।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-13, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-448)

तहरीमा में उंगलियों की कैफ़ियत

तकबीरे तहरीमा के वक़्त उंगलियों को न खोलने की कोशिश करे और न आपस में मिलाने की, बल्कि अस्तल हालत पर रहने दे, अंगूठों को कानों की लौ से लगाए और हथेलियों को किब्ला रुख़ करे।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-19, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-450)

इमाम तकबीरे तहरीमा में उजलत न करे

रद्दुलमुहतार बाबुलइमामत जिल्द-1 सफ़हा-531 की इबारत "وَيَصِفُ الْإِمَامُ الْخ" से ये वाज़ेह होता है कि इमाम को ये ज़रूरी है कि वह मुक़्तदियों को बराबर खड़ा होने का और सफ़ सीधी करने का हुक्म करे। पस इमाम को चाहिए कि तकबीरे तहरीमा में ऐसी उजलत न करे कि सफ़ पूरी हो या न हो, और सफ़ सीधी हो या न हो, और सब नमाज़ी बराबर खड़े हों या न हों फ़ौरन नीयत बाँध ले, ऐसा हरगिज़ न करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-216)

यानी इमाम को चाहिए जिस वक़्त नमाज़ के लिए खड़ा हो पीछे मुक़्तदियों को चेक कर ले कि सब ठीक तरह खड़े हैं या नहीं, और सफ़ें सीधी भी हैं या नहीं और मुक़्तदियों के दरमियान ख़ला तो नहीं, यानी मोंडे से मोंडा मिला होना चाहिए इसकी हदीस में ताकीद आई है।

तकबीरे तहरीमा का तरीका

सवाल: तकबीरे तहरीमा कब कहे, हाथ बाँधने से पहले या हाथ बाँध कर?

(1) अगर इमाम कान तक हाथ उठाने के बाद जब नाफ़ तक ले जाए तो उस वक़्त तकबीरे तहरीमा कहे तो नमाज़ सहीह होगी या नहीं?

(2) अगर इमाम का हाथ नाफ़ तक पहुंचने पर तकबीर का एक लफ़ज़ (अल्लाह) कहे और हाथ बाँधने के बाद दूसरा (अकबर) कहे, तो नमाज़ सहीह होगी या नहीं?

(3) तकबीरे तहरीमा कब शुरू करे और कब ख़त्म करे?

(4) रुकूअ व सुजूद का सहीह तरीका क्या है?

(5) अगर इमाम नमाज़ में तकबीरात, ख़िलाफ़े सुन्नत कहे तो शरई हुक्म क्या है?

जवाब: तकबीरे तहरीमा या तकबीरे ऊला और रफ़एयदैन् के बारे में तीन कौल हैं।

(1) पहले रफ़एयदैन् करे यानी दोनों हाथ कानों तक

उठा कर तकबीर (अल्लाहुअकबर) शुरू करे और तकबीर खत्म होते ही हाथ बाँध ले।

(2) तकबीर और रफ़ायदैन दोनों एक साथ शुरू करे और एक साथ खत्म करे।

(3) पहले तकबीर शुरू कर के फ़ौरन हाथ उठा कर एक साथ खत्म करे।

(बहरुर्राइक जिल्द-1 सफ़हा-305, बहवाला दुर्रेमुख्तार मज़ शामी जिल्द-1 सफ़हा-465)

मज़कूरा तीनों सूरतों में से पहली और दूसरी सूरत अफ़ज़ल है और तीसरी सूरत भी जाइज़ है मगर मामूल बिहा नहीं है।

(हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-84)

और जौहरा में है: असह ये है कि औवलन नमाज़ी दोनों हाथ उठाए जब दोनों हाथ कानों के मुहाज़ात में पहुंच कर ठहर जाएँ तब तकबीर शुरू करे।

(जौहरा जिल्द-1 सफ़हा-49)

सूरते मसऊला में नमाज़ हो गई, लेकिन हाथ बाँधने तक तकबीर को मुअख़्खर करने की आदत ग़लत और मकरूह है। ये सना पढ़ने का महल है न कि तकबीर कहने का, तकबीर हाथ बाँधने तक खत्म हो जानी चाहिए।

हाथ बाँधने तक मुअख़्खर करने में ये भी ख़राबी है कि ऊँचा सुनने वाला और बहरा मुक़्तदी इमाम के रफ़ायदैन को देख कर तकबीरे तहरीमा कहेगा तो इमाम से पहले तकबीर कहने की बिना पर उसकी इक़्तदा और नमाज़ सहीह न होगी, क्योंकि अगर तकबीर का पहला लफ़ज़ (अकबर) इमाम के खत्म करने से पहले खत्म कर

दे तब भी इक्तिदा सहीह न होगी। (दुर्रमुख्तार मअ शामी जिल्द-1 सफ़हा-448) लिहाज़ा इमाम को ये आदत तर्क करनी चाहिए।

जवाब (2): रुकूअ व सुजूद की तकबीरात का मसनून तरीका ये है कि रुकूअ के लिए झुकने के साथ तकबीर शुरु कर दे और रुकूअ में पहुंचते ही ख़त्म करे रुकूअ व सुजूद में पहुंच कर तकबीर कहना ख़िलाफ़े सुन्नत और मकरूह है और दो तरह की कराहियत लाज़िम आती है। एक कराहत तर्क महल की, क्योंकि ये तकबीरें, तकबीराते इंतिकाल कहलाती हैं, रुकूअ और सज्दा की तरफ़ मुन्तकिल होने यानी रुकूअ के लिए झुकने और सज्दा में जाने के वक़्त उनको कहना चाहिए था। ये उनका महल था जिसको तर्क कर दिया।

दूसरी कराहित अदाए बेमहल की, यानी जिस वक़्त तकबीर कह रहा है सुब्हान रब्बीयलअज़ीम या सुब्हान रब्बीयलआला कहने का वक़्त था तकबीर का वक़्त नहीं था। उस वक़्त तकबीर बेमहल है।

(मुनीयतुलमुसल्ली सफ़हा-88, 94 व कबीरी सफ़हा-445) मुख़्तसर ये कि इमाम का ये अमल ख़िलाफ़े सुन्नत है। उन्हें सुन्नत के मुताबिक़ अमल करना लाज़िम है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-233)

तकबीरे तहरीमा के बाद और वित्र में दुआए कुनूत से पहले, इसी तरह नमाज़े ईद की पहली रकअत में तीसरी तकबीर के वक़्त हाथ उठा कर बाँध लिए जाएँ। हाथ छोड़ कर फिर बाँधना कहीं से साबित नहीं।

इख़तिलाफ़ इस बात में है कि सना और किराअत

करने की हालत में हाथ बाँधे या छोड़े रखे। इमाम अबूहनीफा (रह.) के नजदीक और इमाम अबूयूसुफ़ (रह.) के नजदीक हाथ बाँधने का हुक्म है (उनके नजदीक हाथ बाँधना किराअत के आदाब में से है) यानी जब नमाज़ शुरू करने का इरादा करे तो अपनी हथेलियाँ आस्तीन से निकाले फिर उनको कानों के मुकाबिल उठाए फिर तकबीर कहे बिला मद के, नीयत करते हुए फिर दाहने हाथ को बाएँ हाथ पर नाफ़ के नीचे रखे। तहरीमा के बाद बिला ताख़ीर के सना पढ़े।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-37, बहवाला नूरलईज़ह सफ़हा-6 कलजौहरतुननैयरह जिल्द-1 सफ़हा-50)

इमाम को तकबीरात किस तरह कहनी चाहिये

अक्सर व बेशतर इमाम को देखा जाता है कि नमाज़ पढ़ाते वक़्त तकबीराते इंतिकालिया, हरकते इंतिकालिया के साथ साथ नहीं कहते, बल्कि कभी तो मुन्तकिल होने के बाद तकबीर कहते हैं और कभी दूसरे रुकन तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। मसलन कयाम की हालत से मुन्तकिल हो कर रुकूअ में जाते हैं तो बाज़ इमाम झुकने के बाद अल्लाहुअकबर कहते हैं, और बाज़ इमाम इस क़दर जल्द अल्लाहुअकबर कहते हैं कि रुकूअ में पूरे तौर पर पहुंचने से पहले ही अल्लाहुअकबर की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह सज्दा में जाते वक़्त और सज्दा से दूसरी रकअत के लिए खड़े होते वक़्त भी करते हैं।

वाज़ेह रहे कि इन दोनों सूरतों में तकबीर की सुन्नतें कामिल अदा नहीं हुईं, कामिल सुन्नत उस वक़्त ही अदा होती है जबकि एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ़ मुत्तकिल होने के साथ साथ तकबीरात शुरू करे और ज्योंहि दूसरे रुकन में पहुंचे, तकबीर की आवाज़ बंद हो जाए। और बाज़ इमाम अल्लाहुअकबर को इस तरह खींचते हैं कि दूसरे रुकन में पहुंच जाने के बाद भी कुछ देर तक उनकी तकबीर की आवाज़ आती रहती है। इस दर्जा तकबीर को खींचना मकरूह है।

(मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-71 बहवाला कबीरी सफ़हा-313)

बाज़ इमाम तकबीर कहने में बड़ी बे एहतियाती करते हैं और अल्लाहुअकबर कहने के बजाए अल्लाहुअकबार कहते हैं, यानी बा और रा के दरमियान अलिफ़ बढ़ा देते हैं। इसी तरह बाज़ इमाम अल्लाहुअकबर के शुरू में मद करते हैं और आल्लाहुअकबर कहते हैं। ये दोनों सूरतें बिल्कुल ग़लत हैं। इन दोनों सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। और अगर तकबीरे तहरीमा में इस तरह कह दिया तो नमाज़ का शुरू करना ही सहीह न होगा।

(मसाएले सज्दए सहव सफ़हा-73)

अल्लामा शामी रहमतुल्ला अलैह ने हिलया वगैरा से नक़ल फ़रमाया है कि तकबीर में इस्मे जात "अल्लाह" और अकबर के अलिफ़ को खींच कर पढ़ना मुफ़्सिदे नमाज़ है, और लाम को इतना खींचना कि एक अलिफ़ मज़ीद पैदा हो जाए, मकरूह है, मुफ़्सिद नहीं, इसी तरह हा को खींचना मकरूह है। बा की मद के मुफ़्सिद होने में इख़िलाफ़

है और रा पर पेश खींच कर पढ़ना मुफ़सिद नहीं है।

मगर गलबए जेहल की वजह से मुतअख़िख़रीन का ये फ़ैसला है कि एराब और मद की ग़लती मुफ़सिद नहीं, अलबत्ता अगर कोई तंबीह के बावजूद इसलाह की कोशिश नहीं करता तो उसकी नमाज़ नहीं होगी और ग़लत ख़्वाँ को इमाम बनाना बहरसूरत नाजाइज़ है, बजुज़ इस मजबूरी के कि कोई सहीह पढ़ने वाला मौजूद न हो।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-424)

तहरीमा में आम ग़लती

बाज़ मरतबा मुक्त्तदी भी ऐसी ग़लती कर बैठते हैं कि जिससे उनकी नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, मसलन इमाम के तकबीर तहरीमा अल्लाहुअकबर कहने से पहले मुक्त्तदी अल्लाहुअकबर कह देते हैं, या इमाम के लफ़ज़ अल्लाह ख़त्म होने से पहले ही लफ़ज़ अल्लाह कह देते हैं। इन दोनों सूरतों में नमाज़ का शुरु करना ही सहीह नहीं होता। उन मुक्त्तदियों को चाहिए कि वह फिर से दोबारा अल्लाहुअकबर कह कर इमाम के पीछे नीयत बाँधें।

(मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-74, बहवाला सगीरी सफ़हा-143)

अक्सर मुक्त्तदियों को देखा जाता है कि अगर इमाम रुकूअ में चला गया तो उसके साथ रुकूअ में शरीक होने के लिए सीधे खड़े हुए बग़ैर, अल्लाहुअकबर कहते हुए रुकूअ में चले जाते हैं, इस तौर पर कि उनकी अल्लाहुअकबर की आवाज़ रुकूअ में पहुंच कर ख़त्म होती है।

इस तरह नमाज़ में शरीक होना दुरुस्त नहीं, तकबीरे तहरीमा से फारिग होने तक खड़ा होना फर्ज है, यानी सीधे खड़े होकर अल्लाहुअकबर की आवाज़ खत्म हो जाए उसके बाद रुकूअ के लिए झुकना चाहिए। अगर तकबीराते तहरीमा बहालते कयाम यानी कयाम की हालत में खत्म न हों तो उसका नमाज़ में शुमूल सहीह नहीं हुआ।

(किफायतुलमुफती जिल्द-3 सफ़हा-391)

मसनून तरीका ये है कि कयाम की हालत में तकबीरे तहरीमा कह कर फिर फौरन दूसरी तकबीर कहता हुआ रुकूअ में चला जाए, तकबीरे तहरीमा के बाद हाथ न बाँधे रुकूअ में इमाम के साथ ज़रा सी शिरकत काफी है। यहाँ तक कि अगर मुक्तदी इस हालत में रुकूअ के लिए झुका कि इमाम रुकूअ से उठ रहा है मगर इमाम अभी सीधा नहीं होने पाया था कि उसके हाथ रुकूअ तक पहुंच गए, तो उसको ये रकअत मिल गई, इसलिए कि एक तस्बीह के बराबर (बक़दरे तस्बीहतिन वाहिदतिन) रुकूअ में ठहरना वाजिब है, उसके बाद बकिया तस्बीहात छोड़ कर इमाम की इत्तिबा वाजिब है।

(अहसनुलफतावा जिल्द-3 सफ़हा-288)

तकबीर में जेहर की भिक्दार

सवाल: इमाम का बाज़ तकबीरात को इस तरह जेहर (ज़ोर) से बोलना कि मस्जिद से बाहर सड़क तक सुनाई दे और बाज़ तकबीरात को इतनी आहिस्ता बोलना कि दूसरी, तीसरी सफ़ वाले भी न सुनें, कैसा है?

जवाब: इमाम को किराअत और तकबीरात के जेहर में दरमियानी तरीका को इखतियार करना चाहिए, और कद्रे हाजत के मुवाफिक जेहर करना चाहिए, और ये फर्क और तफावुत तकबीरात के दरमियान, कि बाज को जेहरे मुफरित से अदा करना और बाज को कद्रे हाजत से भी कम कर देना मजमूम और बेअस्ल है, शरीअत में उसकी कोई अस्ल नहीं है। सिर्फ सलाम में तो फुकहा ने ये लिखा है कि दूसरे सलाम को पहले सलाम से कुछ पस्त आवाज से कहे और उसके अलावा और किसी जगह जेहर में तफावुते दरजात नहीं है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफहा-180, बहवाला रहुलमुहतार फस्लुन फिलकिराअति जिल्द-1 सफहा-497 व बाबु सिफतिस्सलात जिल्द-1 सफहा-443)

इमाम के लिए जोर से तकबीर कहना मसनून है। इसीलिए उसके तर्क से सज्दए सहव तो नहीं अलबत्ता तर्क सुन्नत का गुनाह होगा। और जेहर की हद ये है कि पूरी सफे औवल तक आवाज पहुंचे।

(अहसनुल फतावा जिल्द-3 सफहा-366, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफहा-499)

किराअत में जेहर की मिक्दार

सवाल: इमाम, तरावीह बगैरा जेहरी नमाजों में किराअत किस कदर जोर से करे?

जवाब: अफज़ल ये है कि इमाम जेहरी नमाजों में बिला तकल्लुफ़ इस कदर जोर से पढ़े कि मुक्तादी किराअत

सुन सकें, इससे ज़्यादा तकल्लुफ़ कर के पढ़ना मकरूह और मना है। इरशादे रब्बानी है: "وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا" (बनी इसराईल पारा-15 रुकूअ-12) और न तुम अपनी नमाज़ों में ज़्यादा जोर से पढ़ो और न बिल्कुल आहिस्ता पढ़ो, उसके बीच दरमियानी राह इस्तियार करो।

मुफ़स्सिरीन फ़रमाते हैं कि नमाज़ में दरमियानी आवाज़ से किराअत करनी चाहिए, इससे कल्ब पर असर होता है, न इस कदर जोर से पढ़े कि कारी और सामेअ दोनों को तकलीफ़ हो कि उससे हुजूरे कल्ब में खलल आ जाए।

(ख़ुलासतुत्तफ़सीर जिल्द-3 सफ़हा-67 व तफ़सीर फ़तहुलमन्नान जिल्द-5 सफ़हा-96)

फ़ुकहाए किराम ज़ारे से पढ़ने में दो बातें ज़रूरी करार देते हैं। औवल ये कि पढ़ने वाला अपने ऊपर ग़ैर मामूली जोर न डाले (ये मकरूह है) दूसरे ये कि दूसरों को तकलीफ़ न हो। मसलन तहज्जुद के वक़्त कोई सो रहा है या कुछ लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं। आप उनके पास खड़े होकर इतनी बुलंद आवाज़ से किराअत करने लगे कि उनके काम में खलल हो, तो ये भी मकरूह है। इन दोनों बातों के बाद तीसरी बात ये है कि जमाअत की कमी ज़्यादती का लिहाज़ करते हुए उसके बमोजिब किराअत करें। मसलन मुक़्तदियों की तीन सफ़ें हैं, आप इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि तीसरी सफ़ तक आवाज़ पहुंचती रहे, इससे ज़्यादा जोर से न पढ़ें कि बाहर तक आवाज़ पहुंचे।

फ़कीह अबूजाफ़र (रह.) का ये कौल है कि जितनी

बुलंद आवाज़ से पढ़े अच्छा है, बशर्तेकि पढ़ने वाले पर तअब ने हो और किसी को तकलीफ़ न पहुंचे। मगर दूसरे फुकहा का ये कौल है और राजेह यही है कि बकद्रे ज़रूरत आवाज़ बुलंद करे, यानी सिर्फ़ इतनी आवाज़ बुलंद करे कि तीसरी सफ़ तक आवाज़ पहुंचे, अलबत्ता अगर सफ़ें ज़्यादा हों तो आवाज़ को इससे बुलंद भी कर सकते हैं बशर्तेकि अपने ऊपर ज़्यादा ज़ोर न पड़े।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-351, बहवाला तहतावी अला मराकिलफ़लाह सफ़हा-137 व दरमुख्तार फ़स्ल फी वाजिबिस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-497 मुजम्मउल अनहर जिल्द-1 सफ़हा-103 आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-72)

इमाम कौमा और जलसा इत्मीनान से करे

सवाल: हमारे इमाम साहब रुकूअ के बाद कौमा में सीधे खड़े हुए बगैर सज्दा में चले जाते हैं और समिअल्लाहुलिमनहमिदह के साथ ही अल्लाहुअकबर कहते हैं। दरमियान में ज़रा भी नहीं ठहरते, न साँस तोड़ते हैं। इसी तरह सज्दा के बाद जलसा की हालत में करते हैं और यही हालत सज्दा में जाने और सज्दा से उठने की तकबीरात की है, इन तकबीरात में वक्फ़ा नहीं करते। उनको देखते हुए मुक्तादी भी ऐसा ही करते हैं। शरअन क्या हुक्म है?

जवाब: इस तरह आदत कर लेना ग़लत है, नमाज़ मकरूह होती है और काबिले इआदा हो जाती है। कौमा और जलसा को इत्मीनान से अदा करना ज़रूरी है।

दुर्मुख्तार सफ़हा-465, 466, 472 की इबारतों का हासिल ये है कि रुकूअ के बाद सीधा खड़ा हो। क्योंकि ये कौमा सुन्नत है और उसको वाजिब और फ़र्ज़ भी कहा गया है फिर ज़मीन की तरफ़ झुकते हुए "अल्लाहुअकबर" कहे और दोनों घुटने ज़मीन पर रखे। इबारत में लफ़ज़ "सुम्मा" आया है जिसका मतलब यही है कि वक्फ़ा के साथ ठहर ठहर कर सज्दा में जाते हुए तकबीर कहते हुए झुकना शुरू करे ये तकबीर उस वक़्त ख़त्म हो जब झुकना ख़त्म हो, और पेशानी ज़मीन पर रखी जाए। फिर दोनों सज्दों के दरमियान इल्मीनान से बैठे, यानी इतनी देर बैठे कि सुब्हानल्लाह कहा जा सके। आँहज़रत (स.अ.व.) से कौमा और जलसा का तरीक़ा हज़रत आइशा (रज़ि.) ब्यान फ़रमाती हैं कि जब रुकूअ से अपना सरे मुबारक उठाते तो इल्मीनान से सीधे खड़े होते, फिर सज्दा में जाते, इसी तरह सज्दा के बाद सरे मुबारक को उठा कर बराबर सीधे बैठ जाते, तब दूसरा सज्दा फ़रमाते।

(मिशकात शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-75)

इसी तरह हज़रत अबूहमीद साअदी (रज़ि.) आँहज़रत (स.अ.व.) के कौमा का तरीक़ा ब्यान फ़रमाते हैं कि जब आँहज़रत (स.अ.व.) रुकूअ से अपना सरे मुबारक उठाते तो बराबर सीधे खड़े हो जाते यहाँ तक कि कमर मुबारक का जोड़ अपनी जगह ठहर जाता।

(मिशकात जिल्द-1 सफ़हा-75)

आँहज़रत (स.अ.व.) की नमाज़ के मुताबिक़ अपनी नमाज़ होनी ज़रूरी है। आप (स.अ.व.) का इरशाद है- "मुझे जिस तरह नमाज़ पढ़ते देख रहे हो उसी तरह तुम

नमाज़ पढ़ो।”

अगर हम खुद ही आँहज़रत (स.अ.व.) की नमाज़ के मुताबिक अदा करने की कोशिश न करें और खिलाफ़े सुन्नत नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ मकबूल न होगी और काबिले इआदा होगी। हदीस शरीफ़ में है कि: “आँहज़रत (स.अ.व.) मस्जिद में एक तरफ़ तशरीफ़ फ़रमा थे। एक शख्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी फिर आप के पास आया सलाम किया, आप ने फ़रमाया वअलैकुमुस्सलाम वापस जाओ नमाज़ पढ़ो तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी। वह वापस हुआ नमाज़ पढ़ी फिर आया, आप ने फिर यही फ़रमायास कि जाओ नमाज़ पढ़ो, तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी, दो या तीन मरतबा यही हुआ। तीसरी या चौथी मरतबा में उसने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह (स.अ.व.) मैं तो इससे बेहतर नमाज़ नहीं पढ़ सकता। आप मुझ को नमाज़ पढ़नी सिखा दीजिए। आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो पहले अच्छी तरह बुजू करो, फिर क़िबला रुख़ खड़े हो जाओ, फिर अल्लाहुअकबर कहो, फिर कुरआन जो तुम को याद है जितना आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर झुको और फिर इत्मीनान से रुकूअ करो फिर रुकूअ से उठो यहाँ तक कि इत्मीनान से सीधे खड़े हो जाओ। फिर सज्दा में जाओ और इत्मीनान से सज्दा करो, फिर सज्दा से उठो और इत्मीनान के साथ ठहर ठहर कर रुकूअ और हर एक रुक्न को अदा करो।

(मिशकात शरीफ़ बाबु सिफ़तिस्सलात सफ़हा-76)

फ़िक्ह और हदीस की तस्रीहात को देखिए, उनमें बार बार इत्मीनान की हिदायत की गई है।

आपके इमाम साहब अगर इल्मीनान के साथ ठहर ठहर कर रुकूअ, सज्दा, कौमा व जसला नहीं करते, समिअल्लाहुलिमनहमिदह और अल्लाहुअकबर लगातार कहते रहते हैं तो हदीस और फिक्ह की तरसीहात के खिलाफ करते हैं, जो सरासर बे अदबी और मकरूह है। मिश्कात सफ़हा-83 पर है: "बदतर और सब से बुरा चोर वह है जो अपनी नमाज़ में चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह (स.अ.व.) नमाज़ में किस तरह चोरी करता है? आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि नमाज़ में चोरी ये है कि रुकूअ व सुजूद को ठीक तौर पर अदा नहीं करता। फिर आप (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया— अल्लाह तआला उस शख्स की नमाज़ की तरफ़ नहीं देखता जो रुकूअ व सुजूद में अपनी पीठ को साबित नहीं रखता।"

आप (स.अ.व.) ने एक शख्स को नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि रुकूअ व सुजूद पूरा अदा नहीं कर रहा था तो फ़रमाया: "तू अल्लाह से नहीं डरता कि अगर तू इसी आदत पर मर गया तो दीने मुहम्मदी पर तेरी मौत न होगी।"

आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया: "तुम में से किसी की नमाज़ पूरी नहीं होती जब तक रुकूअ के बाद सीधा खड़ा न हो, और अपनी पीठ को साबित न रखे, और उसका हर एक अज़्व अपनी अपनी जगह पर करार न पकड़े।

इसी तरह आँहज़रत (स.अ.व.) ने फ़रमाया जो शख्स दोनों सज्दों के दरमियान बैठने के वक़्त अपनी पीठ को दुरुस्त नहीं करता और साबित नहीं रखता उसकी नमाज़ पूरी नहीं होती।

आप (स.अ.व.) एक नमाज़ी के पास से गुज़रे, देखा कि अरकान और कौमा व जलसा बखूबी अदा नहीं करता तो फ़रमाया कि अगर तू इसी आदत पर मर गया तो कयामत के दिन मेरी उम्मत में न उठेगा।

मन्कूल है कि मोमिन बंदा जब नमाज़ को अच्छी तरह अदा करता है और उसके रुकूअ व सुजूद को बखूबी बजा लाता है तो उसकी नमाज़ बश्शाश और नूरानी होती है और फ़रिश्ते उस नमाज़ को आसमान पर ले जाते हैं, नमाज़ अपने नमाज़ी के लिए दुआ करती है और कहती है कि अल्लाह तआला तेरी हिफ़ाज़त करे, जिस तरह तूने मेरी हिफ़ाज़त की है। और अगर नमाज़ को अच्छी तरह अदा नहीं करता और उसके रुकूअ व सुजूद और कौमा व जलसा को बजा नहीं लाता तो वह नमाज़ सियाह रहती है और फ़रिश्तों को उससे कराहत होती है और उसको आसमान की तरफ़ नहीं ले जाते। वह नमाज़ उस नमाज़ी के लिए बद्द दुआ करती है और कहती है कि अल्लाह तआला तुझ को जाए करे जिस तरह तूने मुझे जाए किया।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-45)

इमाम का सिर्फ़ हरने आवाज़ के लिए ख़ाँसना

सवाल: अगर फ़र्ज नमाज़ में इमाम साहब बिला उज़्र ख़िकारें जो महज़ हुस्ने आवाज़ के लिए हो, जिसकी तादाद तीन मरतबा तक पहुंच गई हो तो उस ख़िकारने की वजह से नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी या नहीं?

जवाब: दुर्रेमुख्तार की इबारत में है, हुस्ने सौत (अच्छी आवाज़) करने के लिए खिकारने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, अगरचे तीन बार या कम व बेश हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-65, बहवाला दुर्रेमुख्तार बाबु मायुफ़िसदुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-478)

बग़ैर सना के किराअत करने का हुक्म

सवाल: अगर कोई इमाम तकबीरे तहरीमा के बाद फ़ौरन बग़ैर सना पढ़े सूरए फ़ातिहा शुरू कर दे तो क्या हुक्म है?

जवाब: सना (सुब्हानका, अल्लाहुम्मा) न पढ़ने की आदत बना लेना तो मज़मूम हरकत होगी, बाकी उससे नमाज़ में कोई कराहत नहीं आएगी। इसलिए कि किराअते सना (सना का पढ़ना) महज़ मुस्तहब है, और तर्क मुस्तहब से नमाज़ में क़बाहत नहीं आती।

(मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले तरावीह सफ़हा-70)

क्या इमाम मुक्तदियों की सना का इंतिज़ार करे

सवाल: इमाम सना (सुब्हानका, अल्लाहुम्मा) पढ़ कर किराअत शुरू कर दे, या मुक्तदियों की सना पढ़ने का इंतिज़ार करे?

जवाब: इंतिज़ार न करे (किराअत शुरू कर दे।)

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-164, बहवाला रदुलमुहतार बाबुसिफ़तिस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-471)

नमाज में बिस्मिल्लाह का हुक्म

सवाल: इमाम पर हर रकअत में बिस्मिल्लाह का पढ़ना अलहम्द और सूरत के साथ वाजिब है या नहीं? और इमाम व मुन्फ़रिद के लिए मुस्तहब सूरत, हनफ़ीया के मज़हब के मुताबिक क्या है?

जवाब: रहुलमुहत्तार बाबुसिफ़तिस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-457 से मालूम होता है कि इमाम को अलहम्दु से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है और बाज़ वुजूब के काएल हैं। और सूरत से पहले अगरचे मसनून नहीं है लेकिन मकरूह भी नहीं है, बल्कि मुस्तहब और बेहतर है।
(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-184)

किराअत में तरतीब का लिहाज़

सूरतों को तरतीब से पढ़ना वाजिब है। पस पहली रकअत में "तब्बत यदा" और दूसरी में "इज़ा-जाआ" पढ़ना दुरुस्त नहीं है और फ़राइज़ में एक छोटी सूरत का फ़ासिला करना मसलन पहली रकअत में "इज़ा-जाआ" और दूसरी रकअत में "कुलहुवल्लाह" पढ़ना मकरूह है, और नवाफ़िल में ऐसा करना दुरुस्त है, और एक रकअत में मसलन सूरए मुज़्ज़म्मिल पढ़ कर कुलहुवल्लाह उसके साथ मिलाना मकरूह है। इसी तरह दूसरी रकअत में मुऔवज़तैन यानी एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना भी अच्छा नहीं है, अगरचे नमाज़ सहीह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-223, बहवाला रदुलमुहतार फ़स्तुन फ़िलक़िराअति जिल्द-1 सफ़हा-510)

निसफ़ आयत से क़िराअत की इत्तिदा करना कैसा है

इस तरह नमाज़ तो हो जाती है लेकिन ऐसा न करना चाहिए, कि ये अम्र गैर मशरूअ और ख़िलाफ़े क़वाइद है, जब सूरत के बाज़ हिस्से के पढ़ने को बाज़ फुक़हा ने मकरूह लिखा है तो आयत अधोरी पढ़ना कब मुनासिब होगा? (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-240)

इमाम ने जेहरी नमाज़ में सिरन पढ़ा

सवाल: अगर जेहरी नमाज़ में इमाम दो तीन आयतें आहिस्ता पढ़ गया, लुक़्मा देने के बाद, या अज़ ख़ूद उसको याद आ गया अब वह सब को जेहर से पढ़े या जहाँ से याद आया वहीं से आवाज़ से शुरू कर दे? और सज्दए सहव करना होगा या नहीं?

जवाब: जहाँ से याद आया वहीं से जेहर शुरू कर दे। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-172)

जेहरी नमाज़ में तीन आयत की मिक्दार सहवन सिरन पढ़ने से सज्दए सहव लाज़िम होगा। इसी तरह सिरनी नमाज़ में जेहरन पढ़ने का हुक्म है। सूरए फ़ातिहा अगर सिरन पढ़ी है तो जेहरी नमाज़ में उसको जेहरन पढ़े फिर सज्दए सहव करे। अगर उसको जेहरन नहीं पढ़ा बल्कि सिर्फ़ सूरत को जेहरन पढ़ कर सज्दए सहव

कर लिया तब भी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-150)

इमाम को लुक़्मा देने की तफ़्सील

इमाम अगर इतनी मिक्दार किराअत के बाद अटका है कि जिसके बाद रुकूअ कर देना मुनासिब था, तब तो इमाम को रुकूअ कर देना चाहिए। अगर इतनी मिक्दार से पहले ही अटक गया तो उसको चाहिए कि दूसरी सूरात जो याद हो पढ़ दे, वहीं अटका न रहे, इमाम को उसी अटकी हुई जगह को बार बार पढ़ना मकरूह है और मुक्तादी को चाहिए कि लुक़्मा देने में जल्दी ने करे बल्कि तवक्कुफ़ करे कि शायद इमाम रुकूअ कर दे या दूसरी सूरात पढ़ दे या खुद ही अटकी हुई जगह को निकाल कर सहीह पढ़ ले, जल्दी लुक़्मा देना मुक्तादी के हक़ में मकरूह है।

जब इमाम न रुकूअ करे और न दूसरी सूरात पढ़े, न खुद निकाल पाए तो लुक़्मा दे दे, ख़्वाह तीन आयत पढ़ चुका हो या उससे कम, नमाज़ किसी की भी फ़ासिद न होगी, इमाम की न मुक्तादी की।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-185, बहवाला तहतावी सफ़हा-183)

इमाम का सूरातों को ख़िलाफ़े तरतीब पढ़ना

सवाल: इमाम साहब ने पहली रकअत में सूराए

काफिरून पढ़ी और दूसरी रकअत में सूरए कौसर या सूरए कुरैश पढ़ी तो इस तरह कुरआन की तरतीब के खिलाफ़ पढ़ने से नमाज़ दुरुस्त होगी या नहीं?

जवाब: तरतीबे सूरत वाजिबाते तिलावत में से है वाजिबाते नमाज़ से नहीं। लिहाज़ा इस तरह पढ़ने से सज्दा सहव नहीं, हाँ अमदन इस तरह पढ़ना मकरूह है, निसयानन (भूल कर) पढ़े तो मकरूह भी नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-246, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-510)

मुक्तदी के लुक़्मा देने से इमाम को आयत सज्दा पढ़ना

इमाम साहब सज्दा की आयत भूल गए और मुक्तदी ने पढ़ कर लुक़्मा दिया और इमाम ने वह आयत पढ़ कर सज्दा किया तो ये एक सज्दा काफ़ी है, इस सूरत में दो सज्दे वाजिब नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-49)

वाजिब किराअत की भिक्दार

सवाल: कुरआन मजीद की छोटी सी तीन आयतें जो एक रकअत में काफ़ी हो सकती हैं, कौन सी हैं, आयत गोल टुकड़े की मानी जाती है या जीम, साद, ज़ाल, तो वगैरा पर मानी जाती है। एक बड़ी आयत के मुकाबिले में छोटी तीन आयतें काफ़ी हो सकती हैं या नहीं?

जवाब: वाजिबाते नमाज़ में से ये है कि सूरए फ़ातिहा

के बाद तीन आयात छोटी या एक आयत बड़ी जो छोटी तीन आयतों के बराबर हो पड़े।

छोटी सूरत जिसमें तीन आयतें हैं "إِنَّا عَظَمْنَا الْكُوثِرَ" है। ये सूरत या इसके मानिन्द कोई दूसरी सूरत अलहम्दु के बाद पढ़ने से वाजिब अदा हो जाता है, और आयत वही समझी जाती है जिस पर गोल निशान इस सूरत से हो ० और बड़ी आयत की मिसाल आयतलकुर्सी या आयत मुदायना बगैरा है, और छोटी आयत की मिसाल "ثُمَّ نَظَرَهُ" है। "ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ"

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-245, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुसिफ़तिस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-427)

(नमाज़ में किराअत) एक आयत की मिक्दार फ़र्ज़ है, अलहम्दु और कोई सूरत या तीन आयात या एक आयते तवीला वाजिब है। जुहर में मुफ़स्सलात का पढ़ना सुन्नत है यानी फ़ज़्र व जुहर में सूरए हुजरात से आख़िर बुरुज तक कोई सूरत और अन्न और इशा में उसके बाद से लमयकुन तक और मगरिब में उसके बाद से ख़त्म तक, उसके अलावा भी कभी कभी मख़सूस सूरतों का पढ़ना साबित है, लेकिन मुक्तदियों के हाल और वक़्त की रिआयत लाजिम है।

(फ़तावा महमूदिया सफ़हा-158 बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-360)

नमाज़ में मुख़लिफ़ सूरतों के रुकूअ पढ़ना

सवाल: कोई इमाम अगर इस तरह किराअत किया

करे मसलन उसको हर पारा का एक एक रुकूअ याद है और हर नमाज़ में एक रुकूअ पढ़ता है। इसी तरह बित्तरतीब तमाम खत्म कर लेता है, फिर बादे खत्म इब्तिदा से शुरू कर देता है। इस तरह जाइज़ है या नहीं?

जवाब: इस तरह पढ़ने से नमाज़ हो जाती है, लेकिन अफज़ल ये है कि हर एक रकअत में पूरी सूरात पढ़े। इस तरीके से कि जिस तरह फुक़हा ने लिखा है कि सुब्ह और जुहर की नमाज़ में तिवाले मुफ़स्सल और अन्न व इशा में औसाते मुफ़स्सल और मगरिब में किसारे मुफ़स्सल में से कोई सूरात पढ़े। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-246, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-72)

नमाज़ की किराअत में आप (स.अ.व.) का मामूल

मुख्तलिफ़ औकात की नमाज़ की किराअत में रसूलुल्लाह (स.अ.व.) का मामूल ये था: जुहर की नमाज़ में ततवील, अन्न में तख़्फ़ीफ़, मगरिब में किसारे मुफ़स्सल, इशा में औसाते मुफ़स्सल और फ़ज्र की नमाज़ में तिवाले मुफ़स्सल।

“मुफ़स्सल” कुरआन शरीफ़ की आखिरी मंज़िल की सूरातों को कहा जाता है यानी सूरा हुजरात से आखिरे कुरआन तक, फिर उसके भी तीन हिस्से किए गए हैं। हुजरात से लेकर सूरा बुरुज तक की सूरातों को “तिवाले मुफ़स्सल” कहा जाता है और बुरुज से लेकर सूरा लम यकुन तक की सूरातों को “औसाते मुफ़स्सल” और लम यकुन से लेकर आखिर तक की सूरातों को “किसारे मुफ़स्सल” कहा जाता है। (मआरिफ़ुलहदीस जिल्द-3 सफ़हा-257)

इमाम का रिवाज़े सुन्नत किराअत करना

सवाल: फ़ज्र और जुहर में सूरए हुजरात से सूरए बुरुज तक और अस्त्र व इशा में सूरए वत्तारिक से लमयकुन तक और मगरिब में सूरए ज़िलज़ाल से सूरए नास तक और वित्रों में सब्हिस्मे रब्बिक, सूरए कद्र, सूरए अलकाफिरून, सूरए इख़लास इन सूरतों का इस तरह पढ़ना सुन्नत है या मुस्तहब?

अगर कोई इमाम मुन्दरजा बाला सूरतों के अलावा और कोई रुकूअ या तीन चार आयतें कहीं से पढ़े तो वह इमाम तरिके सुन्नत है या नहीं? और उन सूरतों के न पढ़ने से नमाज़ के सवाब में कुछ कमी होती है या नहीं?

जवाब: हाँ इस तरतीब से सूरतें नमाज़ों में पढ़ना सुन्नत है, मगर सुन्नते मुअक्कदा नहीं। उसके बजाए दूसरे रुकूअ पढ़ लेने में कोई कराहत नहीं है, हाँ खिलाफ़े औला है। (किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-307)

किराअत के अरबी लफ़्ज़ को रुकूअ की तकबीर के साथ मिलाना

सवाल: इमाम साहब का सूरए फ़ातिहा के बाद सूरत या आयत के आखिरी लफ़्ज़ पर वक्क न करना बल्कि अल्लाहुअकबर के साथ वस्ल कर के रुकूअ में जाना मसलन "وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ" सुन्नत के मुवाफ़िक है या नहीं?

जवाब: अगर आखिरी लफ़्ज़ सना पर ख़त्म हो तो उसको रुकूअ की तकबीर के साथ मिला कर पढ़ना औला है। अगर ऐसा न हो तो वक्फ़ कर के तकबीर कहना औला है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-126, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-331)

समिअल्लाहोलिमन हमिदह की सहीह अदाएगी

सवाल: एक इमाम साहब “سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ” को इस तरह पढ़ते हैं कि “هُؤْلِيْمَنْ” सुनने में आता है। आया ये सहीह है या ग़लत?

जवाब: इस तरह पढ़ना बएतेबार किराअत के ग़लत है, सहीह नहीं है। किराअत के काएदा में ये है कि ज़म्मा और कसरा (पेश व ज़ेर) में सिर्फ़ वाव और या की बू आ जाए न ये कि सरीह वाव और या यानी “هُؤْلِيْمَنْ” पढ़ा जाए, ये बिल्कुल ग़लत है। चाहिए कि वह इमाम “سَمِعَ” “اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ” पढ़ें और ऐसी किराअत से मआफ़ रखें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-88)

इमाम को मुतनब्बेह करने का तरीका

सवाल: अगर इमाम से सहवन काअदए अख़ीरा तक हो गया और इमाम करीब क़याम के पहुंच गया तो मुक़्तदी को सुब्हानल्लाह कहते हुए खड़ा होना औला है, या बैठ कर सुब्हानल्लाह कहे, औला क्या है?

जवाब: बैठे हुए कहना औला मालूम होता है। जुजईया

कोई नज़र से नहीं गुज़रा और दुरुस्त दोनो तरह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-419)

इमाम का दूसरी रकअत में किराअत लम्बी करना

सवाल: इमाम साहब ने सुबह की नमाज़ में औवल रकअत से दूसरी रकअत में किराअत को कसदन दो चार आयत तूल दे दिया। इस सूरत में नमाज़ बिना कराहत सहीह होगी या नहीं?

जवाब: इस सूरत में नमाज़ सहीह है बिना कराहत, शामी में है कि बड़ी सूरतों में तीन आयत की ज़्यादती का एतेबार नहीं है, अलबत्ता छोटी सूरतों में दूसरी रकअत में तीन आयात की ज़्यादती मकरूहे तंज़ीही है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-248, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-507)

दूसरी रकअत को तूल देने में किस चीज़ का एतेबार है

सवाल: नमाज़ में औवल रकअत से दूसरी रकअत में ज़्यादा किराअत मकरूह है। ये आयतों के हिसाब से है या हुरूफ़ के हिसाब से या बहिसाब कलिमात के?

जवाब: अगर आयतें बराबर या करीब बराबर के हैं तो अददे आयात का एतेबार है कि दूसरी रकअत की किराअत तीन आयात से ज़्यादा न हो। और अगर आयात मुतफ़ावित हों तूल व कस्र में तो हुरूफ़ व कलिमात का एतेबार है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-255, बहवाला रद्दुलमुहतार फ़स्ल फ़िलक़िराअति जिल्द-1 सफ़हा-510)

तीन आयतों की मिक़दार की ज़्यादती से कराहते तंजीही होगी। (तहतावी सफ़हा-193) मगर ये उन छोटी सूरतों में है जिनकी आयात छोटी बड़ी होने में करीब करीब हैं, वरना बड़ी सूरतों में जिनकी आयात में बड़े छोटे होने का नुमायाँ फ़र्क़ हो, हुरूफ़ की गिनती का एतेबार होगा, जिसका हासिल ये है कि अगर दूसरी रकअत में जो सूरत पढ़ी गई है उसके ज़्यादती वाले हुरूफ़ पहली रकअत की सूरत के निस्फ़ के बराबर या ज़ाएद हैं तो कराहत होगी वरना नहीं। जो सूरतें आप (स.अ.व.) से साबित हैं वह कराहत में दाख़िल नहीं।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-165, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-364)

हर रकअत में एक ही सूरत पढ़ना

तरीके सुन्नत ये है कि एक सूरत को बार बार पहली और दूसरी रकअत में न पढ़ें, बल्कि मुख़्तलिफ़ सूरतें हर रकअत में तरतीब के लिहाज़ से (तरतीब के साथ) पढ़ें मसलन पहली रकअत में "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" और दूसरी रकअत में "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" पढ़नी चाहिए। इसी तरह कभी कोई सूरत और कभी कोई सूरत पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि पहली रकअत में "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" और दूसरी रकअत में भी "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" पढ़ी जाए। ये तरीका ग़ैर मुक़ल्लिदों का है कि हर एक रकअत में सूरह इख़लास ही को

मुकरर पढ़ा जाए। अलबत्ता जिस शख्स को कोई और सूरत याद न हो तो मजबूरी है। पस जो लोग हनफी हैं, सुन्नत तरीके के मुवाफिक किराअत करें। हर एक रकअत में सूरए फातिहा के बाद मुख्तलिफ सूरतें तरतीब के मुवाफिक पढ़ें। आँहजरत (स.अ.व.) ने हमेशा मुख्तलिफ सूरतें नमाज़ में पढ़ी हैं। ऐसा नहीं किया कि सिर्फ सूरए इख्लास को हर रकअत में पढ़ा हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-243, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-508)

किराअते मसनूना

सवाल: नमाज़ की किताबों में जो लिखा है कि मसलन मगरिब की नमाज़ में लम यकुनिल्लज़ीन से सूरए नास तक की किराअत मसनून है। इसका मतलब ये है कि कुरआन हकीम से उस वक़्त की नमाज़ में उतनी ही किराअत की जाए जितनी उन सूरतों में की जाती है, या उन्ही सूरतों के पढ़ने में ज़्यादा सवाब है?

जवाब: मसनून यही है कि उन सूरतों को पढ़ा जाए, कभी कभी उन सूरतों के अलावा दूसरी सूरतों का पढ़ना भी साबित है। मगर आम तौर पर उन्ही सूरतों को पढ़ना चाहिए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-171, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-362)

हर रकअत में पूरी सूरत पढ़ना

सवाल: एक इमाम साहब ने सुब्ह की नमाज़ की

पहली रकअत में सूरए यासीन का आखिरी रुकूअ पढ़ कर उसके बाद वाली दूसरी सूरत वस्सफाति का पहला रुकूअ पूरा पढ़ा। ऐसा करने से नमाज़ होती है या नहीं?

जवाब: इस तरह नमाज़ पढ़ने से नमाज़ फासिद नहीं होती, बल्कि दुरुस्त होती है, लेकिन एक रकअत में पूरी सूरत पढ़ना अफज़ल है।

(फतावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-200, बहवाला फतावा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-78)

इमाम के लिए तहमीद अफज़ल है

सवाल: इमाम “سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ” के बाद رَبَّنَا لَكَ “الْحَمْدُ” भी कहे, या सिर्फ़ मुक्तदी कहें?

जवाब: इमाम की तहमीद से मुतअल्लिक दोनों कौल हैं, कहना अफज़ल है। (अहसनुलफतावा जिल्द-1 सफ़हा-312, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-445)

इमाम के लिए आमीन कहना कैसा है

सवाल: इमाम सूरए फातिहा के बाद आमीन कहे या नहीं?

जवाब: इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए आमीन कहना सुन्नत है। (अहसनुलफतावा जिल्द-3 सफ़हा-312, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-456)

इमूजे औकाफ़ पर ठहरने और न ठहरने की बहस

सवाल: “الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” “مِنْ”

شَرَّ الْوَشْوَاسِ الْخَنَاسِ لَا الَّذِي يُوسُّوسُ“ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ لَا نَ الَّذِي
 - आयते “ला” पर अगर साँस
 खत्म या बंद हो जाने की वजह से वक्फ़ करे और अखीर
 लफ़्ज़ को न दुहरा कर आगे बढ़ाता चले तो नमाज़ में
 क्या कुछ खलल वाक़ेअ होगा? नीज़ तीसरी मिसाल में
 अगर वक्फ़ कर लिया हो तो आगे “الَّذِي” कह कर पढ़ा
 जाए या “نَ الَّذِي” कह कर?

जवाब: आयत ला पर बज़रूरत वक्फ़ कर देने में
 कुछ हरज नहीं है और लफ़्ज़े माकब्ल को दुहराने की
 ज़रूरत नहीं है और नमाज़ में कुछ खलल नहीं होगा।

और तीसरी मिसाल में अल्लज़ी और निल्लज़ी पढ़ना
 दोनों तरह दुरुस्त है। मगर वक्फ़ की हालत में अल्लज़ी
 पढ़ना चाहिए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-227)

अस्ल ये है कि नस्तईन पर वक्फ़ करना और न करना
 दोनों तरह जाइज़ है। इसी तरह कुल होवल्लाहो अहद
 पर आयत करना न करना दोनों तरह साबित है, पस
 अगर आयत की जाएगी तो इहदिना और अल्लाहुस्समद
 पढ़ा जाएगा और अगर आयत न की जाए और वक्फ़ न
 किया जाए तो नुहदिना और निल्लाहुस्समद पढ़ा जाएगा,
 मअना में कुछ फ़र्क नहीं होता, और कराअत दोनों तरह
 करते हैं लेकिन ज़्यादा तर नस्तईन पर और अहद पर
 आयत करना और इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम और
 अल्लाहुस्समद अलाहिदा पढ़ना साबित है। लिहाज़ा इमाम
 को कुछ ज़रूरत नहीं कि वह नुहदिना और निल्लाहुस्समद
 पढ़े, बल्कि जैसे अक्सर कुर्रा पढ़ते हैं उस तरह पढ़े।
 लेकिन अगर इत्तिफ़ाक़न इमाम ने इस तरह पढ़ दिया तो

उस पर एतेराज़ न किया जाए उसको ग़लत न कहा जाए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-246)

अगर इमाम तजवीद की रिआयत न करे

सवाल: इमाम तजवीद जानने के बावजूद किराअत तजवीद से न करे मसलन आयत की जगह न ठहरा, या बग़ैर आयत के साँस लिया, वक्फ़ा सकता पर साँस लेते हुए ठहरा, या वक्फ़ और वक्फ़े लाज़िम और वक्फ़ुन्नबी (स.अ.व.) का ख़्याल नहीं रखा। या मद की जगह कस्र किया या नून का इज़हार की जगह इख़फ़ा किया तो नमाज़ जाइज़ होगी या नहीं?

जवाब: नमाज़ जाइज़ होगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-231)

इमाम का बाज़ लफ़्ज़ों को दो मरतबा किराअत करना

सवाल: कुरआन शरीफ़ में बाज़ जगह छोटे हुरूफ़ लिखे होते हैं मसलन “بِصْطَةٍ هُمْ الْمَصِيطْرُونَ، عَلَيْهِمْ بِمَصِيطْرٍ” उनमें से कौन सा हर्फ़ दो मरतबा पढ़ा जाएगा, हमारे एलाके में उन लफ़्ज़ों को दो मरतबा पढ़ते हैं, सहीह क्या है?

जवाब: लफ़ज़ “بِصْطَةٍ هُمْ الْمَصِيطْرُونَ اور عَلَيْهِمْ بِمَصِيطْرٍ” के ऊपर सीन लिखने से मक्सूद ये है कि ये लफ़ज़ सीन से पढ़ा गया है और साद से भी। यानी तिलावत करने वाला ख़्वाह सीन से पढ़े ख़्वाह साद से नमाज़ सहीह है। और ये मतलब नहीं कि ऐसे कलिमात को दो दफ़ा पढ़े,

बिल्क जिस कारी का इत्तिबा करे उसी के मवाफिक पढ़े।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-234, बहवाला जलालैन शरीफ़ सूरा गाशिया सफ़हा-498)

तंगिये वक्त के बाइस फ़ज्र में छोटी सूरात पढ़ना

सवाल: सुबह की नमाज़ में वक्त तंग था। इसलिए इमाम साहब ने औवल रकअत में सूरा काफ़िरून और दूसरी रकअत में सूरा इख़लास पढ़ी। बाद में एक साहब ने एतेराज़ किया कि नमाज़ मकरूहे तहरीमी हो गई। बड़ी सूरात पढ़नी चाहिए थी। सहीह क्या है?

जवाब: वह नमाज़ बिला कराहत सहीह हो गई। ये कहना कि ये नमाज़ मकरूहे तहरीमी हुई ग़लत है। एक मरतबा आँहज़रत (स.अ.व.) ने सुबह की नमाज़ में कुल अऊज़ोबि रब्बिलफ़लक और कुल अऊज़ोबि रब्बिन्नास पढ़ी है। पस मालूम हुआ कि जब वक्त थोड़ा हो या सफ़र वगैरा में जल्दी हो तो छोटी सूरातों का फ़ज्र की नमाज़ में पढ़ना दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-237, बहवाला रद्दुलमुहतार फ़स्ल फ़िलक़िराअति जिल्द-1 सफ़हा-503)

पहली रकअत में मुज़्जम्मिल और दूसरी में अलिफ़ लाम मीम का रुकूअ पढ़ना

सवाल: इमाम साहब ने मगरिब की नमाज़ में औवल रकअत में अलहम्दु के बाद पहला रुकूअ सूरा मुज़्जम्मिल

का पढ़ा और दूसरी रकअत में पहला रुकूअ अलिफ लाम मीम का पढ़ा, और सजदए सहव भी नहीं किया, नमाज़ सहीह हुई या नहीं?

जवाब: इस सूरत में नमाज़ सहीह हो गई और सज्दए सहव भी लाज़िम नहीं हुआ, मगर आइंदा इस तरह कुरआन तरतीब के ख़िलाफ़ न पढ़ना चाहिए कि इस तरह पढ़ना फ़राइज़ में मकरूह है।

छोटी सूरत का फ़ासिला करना

सवाल: इमाम ने पहली रकअत में इज़ा-जाआ और दूसरी में कुल होवल्लाह पढ़ी तो नमाज़ हुई या नहीं?

जवाब: फ़रज़ों में क़स्दन इस तरह पढ़ना कि एक छोटी सूरत का फ़ासिला किया जाए जैसा कि सूरते मसऊला में है, मकरूह है, और नमाज़ हो जाती है, और अगर सहव हो गया तो कुछ कराहत नहीं है। और नवाफ़िल में मुतलक़ कराहत नहीं है

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-240, बहवाला रदुलमुहतार फ़स्ल फ़िलक़िराअति जिल्द-1 सफ़हा-498)

छोटी सूरत की भिक्दार

सवाल: वह छोटी सूरतें कौन सी हैं जिनको पहली रकअत और दूसरी रकअत की किराअत के दरमियान छोड़ने से नमाज़ मकरूह होती है?

जवाब: वह सूरतें क़िसारे मुफ़स्सल की लमयकुन से

आखिर कुरआन शरीफ तक हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-244, बहवाला रद्दुलमुहतार फ़स्ल फ़िलक़िराअति जिल्द-1 सफ़हा-504)

एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना

सवाल: इशा या सुब्ह की नमाज़ में इमाम एक रकअत में दो सूरतें पढ़े तो कुछ कराहत तो नमाज़ में नहीं आती है?

जवाब: एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना ख़िलाफ़े औला है। नमाज़ हो जाती है और ख़िलाफ़े औला से मुराद कराहते तंज़ीही है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-255, बहवाला रद्दुलमुहतार फ़स्ल फ़िलक़िराअति जिल्द-1 सफ़हा-510)

एक सूरत को दो रकअत में पढ़ना

सवाल: एक सूरत का रुकूअ पढ़ना पहली रकअत में और उस सूरत या दूसरी सूरत का रुकूअ पढ़ना दूसरी रकअत में या दूसरी पूरी सूरत का पढ़ना दूसरी रकअत में, या एक सूरत को दो रकअत में पढ़ना जाइज़ है या ख़िलाफ़े औला?

जवाब: जवाबे औवल ये है कि ये सब ख़िलाफ़े इस्तिहबाब है। हनफ़ीया के नज़दीक मसनून और मुस्तहब ये है कि पूरी सूरत एक रकअत में मवाफ़िके तरतीबे फ़ुक़हा के पढ़े जो मारुफ़ है और कुतुबे फ़िक्ह में मज़कूर है।

पस जुज्जे सूरत का पढ़ना खिलाफे अफज़ल व खिलाफे मुस्तहब है, जिसका हासिल कराहते तंजीही है न कि कराहते तहसीमी।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-253, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-505)

आयत का शुरु छोड़ कर पढ़ना

सवाल: इमाम साहब ने सूरए फ़ातिहा के बाद सूरए फ़तहना के आख़िरी रुकूअ की आख़िरी आयत को "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" छोड़ कर "वल्लज़ीना" से पढ़ा, नमाज़ हुई या नहीं?

जवाब: नमाज़ हो गई, मगर शुरु आयत का छोड़ना अच्छा नहीं हुआ। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-263, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-510)

ज़ाल्लीन को दाल्लीन पढ़ना

दाल, जो, ज़ाद के हुरुफ़ जुदागाना और उनके मख़रिज अलग होने में तो शक नहीं है, और इसमें भी शक नहीं है कि क़स्दन किसी हर्फ़ को किसी दूसरे मख़रज से अदा करना सख़्त बेअदबी है, और बसा औकात बाइसे फ़सादे नमाज़ है, मगर जो लोग माज़ूर हैं और उनसे ये लफ़ज़ मख़रज से अदा नहीं होता लेकिन हत्तलवुस्अ कोशिश करते रहते हैं उनकी नमाज़ भी दुरुस्त है।

और "दाले" पुर ज़ाहिर है कि खुद कोई हर्फ़ नहीं है

बल्कि "ज़ाद" ही है, अपने मख़रज से पूरे तौर पर अदा नहीं हुआ। तो जो शख़्स दाले ख़ालिस या ज़ोए ख़ालिस अमदन पढ़े उसके पीछे नमाज़ न पढ़ें। मगर जो शख़्स दाले पुर की अवाज़ में पढ़ता है आप उसके पीछे नमाज़ पढ़ लिया करें। जो शख़्स बावजूद कुदरत के ज़ाद को ज़ाद के मख़रज से अदा न करे वह गुनहगार भी है और अगर दूसरा लफ़्ज़ बदल जाने से माना बदल गए तो नमाज़ भी न होगी, और अगर कोशिश व सई के बावजूद ज़ाद अपने मख़रज से अदा नहीं होता तो वह माज़ूर है उसकी नमाज़ हो जाती है।

और जो शख़्स खुद सहीह पढ़ने पर कादिर है तो ऐसे माज़ूर के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। मगर जो शख़्स कस्दन ख़ालिस "दाल" या "ज़ो" पढ़े तो उसके पीछे नमाज़ न होगी। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-274, 284)

ज़ाद के बारे में मौलाना मुफ़्ती शफीअ साहब (रह.)

का फ़तवा

अवाम की नमाज़ तो बिला किसी तफ़्सील व तनकीह के बहरहाल हो जाती है ख़्वाह जो पढ़ें या दाल या ज़ा वगैरा, क्योंकि वह कादिर भी नहीं और समझते भी यही हैं कि हम ने असली हर्फ़ अदा किया है और कुर्राए मुजव्विदीन और उलमाए किराम की नमाज़ में तफ़्सील मज़कूर है कि अगर ग़लती, कस्दन या बेपरवाही से हो तो नमाज़ फ़ासिद है और अगर सबक़ते लिसानी या अदमे तमीज़ की वजह से हो तो जाइज़ है।

(जवाहिरुलफेका जिल्द-1 सफ़हा-337)

तंबीह: लेकिन जवाज़ और अदमे फ़साद से ये साबित नहीं होता है कि बेफ़िक्र हो कर हमेशा ग़लत पढ़ते रहना जाइज़ हो गया और पढ़ने वाला गुनहगार भी न रहेगा, बल्कि अपनी कुदरत और गुंजाइश के मुवाफ़िक़ सहीह पढ़ने की मशक़ करना और कोशिश करते रहना ज़रूरी है वरना गुनहगार होगा, अगरचे नमाज़ फ़ासिद न होगी जैसा कि आलमगीरी मिस्री बाब चहारुम जिल्द-1 सफ़हा-74 में तसरीह मौजूद है।

अहक़र मुहम्मद शफ़ीअ़ देवबंदी गुफ़िरलहू, ख़ादिम दारुलइफ़ता, दारुलउलूम देवबंद 20 जमादिल औव्वल 1351 हिजरी)

मुफ़िसदे नमाज़ ग़लती

ग़लत पढ़ने से जो लफ़ज़ पैदा हुआ है उसके मुतअल्लिक़ इमामे आज़म (रह.) इमामे मुहम्मद (रह.) ये बहस नहीं करते कि वह लफ़ज़ कुरआने पाक में है या नहीं। उनके नज़दीक़ ज़ाबता ये है कि पढ़ने के अन्दर किसी कलिमा में ज़्यादाती या कमी की वजह से बशर्तेकि माना बिल्कुल बदल जाँ नमाज़ फ़ासिद हो जाती है वरना नहीं, जैसे “وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ” में ला छोड़ दिया। “فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ” पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और जिन हरूफ़ में इम्तियाज़ मुशिकल से होता है वह अगर एक दूसरे की जगह पढ़े जाँ तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होती जैसे सीन,

साद और जाद, जो और जाल वगैरा। और जिन में इम्तियाज आसान है वह अगर एक दूसरे की जगह पढ़ जाँँ और माना बिल्कुल बदल जाँँ तो नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। जैसे “صالحات” की “طالحات” पढ़ा गया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, और अगर अलफ़ाज़ की तबदीली से माना बिल्कुल बदल जाँँ तो नमाज़ में फ़साद यकीनी है वरना नहीं। जैसे “अलीमुन” की जगह “ख़बीरुन” व “हफ़ीजुन” वगैरा पढ़ा गया तो नमाज़ दुरुस्त है, और “وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ” की जगह “غافلین” पढ़ने से नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

और अगर दो जुमलों के अलफ़ाज़ बदल जाँँ और माना भी बदल जाँँ तो नमाज़ फ़ासिद है, जैसे “إِنَّ الْأَنْزَرَ” में “نعم” की जगह “جحیم” की जगह “نعم” और “جحیم” की जगह “نعم” पढ़ने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, और अगर माना न बदले, जैसे “لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ” “وَشَهِيْقٌ كَوْشَهِيْقٌ وَزَفِيرٌ” पढ़ा तो नमाज़ दुरुस्त है।

(फ़जाएल अयाम व शुहूर सफ़हा—147, अशरफ़ुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़हा—132, इमदादुमुफ़तीयीन सफ़हा—285)

आयत का कोई हिस्सा छूट जाए और माना न बदले हों तो नमाज़ जाइज़ है

सवाल: इमाम साहब नमाज़ में सूरे जुमा पढ़ रहे थे। दरमियान में आयत “بِسْمِ مَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ” सहवन छूट गई, नमाज़ हुई या नहीं और सज्दए सहव होगा या नहीं?

जवाब: इस सूरत में नमाज़ में कोई नक्स नहीं आया और सज्दए सहव वाजिब नहीं हुआ, क्योंकि सज्दए सहव वाजिब के तर्क करने से लाज़िम आता है और यहाँ बकद्रे वाजिब किराअत अदा हो गई और दरमियाने किराअत के छूट जाने से कुछ हरज नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-5 सफ़हा-77, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब ज़ल्लतुलकारी जिल्द-1 सफ़हा-591)

तीन आयत के बाद मुफ़िसदे नमाज़ ग़लती

सवाल: अगर इमाम तीन आयत से ज़्यादा पढ़ कर फ़ाहिश ग़लती करे तो नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं?

जवाब: मुफ़िसदे नमाज़ ग़लती, नमाज़ में किसी वक़्त भी हो नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। अलबत्ता उस ग़लती को फिर लौटा कर सहीह कर ले और सहीह पढ़ ले तो नमाज़ हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-75, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब ज़ल्लतुलकारी जिल्द-1 सफ़हा-590)

नमाज़ में किसी लिखी हुई चीज़ पर निगाह पड़ना

नमाज़ पढ़ने वाला किसी लिखी हुई चीज़ को देख ले और उसको समझ ले तो इस सूरत में उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ने वाले का फ़ेल नहीं है बिल्क ग़ैर इख़्तियारी तौर पर उसकी समझ में आ जाता है। इसलिए कि आम तौर से उस पर निगाह पड़

जाती है और देखने वाला उसको समझ जाता है।

इसलिए उलमा फरमाते हैं कि नमाज़ी के सामने ऐसी चीज़ को न रखा जाए, क्योंकि शुबहात से बचना जरूरी है और सहीह मज़हब के बमोजिब नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी।

(अशरफुलईज़ाह, शरह नूरुलईज़ाह सफ़हा-137)

हनफी इमाम का कुनूत के लिए रिआयत करना

सवाल: हनफी इमाम, शाफ़ई मुक्तदियों की रिआयत से नमाज़े फ़जर की दूसरी रकअत के कौमा में इस कदर तवक्क़फ़ करे कि शाफ़ई कुनूत से फ़ारिग हो लें तो कैसा है? उसकी नमाज़ होगी या नहीं? ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी चाहिए या नहीं? अगर नमाज़ पढ़ी जाए तो मकरूह होगी या नहीं? और किन उमूर में शाफ़ई मुक्तदी की रिआयत हनफी इमाम के लिए जाइज़ है, शाफ़ई मुक्तदी की रिआयत से हनफी इमाम सलाम से पहले सज्दए सहव कर सकता है या नहीं?

जवाब: दुर्रेमुख्तार में है कि इमाम को रिआयत दूसरे मज़हब वाले मुक्तदियों की मसलन शाफ़ई मज़हब वाले मुक्तदियों की मुस्तहब है, लेकिन बशर्तेकि अपने मज़हब के मकरूह का इरतिकाब लाज़िम न आता हो। और शामी ने फ़रमाया कि मकरूहे तंज़ीही भी उसमें शामिल है। यानी अगर अपने मज़हब के मकरूहे तंज़ीही का इरतिकाब लाज़िम आता हो तो रिआयत, मुक्तदियाने शाफ़ई मज़हब की न करे। पस बिनाअन अलैहि इमाम हनफी नमाज़े फ़जर में रुकूअ से उठ कर कौमा में बरिआयते मुक्तदी

शाफ़ई इस कदर तवक्कफ़ न करे कि वह दुआए कुनूत पढ़ लेवे कि ये तवक्कफ़ मकरूह है।

और शामी में उसकी मिसाल दी है कि रुकूअ के बाद ज़्यादा ठहरने को छोड़ना वाजिब है (यानी कम ठहरना चाहिए) इस तवक्कफ़ में तर्क वाज़िब होगा जो कि मकरूहे तहरीमी है। लिहाज़ा ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ मकरूह होगी। इसी तरह कब्ले सलाम सज्दए सहव करना हनफी को बरिआयत मुक्तदी न चाहिए कि ये भी मकरूहे तंजीही है। जैसा कि शामी जिल्द-1 सफ़हा-595 पर है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-410, बहवाला रद्दुलमुहतार किताबुत्तहारत जिल्द-1 सफ़हा-136)

इमाम का कुनूते नाजिला पढ़ना

हनफ़ियों के नज़दीक बवक्ते नुजूले हादसा, सिर्फ़ सुब्ह की नमाज़ में रुकूअ के बाद दूसरी रकअत में बगैर हाथ उठाए दुआए कुनूत पढ़ना जाइज़ है और बाकी नमाज़ियों में जाइज़ नहीं, और बिला नुजूले हादसा के किसी नमाज़ में किसी वक़्त जाइज़ नहीं।

हाथ लटकाए रहे क्योंकि इस मौका पर हाथ का बाँधना नहीं आया है। और उठाना भी हनफीया के कवाएद से चस्पॉ नहीं है। इसलिए अहवत और देहतर ये मालूम होता है कि हाथ छोड़े रखें और मुक्तदी आहिस्ता आमीन कहें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-189 व 192)

बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलवित्र व नवाफिल जिल्द-1 सफ़हा-628)

जबकि कुफ़ार की तरफ़ से आम मुसलमानों पर किसी किसम का जुल्म व तशद्दुद होता हो कि मुसलमान आम तौर पर परेशान हो रहे हों, उस वक्त अगर कोई इमाम नमाज़े फ़र्जे फ़जर में दुआए कुनूत नाज़िला रुकूअ के बाद दूसरी रकअत में, कभी कभी पढ़ ले तो गुंजाईश है, इस्तिहबाब भी साबित होता है, मगर ये पढ़ना इत्तिफ़ाकिया ही हो सकता है ये नहीं कि उसका मामूल ही कर लिया जाए। ऐसे ही अगर कोई तन्हा रात में नवाफिल में पढ़ ले तो उसकी भी गुंजाईश हो सकती है और मुक्तदी इमाम के सकतात यानी वकफ़ों पर आमीन कहते रहें।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-138, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-451)

दुआए कुनूते नाज़िला

”اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي
عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ
ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْصِرْنَا عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ. اللَّهُمَّ الْعَنِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ
يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيَكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيَقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ. اللَّهُمَّ
خَالَفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَرَأُولِ أَقْدَامِهِمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ
الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. (كفايت المفتى جلد-3، صفحہ-394)“

इमाम का सुतरा मुक्तदियों के लिए काफी है

सुतरा उस चीज़ को कहते हैं जो नमाज़ी आड़ करने के लिए अपने सामने लगाए या खड़ा करे, ख़्वाह वह लकड़ी हो या दीवार वगैरा हो, और सुतरा खड़ा करने से मक़सद ये होता है कि उसके ज़रीए सज्दा की जगह मुमैयज़ हो जाए और जिस शख्स को नमाज़ी के आगे से गुज़रना हो वह नमाज़ी के सामने से गुज़रने पर गुनहगार न हो।

सुतरा की ज़रूरत वहाँ पेश आती है जहाँ नमाज़ खुली और बेआड़ जगह पर पढ़ी जाए। अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़नी हो या ऐसे मक़ाम में जहाँ लोगों का नमाज़ी के सामने से गुज़र न हो तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं।

सुतरा की लम्बाई एक हाथ से कम न होनी चाहिए और उसकी मोटाई कम से कम एक उंगली के बराबर होनी चाहिए। और बाजमाअत की सूरत में इमाम का सुतरा तमाम मुक्तदियों की तरफ़ से काफी है। यानी अगर इमाम के आगे सुतरा है तो मुक्तदियों के सामने से गुज़रने में कुछ गुनाह नहीं, ख़्वाह उनके आगे कोई आड़ हो या न हो लेकिन सुतरा के वरे से गुज़रना जाइज़ नहीं।

हाँ अगर जमाअत में शरीक होने के लिए कोई आने वाला पहली सफ़ में ख़ाली जगह देखे तो उसको जाइज़ है कि दूसरी सफ़ के आगे से गुज़र कर पहली सफ़ में ख़ाली जगह पहुंच कर जमाअत में शरीक हो जाए।

इस सूरत में कुसूर दूसरी सफ़ वालों का माना जाएगा कि उन्होंने आगे बढ़ कर पहली सफ़ में ख़ाली जगह को

पुर क्यों नहीं किया।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद जिल्द-1 सफ़हा-645)

एक तरफ़ सलाम फेरने पर समाने से गुज़र जाना

सवाल: ज़ैद ने नमाज़ का एक तरफ़ सलाम फेरा था कि बकर आगे से निकल गया, तो बकर गुनहगार होगा या नहीं? एक आलिमे दीन कहते हैं कि दोनों तरफ़ सलाम फेरना वाजिब है। लिहाज़ा बकर गुनहगार होगा। तो क्या उनका कहना सहीह है?

जवाब: इस सूरत में बकर गुनहगार नहीं होगा। क्यों कि नमाज़ पहले सलाम से ख़त्म हो जाती है। बल्कि लफ़्ज़ अस्सलाम यानी अलैकुम कहने से भी पहले ही नमाज़ पूरी हो जाती है। दोनों सलाम वाजिब हैं मगर सलामे सानी ख़ारिजे सलात में वाजिब है इसलिए अगर कोई पहले अस्सलाम कहने के बाद और अलैकुम कहने से कब्ल इत्तिदा करे तो सहीह नहीं।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-406, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-436)

कितने फ़ासिले से गुज़रना चाहिए

सवाल: नमाज़ी के आगे से तीन सफ़ छोड़ कर या चार सफ़ छोड़ कर निकलना जाइज़ होगा या नहीं?

जवाब: अगर इतनी छोटी मस्जिद या कमरा या सेहन में नमाज़ पढ़ रहा हो कि उसका कुल रक़बा चालीस हाथ

(3,36 मुरब्बअ मीटर) से कम है तो नमाज़ी के सामने से गुज़रना मुतलकन जाइज़ नहीं, ख्वाह करीब से गुज़रे या दूर से, बहरहाल गुनाह है, अलबत्ता अगर खुली फ़जा में या 8.36 मुरब्बअ मीटर या उससे बड़ी मस्जिद या कमरा में या बड़े सेहन में नमाज़ पढ़ रहा है तो सज्दा की जगह पर नज़र जमाने से आगे जहाँ तक तबअन नज़र पहुंचती हो वहाँ तक गुज़रना जाइज़ नहीं, इससे हट कर गुज़रना जाइज़ है।

बंदा ने उसका अंदाज़ा लगाया तो सज्दा की जगह से एक सफ़ के करीब हुआ, लिहाज़ा नमाज़ी के मौजए कयाम (खड़े होने की जगह) से दो सफ़ की मिक्दार तकरीबन आठ फ़िट (2.44 मीटर) छोड़ कर गुज़रना जाइज़ है। मगर आम इबारते फुकहा का मुतबादिर मफ़हूम में है कि चालीस मुरब्बअ हाथ (नौवे मुरब्बअ फ़िट या 8,36 मुरब्बअ मीटर) मुराद है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-410, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-593)

बड़ी मस्जिद या बड़ा मकान या मैदान हो तो इतने आगे से गुज़रना जाइज़ है कि अगर नमाज़ी अपनी नज़र सज्दा की जगह पर रखे तो गुज़रने वाला उसे नज़र न आए। (किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द-3 सफ़हा-447)

पस अगर कोई शख्स बाहर फ़र्श पर नमाज़ पढ़ता हो तो अन्दर के दर्जा में आगे को गुज़र सकता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-101, बहवाला रदुलमुहतार बाब मा युफ़सिदुस्सलात व मा यकरहु फ़ीहा जिल्द-1 सफ़हा-593)

सुतरा की मुख्तलिफ़ सुरतें

सवाल: अगर नमाज़ी अपने सामने दस्ती बैग या कोई कपड़ा वगैरा रख ले तो उसके सामने से गुजर जाना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: सुतरा कम अज़ कम एक हाथ ऊँचा होना चाहिए, इससे कम ऊँचाई के सुतरा में इख्तिलाफ़ है। राजेह कौल ये है कि बक़द्रे ज़िराअ (एक हाथ) सुतरा मुयस्सर न हो तो उससे कम भी काफ़ी है और ज़रूरत के वक़्त सुतरा की कई सुरतें हैं, मसलन:

(1) कोई ऐसी चीज़ जो एक ज़िराअ से कम बुलंद हो।

(2) छड़ी वगैरा लिटा लेना, अगर खड़ी न हो सके।

(3) सामने खत खींच लेना।

छड़ी और खत तूलन यानी क़िबला रुख़ होना ज़्यादा बेहतर है, अगरचे अरज़न भी जाइज़ है।

(4) जा नमाज़ या कपड़ा बिछा कर उस पर नमाज़ पढ़ना।

(5) अगर दो आदमी गुज़रना चाहें तो एक नमाज़ी के सामने उसकी तरफ़ पुशत कर के खड़ा हो जाए दूसरा गुज़र जाए, फिर वह इसी तरह नमाज़ी के सामने हो जाए और पहला गुज़र जाए।

(6) एक सहीह कौल ये भी है कि चालीस हाथ (60 मुख्तलिफ़ फ़िट या 25,60 मुख्तलिफ़ मीटर)।

या इससे बड़ी मस्जिद और सेहरा में सज्दा की जगह

से हट कर गुज़र जाना बगैर सुतरा के जाइज़ है।

(अहसनुल फतावा जिल्द-3 सफ़हा-411, बहवाला
रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-593)

सोते शख्स की तरफ़ रुख़ कर के नमाज़ पढ़ना

सवाल: कोई शख्स सो रहा हो, उसके सामने खड़े हो कर नमाज़ पढ़ना बगैर सुतरा के जाइज़ है या नहीं? अगर वैसे ही लेटा हो या न हो तो क्या हुक्म है?

जवाब: दोनों सूरतों में जाइज़ है, बशर्तेकि लेटने वाले का रुख़ नमाज़ी की तरफ़ न हो, बल्कि चित या किब्ला रुख़ लेटा हो। अलबत्ता अगर लेटने वाले पर कोई कपड़ा पड़ा हो तो बहरसूरत जाइज़ है।

(अहसनुल फतावा जिल्द-3 सफ़हा-435)

बारिश की वजह से नमाज़ तोड़ना

सवाल: मस्जिद के सेहन में नमाज़ बा जमाअत अदा कर रहे थे। बारिश जोर से शुरू हो गई तो क्या नमाज़ तोड़ कर अन्दर मस्जिद में अदा करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: बारिश की वजह से नमाज़ तोड़ना जाइज़ नहीं, अलबत्ता बारिश से किसी को मरज़ का खतरा हो या भीगने से 3.5 माशा (3.24 ग्राम) चांदी की कीमत के बराबर माली नुक़सान हो रहा हो तो ऐसा शख्स नमाज़ तोड़ सकता है।

(अहसनुल फतावा जिल्द-3 सफ़हा-438)

इमाम साहब का अंधेरे में नमाज़ पढ़ाना

सवाल: फ़र्ज नमाज़ के वक़्त इमाम साहब रौशनी बुझा कर नमाज़ बा जमाअत अदा करते हैं, बल्कि तरावीह भी पढ़ते हैं। दरयाफ़्त करने पर फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने अक्सर अंधेरे में नमाज़ अदा फ़रमाई है, सहीह मस्अला क्या है?

जवाब: ये मस्अला शरई नहीं है। बत्ती बुझा कर अंधेरे में नमाज़ पढ़ने की कोई ताकीद नहीं। बवक़्ते ज़रूरत, बक़द्रे ज़रूरत रौशनी करना और उसमें नमाज़ पढ़ना बिला कराहत दुरुस्त और साबित है। बिला ज़रूरत और ज़रूरत से जाएद रौशनी करना इसराफ़ में दाख़िल और मम्नूअ है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-208)

नमाज़ में किसी को ख़लीफ़ा बनाना

फ़ुक़हा की इस्तिलाह में इस्तिख़लाफ़ ये है कि इमाम या मुक्त्तदियों में से कोई शख्स किसी नेक आदमी को इमाम का नाइब बना दे, ताकि इमाम के बजाए वह आदमी नमाज़ की तकमील करे। ये सूरत किसी सबब के पेश आने से पैदा होती है। मसलन कोई इमाम जमाअत के साथ एक या दो रकअत या उससे कम ज़्यादा पढ़े, फिर नमाज़ के दौरान कोई ऐसा अम्र पेश आए जो मुक्त्तदियों के साथ नमाज़ को पूरा करने से मानेअ हो। जैसे कोई

नागहानी मरज़ या हदस (वुजू टूटना) लाहिक हो जाए। या ऐसा ही कोई और अम्र, मानेअ नमाज़ पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में ये रवा है कि इमाम अपने पीछे नमाज़ पढ़ने वालों में से या मौजूदा अशखास में से किसी को इमाम के तौर पर आगे कर दे, ताकि वह बाकी मांदा नमाज़ मुक्तदियों के साथ पूरी करे।

अगर इमाम ऐसा न करे तो मुक्तदी अपने में से किसी का इतिखाब कर के उस इमाम का काएम मकाम बना लें। लेकिन इस अमल के लिए न बोलना चाहिए न किब्ला की जानिब से रुख फेरना चाहिए।

मुमकिन है ये कहा जाए कि आखिर ऐसा करने (इमाम बनाने) की क्या ज़रूरत है? क्या आसान तरीका मालूम नहीं है कि ऐसी कोई रुकावट पेश आए जो इमाम को नमाज़ के जारी रखने में मानेअ हो, तो वह उस नमाज़ को तोड़ दे और किसी नेक आदमी को इमाम बना कर जमाअत से नमाज़ अदा कर ली जाए।

उसका जवाब ये है कि शरीअते इस्लामिया की नज़र में नमाज़ एक निहायत काबिले एहतेराम अमल है। लिहाज़ा जब कोई इंसान नमाज़ में मशगूल हो गया और खुजूअ व खुशूअ के साथ अपने रब के हुज़ूर मसरूफ़े दुआ हुआ हो तो उसे चाहिए कि जब तक नमाज़ से फारिग न हो, ऐसे मौकफ़ की पासदारी करे, चुनांचे इस दौरान कोई अमल भूल जाए तो लाज़िम होता है कि उसे पूरा करे। और सज्दए सहव से उसकी तलाफ़ी करे। इसी तरह अगर कोई बात पेश आए जो नमाज़ या जमाअत को बातिल कर दे तो वह नमाज़ से हट कर किसी और को पूरा

करने के लिए अपना नाइब बना दे।

इन तमाम उमूर से गरज़ ये है कि एक बार शुरू हो जाए तो उसे पूरे तौर पर अदा किया जाए, क्योंकि शरीअत इस्लामिया की निगाह में उसका पूरा करना जरूरी है। जिससे किसी हाल में ग़फ़लत न करनी चाहिए।

(किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-711, 712)

खलीफ़ा बनाने के असबाब

खलीफ़ा बनाने के असबाब क्या हो सकते हैं? इस बारे में इमामे आजम फ़रमाते हैं कि खलीफ़ा बनाने का सबब ये हो सकता है कि इमाम को बे इख़तियारी की हालत में कोई हदस लाहिक हो जाए मसलन नमाज़ के दौरान हवा (रीह) ख़ारिज हो जाए या कहीं खून या और कोई नजासत जो इंसान के बदन से ख़ारिज होती है, बह निकले (तो इमाम खलीफ़ा बना सकता है) लेकिन अगर नजासत लग जाए जो नमाज़ जारी रखने से मानेअ हो, या ये कि इमाम का सत्र खुल जाए या ऐसी ही कोई बात पेश आ जाए तो इन हालात में इमाम की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी और उसके साथ मुक्तदियों की भी नमाज़ जाती रहेगी।

इस सूरत में किसी को नाइब बनाना सहीह न होगा, इसी तरह अगर इमाम कहकहा मार कर हंस दे या जुनून या बेहोशी वगैरा की हालत तारी हो जाए, जिसकी तफ़सील खलीफ़ा बनाने के शराइत में आएगी, तब भी वह किसी को खलीफ़ा नहीं बना सकता।

किसी को खलीफा बनाना उस वक्त जाइज है जब इमाम मिक्दारे फर्ज किराअत करने से आजिज हो, नीज अगर इमाम को खुद किसी मजरत का या माल का ज़ाए होने का अंदेशा पेश आ जाए तो उसे जाइज नहीं है कि किसी को खलीफा बनाए, बल्कि चाहिए कि वह नमाज़ को ताड़ दे और मुक्तदी जिस तरह भी बन पड़े वह नमाज़ अज़ सरे नौ पढ़ें।

(किताबुलफिक्ह जिल्द-1 सफ़हा-712)

नमाज़ में खलीफा बनाने के मसाइल

हनफीया के नज़दीक (इमाम का) किसी को अपना खलीफा बना देना अफज़ल है। अगर इमाम ने किसी को अपना खलीफा (नाइब) न बनाया और न मुक्तदियों ने बनाया, और न मुक्तदियों में से कोई खुद ही बगैर खलीफा बनाए आगे खड़ा हुआ तो नमाज़ बातिल हो जाएगी। पस अगर वक्त में गुंजाइश हो तो उस नमाज़ को दोबारा पढ़ना चाहिए। अगर वक्त तंग हो तो खलीफा बनाना वाजिब होगा। इस मसअला में हनफीया के नज़दीक जुमा और दूसरी नमाज़ों में कोई फर्क नहीं है।

अगर इमाम ने किसी को अपना खलीफा बनाया और मुक्तदियों ने किसी और को अपना इमाम बना लिया तो इमाम के बनाए हुए खलीफा के अलावा किसी और के पीछे नमाज़ सहीह न होगी।

अगर मुक्तदियों में से कोई शख्स खलीफा बनाए बगैर खुद ही आगे आ गया और पूरी नमाज़ पढ़ा दी तो नमाज़

दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर इमाम या मुक्तदियों में से किसी ने खलीफा न बनाया और कोई खुद ही बगैर खलीफा बनाए आगे आ गया मगर लोगों ने अलग अलग नमाज़ पढ़ ली तो सब की नमाज़ बातिल हो जाएगी।

(किताबुलफिक्ह जिल्द-1 सफ़हा-713)

इमाम का वुजू टूट जाए तो क्या हुकम है

सवाल: अगर इमाम का वुजू टूट जाए और वह नमाज़ में किसी को अपना खलीफा बनाना चाहे तो उसकी क्या सुरत है?

जवाब: इस्तिखलाफ़ (खलीफा बनाने) के सहीह होने की तीन शर्तें हैं:

(1) खलीफा मुतअयन हो जाने के बाद बकिया शराइट सिर्फ़ इमाम के लिए हैं। खलीफा और मुक्तदियों की नमाज़ के लिए नहीं। अगर उसके बाद इमाम ने कोई फ़ेल मुनाफ़ी किया तो खलीफा और मुक्तदियों की नमाज़ सहीह हो जाएगी।

(2) अगर चालीस हाथ (60 मुरब्बअ फिट = 25.60 मुरब्बअ मीटर) से छोटी मस्जिद या उससे छोटे सेहन में जमाअत हो तो इमाम के उससे बाहर निकलने से पहले खलीफा मुतअयन हो, और अगर खुली फ़जा या मज़कूरा रक्बा के बराबर या उससे बड़े कमरे या बड़े सेहन में हो तो जिहते किब्ला में सुतरा से और सूतरा न हो तो मौज़ए सुजूद से तजावुज़ करने से कब्ल और बकिया तीन अतराफ़ में सफूफ़ से तजावुज़ करने से कब्ल खलीफा मुतअयन

हो जाए।

(3) खलीफा में इमामत की सलाहियत हो यानी औरत या नाबिग न हो।

खलीफा के लिए ये शर्त नहीं कि उसको इमाम ही मुतअयन करे, वल्कि मुक्तदियों ने किसी को आगे कर दिया या कोई शख्स अज़ खुद खलीफा बन गया तो भी जाइज़ है।

बेहतर ये है कि इमाम खुद खलीफा बनाए, मस्बूक भी खलीफा बन सकता है। अगर खलीफा को बकिया रकआत का इल्म न हो तो इमाम उंगलियों के इशारा से बता दे, किराअत बाकी हो तो मुंह पर हाथ रख कर इशारा करे, सूरए फातिहा बाकी हो तो जहाँ छोड़ी उससे आगे एक दो कलिमात बुलंद आवाज़ से पढ़ दे, रुकूअ के लिए घुटनों पर, सुजूद के लिए पेशानी पर, सजदए तिलावत के लिए पेशानी और ज़बान पर, सजदए सहव के लिए सीना पर हाथ रख कर खलीफा को समझाए। फिर वुजू से फ़रागत तक अगर जमाअत खत्म न हुई हो तो खलीफा की इक्तिदा करे, वरना तन्हा नमाज़ पूरी करे।

इक्तिदा करने की सूरत में छूटे हुए अरकान पहले अदा कर के इमाम के साथ शामिल हो। अगर पानी मस्जिद के अन्दर ही है तो खलीफा बनाने की ज़रूरत नहीं, इमाम वुजू कर के वापस अपने मकाम पर आकर इमामत करे, उस वक्त तक मुक्तदी इतिज़ार करें। मगर इस सूरत में भी खलीफा बनाना जाइज़ है।

अगर इमाम खलीफा के एक रुक्न अदा करने से कब्ल वुजू कर के आ गया तो खलीफा पीछे हट जाए

और अस्ल इमाम ही इमामत करे, बशर्तेकि इमाम मस्जिद से न निकला हो। अगर पानी मस्जिद से बाहर हो तो अफज़ल ये है कि किसी को खलीफ़ा बना कर खुद अज़ सरे सौ नमाज़ पढ़े। अलबत्ता अगर वक़्त तंग हो तो खलीफ़ा बनाना वाजिब है।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-310)

खलीफ़ा बनाने की शराइत और उसका तरीक़ा

पहली शर्त ये है कि इमाम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हो, अपना खलीफ़ा बनाने से पहले वहाँ से बाहर न जाए, अगर इमाम बाहर चला गया तो खलीफ़ा बनाना न इमाम के लिए दुरुस्त होगा और न लोगों के लिए, क्योंकि उसके मस्जिद से निकलते ही सब की नमाज़ बातिल हो जाएगी।

दूसरी शर्त ये है कि जिसको खलीफ़ा बनाया जाए वह इमामत का अहल हो। लिहाज़ा अगर किसी अनपढ़ या नाबालिग को खलीफ़ा बनाया गया तो सब की नमाज़ बातिल हो जाएगी।

खलीफ़ा बनाने का तरीक़ा ये है कि इमाम अपनी नाक पर हाथ रख कर झुके झुके पीछे हट जाए। ऐसा ज़ाहिर हो कि उसकी नक्सीर अपने आप फूट गई है। ये अमल अगरचे ख़िलाफ़े वाक़ेअ हो लेकिन उसकी मसलिहत ज़ाहिर है कि इस तरह नमाज़ का नज़्म और उसके समूही आदाब मलहूज़ रहेंगे।

तीसरी शर्त ये है कि मौजूदा नमाज़ को जारी रखने

की शर्तें पूरी हों। अगर ये शर्तें न पाई गईं तो नमाज़ बातिल हो जाएगी और उसके लिए खलीफ़ा बनाना भी दुरुस्त न होगा। वह शर्तें ग्यारह हैं:

(1) औवल ये कि वह हदस बे इख्तियारी का हो।

(2) दूसरे ये कि वह हदस इमाम के बदन से ही तअल्लुक रखता हो, अगर बाहर से नजास्त लग गई जो मानेअ नमाज़ न हो तो उस नमाज़ को जारी नहीं रखा जा सकता।

(3) तीसरे ये कि वह हदस गुस्ल वाजिब करने वाला न हो मसलन किसी (शहवत अंगेज़) ख्याल से डंज़ाल का होना।

(4) चौथे ये कि हदस अनोखा न हो मसलन कहकहा मार कर हंसना या बेहोशी या जुनून का तारी होना।

(5) पाँचवीं ये कि हदस के बाद इमाम ने कोई रुक्न अदा न किया हो या चला न हो।

(6) छठे ये कि मुनाफ़ी नमाज़ कोई हरकत कसदन हदस के बाद न की हो मसलन बेइख्तियारी में जो हदस हो गया उसके बाद कसदन कलाम करने लगा।

(7) सातवीं ये कि गैर ज़रूरी अमल न किया हो मसलन ये कि पानी के करीब होते हुए पानी के लिए दूर जगह चला जाए।

(8) आठवीं ये कि बगैर किसी मजबूरी या हुजूम वगैरा के इतनी ताख़ीर खलीफ़ा बनाने में कर दे कि जितनी देर में कोई रुक्ने नमाज़ अदा किया जा सके।

(9) नौवीं ये कि नमाज़ पढ़ते में इन्किशाफ़ न हुआ हो कि वह नमाज़ से पहले हदस की हालत में था।

(10) दसवीं ये कि इमाम साहबे तरतीब हो और उसे फौत शुदा नमाज़ याद न आ गई हो।

(11) ग्यारहवीं ये कि बाकी मांदा नमाज़ उस जगह के अलावा किसी और जगह अदा न की जाए।

लिहाज़ा अगर इमाम या मुक्त्तदी को हदस लाहिक हुआ और वुजू करने चला गया तो वुजू के बाद वापस आकर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब है, लेकिन तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले को इख्तियार है कि वुजू के बाद ख्वाह उसी जगह आकर नमाज़ पूरी करे या किसी और जगह पर।

(किताबुलफिक्ह अलल मज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-719)

शराइते सेहते बिना

सवाल: अगर नमाज़े मगरिब या कोई दूसरी नमाज़ पढ़ रहा हो। तीन रकअतें या दो रकअतें पढ़ चुका हो, उसका वुजू टूट जाए और वह दोबारा वुजू करने लगा तो वह पूरी नमाज़ पढ़ेगा या दो रकअतें या एक रकअत जो रह गई थी वह पढ़ेगा? किन सूरतों में बिना जाइज़ है? तफ़सील से ब्यान फ़रमाएँ?

जवाब: जवाज़े बिन के लिए तेरह शराइत हैं:

(1) हदस में या उसके सबब में किसी इंसान का कोई दखल न हो। अगर अमदन वुजू तोड़ा या किसी ने ज़र्रम कर के खून निकाल दिया तो बिना नहीं कर सकता, इसलिए कि पहली सूरत में नफ़से हदस और दूसरी में

सबबे हदस यानी जख्म इंसान की तरफ से है, खाँसने से खुरुजे रीह बिना से मानेअ है, और छींकने से खुरुजे रीह का मानेअ होना मुख्तलफ़ फ़ीह है।

(2) हदस नमाज़ी के बदन से हो, अगर खारिज से कोई नजासत उस पर गिर गई हो तो बिना दुरुस्त नहीं।

(3) हदस मूजिबे गुस्ल न हो। अगर नमाज़ में नींद आ गई और एहतेलाम हो गया तो बिना सहीह नहीं।

(4) हदस नादिरुलवुजूद न हो मसलन कहकहा या बेहोशी।

(5) हदस के साथ कोई रुकन अदा न करना, अगर सज्दा की हालत में हदस हुआ यानी वुजू टूटा और सज्दा पूरा करने की नीयत से सर उठाया, या वुजू के लिए जाते हुए किराअत में मशगूल रहा तो बिना नहीं कर सकता।

(6) चलने की हालत में कोई रुकन अदा न करना, मसलन वुजू के बाद लौटते हुए किराअत करना, हाँ आँते जाते तस्वीह पढ़ना मना नहीं।

(7) नमाज़ के मुनाफ़ी कोई काम न करना, मसलन कुदरती हदस के बाद अमदन हदस या कलाम वगैरा या कुवें से पानी खींचना।

(8) बे ज़रूरत काम न करना मसलन वुजू के लिए करीब जगह छोड़ कर दो सफ़ से ज़्यादा दूर जाना, हाँ करीब मक़ाम पर इज़दिहाम व हुजूम के बाइस या भूले से दूर जाने में कोई हरज नहीं।

(9) बिला ज़रूरत तीन बार "سبحان ربى الاعلى" के बक़द्रे ताख़ीर न करना, जबकि नकसीर फूट जाने या

किसी अज्व से खून बंद न होने की वजह से ताखीर मुजिर नहीं। वुजू की सुन्नतें भी अदा करे, अगर वुजू के सिर्फ चार फराइज पर इकतिफा किया तो बिना जाइज नहीं।

(10) हदसे साबिक का जाहिर न होना, मसलन मोज़ा पर मसह की मुदत खत्म होना, तयम्मूम करने वाले का पानी देखना, खुरूजे वक्ते मुस्तहाज़ा।

(11) साहबे तरतीब को कज़ा नमाज़ याद न आना, अलबत्ता अगर याद आने पर कज़ा न पढ़ी बल्कि वक्ती की बिना कर ली, फिर मजीद चार यानी कुल छः फ़र्ज नमाज़ें उसके ज़िम्मा कज़ा हो गईं, तो बिना वाली नमाज़ सहीह हो जाएगी।

(12) अगर मुक्तदी को हदस हो या इमाम को हो और उसने कोई खलीफ़ा बना दिया हो, और वुजू से फ़रागत तक जमाअत खत्म न हुई हो और मक़ामे वुजू ऐसी जगह हो कि वहाँ से इक़्तिदा सहीह न हो, तो ये शर्त है कि ये इमाम या मुक्तदी ऐसी जगह पर आकर बिना करे जहाँ से इक़्तिदा सहीह हो। अगर मक़ामे वुजू पर इक़्तिदा कर सकता हो, या वुजू से क़ब्ल जमाअत खत्म हो चुकी हो, या मुनफ़रिद को हदस हुआ हो तो इन तीन सूरतों में इख़्तियार है कि मक़ामे वुजू ही में बिना करे या साबिक मक़ाम पर लौट कर आए, मक़ाम वुजू ही में बिना अफ़ज़ल है।

(13) इमाम को हदस हुआ तो उसका ऐसे शख्स को खलीफ़ा न बनाना जो इमामत की सलाहियत न रखता हो। ये भी मुनाफ़ीए नमाज़ है, जिसका ब्यान न० 7 में

गुजर चुका। मगर बवजे खिफा उसको मुस्तकिल जिक्र किया गया है। दरहकीकत शराइत बारह ही हैं।

शराइते मजकूरा के साथ बिना अगरचे जाइज़ है मगर अज सरे नौ पढ़ना अफ़ज़ल है। अलबत्ता अगर वक्त तंग हो तो बिना अफ़ज़ल है, बल्कि ज़्यादा तंग हो तो वाजिब है। इस्तीनाफ़ के लिए ज़रूरी है कि पहली नमाज़ को सलाम फेर कर या किसी फेले मुनाफी से खत्म करे फिर नई नमाज़ शुरू करे, बगैर सलाम या फेले मुनाफी इस्तीनाफ़ सहीह नहीं।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-435)

इमाम को अगर खलीफ़ा बनाना दरवार हो तो

क्या हक़म है?

सवाल: फ़िक्ह की किताबों में इमाम बनाना जाइज़ लिखा है मगर चूंकि ये मसअला बहुत कम पेश आता है, लोग उससे इस लिए नावाकिफ़ हैं और इमाम को खलीफ़ा बनाना दुश्वार होता है। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए?

जवाब: फ़िक्ह की किताबों में हदस लाहिक़ होने की सूरत में खलीफ़ा बनाने को जाइज़ लिखा है, ज़रूरी नहीं है। और ये भी लिखा है कि इस्तीनाफ़ अफ़ज़ल है।

पस जब इस किस्म का हाल है जो कि आप ने लिखा है तो ऐसी हालत में इस्तीनाफ़ ही करना मुनासिब है ताकि लोग ग़लती में न पड़ें। पस पहले नमाज़ को कतअ कर दे और कोई अमल मुनाफीए नमाज़ करे और फिर वुजू करने के बाद अज सरे नौ शुरू करे।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफहा-401, बहवाला
रदुलमुहतार जिल्द-1 सफहा-562)

इमाम का बहालते सज्दा वुजू टूट जाना

सवाल: अगर सज्दा की हालत में इमाम साहब का वुजू टूट जाए तो खलीफा किस तरह मुसल्ले पर आए?

जवाब: इस सूरत में खलीफा मुसल्ले पर आकर उसी सज्दा से शुरू करे और इमाम जिसको हदस सज्दा में हुआ है अपनी पेशानी पर हाथ रख ले, ताकि खलीफा समझ जाए कि इमाम को सज्दा में हदस हुआ है। उस सज्दा को फिर करना चाहिए।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफहा-403, बहवाला
रदुलमुहतार जिल्द-1 सफहा-562 बाबुलइस्तिखलाफ)

सूरत पढ़ते हुए वुजू टूट जाने का हुकम

सवाल: इमाम कोई सूरत पढ़ रहा था कि उसका वुजू टूट गया। अब जो मुक्तदी उसका खलीफा बना है, उसको वह सूरत याद नहीं जो इमाम पढ़ रहा था तो अब वह क्या करे?

जवाब: वह कोई और सूरत पढ़ कर रुकूअ कर दे। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी सूरत को पढ़े बल्कि अगर वह इमाम वाजिब किराअत के बकदर पढ़ चुका है तो ये खलीफा उसकी जगह जाकर फौरन रुकूअ में जा सकता है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफहा-403, बहवाला

अलबहरुराईक जिल्द-1 सफ़हा-391)

मरबूक खलीफ़ा नमाज़ कैसे पूरी करे

सवाल: इमाम जुहर की नमाज़ पढ़ा रहा है, मुक्त्तदी का वुजू टूट गया। जब वह वुजू कर के आया तो इमाम एक रकअत पढ़ चुका, जब वह आदमी आकर शामिल हो गया तो इमाम साहब का वुजू टूट गया, वह उसी आदमी को अपना खलीफ़ा बना कर वुजू करने चला गया। अगर खलीफ़ा मुक्त्तदियों की नमाज़ पूरी करे तो अपनी तीन रकअतें होती हैं और अगर अपनी पूरी करे तो मुक्त्तदियों की पाँच रकअतें होती हैं। क्या करना चाहिए?

जवाब: जिस मुक्त्तदी का वुजू टूट गया और वह वुजू करने गया और उसकी एक रकअत फ़ौत डो गई तो वह लाहिक है, उसको ये हुक्म है कि वह पहले अपनी फ़ौत शुदा रकअत पढ़े फिर इमाम के साथ शरीक हो। पस अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नमाज़ इमाम के बराबर होगी। और अगर उसने अपनी फ़ौत शुदा रकअत पहले अदा न की और इमाम के साथ शरीक हो गया और फिर इमाम का वुजू टूट गया, इमाम ने उस लाहिक को इमाम बना दिया तो उसको चाहिए कि जिस वक्त्त इमाम की चौथी रकअत पूरी हो जाए तो ये शख्स किसी मुदरिक को खलीफ़ा बना दे जो औवल से इमाम के साथ शरीक हुआ था, वह सलाम फेर देगा। वह शख्स अपनी रकअत फ़ौत शुदा उठ कर पूरी करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-376, बहवाला

रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-558)

मस्बूक की इमामत का हुक़म

सवाल: मस्बूक की इमामत दुरुस्त है या नहीं? मसलन ज़ैद नमाज़ पढ़ रहा था, बकर दूसरी या तीसरी रकअत में शरीक हुआ, जब ज़ैद नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो बकर बाकी रकअत नमाज़ की पूरी करने के लिए खड़ा हुआ। ख़ालिद आ कर उसके पीछे नमाज़ पढ़ने लगा, ख़ालिद की नमाज़ दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: मस्बूक की इक़तिदा दुरुस्त नहीं है। वह बहालते इन्फ़िरादी इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद इमाम नहीं हो सकता।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-376, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-558)

अमले कसीर व कलील की तारीफ़

सवाल: अमले कसीर जो मुफ़सिदे सलात (नमाज़ फ़ासिद करने वाला) है। उसकी क्या तारीफ़ है? अगर मिसाल से वाज़ेह फ़रमाएँ तो समझने में सहूलत होगी।

जवाब: अमले कसीर की तारीफ़ में पाँच कौल हैं।

(1) ऐसा अमल कि उसके फ़ाइल (करने वाले) दूर से देख कर ज़न्ने ग़ालिब हो कि ये शख्स नमाज़ में नहीं है, जिस अमल से नमाज़ में न होने का ज़न्ने ग़ालिब न हो बल्कि शुब्हा हो वह कलील है।

(2) जो काम आदतन दो हाथों से किया जाता हो जैसे कमर बंद बाँधना और अमामा बाँधना वह कसीर है, ख्वाह वह एक ही हाथ से करे। और जो अमल आदतन एक हाथ से किया जाता है वह दोनों हाथों से भी करे तो वह कलील है, जैसे इज़ार बंद खोलना, और टोपी सर से उतारना।

(3) हरकाते मुतवालिया हों यानी उनके दरमियान बकद्रे रुकन वक्फा न हो तो अमले कसीर है वरना कलील।

(4) ऐसा अमल कसीर है जो फ़ाइल को ऐसा मक्सूद हो कि उसको आदतन मुस्तकिल मजलिस में करता हो, जैसे नमाज़ की हालत में बच्चा ने औरत का दूध पी लिया।

(5) नमाज़ी की राए पर मौकूफ़ है वह जिस अमल को कसीर समझे वह कसीर है।

पहले तीन अक़वाल ज़्यादा मशहूर हैं और दरहकीकत तीनों का हासिल एक ही है इसलिए कि दूसरे और तीसरे कौल में मज़कूर अमल के फ़ाइल को देखने से ग़ैर नमाज़ में होने का ज़न्ने ग़ालिब होता है।

फ़ाएदा: बाज़ इबारात में “ثَلَاثَ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ” के बजाए “ثَلَاثَ حَرَكَاتٍ فِي رُكْنٍ” है, और उसमें रुकन से, मिक्दारे रुकन मुराद है, यानी जितने वक़्त तीन बार “سبحان ربّي الاعلى” कहा जा सके, ज़ाहिर है कि इतने वक़्त तीन हरकतें वाक़ेअ हों तो वह पै दर पै ही कहलाएँगी।

यूँ भी कहा जा सकता है कि एक रुकन के साथ पै दर पै होने की भी शर्त है, पस किसी तवील रुकन में

तीन हरकतों के इस तरह पेश आने से कि उनके दरमियान बकद्रे रुकन वक्फ़ा हो, उससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। पहले कौल के मुताबिक़ जो दरहकीकत सब से ज़्यादा सहीह और अस्ल की हैसियत रखता है, तीन पै दर पै हरकतों से नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, इसलिए कि तीन हरकतें अगर पै दर पै न हों तो उनके देखने वाले को उसके बारे में ये गुमान नहीं होता कि वह नमाज़ की हालत में नहीं है, ख़्वाह वह तीनों हरकतें एक ही रुकन में हों, ख़ास कर जब कि रुकन तवील हो और हरकतों के दरमियान वक्फ़ा भी ज़्यादा हो।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-419)

सज्दा में दोनों पाँव उठ जाने का हुक्म

सवाल: नमाज़ में सज्दा की हालत में अगर दोनों पाँव ज़मीन से उठ जाएँ तो नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं? नीज़ अगर नमाज़ फ़ासिद होने का हुक्म है तो किस बिना पर।

जवाब: दोनों पाँव में से किसी एक का कोई जुज़ एक तस्बीह पढ़ने के बराबर ज़मीन पर रखना वाजिब है और एक कौल के मुताबिक़ फ़र्ज़ है। तीसरा कौल सुन्नत का भी है, पहला कौल राजेह है, पस अगर पूरे सज्दा में एक तस्बीह पढ़ने के बकद्रे दोनों पाँव में से किसी का कोई जुज़ ज़मीन पर रख लिया तो वाजिब अदा हो जाएगा।

अगर इतनी मिक़दार भी नहीं रखा तो वाजिब के छूट जानें की वजह से नमाज़ वाजिबुल इआदा होगी।

(अहसनुल फतावा जिल्द-3 सफहा-398)

नमाज में सत्र खुल जाने का इल्म

सवाल: ऐसी सदरी पहन कर नमाज होगी या नहीं जिससे कि रुकूअ व सुजूद में जाते वक़्त नाफ़ से नीचे का हिस्सा खुल जाए जिसको ढकना फर्ज है और नमाज वाजिबुल इआदा है या नहीं? सत्र की कितनी मिक्दार खुल जाए तो नमाज नहीं होगी?

जवाब: अगर इस सदरी (शर्ट वगैरा) में सत्र खुलने का इल्म होने के बावजूद नमाज पढ़ी, या ग़फलत की वजह से सत्र का एहतियाम नहीं किया तो नमाज नहीं हुई, ख़्वाह बहुत थोड़ी मिक्दार में और थोड़ी सी देर ही के लिए सत्र खुला हो, और अगर ग़ैर इख़्तियारी तौर पर सत्र खुल गाय तो उसमें ये तफ़सील है कि अगर तीन बार "سبحان ربی الاعلیٰ" कहने की मिक्दार तक चौथाई अज़्व खुला रहा तो नमाज नहीं होगी। इससे कम मिक्दार हो या वक़्त उससे कम हो तो नमाज़ हो जाएगी, जो अज़्व खुला हो उसका चौथाई हिस्सा मोतबर है और एक अज़्व मुतअद्द जगह से खुला हो और सब का मजमूआ चौथाई के बक़द हो गया तो मुफ़सिद होगा, और अगर मुतअद्द आज़ा खुल जाएँ तो सब का मजमूआ उनमें से छोटे अज़्व के चौथाई के बराबर होना मुफ़सिद है।

नाफ़ की मुहाज़ात से लेकर पेडू तक चारों तरफ़ एक ही अज़्व शुमार होता है। पेडू की इब्तिदा नाफ़ से नीचे मुदौवर ख़त से होती है।

नमाज़ में टखने ढाँकना कैसा है

सवाल: नमाज़ में अगर टखने ढके हुए हों तो नमाज़ में क्या असर पड़ता है?

जवाब: मर्द के लिए नमाज़ और गैर नमाज़ दोनों हालतों में टखने ढाँकना नाजाइज़ और गुनाह है। हदीस में उस पर जहन्नम की वईद आई है। नमाज़ के अन्दर गुनाह का इरतिकाब और भी ज़्यादा बुरा है। नमाज़ में टखने ढाँकने से अगरचे नमाज़ हो जाएगी, मगर मुतकब्बिरीन का शिआर होने की वजह से मकरूह है। आप (स.अ.व.) ने टखने न ढाँकने, दाढ़ी कटाने और गाने बजाने को उन बदआमालियों की फ़ेहरिस्त में शुमार फ़रमाया है जिनकी वजह से कौमे लूत पर अज़ाब आया है।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-404, बहवाला तहतावी अललमराकी सफ़हा-189)

इमाम का सज्दा में जाते हुए घुटनों पर हाथ रखना

सवाल: रुकूअ के बाद सज्दा में जाते वक़्त हाथ घुटनों पर रखना सुन्नत है या मुस्तहब?

जवाब: उठते वक़्त घुटनों पर हाथ रखना मुस्तहब है, सज्दा की तरफ़ जाने की हालत में घुटनों पर हाथ रखना साबित नहीं। अदमे सुबूत के अलावा इसमें दो कबाहतें हैं:

(1) अवाम उसको मसनून या मुस्तहब समझने लगे हैं।

(2) कौमा से सज्दा की तरफ़ जाने का मसनून तरीका ये है कि घुटने ज़मीन पर टेकने से कब्ल कमर और सीना न झुके। उस वक़्त घुटनों पर हाथ रखने की आदत का ये असर देखा गया है कि घुटने ज़मीन पर लगने से कब्ल ही ऊपर का धड़ झुक जाता है। लिहाज़ा ये आदत तर्क सुन्नत का बाइस होने की वजह से काबिले एहतेराज़ है।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-51)

सुन्नत तरीका ये है कि पहले दोनों घुटने एक साथ ज़मीन पर रखे। इसी तरह दोनों हाथ एक साथ रखे और उठते वक़्त भी बरअक्स ऐसा ही करे।

अलबत्ता अगर उज़्र की वजह से घुटने पहले रखना मुशिकल हो, तो इस सूरत में दायँ हाथ पहले रखे, फिर दोनों घुटने एक साथ रखे।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-32, बहवाला रद्दुलमुहतार सफ़हा-465)

इमाम का सज्दा से उठ कर कुरता दुरुस्त करना

सवाल: एक इमाम साहब जब भी सज्दा से उठ कर खड़े होते हैं तो एक हाथ से और कभी दोनों हाथों से पीछे की जानिब कुरता पकड़ कर दुरुस्त करते हैं, क्या ये दुरुस्त है?

जवाब: कुरता दुरुस्त करने की ज़रूरत उमूमन दो वजह से पेश आती है। एक ये कि कुरता कमर बंद के ऊपर अटक जाता है जो बाज़ मुक्तादियों के ज़ेहन को

बटाने वाला और खुशूअ में मुख़िल होता है।

दूसरी वजह ये होती है कि बाज़ लोगों की सुरीन (कूल्हे) के अन्दर कुरता अटक जाता है। किसी ऐसी ज़रूरत की वजह से कुरते को खींच कर दुरुस्त करने में कोई हरज नहीं। अलबत्ता उसके लिए एक हाथ काफी है, दूसरा हाथ इस्तेमाल करना मकरूहे है और बिला ज़रूरत एक हाथ का भी इस्तेमाल करना मकरूहे तहरीमी है।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-437, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-599)

नमाज़ में चादर कंधे से गिर जाने का हक्म

कंधे पर डाल लेना चाहिए। कपड़े का लटकना नमाज़ में तशवीश का बाइस है और तशवीश को दूर करने के लिए एक या दो बार हिलाना जाइज़ है, नीज़ नमाज़ में कपड़ा लटके रहने की मुमानअत है, और ये अमल मकरूह है, सदल में दाख़िल होने की वजह से मकरूह है।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-436)

नमाज़ में तहबंद दुरुस्त करना

सवाल: नमाज़ में तह बंद खुल जाने का अंदेशा हो तो क्या उसको दोनों हाथों से बाँध सकते हैं? या तहबंद को कस सकते हैं?

जवाब: पहले एक हाथ से एक जानिब कस लें, फिर

तीन बार "سبحان ربى الاعلى" कहने की मिकदार तक तवक्कुफ करने के बाद दूसरी जानिब दूसरे हाथ से दुरुस्त कर लें।

(अहसनुल फतावा जिल्द-3 सफ़हा-437)

सज्दा में जाते वक़्त कपड़ा समेटना

सवाल: बाज़ लोग नमाज़ में जाते वक़्त (आदतन सज्दा में जाते वक़्त पाजामा) या तहबंद को उठा लेते हैं क्या ये मकरूहे तहरीमी है या तंजीही?

जवाब: मकरूहे तहरीमी है।

(अहसनुल फतावा जिल्द-3 सफ़हा-407, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-598)

क़याम में दोनों क़दम के दरमियान फ़ासिला की मिकदार

फ़ुक़हा ने लिखा है कि चार अंगुशत का फ़ासिला पैरों में क़याम की हालत में रखना चाहिए। अगर कुछ कम व बेश हो गया तो नमाज़ सहीह है, कुछ कराहत नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-153, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब सिफ़तुस्सलात बहसुलक़याम जिल्द-1 सफ़हा-414)

रुकूअ से उठ कर सीधा खड़ा होना चाहिए

सवाल: बाज़ अइम्मा रुकूअ कर के सीधे खड़े नहीं

होते, सज्दा में चले जाते हैं, नमाज़ हो जाती है या नहीं?

जवाब: अगर रुकूअ से उठ कर सीधे खड़े न हों तो इसमें तर्क वाजिब होता है। वह नमाज़ काबिले इआदा है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-155, रद्दुलमुहतार बाब वाजिबातुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-432)

सज्दा से चार अंगुल उठ कर दूसरा सज्दा करना

बकौल बाज़ मुहक्किकीन इसमें तर्क वाजिब है और ऐसी नमाज़ का इअदा वाजिब है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-155, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब वाजिबातुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-432)

सज्दा में रान और पिंडुली का फ़ासिला

सवाल: सज्दा में रान और पिंडुली को कितना कुशादा किया जाए। क्या ज़विया काइमा बनाना चाहिए?

जवाब: दुर्रेमुख्तार में है कि अपने बाजू को बिला तकल्लुफ़ जाहिर करे और रान को पेट से दूर रखे।

पस मालूम हुआ कि सज्दा में सुन्नत इसी क़द्र है और ज़ाविया काइमा बनाना ज़रूरी नहीं है और ये भी जब है कि जमाअत में न हो, तन्हा हो या इमाम हो वरना ऐसा फ़ेल न करे जिससे दूसरे मुक्तदियों को तकलीफ़ व ईजा हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-164, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-270)

सज्दा से उठते हुए बिला उज्र जमीन का सहारा लेना

सवाल: दूसरी रकअत में काअदा के बाद जब खड़ा हो तो हाथ बदस्तूर रानों पर रख कर खड़ा हो या जमीन पर सहारा देकर खड़ा हो?

जवाब: हाथ घुटनों और रानों पर रख कर खड़ा होना बेहतर है और अगर ब जरूरत जमीन पर रख कर खड़ा हो तो ये भी दुरुस्त है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-190, बहवाला रहुलमुहतार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-472)

फतावा रहीमिया जिल्द-6 सफ़हा-362 पर इस तरह है:
इमाम साहब उज्र की वजह से सज्दा में जाते वक़्त पहले हाथ रखते हैं तो ये मकरूह नहीं है, बिला उज्र पहले हाथ रखना मकरूह है।

(बहवाला तहतावी सफ़हा-154)

तशहहद में अंगुशत से इशारा करना सुन्नत है

सवाल: सरहद के उलमा तशहहद में अंगुशत उठाने को मना करते हैं कि ये फ़ेल नमाज़ में न किया जाए, सहीह क्या है?

जवाब: हनफ़ीया के नज़दीक सहीह ये है कि तशहहद में इशारा शहादत की उंगली से सुन्नत है। दुर्रेमुख्तार में मुतअद्दिद कुतुब के हवाला से शहादत की उंगली से इशारा करने को सहीह बातया है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-194, बहवाला
दुर्रेमुख्तार बाब सिफ़तुस्सलात सफ़हा-474)

दाएँ हाथ की उंगली न उठा सकता हो तो क्या करे?

अगर दाहने हाथ में उज़्र है और उंगली नहीं उठा सकता तो वह अंगुशत न उठाए, बाएँ हाथ की उंगली उठाने का हुक्म नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-192, बहवाला
रहुलमुहतार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-474)

इशारा के वक़्त उंगलियों के हल्का का हुक्म

तशहहूद में शहादत की उंगली से इशारा की ये सूरत है कि इबहाम और उसता का हल्का कर के बिन्सिर और खिन्सिर को बंद करे, कुतुबे फिक्हे अहनाफ़ में इसको लिखा है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-191, बहवाला
रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-475)

तशहहूद में उंगली उठा कर किस लफ़्ज़ पर गिराए

शरहे मनीया में इमाम हुलवाई से नक़ल किया है कि "लाइलाहा" पर उंगली को उठाए और "इल्लल्लाह" पर रख दे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-189, बहवाला रहुलमुहतार बाब सिफ़तुस्सलात मतलब फी

अविदलअसाबेअ जिल्द-1 सफ़हा-475)

उंगलियों का हल्का तराहद में कब तक बाकी रखे

लाइलाहा इल्लल्लाह कहने के वक्त जब उंगलियों को बंद या उनका हल्का कर लिया है तो फिर उस को फारिग होने तक वैसा ही रखना चाहिए।

शामी जिल्द औवल में मुतअद्द इबारतें हैं जिनमें अक्दे असाबेअ को इशारा के बाद खोलने का जिक्र नहीं है जो इस बात की सरीह दलील है कि हल्का बना कर उंगलियों का खोलना मुनासिब नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-202, बहवाला रद्दुलमुहतार सफ़हा-450)

नमाजों में रसूलुल्लाह की किराअत

”عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي
الْفَجْرِ بَقِ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ وَنَحْوَهَا وَكَانَتْ صَلَوَاتُهُ بَعْدَ تَخْفِيفٍ“

तरजुमा: हजरत जाबिर बिन समरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) फ़ज्र की नमाज़ में सूरए काफ़ और उस जैसी दूसरी सूरतें पढ़ा करते थे और बाद में आप की नमाज़ हलकी होती थी।

(सहीह मुस्लिम शरीफ़)

तशरीह: शारिहीन ने आखिरी ख़त कशीदा फ़िक़रा के दो मतलब ब्यान किए हैं। एक ये कि फ़ज्र के बाद की आपकी नमाज़ें यानी जुहर, अज़्र, मग़रिब, इशा ये सब

सूरतें पढ़ने का था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी सूरत में से कुछ आयात पढ़ देते थे। इसी तरह कभी ऐसा भी हुआ है कि आप (स.अ.व.) ने दोनों रकअतों में एक ही सूरत की किराअत फ़रमाई है।

जुमा की फ़ज्र में सूरत “*آلَمَ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ*” और सूरए अलदहर पढ़ने की हिकमत हज़रत शाह वली उल्लाह (रह.) ने ये ब्यान फ़रमाई है कि उन दोनों सूरतों में कयामत और जज़ा सज़ा का ब्यान बहुत मुअस्सिर अंदाज़ में किया गया है, और कयामत जैसा कि अहादीसे सहीहा में बताया गया है जुमा ही के दिन काइम होने वाली है। इसलिए ग़ालिबन आप उसकी तज़कीर और याद दिहानी के लिए जुमा की फ़ज्र में ये दोनों सूरतें पढ़ना पसंद फ़रमाते थे। *والله اعلم*

(मआरिफ़ुल हदीस जिल्द-3 सफ़हा-249)

किराअते फ़ज्र की भिक्दार

सवाल: इमाम साहब सूरए मुल्क, सूरए यासीन हिफ़ज़ होने के बावजूद फ़ज्र की नमाज़ में वफ़्जुहा वल्लैल (2) अलम नशरह (3) वत्तीन (4) सूरए जुमा का आख़िरी रुकूअ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बाज़ नमाज़ियों की सुन्नतें फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ रहता है, तो उसके लिए शरई हुक्म क्या है?

जवाब: सुबह की नमाज़ में इमाम को इतनी मुख़्तसर किराअत की आदत बना लेना ख़िलाफ़े सुन्नत और मकरूह है। कोई ख़ास उज़्र न हो तो इमाम और ऐसे ही मुनफ़रिद

(तन्हा पढ़ने वाला) सुबह की नमाज़ में तिवाले मुफ़स्सल यानी सूरए हुजरात से लेकर सूरए बुरुज तक की सूरतों में से एक एक सूरत एक एक रकअत में पढ़े। ये मसनून और मुस्तहब है या किसी और जगह से दरमियानी दर्जा की कम से कम चालीस आयतें पढ़े ये कम से कम है। और मुतवस्सित दर्जा ये है कि पच्चास आयतों से साठ तक और उससे बेहतर ये है कि सौ आयतों तक पढ़े।

इस सिलसिले में इमाम और मुक्तदियों की हिम्मत और शौक का लिहाज़ रखना चाहिए। अलबत्ता वक्त की तंगी या किसी और ज़रूरत और उज़्र की बिना पर किराअत मुख़्तसर करनी पड़े तो मुज़ाएका नहीं है, जाइज़ है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-155, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-504, व कबीरी सफ़हा-303)

जुमा के दिन फ़ज़्र में सूरए सज्दा पढ़ना

सवाल: ज़ैद कहता है कि जुमा के दिन फ़ज़्र की नमाज़ में पहली रकअत में सूरए सज्दा और दूसरी रकअत में सूरए दहर पढ़ना मुस्तहब है, क्या ये सहीह है?

जवाब: फ़ज़्र की नमाज़ में जुमा के दिन पहली रकअत में सूरए सज्दा और दूसरी में सूरए दहर पढ़ना फी नफ़िसही मुस्तहब है, लेकिन उस पर मुदावमत (पाबंदी) मकरूह है, ताकि अवाम उसको वाजिब न समझने लगे।

आज कल अइम्मए मसाजिद ने इस मुस्तहब अम्र को बिलकुल ही तर्क कर रखा है। ये ग़फ़लत है, और इसकी इसलाह लाज़िम है।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-81)

अहादीस में बेशक ऐसा आया है, लेकिन हनफ़ीया उसको बाज़ औकात पर महमूल करते हैं और उसकी मुस्तकिल तौर पर पाबंदी पसंद नहीं करते, क्योंकि वह तअयुने सूरत को किसी भी नमाज़ के लिए मना करते हैं, लिहाज़ा कभी कभी ऐसा कर ले तो हरज नहीं दवाम उस पर न करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-217)

सूरतों की तअयीन करना

रसूलुल्लाह (स.अ.व.) नमाज़े जुमा की दोनों रकअतों में अलत्तरतीब अक्सर व बेशतर सूरए जुमा और सूरए मुनाफ़िकून या सूरए आला व सूरए गाशिया पढ़ा करते थे और ईदैन की नमाज़ में भी या तो यही दोनों आख़िरी सूरतें सूरए आला व गाशिया पढ़ा करते थे या सूरए:

“ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ اور اقتربت الساعة”

नमाज़े पंजगाना और जुमा व ईदैन की नमाज़ों में किराअत से मुतअल्लिक जो हदीसें लिखी गई हैं उससे दो बातें समझ में आती हैं।

(1) आप (स.अ.व.) का अक्सर मामूल ये था कि फ़जर में किराअत तवील फ़रमाते थे और ज़्यादा तर तिवाले मुफ़स्सल पढ़ते थे। जुहर में भी किसी क़द्र तवील किराअत फ़रमाते थे, अस्त्र मुख़्तसर और हल्की पढ़ते थे और इसी तरह मगरिब भी, इशा में औसाते मुफ़स्सल पढ़ना पसंद फ़रमाते थे, लेकिन कभी कभी उसके ख़िलाफ़ भी होता

था।

(2) किसी नमाज़ में हमेशा किसी ख़ास सूरत के पढ़ने का न आप (स.अ.व.) ने हुक्म दिया और न अमलन ऐसा किया, हाँ बाज़ नमाज़ों में अक्सर व बेशतर बाज़ ख़ास सूरतें पढ़ना आप (स.अ.व.) से साबित है।

(मआरिफुलहदीस जिल्द-3 सफ़हा-261)

हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) की राय

हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में तहरीर फ़रमाते हैं कि:

“रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने बाज़ नमाज़ों में कुछ मसालेह और फ़वाइद के पेशे नज़र बाज़ ख़ास सूरतें पढ़नी पसंद फ़रमाईं। लेकिन कतई तौर पर न उनकी तअयीन की न दूसरों को ताकीद की कि वह ऐसा ही करें। पस इस बारे में अगर कोई आप (स.अ.व.) की इत्तिबा करे (और इन नमाज़ों में वही सूरतें अक्सर व बेशतर पढ़े) तो अच्छा है। और जो ऐसा न करे तो उसके लिए भी कोई मुज़ाएका और हरज नहीं है।”

(मआरिफुल हदीस सफ़हा-361)

नबी करीम (स.अ.व.) जुमा व ईदैन के आलावा दूसरी तमाम नमाज़ों में सूरतें मुअयन कर के नहीं पढ़ा करते थे। फ़र्ज़ नमाज़ों में छोटी बड़ी सूरतों में से कोई ऐसी सूरत नहीं है जो आप (स.अ.व.) ने न पढ़ी हो।

और नवाफ़िल में एक रकअत में दो सूरतें भी आप (स.अ.व.) पढ़ते थे, लेकिन फ़र्ज नमाज़ों में नहीं, मामूलन आप (स.अ.व.) की पहली रकअत दूसरी रकअत से बड़ी हुवा करती थी।

नमाज़ में “सलामु अलैकुम” कहने का हुक्म

सवाल: अगर इमाम अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाए सिर्फ़ सलामु अलैकुम बग़ैर अलिफ़ लाम मीम के कहे तो क्या हुक्म है?

जवाब: ये ख़िलाफ़े सुन्नत है, इससे नमाज़ में कराहत आएगी। ये उस वक़्त है जबकि इमाम तलफ़फ़ुज़ ही में सलामु अलैकुम कहे। कभी ऐसा भी होता है कि अलिफ़ लोगों के सुनने में नहीं आता। इमाम तो अस्सलामु अलैकुम कहता है, लोग सलामु अलैकुम सुनते हैं तो ये मकरूह नहीं है।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-439)

(बग़ैर अलिफ़ लाम के) सलामु अलैकुम ख़िलाफ़े सुन्नत होने की वजह से मकरूह है। इमाम को समझाया जाए कि तसहीह कर ले।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-445, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-491)

सलाम में सिर्फ़ मंह फेरने का हुक्म

सवाल: नमाज़ से ख़ुरुज के लिए सलाम फेरते वक़्त

किब्ला से फ़कत मुंह ही फ़ैरे या सीना भी?

जवाब: सिर्फ़ मुंह फेरना दोनों तरफ़ सलाम के साथ काफी है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-207, बहवाला रहुलमुहतार बाब आदाबुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-446)

सलाम में चेहरा कितना घुमाया जाए?

”عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدَيْهِ“ (رواه مسلم)

हज़रत सअद बिन अबी वक्कास से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) को खुद देखा था कि आप (स.अ.व.) सलाम फेरते वक़्त दाएँ और बाएँ जानिब रुख़ फरमाते थे और चेहरा मुबारक दाहनी जानिब और बाई जानिब इतना फेरते थे कि हम रुख़सारे मुबारक की सफ़ेदी देख लेते थे।

(मअरिफुलहदीस जिल्द-3 सफ़हा-309)

इमाम से पहले सलाम फेरना

सवाल: एक मुक्तदी ने इमाम से पहले सलाम फेर लिया तो क्या मुक्तदीए मज़कूर की नमाज़ हुई या नहीं?

जवाब: नमाज़ हो गई। मगर ऐसा करना मकरूहे तहरीमी है। अलबत्ता अगर किसी सख़्त मजबूरी से सलाम फेरा जो नमाज़ में बाइसे तश्वीश बन रही हो तो नमाज़ का लौटाना वाजिब नहीं।

यहाँ सवाल पैदा होता है कि इमाम की मुताबअत जान बूझ कर छोड़ने की वजह से ये नमाज़ लौटानी पड़ेगी या नहीं? इससे मुतअल्लिक कोई सरीह हुक्म नहीं मिला। अलबत्ता मुक्त्तदी के सहवन वाजिब के छूटने पर सज्दए सहव के अदमे वुजूब से मालूम होता है कि बसूरते अमद नमाज़ का इआदा वाजिब नहीं।

दूसरा जवाब: इत्तिबाए इमाम वाजिब है। इसलिए इमाम से बिना उज़्र, जान बूझ कर पहल करना मकरूहे तहरीमी है, अलबत्ता रीह निकलने के खौफ़ वगैरा की बिना पर पहल करने में कराहत नहीं।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-294, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-490)

सलाम में इमाम से पहले साँस टूट जाने का हुक्म

सवाल: मुक्त्तदी का साँस सलाम फेरते वक़्त अस्सलामु अलैकुम कहने में इमाम से पहले टूट जाए तो मुक्त्तदी की नमाज़ होती है या नहीं?

जवाब: मुक्त्तदी की नमाज़ में इस सूरत में कुछ खलल नहीं आया।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-163, बहवाला रहुलमुहतार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-490)

सलाम में लफ़्ज अल्लाह को खींचने का हुक्म

सवाल: क्या मुक्त्तदी इमाम के लफ़्ज अस्सलामु कहने

के साथ ही फ़ौरन सलाम फेर दे या कुछ देर के बाद? अक्सर अइम्माए मसाजिद, सलाम में लफ़ज़ "अल्लाह" को बहुत ज़्यादा खींचते हैं, क्या मुक्तदी भी इस तरह करे? या वह दोनों तरफ़ इमाम से पहले सलाम के कलिमात ख़त्म कर सकता है?

जवाब: सलामे औवल में लफ़ज़ अस्सलामु कहने से नमाज़ ख़त्म हो जाती है, इसलिए औवल मीम, इमाम से पहले कहना मकरूह है। उसके बाद कोई वजहे कराहत मालूम नहीं होती।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-312)

नमाज़े फ़ज्र व अस्र के बाद इमाम का रुख़ बदलना

सवाल: फ़ज्र और अस्र की नमाज़ के बाद इमाम दाईं जानिब मुड़ कर बैठे या मुक्तदियों की तरफ़ मुतवज्जेह हो कर? एक मौलवी साहब फ़रमाते हैं कि दाईं जानिब रुख़ कर के बैठना मुस्तहब है, और मुक्तदियों की तरफ़ रुख़ कर के बैठना ख़िलाफ़े इस्तेहबाब है, सहीह क्या है?

ख़ुलासए जवाब: हज़राते फुक़हा (रहि.) तआता फ़रमाते हैं कि फ़राइज़ से फ़ारिग़ होने के बाद इमाम का उसी हैअत पर काइम रहना बिदअत है। इसलिए इमाम अपनी हैअत तब्दील कर ले जिसकी मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं। यानी या तो मुसल्ले से उठ कर चला जाए, या दाएँ या बाएँ या मुक्तदियों की तरफ़ मुड़ कर बैठे।

अगर नमाज़ के बाद सुन्नतें हों तो उनको अदा करने के लिए मुसल्ले से आगे पीछे या दाईं या बाईं तरफ़ हट

कर पड़े। इमाम के इसी हैअत पर किब्ला की तरफ रहने में आने वालों को जमाअत बाकी रहने का इशितबाह हो सकता है। खतरा है कि कोई इकितदा कर ले, और उसकी नमाज़ सहीह न हो। इसलिए इमाम का हैअत न बदलना मकरूह है।

इमाम को फ़ज्र और अन्न की नमाज़ के बाद मुक्तदियों की तरफ़ मुतवज्जेह हो कर बैठना चाहिए। अलबत्ता अगर इमाम के सामने पहली सफ़ में कोई मस्बूक़ हो तो उसके सामने बैठना मकरूह है। लिहाज़ा इस सूरत में दाएँ बाएँ होकर बैठे। अगर पहली सफ़ के पीछे वाली किसी सफ़ में मस्बूक़ हो तो उसका सामना करने के जवाज़ में इख़तिलाफ़ है। अल्लामा शामी ने जवाज़ को तरजीह दी है। (अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-369, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-332)

नमाज़ के बाद इमाम किस तरफ़ मुंह कर के बैठे

सवाल: जिन नमाज़ों के बाद सुन्नते मुअक्कदा नहीं हैं। उन नमाज़ों के बाद इमाम किस तरफ़ मुतवज्जेह हो, दाहिनी जानिब या बाई तरफ़ या मुक्तदियों की तरफ़, कौन सा कौल सहीह है?

जवाब: तीनों तरह दुरुस्त है। किसी एक का इल्तिज़ाम दुरुस्त नहीं, दाहिनी जानिब मुतवज्जेह होना कि किब्ला बाई जानिब हो औला है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-134, बहवाला मराकिलफ़लाह सफ़हा-271 मिस्री)

दुआ के वक्त इमाम का दाहिनी तरफ़ और बाई तरफ़ फिरना दोनों का जिक्र हदीस में आया है और दोनों बातों की शरअन इजाज़त है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फ़रमाते हैं कि कोई शख्स अपनी नमाज़ में शैतान का हिस्सा न करे कि ये समझे कि दाहिनी तरफ़ ही फिरना ज़रूरी है। मैंने बारहा रसूलुल्लाह (स.अ.व.) को देखा है कि बाई तरफ़ को फिरे।

लेकिन ये भी हदीस से साबित है कि ज़्यादा तर रसूलुल्लाह (स.अ.व.) दाहिनी तरफ़ फिरते थे।

(मिशकात सफ़हा-87, बाबुददुआ)

पस मामूल ये रखना चाहिए कि अक्सर दाहिनी तरफ़ को फिरे और कभी कभी बाई तरफ़ को फिर जाया करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-89, बहवाला गुनिया जिल्द-1 सफ़हा-33)

दूसरी नमाज़ों में मुक्तदियों की तरफ़ रुख करना

सवाल: हमारे यहाँ पर जुहर, मगरिब, इशा के फ़र्ज़ के बाद मुक्तदियों की तरफ़ रुख कर के दुआ करते हैं, ये फ़ेल कैसा है?

जवाब: ख़िलाफ़े सुन्नत है।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-3 सफ़हा-315)

फ़र्ज़ के बाद आयतुलक़र्सी पढ़ने का हुक्म

सवाल: इमाम को फ़र्ज़ के बाद कितनी देर तक

आयतुलकुर्सी पढ़ते रहना चाहिए। इमाम साहब अगर देर तक बैठे पढ़ते रहें तो क्या मुक्तदी को उनकी पैरवी लाज़िम है, या दुआ कर के सुन्नत में मशगूल हो जाए?

जवाब: फर्ज के बाद सुन्नत से पहले आयतुलकुर्सी व तस्बीहात वगैरा औराद मुख़ासर तौर पर पूरा कर के सुन्नत पढ़े तो कुछ हरज नहीं है, और वक़्त की कुछ मिक्दार मुअैयन नहीं है, लेकिन ज़्यादा ताख़ीर न करे, और अगर ज़्यादा औराद पढ़ने हों तो सुन्नत के बाद पूरा कर ले। ये बेहतर है, और इमाम अगर देर तक बैठा पढ़ता रहे तो मुक्तदियों को उसकी इत्तिबाअ लाज़िम नहीं है। उनको इख़तियार है कि वह ख़्वाह फ़ौरन या कुछ पढ़ कर सुन्नतें पढ़ें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-166, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-494)

दुआ इतनी मांगी जाए कि मुक्तदियों पर शाक न हो और उनको ततवील नागवार न हो।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-286)

बाद नमाजे पंजगाना दुआ

नमाजे पंजगाना के बाद हाथ उठा कर दुआ मांगना सुन्नते नबवी (स.अ.व.) है। हिस्ने हसीन में दुआ में हाथ उठाने और बाद दुआ के मुंह पर हाथ फेरने की मरफूअ अहादीस मौजूद हैं, उनको देख लिया जाए। नमाजों के बाद दुआ का मसनून होना भी उसमें मज़कूर है। तर्क दुआ नमाज़ के बाद ख़िलाफ़े सुन्नत है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-199, बहवाला मिशकात शरीफ़ किताबुददअवात सफ़हा-195 व हिस्ने हसीन सफ़हा-30)

हज़रत अरबाज़ इब्न सारिया (रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया जो बंदा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े और उसके बाद दिल से दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होगी। (मआरिफ़ुल हदीस जिल्द-5 सफ़हा-138)

नमाजे फ़ज्र व अस्र में तवील दुआ

जिन फ़राइज़ के बाद सुन्नतें नहीं हैं। जैसे फ़ज्र व अस्र, उनमें दुआ लम्बी करे, और जिन फ़राइज़ के बाद सुन्नत हैं उनके बाद इमाम, मुक्तदी मुख़्तसर दुआ माँग कर सुन्नतें अदा करें, ख़्वाह फ़रसल बिल औराद कर के बाद में सुन्नतें पढ़ें, और फिर इजतिमाअन दुआ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दुआ इजतिमाअन एक ही बार है। फिर दो बारह सुन्नतों के बाद मुक्तदियों को इमाम की दुआ का इतिज़ार करना और उसका इल्तिज़ाम करना ज़रूरी नहीं है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-197, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-72)

नोट: नफ़ल और सुन्नत का घरों में पढ़ना अफ़ज़ल है। बाज़ जगह का ये दुस्तूर ग़लत है कि अक्सर नमाज़ी जुमा की सुन्नतें पढ़ कर ठहरे रहते हैं। इमाम सुन्नतों के बाद दुआ कराता है। रहुलमुहतार बाबुल वित्र वन्नवाफ़िल सफ़हा-638 से मालूम होता है कि नमाज़ियों को सुन्नत

के लिए रोकना इज्तिमाअन दुआ करने का दुस्तूर अहदे नबवी में नहीं था। और न अब उसका इल्तिजाम दुरुस्त है इसलिए कि हदीस के खिलाफ है।

नमाज के बाद दुआ आहिस्ता मांगे या जोर से

आहिस्ता दुआ करना अफज़ल है। नमाज़ियों को हरज न होता हो तो कभी कभी ज़रा आवाज़ से दुआ कर ले तो जाइज़ है। हमेशा जोर से दुआ करने की आदत बनाना मकरूह है। रिवायात से जेहर (जोर से) दुआ मांगना साबित नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-183)

दुआ आहिस्ता मांगना अफज़ल है। अगर दुआ की तालीम मक्सूद हो तो बुलंद आवाज़ में भी मुज़ाएका नहीं। मगर इतनी बुलंद आवाज़ से जिससे दूसरे नमाज़ियों की नमाज़ में खलल न हो। नमाज़ सलाम पर खत्म हो जाती है। उसके बाद दुआ नमाज़ का जुज़ नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-173)

अलफ़ाजे दुआ में अदमे तरबसीस

इमाम दुआ के अलफ़ाज़ को अपने साथ मख़सूस न करे, अगर वह दुआ जोर से कर रहा है। जैसे कि ऐ अल्लाह मुझ पर और नबी करीम (स.अ.व.) पर रहम फ़रमा, और मेरे साथियों में से किसी पर रहम न करना।

इस किस्म की दुआ करना ख़्यानत है, अहादीस में जो मुनफ़रदन अलफ़ाज़ आए हैं वह इसमें दाख़िल नहीं

हैं। क्योंकि नमाज़ में जो इमाम से फ़ाएदा पहुंचता है। उसमें मुक्तदियों को भी हिरसा मिलता है, इमाम मुक्तदियों का नुमाइंदा होता है। और अगर आहिस्ता दुआ कर रहे हैं तो इमाम को इजाज़त है कि अपने लिए खास दुआ करे (औरों के लिए बंद दुआ न करे) क्यों कि मुक्तदी भी अपने लिए दुआ कर रहे हैं। इस तरह नफ़से दुआ में सब शरीक हो जाएँगे।

(मआरिफ़े मदनीया जिल्द-6 सफ़हा-100)

इमामा की दुआ पर आमीन कहना

सवाल: नमाज़ के बाद जो दुआ इमाम के साथ मांगते हैं उसमें आमीन कहना चाहिए या जो मर्ज़ी हो दुआ मांगे?

जवाब: जो दुआ चाहे माँगे, ये ज़रूरी नहीं है कि इमाम की दुआ पर आमीन कहे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-201, बहवाला रहुलमुहतार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-489)

दुआ में मुक्तदी की शिरकत

सवाल: मुक्तदी को इमाम के सलाम के बाद दुआ में इक़िदा व शिकरत ज़रूरी है या मुस्तहब?

जवाब: मुस्तहब है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-190, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-495 व गुनिया सफ़हा-330)

अगर मुक्तदी को कुछ जरूरत है और कोई जरूरी काम है तो सलाम के बाद फौरन चले जाने में कुछ गुनाह नहीं है और इस पर कुछ तअन न करना चाहिए। और अगर दुआ के खत्म तक इंतिज़ार करे और इमाम साहब के साथ दुआ में शरीक हो तो ये अच्छा है और इसमें ज़्यादा सवाब है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-103)

दुआ के वक़्त निगाह कहाँ रखी जाए

दुआ मांगने के वक़्त आसमान की तरफ़ नज़र उठाना और तर्कना, दुआ की वह नापसंदीदा सूरत है जिससे आँहज़रत (स.अ.व.) ने मना फ़रमाया है। इसलिए कि ये सूरत अल्लाह के अदब व एहतेराम और दुआ मांगने वाले के लिए मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि ये हरकत बेअदबी या गुस्ताखी बन कर दुआ को कबूलियत से महरूम कर दे। इसलिए इससे बचना चाहिए।

(हिस्ने हसीन सफ़हा-27)

दुआ में जल्दी बाजी से एहतेराज

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया कि: "जब अल्लाह से मांगो और दुआ करो तो इस यकीन के साथ करो के वह जरूर कबूल फ़रमाएगा। और जान लो और याद रखो अल्लाह उसकी दुआ कबूल न करेगा जिसका दिल दुआ

के वक्त अल्लाह से गाफिल और बेपरवाह हो।”

आप (स.अ.व.) ने फरमाया: “हमारी दुआएँ उस वक्त तक काबिले कबूल होती हैं जब तक जल्द बाजी से काम न लिया जाए (और जल्द बाजी ये है) कि बंदा ये कहने लगे कि मैंने दुआ की थी मगर कबूल ही नहीं हुई।”

(मआरिफुल हदीस जिल्द-5 सफ़हा-123, 125)

दुआ के खत्म पर कलिमा पढ़ना

सवाल: हमारे यहाँ दस्तूर है कि दुआ खत्म करने के बाद जब मुंह पर हाथ फेरते हैं तो उस वक्त कलिमा तैयबा “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” पढ़ते हैं, क्या शरीअत में इसका सुबूत है?

जवाब: दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ़ पढ़ना और आमीन के सिवा और कुछ पढ़ना साबित नहीं। लिहाज़ा मुंह पर हाथ फेरते वक्त कलिमा तैयबा पढ़ने का दस्तूर बिदअत है।

जैसा कि खाने से फ़ारिग होने के बाद या तिलावत के बाद कोई शख्स दुआए मासूरा के बजाए उसके बाद कलिमा तैयबा पढ़े तो हर शख्स उसे दीन में ज़्यादती और बिदअत समझेगा।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-374)

नमाज़ के बाद इमाम से मुसाफ़हा करना कैसा है

मुसाफ़हा व मुआनका अपने तरीका पर मसनून है, सलाम,

मुसाफ़हा, मुआनका दाखिले इबादात हैं। इबादात को साहबे शरीअत के हुक्म के मुताबिक अदा किया जाए तब ही इबादात में शुमार होगी और सवाब के हकदार होंगे वरना ये बिदअत हो जाएगी और बजाए सवाब के अजाब होगा। मजमउलबहरैन के मुसन्निफ़ ने अपनी शरह में ब्यान किया है कि एक शख्स ने ईद के दिन नमाज़ से पहले ईदगाह में नफ़ल पढ़ने का इरादा किया तो हज़रत अली (रज़ि.) ने उसको मना किया, उस शख्स ने कहा ऐ अमीरुलमुमिनीन में ख़ूब जानता हूँ कि अल्लाह तआला नमाज़ पढ़ने पर अजाब नहीं देगा। हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़रमाया मैं भी ख़ूब जानता हूँ कि अल्लाह तआला किसी काम पर सवाब नहीं देता, ता वक्तेकि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने उसको न किया हो या उसको करने की तरगीब न दी हो। पस तेरी ये नमाज़ अबस है और फ़ेले अबस हराम है। पस अंदेशा है कि खुदा तआला तुझ को इस पर अजाब दे। इसलिए कि तूने उसके पैग़म्बर (स.अ.व.) के खिलाफ़ किया।

(मजालिसुलअबरार जिल्द-8 सफ़हा-129)

देखिए! अज़ान इबादात है, दीन का शिआर और इस्लामी अलामत है और जुमा के लिए दो अज़ानें और इकामत पाबंदी के साथ होती है, मगर ईद के लिए न अज़ान है न इकामत।

अगर ईदगाह में अज़ान या तकबीर पढ़ी जाए तो हर शख्स जानता है वह बिदअत होगी। इसी तरह मुसाफ़हा व मुआनका का हुक्म है। ईद वग़ैरा नमाज़ों के बाद उसका इल्तिज़ाम बिदअत है।

शामी में मनकूल है, किसी भी नमाज़ के बाद मुसाफ़हा का रिवाज़ मकरूह है जिसकी दलील ये है कि सहाबए किराम (रज़ि.) नमाज़ के बाद मुसाफ़हा नहीं करते थे, कराहत की एक वजह ये भी है कि ये रवाफ़िज़ का तरीका है।

इब्ने हजर शाफ़ई फ़रमाते हैं कि लोग पंजगाना नमाज़ के बाद मुसाफ़हा करते हैं वह बिदअते मकरूह है। शरीअत में उसकी कोई असलीयत नहीं है।

इब्नुलहाज (रह.) मक्की किताबुलमदख़ल में तहरीर फ़रमाते हैं कि इमाम के लिए ज़रूरी है कि लोगों ने नमाज़े फ़जर और जुमा और अस्र की नमाज़ के बाद मुसाफ़हा का जो नया तरीका ईजाद किया है, बल्कि बाज़ ने पाँचों नमाज़ के बाद भी मुसाफ़हा का तरीका ईजाद किया है उससे मना करे कि ये बिदअत है, शरीअत में मुसाफ़हा किसी मुस्लिम से मुलाकात के वक़्त है, न कि नमाज़ों के बाद, लिहाज़ा शरीअत ने जो अमल मुकर्रर किया है उसी जगह उसको बजा लाए और सुन्नत के ख़िलाफ़ करने वालों को रोके।

शारेहे मिशकात शरीफ़ फ़रमाते हैं बेशक शरई मुसाफ़हा का वक़्त शुरू मुलाकात का वक़्त है। लोग बिना मुसाफ़हा मिलते हैं, इल्मी बातें करते हैं फिर जब नमाज़ पढ़ लेते हैं, उस वक़्त मुसाफ़हा करते हैं, ये कहाँ की सुन्नत है? इसलिए बाज़ फ़ुक़हा ने वज़ाहत की है कि ये तरीका मकरूह और बिदअते सैयेआ है।

(मिरकात शरहे मिशकात जिल्द--4 सफ़हा--575)

इन मुख़्तसर तसरीहात की बिना पर ज़रूरी है कि

मुसाफ़हा से इज्तिनाब करे, मगर ऐसा तरीका इखतियार न करे जिससे लोगों में गुस्सा और नफ़रत फैले। ऐसे मौका पर मुल्ला अली कारी की हिदायत का ख्याल रखे। फ़रमाते हैं कि: “जब कोई मुसलमान बे मौका मुसाफ़हा के लिए हाथ दराज़ करे तो हाथ खींच कर उसका दिल न दुखाए और बदकलामी का सबब न बने और आहिस्तगी से समझाए और मस्अला की हकीकत से आगाह करे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-73)

ये मस्अला अहसनुल फ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-355 पर इस तरह है— “शरीअत में मुसाफ़हा का मौका सिर्फ़ औवल वक़ते मुलाक़ात है, नमाज़ों के बाद मुसाफ़हा हुजूर अकरम (स.अ.व.) और सहाबए किराम (रजि.) और अईम्मए दीन रहिमहुमुल्लाह से साबित नहीं, बल्कि ये रवाफ़िज़ की ईजाद है और बिदअत है। इसलिए इससे एहतेराज़ वाजिब है बल्कि बाज़ हज़राते फ़ुक़हा रहिमहुमुल्लाह तअाला ने सराहतन लिखा है कि इस बिदअत के मुरतकिब को बज़रीआ ज़ज़्र व तौबीख़ रोकने की कोशिश की जाए। अगर फिर भी बाज़ न आए तो बशर्ते कुदरत उसे सज़ा दी जाए। अलबत्ता जहाँ रोकने की कुदरत न हो वहाँ रोकना ज़रूरी नहीं।

(बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-336)

दुआए मुअल्लिफ़

”رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنَا عَمَلٌ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرَيْبِي إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰكَ وَإِنِّي مِنَ

المُسْلِمِينَ وَقَبَّلَ مِنِّي هَذَا الْعَمَلِ وَجَنَّبَنِي فِيهِ عَنِ الْخَطَا وَالْيَسِيَانِ وَأَجْعَلُهُ
ذَرِيْعَةً لِلْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ فِي الدُّنْيَا وَرَسِيْلَةً لِلنَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ

मुहम्मद रफ़अत कासमी मुदरिस दारुलउलूम, देवबंद

10 मुहरमुलहराम 1408 हिजरी मुताबिक 4 सितम्बर 1987 ई0 बरोज जुमा

□□□

मउरिफत व मेराजेउ किताब

नाम किबात	मुशन्निफ व मुअल्लिफ	मुत्ताब्बा
मउरिफुल कुरआन	मुफ्ती मुहम्मद शफीअ (रह.) मुफ्ताए आज़म पाकिस्तार	रब्बानी बुक डिपो देवबंद
मउरिफुल हदीस	मौलाना मंज़ूर साहब नोमानी	अलफुरकान बुक डिपो 31 नया गाँव, लखनऊ
फतावा दारुलउलूम मुकम्मल व मुदल्लल	मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब	मक्ताबा दारुलउलूम . देवबंद
फतावा रहीमिया	सैयद मुफ्ती अब्दुरहीम साहब	मक्ताबा मुन्शी स्टेट रानदेर सूरत
फतावा रशीदिया कामिल	मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.)	कुतुबखाना रहीमिया, देवबंद
फतावा महमूदिया	मुफ्ती महमूदुलहसन साहब	मक्ताबा महमूदिया जामा मस्जिद, मेरठ
इमदादुलफतावा	मौलाना अशरफ अली थानवी (रह.)	इदारा तालीफाते औलिया, देवबंद

फतावा आलमगीरी	अल्लामा सैयद अमीर अहमद	मुतबअ नवलकिशोर लखनऊ
किफायतुल मुफ्ती	मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी (रह.)	कुतुबखाना एजाजिया, देवबंद
अहसनुल फतावा	मुफ्ती रशीद अहमद लुथयानवी	सईद एच. एम. कम्पनी अदब मंजिल चौक कराची (पाकिस्तान)
किताबुल फिक्ह अल्लमजाहिबिल अलरबआ	अल्लामा अब्दुरहमान	मतबूआत मुहकमा औकाफ पंजाब, लाहौर (पाकिस्तान)
मजाहिरे हक जदीद	इफादात अल्लामा नवाब कुतुबुद्दीन	इदारा इस्लामियात देवबंद
मसाइले सज्दए सख्ख	मुफ्ती हबीबुरहमान खैराबादी	हिरा अकेडमी देवबंद
मजारिफे मदीना	इफादात मौलाना हुसैन अहमद मदनी	मदरसा इमदादुल इस्लाम सदर बाजार, मेरठ
हिदाया	इमाम अबुलहसन (रह.) बुरहानुद्दीन	कुतुबखाना रशीदिया, दिल्ली
बदाए सनाए	अल्लामा अलाउद्दीन अबी बक्र	पाकिस्तान
सिहाहे सिन्ता		कुतुबखाना रशीदिया, दिल्ली
कबीरी		फख्रुलमताबेअ लखनऊ
रहुलमुहतार अलदुर्गिलमुज्जार	अल्लामा इब्न आबिदीन (रह.)	सईद एच.एम. कम्पनी अदब मंजिल चौक, कराची (पाकिस्तान)
तहतावी अला मराकिलफलाह	सैयद अहमद तहतावी	पाकिस्तान

संगीरी		मतबअ मुहम्मदी लाहौर
हिस्ने हसीन	ब इजाफा हवाशी मौलाना इदरीस साहब	नसीर बुक डिपो बस्ती निज़ामुद्दीन दिल्ली-१३
मसाइले तरावीह मुकम्मल व मुदल्लल	मुहम्मद रफअत कासमी	मक्तबा रज़ी देवबंद
नूरुलईज़ाह		मक्तबा थानवी देवबंद
इमदादुल मुफ्तीयीन	मुफ्ती मुहम्मद शफीअ (रह.)	दारुलइशाअत कराची (पाकिस्तान)
जदीद फिकही मसाइल	मौलाना ख़ालिद सैफुल्लाह	मजलिस राहकीकाते इस्लामी हैदरआबाद
फ़तावा हिन्दीया		नवलकिशोर लखनऊ
गुनयतुत्तालिबीन	शैख़ अब्दुलकादिर जीलानी (रह.)	मतबअ लाहौर (पाकिस्तान)



-: समाप्त :-

तारीखी नाविलों के महाहूर लेखक मौलाना सादिक हुसैन सरथानवी के महाहूर

तारीखी नाविल

अब हिन्दी भाषा में

अरब का नाँव

एक ऐसा नाविल जिसमें तीन लाख ईसाई सैनिकों को केवल बीस हजार मुसलमान मुजाहिदों ने पराजित कर के इस्लाम का नाम रोशन कर दिया इस जंग में मुस्लिम महिला की अहम भूमिका रही जिन्होंने बहादुरी व हिम्मत को ज़िन्दा कर दिया।

दोशीजा-ए-हिन्द

ऐसा तारीखी नाविल जिसमें एक हिन्दू लड़की के दिल में अल्लाह का नूर पैदा हो गया जिसने अपने बाप दादा के रस्म व रिवाज को त्याग कर हक का साथ दिया। ईमानी भावना का एक जीता जागता किरदार जो आपको झिंझोड़ कर रख देगा।

सुलतान मुहम्मद गौरी

इतिहास सदैव अपने आपकी दोहराता है। सोई हुई कौमो जागती है और सत्ता एवं विलासता में पड़ी हुई कौमो तबाह व बर्बाद हो जाती है। एक ऐसे सुलतान के मुजाहिदाना करणामे जिसने अपने साहस, सकल्प और ईमानी जोश से असत्य को मिटाकर सत्य का बोल बाला कर दिया।

सलाहुद्दीन अरसली

इस्लामी इतिहास में सुलतान सलाहुद्दीन का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये सुलतान ही था जिसने ५८३ हिजरी में ईसाइयों से किब्ला-ए-अव्वल बैतुल मक़िदस को आज़ाद कराया। सुलतान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिनके नाम से बड़े बड़े ईसाई शासकों के दिल दहल जाते थे। इस पुस्तक में उनके साहसिक करणामे प्रस्तुत किए गए हैं।

संगदिल मलिका

औरत को अल्लाह ने ममता व दया की मूरत पैदा किया है लेकिन इस नाविल में एक ऐसी संगदिल मलिका की दास्तान पेश की गई है जिसने अपनी निर्दयता, दुश्मनी और इन्तिकाम की आग में जलने व बदला लेने के रिकार्ड तोड़ डाले थे। वही संगदिल मलिका एक दिन इस्लामी तालीमात और मुसलमान मुजाहिदों के बेहतरीन व्यवहार से प्रभावित हो कर इस्लाम की आगोश में पनाह लेती है।

जोशे जिहाद

इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए इतिहास में ईसाई व यहूदियों ने बड़ी

कोशिशें कीं। झूट, दगा, फरेब, साजिश, धोखा सारे हथियार जगा किए परन्तु जब एक मुसलमान के दिल में जिहाद का जोश पैदा होता है तो ईमान की ताकत के सामने ये सारे असत्य हथियार नाकाम हो जाते हैं।

फतह गिर

हज़रत अब्र बिन अल आस के मुजाहिदाना कारनामों पर आधारित एक ऐसा नाविल जिसमें हक व बातिल की कशमकश में मिस्र के बादशाह अरसतलीस की हुकूमत का ख़ात्मा बड़े ही चमत्कारी तौर पर होता है। इस्लामी सरफ़रोशों की बहादुरी की अनोखी दास्तान.....।

सुलतान फ़ीरोज़ शाह तुग़लक

इस्लाम को मिटाने के लिए इस्लाम के दुश्मनों ने नए नए तरीके अपनाए। झूठे नबी हुए और झूठे मेहदी होने के दावे किए सुलतान फ़ीरोज़ शाह तुग़लक के कार्य काल में ऐसे ही एक इस्लाम दुश्मन ने इमाम मेहदी होने का दावा कर के इस्लाम में फूट डालने का प्रयास किया। सुलतान ने किस प्रकार इस फ़ितने को दबाया.....? यह इस नाविल में पढ़िए.....।

अरबी दोशीज़ा

इस्लाम से पहले अरब में औरत की कोई हैसियत न थी। इस्लाम ने औरत को न केवल इज़्ज़त दी बल्कि उसने उसे बहादुरी व स्वाभिमान भी दिया। जब समय आया तो अरब महिला ही ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना किरदार निभाया। ऐसी ही एक अरब दोशीज़ा के कमालात व ईमानी भावना की जीती जागती कहानी इस नाविल में है.....।

ईरान की हसीना

ईरानी हुकूमत और अरब के शेरों के टकराव की एक लम्बी दास्तान हज़रत उमर रज़ि. के भेजे हुए लश्कर के मुजाहिदों के जंगी कारनामे जिन्होंने न केवल ईरानी हुकूमत को हराया बल्कि ईरानी हसीना के दिल को भी इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया.....।



इस्लामी तारीख़ की जानकारी व मुजाहिदों के साहसिक कारनामों के लिए इन नाविलों का अध्ययन आपके लिए अत्यन्त ज़रूरी है।

अजुम बुक डिपो

मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली - 6